राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र का १०वां दिवस [संख्या ८

बुधवार, १९ फरवरी, १९५८

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.०१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

समाचार पत्रों को दिये जाने वाले विज्ञापन

२२२ **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कितने अखबार नियमित रूप से निकलते हैं ?

(ख) उनका सर्क्युलेशन क्या है और उनमें से किन किन को सरकारी विज्ञापन किस आधार पर दिये जाते हैं ?

(ग) सन् १९५५-५६ में निकलने वाले किन किन पत्रों को एप्रूव्ड लिस्ट में लिया गया है ?

(घ) उदयपुर, जयपुर, जोधपुर व बीकानेर के किन २ पत्रों को कितना २ विज्ञापन १९५५-५६ में दिया गया है ।

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर अगले सप्ताह में दूंगा ।

औद्योगिक शिक्षण केन्द्र

२२३. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या श्रम मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में इन्डस्ट्रीज़ की ट्रेनिंग किन २ केन्द्रों में दी जाती है ?

(ख) क्या एक्चुअल ट्रेनिंग प्रेक्टिकल लाइफ में सेटल होने में पूर्ण रूपेण सहायक सिद्ध होती है ?

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार की कहां २ ऐसे सेन्टर खोलने की योजना है तथा इनके खोलने हेतु क्या २ आधार रखे गये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत दो औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर व अजमेर में प्रशिक्षणार्थियों को औद्योगिक प्रशिक्षण देते हैं ।

(ख) प्राय: प्रशिक्षणार्थी रेल्वे, लोक कर्म विभाग, सिंचाई विभाग और खनिज विभाग के अन्तर्गत उपयुक्त पदों पर नियुक्त हो जाते हैं । प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण देते समय उन्हें आत्म निर्भर बनने की प्रेरणा दी जाती

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

है, प्रशिक्षणार्थीयों के प्रशिक्षण-काल के समाप्त हो जाने पर, जो कुल दो वर्षों का होता है यह आशा की जाती है कि वे अपने व्यवहारिक जीवन में सफल रहेंगे।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उदयपुर, कोटा, जयपुर व बीकानेर में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की योजना है।

(घ) औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने के कुछ आधार निम्न हैं :

१. औद्योगिक प्रशिक्षण का अधिकाधिक विस्तार द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार भारत का औद्योगिक विस्तार ही है जिससे अधिकाधिक व्यक्तियों को नियोजन का अवसर प्राप्त हो सके।

२. प्रशिक्षणार्थियों की सुविधा, नगरों का महत्व तथा स्थानीय आवश्यकता :—

कोटा–चम्बल योजना आवश्यक उपलब्धि !
बीकानेर–रेल्वे वर्कशॉप आवश्यक उपकरण ?
जोधपुर–रेल्वे वर्कशाप आवश्यक उपकरण ?
उदयपुर–खनिज सम्पदा तथा औद्योगिक विस्तार।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अब तक जो ट्रेनिंग सेन्टर से ट्रेन्ड आदमी निकले वे कितने सेटिल हुए हैं और उसका अन-एम्प्लॉयमेंट पर कितना असर पड़ा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जितने ट्रेनीज़ पास हुए हैं सब सेटिल हो गये हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कितने अन्दाजन ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई नम्बर नहीं है एग्ज़ेक्ट मेरे पास। जितने पास हुए हैं सब सेटिल हो गये है।

प्रश्न संख्या २२५

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।
(अनुपस्थित)

अशोकपुरा (जयपुर) में शिशुगृह

२२५. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल-बाजार, जयपुर) : क्या श्रम मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या अशोकपुरा (जयपुर) में कोई शिशुगृह (Creches) हैं ? यदि हां, तो इसका संचालन कौन करता है और उसमें कितना स्टाफ है ?

(२) उक्त शिशुगृह में कितने बच्चों के लिये व्यवस्था है तथा दैनिक औसत उपस्थिति क्या है ?

(३) क्या इस भवन को सार्वजनिक उपयोग के लिये सुलभ करने की ओर वहां के लोगों की ओर से सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) इस विभाग के अन्तर्गत किसी शिशुगृह का संचालन नहीं होता।

(२) और प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

डॉ० चन्द्रकला : सुनाई नहीं पड़ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने बहुत साफ कहा है।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(१) श्रम विभाग के अन्तर्गत कोई शिशु-गृह का संचालन नहीं होता।

(२) और (३) प्रश्न नहीं उठता।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि अशोकपुरा में शिशुगृह है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी यह सूचना है कि जयपुर में अशोकपुरा नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : जमुना डेयरी के पास में जो बस्ती है और जो सड़क के इस ओर है, उसका नाम अशोकपुरा है, उसी नाम से वहां की वह बस्ती जानी जाती है; क्या वहां पर कोई शिशुगृह नहीं है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : श्रम विभाग की ओर से कोई शिशुगृह नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : मैं नहीं कह सकती कि श्रम विभाग की ओर से संचालन होता है, संचालन का कोई प्रश्न नहीं रहता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : श्रम मंत्री को क्वेश्चन भेजा था।

श्री मदनसिंह दांता : मैं इस चीज़ को जानता हूं क्योंकि मैं वहां पर काम करता हूं; वहां पर शिशुगृह है।

श्री अध्यक्ष : क्या आप शिशुगृह में काम करते हैं?

श्री मदनसिंह दांता : जी हां।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरा जवाब स्पष्ट है कि श्रम विभाग की ओर से किसी शिशुगृह का संचालन नहीं होता है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि चाहे वह शिशु गृह श्रम विभाग की ओर से संचालित नहीं होता हो, वहां पर एक भवन है और वहां की जनता ने सरकार के पास यह कहा था कि इस भवन को सार्वजनिक उपयोग के लिए प्राप्त किया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : श्रम विभाग को कोई ऐसी इत्तिला नहीं है।

निवाई की पहाड़ी को रिज़र्व जंगल में लिया जाना

२२६. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने निवाई कस्बा की पहाड़ी को रिज़र्व जंगलात में ले रखा है?

(ख) यदि हां, तो उसमें किस किस्म की लकड़ी व घास पैदा होती है और उससे क्या आमदनी होती है?

(ग) कस्बा निवाई की आबादी से यह पहाड़ी कितने फासले पर है?

(घ) उक्त पहाड़ी की आमदनी और खर्च क्या २ है और कब से यह रिज़र्व जंगलात में शुमार है?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) पलास, सफेद खैर व इसी प्रकार के दूसरे पेड़ तथा लापला, लप्पा व मूंज तथा इसी प्रकार की घास इस क्षेत्रफल से; आय औसतन ५,०००) रू० प्रतिवर्ष होती है।

(ग) लगभग एक फर्लांग पर।

Page No.4

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(घ) औसतन ५०००) आय और ५५५०) रू० सालाना व्यय है। यह क्षेत्र रिज़र्व जंगल नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अभी माननीय मन्त्रीजी ने फरमाया कि "जी नहीं," तो क्या वह जंगलात के भीतर नहीं है पहाड़ी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले जयपुर फोरेस्ट एक्ट के अन्दर वह प्रिज़र्व्ड एरिया में थी। नया डिमार्केशन हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है, उसमें कार्यवाही नोटिफिकेशन वगैहर की जारी करनी है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरा एक सवाल है कि बार बार इसकी शिकायत आती है और अब तो यहां पर पक्की सड़क है, माननीय मंत्री जी पधार कर देख सकते है और दुनिया की जो तकलीफ है उसे मिटा दें।

डॉ० चन्द्रकला : निवाई की बस्ती पहाड़ी से मिली हुई है तो फिर एक फर्लांग की दूरी किस जगह से है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : एक फर्लांग तो क्या है, बिल्कुल मिला हुआ है। बार बार सवाल होता है तो माननीय मंत्रीजी स्वयं पधार कर या किसी को भेज कर मुआयना करा कर वहां पर कुछ हल निकाल लें।

श्री नाथूराम मिर्धा : पहाड़ी जंगलात में नहीं रखें, ऐसा नहीं हो सकता है। रीज़नेबल डिस्टेन्स कितना रखना है, वह देखा जायगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : 'बिल्कुल' की नहीं कहता हूं, फिर भी पहाड़ी को आधा रखेंगे या चौथाई रखेंगे या कितना रखेंगे ? पहाड़ी के दामन में गांव बसा हुआ है। आप बता रहे हैं कि एक फर्लांग की दूरी है। वह तो बिलकुल ही मिली हुई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : हम पहाड़ी को नहीं छोड़ सकते हैं, पहाड़ी को नंगा नहीं रखना चाहेंगे। वह अगर ठीक तैयार हो जायगी तो गांव वालों के काम आयेगी।

राजस्थान प्रदर्शनी

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Home Minister be pleased to state :

(a) Is it correct that the Government sanctioned an expenditure of Rs. 15,000/—only for the exhibition held in Jaipur in November, 1956 but an expenditure of about Rs. 60,000/- was incurred on this exhibition ?

(b) Is it also correct that no stock register of the articles purchased for the exhibition has been maintained ?

(c) Is it also correct that the Permanent Exhibition officer with Headqarters at Ajmer also does not maintain any stock register ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (a) The general expenditure booked on account of the exhibition held at Jaipur in November, 1966, was Rs. 38, 274/- and not Rs. 60,000/-. The Government did not sanction an expenditure of Rs. 15,000/- for the same, but the question was only for thedrawal of an advance of Rs. 10,000/-.

(b) It is not correct.

(श्री रामकिशोर व्यास)

(c) It also is not correct.

श्री पी० के० चौधरी : Then how this expenditure was incurred when the original sanction was for 10,000 only ?

श्री रामकिशोर व्यास : Sanction was not for Rs. 10,000/- but it was only for drawal of advance of this amount.

श्री पी० के० चौधरी : What Governmental sanction was given for the exhibition ?

श्री रामकिशोर व्यास : एडवान्स ड्रॉ करने की १०,००० की मन्जूरी दी गई थी।

श्री पी० के० चौधरी : मेरा सवाल यह है कि आपने जो सेन्क्शन दी है कि इतना खर्च कर सकते हैं तो आपकी ओरीज़नल सेन्क्शन क्या थी ? वह मैं जानना चाहता हूं।

श्री रामकिशोर व्यास : ओरीज़नल सेन्क्शन नहीं थी। १० हजार का एडवान्स दिया गया था।

श्री अध्यक्ष : He wants to know as to what was the amount of sanction for the Exhibition ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोई एमाउन्ट सेन्क्शन नहीं था। १० हजार रुपया एडवान्स देने की बात थी।

श्री अध्यक्ष : Leave aside the sanction, no advance was sanctioned.

श्री रामकिशोर व्यास : Advance was sanctioned.

श्री पी० के० चौधरी : My question is specific, what amount was sanctioned for the Exhibition ?

श्री रामकिशोर व्यास : ३८,२७४ रू०

श्री पी० के० चौधरी : कब किया था सेंक्शन ?

श्री रामकिशोर व्यास : १०,००० रू० एडवान्स ड्रॉ करने का बताया।

श्री पी० के० चौधरी : कब सेंक्शन किया था ?

श्री अध्यक्ष : That is the amount actually spent. Was that amount sanctioned also?

श्री रामकिशोर व्यास : No sanction was given.

श्री अध्यक्ष : No specific sanction was given ! Upto any limit......

श्री अर्जनदास : On whose authority was this extra sum incurred in the Exhibition.

श्री रामकिशोर व्यास : १०,००० एडवान्स ड्रॉ करने की इजाजत मिली थी, no extra sum was incurred.

श्री श्रीभानसिंह : Rs. 10,000/- was originally sanctioned as advance and Rs. 38,274/- was the actual expenditure. So on whose authority or whose sanction this amount of Rs. 38,274/- was spent or incurred.

Page No.6

[redacted]

श्री अध्यक्ष : He says, no specific amount was sanctioned.

श्री श्रीभानसिंह : I would like to know what is the procedure adopted by the Government for a specific work. Do they simply say ......

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपसे कहा कि १०,००० रू० एडवान्स पेमेन्ट की सैंक्शन हुई थी। यह नहीं तय किया गया कि इतना खर्च होगा। कुल ३८,००० रू० खर्च हुए।

(श्री पी. के. चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : There is no question of procedure. He says, in this work no amount was sanctioned.

श्री चंदनमल वैद : क्या यह सही है कि एग्ज़ीबिशन शुरु होने से पहले अंदाज नहीं लगाया था कि इतना खर्चा होगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : करेक्ट अंदाज नहीं बैठा था।

श्री पी. के. चौधरी : आपका एप्रोक्सीमेट अंदाज क्या था ? What was the estimate ?

श्री रामकिशोर व्यास : पहले पूरा अंदाज नहीं था।

श्री चंदनमल वैद : क्या यह सही है कि एग्ज़िबिशन शुरू होने से पहले खर्च का एस्टीमेट बनाया ही नहीं गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि बनाया था १०,००० रू० का एडवान्स ड्रॉ करने की सैंक्शन हुई थी।

श्री छोटूसिंह : जिस अधिकारी ने गलत एस्टीमेट बनाया ...

श्री अध्यक्ष : No estimate was made. Next Question.

श्री पी. के. चौधरी : One more supplementary, Sir.

श्री अध्यक्ष : Next Question.

पंचायत क्षेत्र

श्री तनसिंह (श्री लक्ष्मीचन्द की अनुपस्थिति में) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या तहसील सांचोर, जिला जालौर में कई गांव ऐसे हैं जो किसी पंचायत क्षेत्र में नहीं हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप स्वायत शासन मंत्री (श्री दौलतराम सारण): जिला जालोर की सांचोर तहसील में ७ गांव ऐसे हैं जो किसी पंचायत में शामिल नहीं हैं। उन सात गांवों में से ५ गांवों की आबादी शून्य है।

श्री तनसिंह : ५ गांवों की आबादी शून्य है और दो गांवों की आबादी क्या है उनको क्यों नहीं मिलाया गया ?

श्री दौलतराम सारण : इसके लिये अभी कार्यवाही जारी है।

श्री श्रीभानसिंह : आपके नोलेज में कब आई ?

श्री दौलतराम सारण : क्या फरमाया ?

श्री चंदनमल वैद : यह आपको कब ज्ञात हुआ कि ये दो गांव शामिल नहीं हैं ?

Page No.7

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तारीख मालूम नहीं है लेकिन सन् ५७ से कार्यवाही जारी है। ऐसा मालूम है कि ये ऐसे गांव हैं जिनमें कभी आबादी होती है कभी नहीं होती है।

श्री श्रीभानसिंह : इस क्षेत्र में चुनाव कब हुए थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग सवाल है।

श्री अध्यक्ष : This is completely another question.

(विराम)

प्रश्न संख्या २२९.

श्री अध्यक्ष : श्री चेनाराम (अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २३०.

श्री मोहरसिंह : (अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

उपज के आंकड़े

२३१. **श्री रामकरणसिंह :** (कोटपुतली) क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगें :

(क) क्या यह सही है कि कृषि विभाग में उपज के आंकड़े भूमि के जुते हुये रकबे पर खाद की खपत, बीज की खपत और पानी की पिलाई से मान लिये जाते हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार से इकट्ठे किये हुये आंकड़े सही हो सकते हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो किस प्रकार यह आंकड़े इकट्ठे किये जाते हैं ?

(घ) ५६. ५७ में तहसील कोटपुतली में कुल कितना गेहूं हुआ ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) **:** इस प्रश्न का जवाब अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री श्रीभानसिंह : इसकी खबर स्पीकर महोदय को दी गई या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : चिट्ठी भेज दी गई है।

जिला बोर्ड, जयपुर

२३२. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्तमान जिला बोर्ड जयपुर का गठन किस तारीख को हुआ ?

(ख) गठन की तारीख से अब तक प्रत्येक वर्ष में लालसोट तहसील में किन किन जनहितकारी कामों पर कितनी कितनी धनराशि बोर्ड द्वारा स्वीकृत हुई ?

(ग) क्या यह राशि खर्च कर दी गई यदि नहीं, तो कितनी व्यय नहीं की गई और क्यों ?

(घ) लालसोट क्षेत्र के भूतपूर्व बोर्ड के सदस्य श्री राजेन्द्रकुमार जैन को बोर्ड की गठन की तारीख से अब तक यात्रा का व्यय टी.ए., डी. ए. अथवा अन्य अलाउन्स की धनराशि कुल कितनी दी गई ?

(ङ) क्या सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस वसूली रूल्स प्रकाशित कर दिये हैं ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों नहीं ? तथा सेस किन नियमों के आधार पर वसूल किया जाता है ?

श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(च) भोग माफियान नये सेस किस नियम से वसूल किया जाता है तथा क्या सरकार यह सेस माफ करने को तैयार है ?

उप मंत्री (श्री दौलतराम सारण):

(क) १७-५-५३ को।

(ख) व्योरा सदन की मेज पर रख दिया है।

(ग) अभी तक जिन संस्थाओं का हिसाब प्राप्त हो चुका है उन्होंने धन राशि खर्च कर दी है। बाकी का हिसाब अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने स्वीकृत धनराशि खर्च कर दी या नहीं उनको हिसाब भेजने के लिये लिखा है।

(घ) ३,५६५ रू.

(ङ) अभी सरकार के विचाराधीन है। राजस्थान जिला बोर्ड अधिनियम, १९५४ धारा ११३ व ११४ के अन्तर्गत वसूल किया जाता है।

(च) राजस्थान जिला बोर्ड अधिनियम, १९५४ की धारा ११३ व ११४ के अन्तर्गत वसूल किया जाता है।

जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री प्रभुलाल पुरोहित : शुरू में जब बोर्ड का गठन हुआ उस समय बड़ा हुआ था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उस समय कलेक्टर चेयरमैन थे।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : इसके रूल्स बन गये थे क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिस्टिक्ट बोर्ड जयपुर में था और जयपुर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो रूल्स थे वे ही इन फोर्स हैं।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : धर्मादे पर सेस लगाना माफ था, फिर भी क्यों लगाया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके लिये रूल्स बने हुए हैं उन्हीं के माफिक लगाया गया।

श्री अध्यक्ष : इनके पूछने का मतलब यह है कि जिन पर लगान माफ है उन पर भी सेस क्यों लगता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रूल्स बने हुए हैं उनके अनुसार लगता है।

सार्वजनिक स्थानों के संकेत पट

२३३. डॉक्टर चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सार्वजनिक स्थानों के संकेत पट एवं सड़कों के मील के पत्थर आदि जो असुन्दर एवं अशुद्ध लिखे हुए हैं उन्हें सुन्दर एवं शुद्ध लिखाने का सरकार का विचार है ?

(२) हिन्दी को महत्व देने की दृष्टि से अंग्रेजी में लिखे नामादि को हिन्दी में लिखवाने के विषय में सरकार के क्या विचार हैं ?

निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) संभवतः कहीं कहीं, जहां हैं।

(२) नाम इत्यादि हिन्दी में भी लिखे हुए हैं।

Page No.9

डॉक्टर चन्द्रकला : मैंने यह नहीं पूछा कि कहीं अशुद्ध लिखे गये या नहीं, जो लिखे गये हैं उनको शुद्ध लिखने का प्रश्न है। लिखे गये या नहीं यह नहीं पूछा।

श्री नाथूराम मिर्धा : अशुद्ध जहां लिखे हैं, नोटिस में आ रहे हैं वहां करेक्ट कर रहे हैं।

प्रश्न संख्या २३४.

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह। (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २३५.

श्री लक्ष्मी चन्द (अनुपस्थित)

वाटिका से डाबिच (तहसील चाकसू) तक सड़क निर्माण

२३६. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या ग्राम वाटिका, तहसील चाकसू से ग्राम डाबिच तक पक्की सड़क ग्राम तीतरिया होती हुई बनाने की सरकार की कोई योजना है ?

(२) क्या पहले भी ग्राम वाटिका की जनता ने सड़क के लिये मांग की थी और उसको यह आश्वासन दिया गया था कि पंच वर्षीय योजना में बना दी जायगी मगर अब तक नहीं बनाई गई ?

(३) क्या अब दूसरी पंच वर्षीय योजना में बना दी जायगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) संभव नहीं है।

(२) कोई आश्वासन नहीं दिया गया प्रतीत होता है।

(३) कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इसीलिये तो पूछा है।

प्रश्न संख्या २३७.

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

पार्वती बांध धौलपुर

२३८. डॉ. बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पार्वती बांध धौलपुर के पूर्ण होने की अवधि क्या निश्चित की गई थी ?

(ख) क्या निर्धारित अवधि में उक्त बांध का निर्माण पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या जिन ठेकेदारों को उक्त बांध का ठेका दिया गया था उनके विरुद्ध कार्य पूर्ण नहीं कर सकने के कारण कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) बांध के अपूर्ण होने से कितने सरकारी राजस्व की हानि होने का अनुमान है ?

(ङ) उक्त बांध भविष्य में कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) कोई विशेष अवधि निश्चित नहीं की गई थी, किन्तु अनुमान था कि कुछ भागों में सिंचाई सन् ५७-५८ में शुरू हो जावेगी।

(श्री भीखाभाई)

(ख) काम के अब तक अपूर्ण होने का कारण सम्बन्धित ठेकेदारों की ढिलाई व मृत्यु है। कुछ देरी रेल्वे विभाग द्वारा पुलिया न बनाने से हुई।

(ग) जिन ठेकेदारों ने उक्त बांध का ठेका लिया है और अपना काम पूरा नहीं किया उन पर इकरारनामे की शर्तों के मुताबिक कार्यवाही की जावेगी। इकरारनामे में व्यवस्था है कि ठेकेदार से १० प्रतिशत की लागत तक का हर्जाना वसूल किया जावे।

(घ) यदि यह कार्य वर्षा के पहले पूरा हो जाता तो इस वर्ष करीब २ या तीन हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो जाती।

(ङ) यह कार्य करीब साल भर में पूरा हो जावेगा।

श्री सूबेदारसिंह : क्या सरकार को यह मालूम है कि आजकल वह काम बंद है तो साल भर में कैसे पूरा होगा ?

श्री भीखाभाई : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री सूबेदारसिंह : हम लोग इत्तला कर रहे हैं। तब यह कैसे माना जाय कि अगले साल पानी देना शुरु हो जायगा ?

श्री भीखाभाई : आपने जानकारी दी है इस पर विचार करेंगे।

श्री श्री भानसिंह : सन् ५७-५८ में कितनी लैंड को इर्रिगेट किया ?

श्री भीखाभाई : मैंने बताया कि इर्रिगेट नहीं किया। जो संभावनाएं थीं वे ठेकेदार के काम पूरा न करने व मर जाने के कारण पूरी नहीं हुई। जो जानकारी आपने चाही थी वह मैंने दी।

श्री श्रीभानसिंह : इस बांध के कम्पलीट होने की अवधि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में किस साल तक पूरी हो जायगी ?

श्री भीखाभाई : योजना के काल तक हो जाना चाहिये।

श्री श्रीभानसिंह : योजना काल तो सन् ६० में पूरा होगा। क्या यह तब कंप्लीट होगा या इन्टेरिम पीरियड में होगा ?

श्री भीखाभाई : कलेक्टर के मरजाने के कारण और रेल्वे द्वारा देरी करने के कारण जो देरी हुई उसके बारे में मैंने अर्ज कर दिया है।

श्री श्रीभानसिंह : हम पीरियड मालूम करना चाहते हैं। फर्स्ट प्लान में पूरा नहीं हुआ तो सैकिन्ड प्लान के किस साल में पूरा होगा ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि साल भर में हो जायगा।

प्रश्न संख्या २३६.

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

डॉक्टर बहादुरसिंह।

सदर हॉस्पिटल, धौलपुर

२४०. **डॉक्टर बहादुरसिंह** (धौलपुर): क्या स्वास्थ्य मंत्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे

(क) धौलपुर के सदर होस्पिटल में १ जनवरी, १६५७ से ३१ दिसम्बर, ५७ तक

(डॉ० बहादुरसिंह)

कितने ओपरेशन हुए तथा इनमें मेजर ओपरेशन्स कितने थे ?

(ख) उक्त चिकित्सालय में रोगियों के प्रविष्ट होने की मासिक संख्या क्या है ?

(ग) क्या इस चिकित्सालय में टी. बी. वार्ड है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) सरदार अस्पताल धौलपुर में १ जनवरी से ३१ दिसम्बर, १६५७ तक २८७६ ओपरेशन हुये जिनमें ४०६ मेजर आपरेशन्स थे।

(ख) इसकी तालिका निम्नलिखित है : जनवरी २६४, फरवरी २८०, मार्च २१५, अप्रेल १५७, मई १६३, जून १८५, जुलाई २०६, अगस्त १५८, सितम्बर २०५, अक्टूबर १६३, नवम्बर २३८ और दिसम्बर २७३।

(ग) धौलपुर में टी. बी. वार्ड बनाने की कोई स्कीम इस समय विचाराधीन नहीं है। क्योंकि इसके लिये आवश्यक धन उपलब्ध नहीं।

डॉ० बहादुरसिंह : आगे रखी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आगे योजना बनेगी तब विचार किया जायगा ?

श्री मानसिंह : कितने ऑपरेशन सक्सेसफुल हुए और कितने ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हुए थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : करीब करीब सभी सक्सेसफुल हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

बंधों का जीर्णोद्धार

२४१. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील मगरा, जिला बीकानेर में कुल कितने बांध कब से बने हुए हैं ? उनमें से कितने बांध अब तक टूट चुके हैं तथा सरकार ने उनकी मरम्मत कराने के लिये अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

(२) भूतपूर्व बीकानेर स्टेट के वक्त इन बांधों की देखभाल के लिये किस स्तर के कितने कर्मचारी नियुक्त थे तथा अब क्या स्थिति है ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखा भाई) : (१) तहसील मगरा जिला बीकानेर में बहुत पुराने कुल १२ बांध सिंचाई विभाग के अधीन हैं जिनमें भड नामक एक बांध टूटा हुआ है चूंकि यह बांध लाभ प्रद नहीं है इसकी मरम्मत का सवाल सरकार के विचाराधीन है।

(२) भूतपूर्व बीकानेर स्टेट के समय इन बांधों की देख भाल निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) द्वारा की जाती थी। वर्तमान समय में दो पेट्रोलर्स इन बांधों की देख भाल के लिए वर्षा ऋतु में लगाये जाते हैं।

श्री भीमसेन : क्या सरकार इन बांधों की देखभाल के लिए स्थाई नियुक्ति करने का विचार रखती है ?

श्री भीखा भाई : इस पर विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

मांगरोल में नगरपालिका की स्थापना

२४२. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा):

क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि पीपलदा क्षेत्र में मांगरोल ऐसा कस्बा है जहां की आबादी पांच हजार से अधिक है ?

(ख) यदि हां, तो क्या इसके विकास के लिये सरकार नगरपालिका की स्थापना आवश्यक नहीं समझती ?

(ग) क्या मांगरोल निवासियों ने नगरपालिका के स्थापनार्थ सरकार से मांग की है ?

(घ) उपरोक्त मांग कब से चल रही है तथा इसके अभी तक पूरा नहीं करने का क्या कारण है ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (क) जी हां।

(ख) मांगरोल में नगरपालिका स्थापनार्थ जनता की राय मांगने हेतु आवश्यक उद्घोषणा कर दी है।

(ग) जी हां।

(घ) यह मांग जुलाई सन् १९५७ से चल रही है । इस पर जिलाधीश कोटा से वहां की सीमा का विवरण मांगा गया था। उसके आने के पश्चात् उद्घोषणा ता० ५-२-५८ को जारी कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी ।

कृषि योग्य भूमि

२४३. **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) :

Will the Minister for Agriculture be pleased to state:

(a) What is the total area of cultivable land lying waste in each district ?

(b) What is the total area of cultivable waste land brought under cultivation in each district during the last three years ?

(c) How many acres of cultivable waste land have been brought under cultivation in each of the C. D Blocks since inspection ?

(d) Has the Government any concrete scheme for bringing such waste land under cultivation ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के (ए) से लेकर (सी) भाग तक का सम्बन्ध रेवेन्यु, विभाग से है।

(डी) इसके बारे में १५ लाख रुपये नये ट्रेक्टर खरीदने के लिए और २ हजार एकड़ जमीन कल्टीवेटेड लैंड बनाने का टार्गेट रखा है। इसके अलावा सोइल कन्ज़र्वेन्सी की स्कीम है, उसमें १८ लाख रुपये का प्रोवीज़न है और उससे ३० हजार एकड़ जमीन को सुधारने की व्यवस्था है। कुछ रुपया फोरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है, वह भी सोइल के वास्ते काम करता है।

श्री पी० के० चौधरी : The Revenue Minister may reply the rest of the question (a), (b) & (c)

श्री अध्यक्ष : You can table a separate question for that. Next.

चिकित्सालयों की स्थापना

२४४. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री भीमसेन)

(१) राजस्थान बनने के बाद जिला बीकानेर में अब तक किस किस आधार पर कहां कहां औषधालय खोले गये हैं एवं अब कहां कहां नये औषधालय खोले जाने की मांग चल रही है ?

(२) गांव रूणियां में एलोपैथिक डिस्पेन्सरी खोलने की मांग कब की गई एवं इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : १. राजस्थान बनने के बाद जिला बीकानेर में १६५०–५१, १६५१–५२, व १६५२–५३ में कहीं औषधालय नहीं खुला और १६५३–५४, १६५४–५५ व १६५५–५६ में सरकारी आज्ञानुसार तथा १६५६-५७ व १६५७–५८ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधीश की सिफारिश पर औषधालय खोले गये हैं । जहां जहां ये औषधालय खुले हैं, वे इस प्रकार हैं :

१६५३–५४ काकड़ा व रिडमलसर (यूनानी)

१६५४–५५ आकासर

१६५५–५६ जेतपुर, महाजन व बीकानेर

१६५६–५७ पूगल व वादनू

१६५७–५८ जैसिगदेसरमगरा

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाकी तीन सालों में अनुमान है कि नौ औषधालय और खोले जायेंगे । इसके लिये उपयुक्त स्थानों के नाम जिला विकास समिति की सलाह से प्रस्तावित करने हेतु समस्त जिलाधीशों से अनुरोध किया गया है । तदनुसार जिलाधीश बीकानेर जहां जहां औषधालय खोलने की सिफारिश करेंगे वहां औषधालय खोले जावेंगे ।

अभी स्थान निर्धारित नहीं है ।

(२) रूणियां नामक गांव में एलोपैथिक डिस्पेन्सरी खोलने के बारे में जो मांग आई है, उस पर विचार किया जायगा ।

श्री भीमसेन : मेरा प्रश्न यह है कि रुणियां में कोई खास मांग चल रही है औषधालय खोलने के लिए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मांग बहुत जगह की चल रही है और बहुत सी दरख्वास्तें आती रहती हैं ।

श्री मदनसिंह दांता : अलवर में कितने औषधालय खोले गये ?

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

श्री मदनसिंह दांता : अलवर में कितने औषधालय खोले गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई नहीं खोला गया ।

श्री भीमसेन : मेरा प्रश्न यह है कि बीकानेर जिले में से कहां कहां औषधालय खोलने की मांग चल रही है ?

श्री अध्यक्ष : उसका उत्तर दे दिया कि बहुत जगह से मांग चल रही है । रुणियां के बारे में भी जवाब मिल गया है ।

प्रश्न संख्या २४५.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूलाल करोल ।

जिला बोर्ड जयपुर

२४६. **श्री नाथूलाल करोल (लॉलसोट) :** क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

Page No.14

(श्री नाथूलाल करोल)

(क) क्या तहसील चाक्सू, जिला जयपुर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा सन् ५५—५६,५६—५७ व ५७—५८ में कोई सहायता दी गई है ?

(ख) यदि हां, तो किन किन ग्रामों में सहायता दी गई है और किस किस कार्य के लिये। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) क्या सहायता जिन कार्यों के लिये दी गई थी वे समाप्त हो गये हैं ?

(घ) यदि नहीं तो कितने अर्से में पूरे होंगे ?

उप स्वायत शासन मंत्री : (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) (क) जी हां।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) उक्त सूची में इसकी सूचना दे दी गई है।

(घ) अपूर्ण कार्यों को शीघ्र ही पूरे करवाने की कार्यवाही जारी है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री नाथूलाल करोल : अभी तक कोई कार्यवाही जारी नहीं है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जारी है साहब।

श्री अध्यक्ष : काम शुरू नहीं है, कार्यवाही जारी है।

(हंसी)

पॉवर हाउस, केकड़ी

२४७. **श्री सज्जनसिंह** (बूंदी) : क्या मंत्री, विद्युत-विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि केकड़ी कस्बा, जिला अजमेर के लिए भूतपूर्व अजमेर राज्य द्वारा पॉवर हाउस की योजना स्वीकृत हो चुकी थी तथा वहां के लिए इन्जिन आदि खरीदे हुए बम्बई में और अन्य सामान अजमेर में काफ़ी अर्से से पड़ा है ?

(२) यदि हाँ, तो इस विलम्ब का कारण क्या है और इस पॉवर हाउस का कार्य क्यों नहीं प्रारम्भ किया जा रहा है ?

(३) यदि नहीं तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब भूतपूर्व अजमेर राज्य द्वारा यह स्कीम स्वीकृत करके द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में इसके लिए धन राशि सम्मिलित कर दी गई है तो अब तक पॉवर हाउस की स्कीम को कार्यान्वित नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

उप विद्युत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) केकड़ी कस्बे में पॉवर हाउस योजना के अनुसार बनाना है। केनेडियन एड के अन्तर्गत आने वाले जेनरेटिंग सेट्स आने पर ही यह कार्य पूरा हो सकता है। भूतपूर्व अजमेर राज्य द्वारा आर्डर किये हुये कोई सेट बम्बई में विभाग की जानकारी में नहीं पड़े हैं। कुछ लाइन मेटिरियल अजमेर आ गया है।

(२) जब तक सेट्स पूरे नहीं आ जाते काम पूरा नहीं हो सकता, सामान इकट्ठा करने का कार्य चालू है।

(३) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

Page No.15

श्री सज्जनसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना के अनुसार उसकी स्वीकृत हो चुकी है, उसका इंजिन कब तक आ जायगा?

श्री भीखा भाई : इस प्रश्न का उत्तर कई बार इस सदन में दिया जा चुका है और यह बताया गया है कि मार्च तक इंजिन के आ जाने की उम्मीद है और १९५९ के प्रारम्भ तक यह योजना खत्म हो जायगी।

श्री सज्जनसिंह : मेरा प्रश्न स्पेसिफिक है। मैंने इंजिन के लिए पूछा है, आप सामान का उत्तर दे रहे हैं। आप मुझे यह बतलाये कि इंजिन के आने में क्यों विलम्ब है?

श्री भीखा भाई : जो लिखा-पढ़ी चल रही है वह डाइरेक्टर ऑफ सप्लाई एन्ड डिस्पोजल बम्बई के द्वारा चल रही है और मार्च तक इंजिन आ जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा।

लोहा, सीमेन्ट व टीन का वितरण

२४८. **श्रीमती सुमित्रा** (पिलानी) : क्या रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १ मार्च, सन् १९५७ से आज तक कितना लोहा, सीमेन्ट और टीन वितरित किये गए?

(ख) झुंझुनू जिले को कितना कितना कोटा मिला?

(ग) इनके वितरण की क्या व्यवस्था है और क्या सरकार वर्तमान व्यवस्था को संतोषप्रद मानती है?

(घ) अगर नहीं, तो इसमें सुधार हेतु सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

रसद मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) १ मार्च, सन् १९५७ से ३१. १. ५८ तक निम्नलिखित लोहा व सीमेन्ट जनता को वितरण हेतु राजस्थान को ऑलोट हुआ :

(१) सीमेन्ट १,५२,००० टन

(२) लोहा व इस्पात ४,४४४ टन, १९ ह० १६ पौ०

(ख) उक्त कोटे में से झुंझुनू जिले को निम्नलिखित वस्तुओं का ऑलॉटमेन्ट किया गया :

(१) सीमेन्ट २,४४० टन

(२) लोहा व इस्पात ७० टन ३ क्वार्टर २७ पौ०

(ग) लोहे का वितरण परमिट द्वारा होता है, सीमेन्ट के अप्रक्त भाव में जब प्राप्त होने से कोटे में से ७५ प्रतिशत अब बिना परमिट और २५ प्रतिशत परमिट द्वारा वितरण किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं। परमिट निम्नलिखित अधिकारी जारी करते हैं :

(१) तहसीलदार व बी. डी. ओ. ५ से १० बोरी तक सीमेन्ट।

(२) एस. डी. ओ. १० से २० बोरी सीमेन्ट।

(३) कलेक्टर किसी भी तादाद तक सीमेन्ट दे सकते हैं।

सीमेन्ट की वितरण–व्यवस्था संतोषजनक है। लोहे का उत्पादन इस समय देश में पर्या-

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

प्त मात्रा में न होने के कारण कोटा कम है, तथा लोहे का सामान व टीन झुंझुनूं जिले में उक्त समय में नहीं पहुंचा है। जिसको मंगवाने का प्रयत्न जारी है।

(घ) भारत सरकार से इस विषय में लिखा-पढ़ी की जा रही है और आशा है आगामी वर्ष में स्थिति संतोषजनक हो जायगी।

प्रश्न संख्या २४६.

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब अभी पूरा नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : Next week.

प्रश्न संख्या २५०.

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

पुलिस चौकियों की स्थापना

२५१. **श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** (आमेर) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि तहसील आमेर, जिला जयपुर की अन्य कई तहसीलों से बड़ी तहसील है किन्तु उसमें पुलिस के थाने एवं चौकियां जिनसे जनता की तुरन्त रक्षा हो सके बहुत कम हैं ? थाने व चौकियां कहां कहां हैं बतलाने की कृपा करें ?

(ख) क्या यह सत्य है कि कस्बा सामोद, कालाडेरा, राधाकिशनपुरा तथा इसके आस-पास का इलाका थाना चौमू से काफी दूरी पर है और इस कारण वहां की जनता अरक्षित रहती है ?

(ग) उपर्युक्त एरिया में अब तक पुलिस की कोई चौकियां कायम क्यों नहीं की गई तथा अब कब तक कायम कर दी जावेंगी ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) वाकई आमेर तहसील जिला जयपुर की कुछ अन्य तहसीलों से बड़ी है किन्तु इसमें पुलिस के थाने और चौकियों की संख्या पर्याप्त है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्या यह सही है कि राधाकिशनपुरा, सामोद और कालाडेरा में पुलिस चौकियां खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सामोद का है औरों का नहीं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्या कालाडेरा और राधाकिशनपुरा में पुलिस चौकियां खोलने के लिए सरकार के पास आवेदन-पत्र आये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं नहीं कह सकता।

प्रश्न संख्या २५२

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह मसूदा ।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन

वन विस्तार योजना

२५३. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गंगानगर जिले में फोरेस्ट लगाने की योजना चालू वर्ष में सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो उसका आनुमानिक खर्च क्या है ?

(ख) गोगामेडी बीड, तहसील भादरा, जिला गंगानगर का कुल एरिया क्या है ? क्या यह वन-विभाग के आधीन है ? अगर नहीं, तो फोरेस्ट लगाने की नई योजना के बजाय बीड को सरकार फोरेस्ट एरिया घोषित क्यों नहीं करती ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क) जी हां। चालू वर्ष मे ८२०००) का प्रोविज़न वृक्षारोपण के लिये रखा गया है।

(ख) कुल क्षेत्रफल २१,१६६ बीघा है। यह वन-विभाग के अधीन नहीं था । नई योजना में इन्डस्ट्रियल प्लान्टेशन्स मलबैरी एवं शीशू के पेड़ नये ढंग से लगाने की तजबीज़ है इसलिए अभी क्षेत्र को फोरेस्ट एरिया घोषित नहीं किया गया।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि यह गोगाभेडी का बीड है जागीरदारों को अलोट करने के हेतु ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, इसमें से कुछ एरिया छुट भाइयों और जागीरदारों को अलोट किया गया है ।

श्री भीमसेन : यह कहां तक ठीक है कि एक तरफ तो पुराने जंगल काटे जाते हैं और दूसरी तरफ नये जंगल लगाये जाते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह जंगल नहीं था, मामूली झाड़ियां उगी हुई थीं; उसको जंगल नही कहते ।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, वहां मामूली झाड़ियां नहीं थीं, हजारों वर्षों का जंगल था ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरा देखा हुआ है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि नया फोरेस्ट लगाने के लिये लोगों से जमीनें ली गई हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह गंगानगर में ली गई हैं, जहां अच्छे जंगल लगाये जा सकते हैं वहां ली गई हैं ।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि इस वख्त जिस जमीन पर फोरेस्ट एरिया घोषित किया जाता है तो उसमें ऐसी जमीनें शामिल की जाती हैं जो सोना उगलती हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस जमीन में अच्छे जंगल लग सकते हैं वैसी जमीनें ली जाती हैं, वे जंगल भी सोना चांदी उगलेंगे ।

श्री धर्मपाल : क्या यह सही है कि जिन लोगों से जमीनें ली गई हैं, उनको उनके एवज में दूसरी जमीनें नहीं दी गई हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां तक बन पड़ सकता है देने की कोशिश की जाती है ।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ का फोरेस्ट एरिया भी काट दिया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, वहां पर भी ऐसे ही बिखरे हुए तित्तर-बितर झाड़ झंखाड़ उगे हुए थे, उनको काट दिया।

श्री भीमसेन : झाड़ झंखाड़ नहीं, वह एक फोरेस्ट था।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके हिसाब से आप उसको फोरेस्ट कह सकते हैं।

प्रश्न संख्या २५४

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २५५

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : सज्जनसिंह।

नसीराबाद—केकड़ी—देवली सड़क का निर्माण

२५६. **श्री सज्जनसिंह** (बूंदी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) नसीराबाद-केकड़ी-देवली रोड का केकड़ी देवली के बीच ४४ माइल ४ फर्लांग से ४८ माइल की अन्तिम बार किस साल में मरम्मत हुई ?

(२) क्या सरकार की यह जानकारी में है कि सड़क के उपरोक्त टुकड़े में ऐसे गड्ढे पड़े हुए हैं कि मोटर कारें तो क्या मोटर बस व लोड लारियों को भी सड़क छोड़ कर पटरियों पर चलना पड़ता, है, और इन अगल-बगल की पटरियों में भी गड्ढे पड़े होने से सवारियों को बड़ी असुविधा होती है ?

(३) क्या सरकार के ध्यान में यह भी है कि इस टुकड़े तथा बनास की पुल के पास कुछ मीलों के हिस्से को छोड़ कर यह सब सड़क टार रोड़ हो गई है ?

(४) यदि प्रश्न नम्बर २ व ३ का उत्तर हां में हो, तो अब तक इस टुकड़े को ऐसी खराबहालत में रखने का क्या कारण है ?

(५) इस सड़क पर अत्यधिक यातायात को देखते हुए सरकार इसे जल्दी से जल्दी कब तक टार रोड़ बनवा देने का विचार रखती है ?

निर्माण मंत्री : श्री नाथूराम मिर्धा

(१) यह भाग सेंट्रल पी. डब्लु. डी. के अधीन था।

(२) हालत संतोषजनक नहीं है।

(३) जी हां।

(४) अर्थाभाव के कारण अब मरम्मत का प्रबन्ध किया जा रहा है।

(५) आशा है अगामी वित्तीय वर्ष में।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

अफीम की बरामदगी

२५७. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पाली तहसील के गांव ठाकुरला में सन् १९५७ में कितनी अफीम एक जगह

(श्री मूलचन्द डागा)

किसकी इत्तला पर कहां पर किस रोज बरामद हुई ?

(२) वहां अफीम इतनी मात्रा में उपलब्ध होने का क्या कारण था ?

(३) क्या सरकार को विदित है कि ठाकुरला के लोग नाजायज तारीकों से अफीम लाते हैं और उसका व्यापार करते हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) पाली तहसील में गांव ठाकुरला में तारीख ८–६–५७ को साढ़े सैंतीस सेर अफीम एक मुखबिर की इत्तला पर श्रीमती गेहरा के मकान से बरामद हुई।

(२) यह अफीम श्रीमती गेहरा जिसके ऊपर तस्कर व्यापारियों से मिली हुई होने का शुबहा था, के द्वारा संचित की गई थी।

(३) इससे पहले कोई सूचना नहीं मिली कि ग्राम ठाकुरला के निवासी अफीम का तस्कर व्यापार करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री ज्ञानचन्द मोदी।

गुहावा से चाला (त० नीम का थाना) तक सड़क निर्माण

२५८. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने ५ हजार से अधिक आबादी वाले स्थानों को मुख्य सड़कों से शीघ्र मिलाने का निश्चय किया है ?

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी प्रगति हुई है ?

(ग) नीम का थाना तहसील में गुहावा से चला तक सड़क क्यों नहीं बनाई जा रही है जब कि वहां पर ८ हजार से अधिक की आबादी है।

(घ) अब सरकार इसका कार्य कितने समय में प्रारम्भ कर देगी ?

निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां, ऐसी योजना है।

(ख) योजनानुसार कार्य चल रहा है।

(ग) बनाई जायेगी।

(घ) १९६०–६१ में।

श्री ज्ञानचन्द मोदी : अब तक ५ हजार की आबादी में से कितनों को सड़कों से मिलाया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो बड़ा लंबा-चौड़ा प्रश्न है, राजस्थान बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। इसमें कइयों को जोड़ दिया गया है और कइयों को आगे जोड़ देंगे।

प्रश्न संख्या २३४

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री बेनाराम गहलोत।

सहकारी समितियां

२२९. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची): क्या मन्त्री सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ऐसी कितनी सहकारी समितियां हैं जिनमें एम्बेज़लमेंट हुए हैं और वे कौन कौन सी हैं ?

Page No.20

(श्री वेनाराम)

(ख) उक्त सहकारी समितियों में कितने कितने रुपयों के एम्बेज़लमेंट हुए हैं और ये केसेज़ कितने समय से पेंडिंग हैं ?

(ग) सरकार ने आज तक इस विषय में क्या कार्यवाही की व कितने केसेज़ कौन कौन सी सहकारी समितियों के पकड़े गये और एम्बेज़लमेंट होने के क्या कारण हैं ?

(घ) कितने सहकारी कर्मचारी उपरोक्त केसेज़ में जिम्मेवार हैं और वे कौन २ है ?

उप-सहकारी मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) कोटा जिले को छोड़कर १०८ सहकारी समितियां हैं; जिन समितियों में गबन हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। कोटा जिले की सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है।

(ख) व (ग) सम्बन्धित सूचना सदन की मेज पर रखी सूची में दी गई है। एम्बेज़लमेंट होने के कारण इस प्रकार हैं :

समितियों की प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों की कार्यों में देख रेख ठीक प्रकार नहीं रखना, उनका सहकारी अधिनियम, नियम व उपनियमों से अनभिज्ञ होना। कुछ केसेज़ में प्रबन्धकारिणी समितियों के सदस्य स्वयं द्वारा गबन करना तथा कुछ मामलों में राज्य कर्मचारियों द्वारा समितियों की रकम प्राप्त करके जमा नहीं करवाना।

(घ) सम्बन्धित सूचना सदन की मेज पर रखी सूची में दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री वेनाराम : क्या राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध इस सम्बन्ध में डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी की गई ?

श्री दौलतराम : हाँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चालान किस किस के कर दिये गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा (सहकारी मंत्री) : १०८ केसेज़ की सूची है; अलग अलग केस की कार्यवाही क्या हुई, यह इसमें दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १०८ की हो या १००८ की हो, साबित हो गई है डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी में तो क्या चालान अदालत में पेश करने की मंशा नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पर्टिक्युलर केस का पूछें तो जवाब दूं, कइयों में पुलिस केस भी हुए हैं, सजा भी मिली है। सारी जानकारी इस सूची में दे दी गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पर्टिक्युलर केस में मैं इन्ट्रेस्टेड नहीं हूं; जिनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी में साबित हो गया उनका किन किन का चालान किया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सारी मुकम्मिल कानूनी कार्यवाही सब में की गई है।

श्री तनसिंह : १०८ में से एक तो सुमेर होगा, उसका तो चालान किया होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप न मालूम किसको सुमेर मानते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो सभी सुमेर हैं।

(हंसी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अजमेर के (अश्रव्य) श्री गणेशमल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

Page No.21

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अलग प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब सब के लिए पूछते हैं तो कहते हैं कि पर्टिक्युलर इन्स्टान्स बताया जाय और पर्टिक्युलर इन्स्टान्स का पूछते हैं तो कहते हैं 'यह अलग प्रश्न है'....

श्री अर्जुनदास : Sir, that is called begging the question.

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके लिए हल्ला करने से जवाब नहीं मिल जायगा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of order, Sir. (To Hon. Minister Shri Nathu Ram Mirdha): You ××

श्री नाथूराम मिर्धा : Don't talk ×××

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You ×××

श्री नाथूराम मिर्धा : ×××

श्री अध्यक्ष : It is not your business to disturb him.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये ऐसा कहते हैं तो बोलते हैं साहब !

श्री अध्यक्ष : बोलते हैं तो बहुत तेज बोलते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम हल्ला करते हैं, इसको वापिस लिया जाय।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त ××× कहा है जो सब की प्रतिष्ठा के खिलाफ है।

श्री अर्जुनदास : Sir, of course I must confess that I did not hear the word ×××, but I am being told here that this particular word was used. If that word was used it is really contempt of the whole House.

श्री अध्यक्ष : I rely on you that you did not hear it.

श्री अर्जुनदास : Sir, I personally did not hear the word, but if the word has been used, as we are being assured by some Hon. members, then it amounts to contempt of the whole House and the hon'ble member who has used it, should rise and apologise to the whole House.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस समय बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, सुना तो मैंने भी नहीं, पर उन्होंने सुना है और उन्होंने जो सुना है उसको स्वयं मन्त्री महोदय ने कन्फर्म किया है, उन्होंने कहा है कि माननीय सदस्य को ×××× कहने का अधिकार नहीं था, इसी कारण से उन्होंने कह दिया। उनको कहने का अधिकार है कि नहीं, कहने का अधिकार तो उनको भी नहीं है। उनके इस कहने के बारे में शक हो तो प्रोसिडिंग्स को देखा जाय और मन्त्री महोदय ने शब्द कहे हों तो मन्त्री महोदय खड़े हो कर इन शब्दों को वापिस लें और शब्द को इस्तेमाल करने में कोई ×××× न बनायें।

अब प्रश्न आता है हल्ला करने का, एक माननीय सदस्य ने कह दिया था, "बको मत" तो उन्होंने सदन से माफी मांगी और शब्द वापिस लिये, तो "बको मत" से ज्यादा

×××× उक्त शब्द श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कार्य विवरण में से हटाए गए।

Page No.22

(श्री भैरोंसिंह)

फेटल "हल्ला" करने का शब्द है, अतः हल्ला करने के शब्द को भी इस सदन की प्रोसीडिंग्स से निकालने की प्रार्थना स्वयं मन्त्री महोदय करेंगे और माफी मांगने की कोशिश करेंगे ।

श्री बृजमोहनलाल : अध्यक्ष महोदय, अभी दो माननीय मित्र बोले और उन्होंने फरमाया कि जो बोले उसको इतने नजदीक बैठे हुए व्यक्ति भी नहीं सुन सके, जिनको इस बात की शिकायत है कि इतना हल्ला हो रहा था और वे यह चाहते हैं कि 'हल्ले' के शब्द को वापिस लेना चाहिये, यदि उस वक्त यह शब्द कहा गया तो क्या उसको वापिस लेना चाहिये। क्योंकि इतना हल्ला हो रहा था कि जो कुछ उन्होंने कहा..............

श्री भैरोंसिंह : इतनी हलचल में.......

श्री ज्वालाप्रसाद : "हल्ला" माने "शोर" ।

श्री अर्जुनदास : Sir XXXX is an unparliamentary word, and I would also submit for the consideration of your Honour that every word that we use here is going to be a precedent for ever. If the Hon. Minister is ensitled to use the words 'hulla' or 'nonsense', certainly he should be prepared to hear it ten times from our side and I am sure the Hon. Speaker or whosoever be in-charge of the Chair, would never permit us to use the word XXXX in respect of any hon. Member of the House. I believe we are also entitled to seek protection at Your Honour's hands and request that the hon. Member should be called upon to withdraw the word; otherwise, they will have to hear it ten times from our side and we shall not be sorry for it, because the fault would be their own and not ours.

श्री अध्यक्ष : There would be no further discussion on it. I shall consult the proceedings and issue necessary orders.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी कुछ कहना है ।

श्री अध्यक्ष : There is no need of further discussion.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Sir, the Hon. Member from Jaipur said XXXX in such a loud voice

श्री अध्यक्ष : I say, no further debate. Why make it more acrimonious.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करूंगा कि अभी अभी माननीय उप-मन्त्री महोदय ने 'पक्षपात' शब्द का उपयोग किया है.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने सुना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : Hon. Members are listening to lot of things which are not said.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, अभी से एजिटेटेड न हों तो ज्यादा अच्छा हो ।

XXXX उक्त शब्द श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कार्य-विवरण में से हटाए गए ।

Page No.23

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह ।

सरकारी अस्पताल, बालोतरा

२३४. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बालोतरा (जिला बाड़मेर) स्थित सरकारी अस्पताल को बढ़ाने के लिए १७,५००) रुपये की राशि जनता ने देने का वायदा किया था ?

(ख) क्या यह योजना बराबर की रकम सरकार से न मिलने के कारण रुकी हुई है ? अगर हां, तो क्यों तथा भविष्य में कब तक इस योजना को क्रियान्वित किया जावेगा ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : सेठ उदयराज लोडिया ने १० हजार रुपये देने का वायदा किया था ।

(बहुत शोर होने से सुनाई नहीं दिया)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! आपस में बातचीत न करें ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (क) एक सेठ उदयराजजी ने १० हजार रुपये देने का वायदा किया था ।

(ख) उनको और रुपया देने के लिए निवेदन किया गया ।

श्री अनूपसिंह : क्या वहां की जनता ने जितनी रकम इकट्ठी की है उतनी ही रकम आपकी तरफ से भी दी जावेगी ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने कोई रकम नहीं मांगी है ।

श्री अनूपसिंह : आपने तो कोई रकम नहीं मांगी, वहां की जनता को होस्पिटल की जरूरत है । मगर उन्होंने जो धन-राशि अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से इकट्ठी की है उतनी ही धन-राशि क्या सरकार अपनी तरफ से देगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने उनसे कोई रकम नहीं मांगी ।

श्री अनूपसिंह : आपकी तरफ से १७ हजार रुपये इकट्ठे करने का आश्वासन दिया और उन्होंने धन-राशि इकट्ठी की, क्या इतनी की इतनी राशि सरकार देगी ?

श्री बद्रीप्रसाद : सरकार की ओर से कोई इस प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया और न मेडिकल विभाग की तरफ से कोई इस प्रकार का आश्वासन दिया गया ।

श्री अनूपसिंह : आपकी तरफ से दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद : मैं मेडिकल की तरफ से कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र, प्रश्न संख्या २३७ ।

जयपुर में डॉक्टरों एवं उनकी पत्नियों की नियुक्ति

२३७. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Health Minister be pleased to state:

How many Doctors along with wives are posted at Jaipur ? The list may please be placad on the table of the House.

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : आठ ।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

प्रश्न संख्या २५२

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

बीकानेर से लूणकरणसर तक सड़क निर्माण की प्रगति

२३६. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर से लूणकरणसर तक की सड़क का कार्य कहां तक हुआ है ?

(२) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सन् ५८ तक लगने वाली धन-राशि उसमें लग चुकी या नहीं ?

(३) बीकानेर से जामसर सड़क कहां तक बनी है ? उसका पूरा काम कब तक समाप्त होगा ?

(४) पोकरण से जैसलमेर सड़क के निर्माण का कार्यकाल क्या था ? उसका काम निश्चित अवधि में क्यों नहीं हुआ ?

(५) बीकानेर से बाप सड़क पर अब तक कुल कितनी रकम खर्च की गई है ?

निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

१. मील ० से ४ तक ।

२. जी नहीं । सन् १६५८ के अन्त तक लगने की आशा है ।

३. बीकानेर से लूणकरणसर तक बनने वाली ही सड़क जामसर होती हुई जावेगी । आशा की जाती है, मार्च १६५६ के अन्त तक ।

४. प्रथम पंचवर्षीय योजना में वर्ष ५३-५४ से आरम्भ होकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाप्त होने को है ।

५. कुछ नहीं ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इसको पंच वर्षीय योजना काल में समाप्त करने का प्रश्न नहीं था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद ।

(अनुपस्थित)

श्री दयाशंकर विजय ।

(अनुपस्थित)

श्री नारायणसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री अनूपसिंह ।

लूनी नदी के किनारे एम्बेंकमेंट्स बांधने कि योजना

२५४. श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि बालोतरा (जिला बाड़मेर) में लूनी नदी के किनारे (embankments) बांधने की योजना बनी थी ?

(ख) अगर हां, तो इस योजना को अभी तक क्रियान्वित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं, जब कि इस नगर को हर साल नदी की बाढ़ से खतरा बना रहता है ?

Page No.25

(श्री अनूपसिंह)

(ग) क्या जनता की तरफ से इस विषय में कोई मांग की गई है ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(घ) क्या इस वर्ष के बजट में उक्त बांध को शामिल किया गया है ?

(ङ) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) लूनी नदी के किनारे बालोतरा ग्राम को बचाने के लिये स्पर्स लगाने की योजना बनाई गई है ।

(ख) योजना अभी सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) जनता द्वारा की गई मांग के उत्तर में यह जवाब दिया गया है कि योजना की स्वीकृति के बाद कार्य क्रियान्वित किया जायगा ।

(घ) इसे इस वर्ष के बजट में शामिल नहीं किया गया है ।

(ङ) क्योंकि योजना अभी विचाराधीन है ।

श्री अनूपसिंह : योजना विचाराधीन है, यह बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं । आखिर यह कब तक कार्यान्वित होगी, बालोतरा का शहर लूनी नदी में बह जावे ।

श्री भीखाभाई : चूंकि फ्लड का संबन्ध इस सिंचाई विभाग से नहीं है इसलिये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लिखा गया है । इसके लिये १७,८०० रु० पुल में खर्च होंगे, इसके लिए एस्टीमेट बना है । स्वीकृति होने पर....

श्री अनूपसिंह : क्या सब हो गई है ?

श्री भीखाभाई : हां ।

श्री अनूपसिंह : तखमीना गवर्नमेंट के पास पेश हो चुका है ।

श्री भीखाभाई : १७,८०० रु० का एस्टीमेट भी बन गया है । चूंकि यह सिंचाई विभाग का काम नहीं है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लिखा गया है ।

श्री अनूपसिंह : यह एक बहुत ही जरूरी चीज है । बालोतरा बह जाने के पहले इसका प्रबन्ध हो जाना चाहिए ।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य से भी ज्यादा अधिक जानकारी इस विभाग को है ।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रह गया है । प्रश्न संख्या २३० ।

जल बोर्ड

२३०. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जल बोर्ड की तरफ से चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के बीजांवास ग्राम में कुओं के बनाने के वास्ते कुछ रकम मंजूर की गई थी ? यदि हां, तो कितनी ?

(ख) क्या उक्त रकम दी गई ?

(ग) क्या इस रकम से बीजांवास ग्राम में कुआ बना ?

(घ) क्या यह सही है कि इस रकम से एक व्यक्तिगत कुआ बनाया गया है ?

(ङ) क्या यह भी सही है कि इस रकम में से जो ३०० रु० लिछमण को दिए गये थे उनका उसने सामान खरीदा था जो अभी तक उसके पास पड़ा है ?

Page No.26

(श्री मोहरसिंह)

(च) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी ? यदि हां, तो क्या नतीजा रहा ?

उपस्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (क) जी हां। २००० रु० ।

(ख) स्वीकृत रकम में से १६६५) रु. की रकम ही गांव वालों को दी गई । बाकी की रकम समय पर हिसाब न आने के कारण लैप्स हो गई ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी नहीं कुआ सार्वजनिक है !

(ङ) श्री लिछमन को ग्राम कमेटियों के मुखियाओं के सामने रकम दी गई थी। सामान किसने खरीदा, सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है ।

(च) इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई शिकायत नहीं आई, अतएव जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोहरसिंह : शिकायत आने पर क्या जांच की जावेगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जरूर करेंगे ।

श्री मोहरसिंह : यह कुआ कौन से गांव की सींव में है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह नहीं कह सकता, लेकिन मैंने यह बताया कि यह सार्वजनिक है ।

श्री मोहरसिंह : यह कुआ किसकी सींव में है; बीजासर ग्राम की सींव में है या इन्द्रावास की सींव में ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

११.४७ म. प.

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्न लिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिए जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित हैं अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है :

(१) श्री श्रीराम बसोतिया---दिनांक १७. २. ५८ से २५. २. ५८ तक ।

(२) श्री राजाराम—दिनांक १७.२.५८ से २४. २. ५८ तक ।

(३) श्री लालसिंह—दिनांक १८ और १६ फरवरी, १६५८ तक ।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

(११. ४८ म.प.)

राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, १६५८ (पुरःस्थापित)

श्री नाथूराम मिर्धा (वन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान (फोरेस्ट संशोधन) विधेयक, १६५८ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

Page No.27

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

११.४६ म. प.

वर्तमान मंत्री मण्डल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव

(वाद-विवाद)

श्री अध्यक्ष : सदन के सामने इस वक्त सरकार के विरुद्ध दो अविश्वास के प्रस्ताव हैं, उन पर आज बहस होगी और कल ११ बजे तक बहस होगी और उसके बाद सरकार की ओर से उत्तर दिया जायगा, जिसमें करीब दो-ढाई घंटे लग जाएंगे; उसके बाद जिस माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है उसको प्रत्युत्तर देने का अधिकार होगा । पांच बजे बहस समाप्त करके प्रस्ताव पर मतदान होगा। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे ज्यादा लम्बे भाषण न दें और अगर ज्यादा भाषण होंगे तो टाइम लिमिट लगानी पड़ेगी ।

(विराम)

पहले राजा श्री मानसिंह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

राजा श्री मानसिंह (वैर) : Sir, I move the following motion:

"Looking to the general inefficiency, prevalence of corruption and fovouritism, this House resolves that it no longer has confidence in the present Council of Ministers."

In moving my resolution, Sir, I should like to say a few words. Some days back we had been listening to the general debate on the motion of thanks to His Excellency the Governor, in which roughly 30 members of this House took part. Of these 30 members, if we go through the proceedings of the House it will be clearly noticed that only 3 members, apart from the Treasury Benches supported the Government and remaining openly opposed the Government......

श्री ज्वालाप्रसाद : Wrong, Sir...

राजा श्री मानसिंह : There were Some members from across the floor who started by saying that we support this motion of thanks, but later they were very much pleased to bring to the notice of the Government its short-comings regarding inefficiency, corruption and favouritism. I have tabled this motion......

श्री ज्वालाप्रसाद : I submit, sir......

श्री अर्जुनदास : खड़े होकर बोलें, कौन बोल रहे हैं ?

Sir, whoever want to interrupt should at least get up and show his face.

श्री ज्वालाप्रसाद : He is saying something which this side of the House......

श्री अध्यक्ष : Order please ! you will have enough opportunity to reply to whatever he says.

श्री किशनसिंह : सारा हाउस सुनना चाहता है इसलिये हिन्दी में भाषण हो तो अच्छा है।

(राज्य पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

श्री जनार्दनराय नागर : Hindi please.

राजा श्री मानसिंह : (जारी)

I have tabled this motion of No-confidence knowing fully well that in this House, where the Congress party has such huge number we few members of the opposition cannot hope to overthrow the Government. But we are using this prerogative under the proceedings of the House to censure the Government, as we feel that they have not done their best in removing the defects.

It is necessary for me, Sir, to repeat certan suggestions that I have made during the last debate as I feel that my remarks fell on deaf ears. I refer to the District Boards Act. Before this House, the Government brought forward a Bill. We spent many hours of this House in passing that Bill, we spent a large amount of public funds in passing the Bill and after the Bill was passed and enacted as an Act, for the past three years, the Government has been from time to time postponing the District Boards elections. Not only that, since the last October, the Government has three times postponed the District Board elections. It is quite clear to me that the Government supported by the Congress party is determined to see that the power does not go from the urban sector to the rural sector. In another few days time, Sir, I am told that this House will deliberate upon the findings of a Committee known as Balwant Rai Mehta Committee. The main thing in that Committee's report, which I do not want to go into at length at this time is that decentralisation of responsibility and power to elected persons has not proved successful. I fail to understand that even in this House we have an elected Head of the Government, but under the circumstances, perhaps, we may even expect the Central Government to nominate a Head of the Government over us as well. The policy of the Government is clearly, Sir, to make the rich richer and the poor poorer. The best lands in Rajasthan are being given to those who already have land or other means, and not to landless tenants and Harijans.

I have, during the last debate congratulated the Government on enforcing the Relief of Agricultural Indebtedness Act, 1957. We were also told that this Act would be enforced, in the Governor's Address. But I am sorry to say, Sir, that it has just come to my

(राजा श्री मानसिंह)

notice that in the Government Gazette dated 6th Feb. 1958, a Notification was issued on 29-1-1958, according to which the orders have rescinded : that the Relief of Agricultural Indebtedness Act will not come irto force on 15th February, 1958. Various issues come before the House, which clearly stress the dis-satisfaction of the members regarding the inefficiency of the Government. I do not want to put any personal allegations and, therefors, I have kept my remarks mainly general. During the years 1950 to 1953 we spent on famine relief Rs. 1, 51, 64, 659/-, but it is surprising to note, Sir, that there is no Famine Relief Code in Rajasthan to control this huge expenditure.

The Government may consider the matter. We are now aiming at considering it for last four years. This obviously leads much for favouritism and corruption. I should like to hear the Government make a suggestion regarding this matter. Amongst the Appointments Department, there has been nefarious expenditure to the tune of 1, 11, 499 rupees, which, has been spent on surplus officers awaiting transfer With this amount of expenditure incurred during the years 1951 and 1956, I should like to know how has the situation improved now ? Inefficiency is clearly there, Sir. In the administrative services, it is clearly understood, according to rules, that any promotions that may take place from time to time should follow the Rajasthan Administraive Service Rulea. It is clearly stated, that unless persons who have put in qualified service of 9 years, no person shall be appointed to the services of promotion by special selection unless he has put, in 9 years service in the welfare of the State on the 1st of January in the year in which the selection is made. There are ample cases that I can site in which cases of selections and promotions have been made and persons holding only two, three and four years of Government Service have been promoted.

एक माननीय सदस्य : Will you please give some specific instances.

राजा श्री मानसिंह : The Government gazette have already been circulated to the House. I do not want to waste the time of the Heuse, Sir. There are instances where the inclusion and order regarding inclusion of the staff of the Grain shops in the unified pay scales; there are large number of persons but only 25 or such have been accommodated to the benefit of the fixation of pay scales. There are another 16 members, 16 employees who have been left out. Why have they been left out, we would like to know ?

श्री अर्जुनदास : On a point of order, of course I am interrupting the Hon. member, I beg pardon of him. I would request the Hon. member to quote instances so that we can site where this particular nepotism has taken place or so. We can hear best and they can return best and then would make us answer but please give real illustrations which you are quoting. I would like to vote for you; provided you tell me in advance. I have requested......

श्री श्री भानसिंह : On a point of advice, he can raise the question and get the answer from the Government.

राजा श्री मानसिंह : That your promotions......I will lay a copy of the document which is authentic but is not a true copy, so to say, I can table it before the house and the Hon. member can look into it.

We have had, Sir, during deliberations of the House matters being pointed out where police officers who have served in the capacity of Deputy Superintendents of police being reverted back as Inspectors. These officers have got three to eight years, experience. There is no reason whatsoever that the Governmet could not confirm them; on the other hand, I have just come to know that Deputy Supdt. of police at Bharatpnr, against whom allegations of corruption have been proved, these have been mentioned in this House with proof, that he had employed a constable, while the D. S. P. was serving at Bharatpur he had employed a Constable at Government expenses to look after his house at jaipur. The Departmental enquiry was held and the case was proved against him. A lenient punishment was given. But the same gentleman has now been confirmed in the rank of Deputy S. P. There has been no rationalistion of pay scales in the cadre of junior teachers. This should have taken place on the first of March, 1956. Nearly two years have passed, Sir, but the Government is not paying any attention to this matter. An annual increment was due to persons in last August and in spite of many applications and representations, nothing has been done in the matter. Some times we find that in this cadre, persons who are Junior or of equal qualifications are promoted and given higher grade. I should like to know also, what is the qulifications, criteria of seniority amongst persons having equal qualifications serving on the the same type of post, on the same pay scales. How does the Government make their choice as to who should be upgraded and who should not be ?

In the Police Department, there is dissatisfaction in the wireless section. Uptil now transfers and promotions have been made to and fro between the regular force and the wireless section. Now time

(राजा श्री मानसिंह)

has come that persons are to be promoted in the wirelees section according to seniority as Sub-Inspectors, but they are told that you do not come under this pretext, Before they were transferred either into the wireless section to the regular force, they were never informed that they do not come under the Police Act. What is their position now ? People have been transferred for the convenience of the Government or their technical knowledge and they have lost their charms of improving their careers.

There has been no mention and the Government has been completely silent on the Prohibition policy. It is amply clear that the Government has failed in this matter. The figures of consumption rise year by year, whereas, I am sure the Prohibition policy should follow close there to. There has been ample inefficiency in our planning schemes and other programmes. I should like to refer to one old case which has not been dealt with after a lapse of eight years. In 1949-50, public money to the tune of 40, 625 rupees was spent on the purchase of two engines for a Power House, to convert the system from D.C. to A.C., Eight years have passed. This system of that Power House has not been changed and the engines themselves have not been used to supply electric current. One is lying idle while the other one has been isused temporarily to a Government Ginning Factory.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Where ? At Bikaner?

राजा श्री मानसिंह : You can enquire from the Secretary. I have not got that convenience.

Hon. member who moved the motion of thanks on His Excellency's Address; we brought it to the notice of the Government, power-line that has been erected to take the energy in the Bhakhra and Chambal schemes has not been erected. We have been told that certain difficulties have come about due to foreign exchange. But I should like to know why electric poles have been erected from Dausa to Gangapur. Why they have been erected from Jaipur to Reengus ? When does the Government intend to suply the current along with these lines? Would it not be better to erect these poles in those areas which are to be first supplied by the Bhakhra and Chambal Projects. First, the Government make their explanation. Perhaps a small State may have done if the department has mixed Gangapur with Ganganagar.

एक माननीय सदस्य : As you are mixing facts and figures.

राजा श्री मानसिंह : (जारी) There are serious lapses in Government

Page No.32

(राजा श्री मानसिंह)

orders regarding industries. Industries, according to Government orders, are to be supplied electric current at the rate of -/2/- per unit instead of -/3/- per unit, provided they consume more than 20,000 units per month. I will cite, Sir, the case of the Man Industrial Corporation Ltd., Jaipur, who were given concession not at -/2/- per unit but at -/1/6 per unit against Government orders. The figures that are available with me show that in the years 1951-52 the Government suffered losses, in this way, of Rs. 3,030/-. In the year 1952-53, the Government suffered losses of Rs. 10,090/- and in the year 1953-54 the Government suffered losses of Rs. 15,937/-. Orders are alleged to have been passed by depatmental Head, contrary to those that have been passed by the Government, but the Government is doing nothing about it, Sir. This matter came up before the audit and orders were issued that this firm should not be supplied the current lower than the concession rate allowed after 1956. The figures, how much the Government has lost within the years 1954 to 1956 on this particular firm, Sir, are not available to me, and I should like to know the exact position.

There are so many cases of inefficiency, Sir. I will give another instance where in the years 1955 and 1956, Grant-in-aid was given to the tune of Rs. 81,42,687/-. This was in 3154 cases. Out of this, Sir, in 2421 cases relating to Rs. 45,84,690/- not even certificate from the grantees were taken, showing that the money had been spent for the purpose for which the grant was given.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Educational Grant-in-aid?

राजा श्री मानसिंह : All Grants-in-aid; the development projects, education. I am taking general figures.

Upto August, 1956, Sir, still 2298 cases involving Rs. 40 lakhs were pending in this respeot. In 7 cases in connection with this matter, involving Rs. 4,12,000/-not even the names and addresses of the grantees were given when the sanction was taken. In 120 cases involving nearly Rs. 3 lakhs, not even the receipts were furnished, by the grantees. This is the efficiency of our Government.

Similarly, much has been said in this House during past years regarding the working of the Water Board. Accounts of the Water Board have not been submitted according to the financial rules. Relaxation has been done against all principles. Much has been said, Sir, regarding this in this House where we are even told

(राजा श्री मानसिंह)

that money was granted from the Water Board for the work which was not even executed. I would like to suggest that a Checking Party of this House from either that side or this side should be formed to look into this matter.

I should also like to mention a few figures, Sir, regarding purchase of stores. In the Police Department in March 1951 a fleet of 124 vehicles were purchased by the Government and amongst them 23 were such which were not used even for two years. This is how in Rajasthan, when we are running a deficit State, our Government wastes our funds.

There have been many irregular purchases in the Agricultural Deparment also. I shall only refer to the matter concerning insecticides. Within 3 years of 1951-1954, insecticides were purchased to figures of 5 lakhs and 22 lakhs. Regarding this purchase, I should like to emphasise my point, to read an axtract of the Public Accounts Committee report :

"The Government of India which had also been making large purchases of these insecticides were not contacted by the Department; with the result that the purchases were made at higher rates." And this happens in a deficit State. An explanation of the Government was placed before the Committee, and the Committee again remarks :-"The Committee regret very much to note that such an important and urgent enquiry should have proceeded in such a leisurely manner and the best that could be said is that there was no justification for such inordinate delay in finalisation of this case... etc. etc..." Where is the efficiency of the Government? The Public Accounts Committee's report, the Audit reports placed before us and circulated amongst the Members, every page speaks for itself, of the inefficiency of the Government.

There is inaccurate budgeting. Large savings are made or large amounts are spent in excess. In the budget of 1955-56, I should like to say, Sir, that in the Deparment; such as Stationery & Printing, where it is easy to estimate what expenditure might take place during the year, that Department over-spent its budget by Rs. 5 1/2 lakhs.

There is one point I had forgotten regarding the inefficiency in purchase of stores, to which I ssovld go back. In the Industries and Supplies Department, a power-loom was purchased at the cost of Rs. 1825/-in the year 1951. To this date, Sir, that small machine has not been put into use because there is no suitable building available according to the Government.

I should even like to know whe-her that powor loom exists now

Page No.34

(राजा श्री मानसिंह)

or not. It was purchased for demonstration and training purposes.

Where it is now, even that I should like to know, Sir. Regarding corruption and favouritism, Sir, much has already been said by members of both sections of the House; but I should like to remind the Treasury benches about what I said about the prevailing corruption in the Bharatpur Municipality. Government is reluctant even to consent for the Audit report, to make an enquiry into the matter and to bring the culprits to book. There have been serious lapses in the Board. Taxes were proposed there by a resolution but were not enforced. Government did its level best to bring those taxes in force. After lapse of five months, the Government with certain modifications succeeded in forcing the Board to enforce those taxes. But the Board suffered a lose of 20,000 rupees which does not mean anything to the Government which deal in crores. There was a proposal for charging Octroi in Bharatpur according to the prices of the articles. On the recommendation of the Board, the Government agreed that Octroi should be charged on the weight of the article. On one side we pretend that we are trying to do everything for the middlemen and the poormen. and on the other side, we have the case whether Octroi Duty is charged more accroding to weight and cost than for silk... (interruption) you are trying to do for the people.

Much had been said regarding the Panchayat Sammelan that was held here, Sir. I should like to condemn the Government, Sir, on their decision in calling the Sarpanchas of the Panchayats to some Sammelan to (अश्रव्य) by party leaders so that they can be influenced during the Panchayat elections which are to take place next month. We give the excuse that they gain something by it. No doubt, there are many amongst them who will not be able to utilise the gain by it. Would it not have been to hold such a Sammelan, if at all required, after the Panchayat election. During the year, Sir, on the visit of the Prime Minister, I was aggrieved to hear that even the Jaipur Municipality had budgetted 50,000 rupees during those days. So much amount has been spent on this account, but our Government did not spend so much on the anti-influenza for the people of Rajasthan; but we have got so much money to waste on such matters. I should like to know, actually how much the Government spent on the Prime Minister's visit during this Panchayat Sammelan; in T. A. and D. A. of officers, police constables and other arrangements, the whole amount should be included.

According to the Audit report, it was pointed out that up-to

(राजा श्री मानसिंह)

31/3/56, there were 300 cases of embezzlement pending for decision and those cases only related to those which were for 200 rupees and above; of these 300 embezzlement cases, Sir, there were 83 of the Revenue Department, 44 of the Civil supplies Department, 42 ofthe Police Department and 8 of the Public Works Department. Those eight of the Public Works Department alone were responsible for eases to the value of four lacs. of these cases, Sir, 120 came to the notice of the Government between years 1955 and 1956 which involved an amount of rupees three lacs and thirty one thousand rupees. During this period of 1955-56, only 59 cases involving an amount of Rs. 72,892 were finalised.

And what is more, Sir, not only these 300 cases were pending, but at the end of the year 1956, that figure rose to 379 cases. This is the efficiency of our Government Sir !

There is a tendency amongst the departments to withdraw funds at the end of the financial year. These funds, sometimes they are not according to financial rules, are not properly taken care of, as a result of which they are either stolen or lost in some other way. I may cite one case of the Education Department, Sir, in which on the instructions of the Inspector of Schools an amount of Rs 5,056/- was withdrawn from the Treasury on the 31st March, 1956. This amount together with other funds was reported stolen on the 4 th April, 1956. Nothing in this matter has been done, and yet we are told the case is under investigatfon, and against the officer concerned no action has been taken by the Government at all. There was another case regarding capital outlay on schemes of Government trading. In the accounts of the Supplies Sub-Division, a departmental check was mede and it was found that grain stocks worth Rs. 40,000/- were missing. There was an enquiry by Embezzlement Department, they made certain recommendations to the Government, but......

श्री गिरधारीलाल भार्गव : On a point of order, Sir, माननीय सदस्य सो रहे हैं ।

श्री मोतीलाल चौधरी : भाषण समझ में नहीं आया, इसलिए नींद आ गई ।

राजा श्री मानसिंह : Enough has been said, Sir, regarding P. W. D. I should like to suggest that the Governor should make a trip to Bharatpur along the so-called national highway. If his car's springs do not break, then I will be most surprised. On this road there are several nullahs which cause the greatest of difficulty to the users of that road. My little car cannot compare with those big cars in which our members of

(राजा श्री मानसिंह)

the Treasury Benches tour the province. My little car was submerged under water in one of there nullahs, when I came to Jaipur only three days back.

श्री मदनसिंह : How did your car come to Jaipur then ? It was sub-merged in water, how did it arrive at Jaipur ?

राजा श्री मानसिंह : Similarly, Sir, regarding our Plan schemes, there was a proposal of constructing in the 2nd Five Year Plan a road in Bharatpur from Kherli to Sonk via Nadbai and Kumher. By chance it came to my knowledge the big route that the Government was planning to have for this direct route, apparently the shortest way from Kherli to Sonk which is a matter of 35 miles and passes through several villages, the big route contacting several curves and other things and making the length of the route nearly 65 miles.

There is that famous irrigation case wherein for a certain work that was sanctioned, tenders were called, progress report was made, payment was made, but the work is not done. I should like to suggest to the Government that they should advertise in the local papers and give a reward to those who can find that local work that has been stolen.

Regarding corruption,. Sir, there are one or two other points that I should like to make. The Government seems to be very silent on this issue of the Dy. S. P. at Bharatpur. Why don't they make a statement giving the facts, whether he did or did not commit a gross irregularity. The Hon' gentlemen, Sir, is following the Government policy very well. If a Congress worker is involved in a criminal case, then he takes him in his own jeep from the villages to influence the witnesses. I refer to the 'Ghansham, case', Sir, but I will not give any more details as the matter is before the Court. I challenge the Government, Sir, that they are unable to remove this officer from Bharatpur and I make this challenge because he has got direct contact with a Deputy Minister of the centre. There is the other case of a Police Sub-Inspector by name of Parat Singh, who initialed the 'Savar incident' in which most heinous and serious crimes were committed. An enquiry was made and the case was proved against him, but very light punishment was given. This officer was integrated in 1952 and his name was in the 'C' list, but suddenly we find that in 1957 his name appears in 'A' list and he is promoted from Sub-Inspector to Inspector. Oo representations of other persons so affected, this gentleman has now been reverted to Sub-Inspector. If this is not

(राजा श्री मानसिंह)

a clear case of favouritism, then what it is? Then again, Sir, there is another Dy. S. P. in Bharatpur who has now been reverted to Inspector. He was posted at Bharatpur as Dy. S. P. and after reversion he is retained at Dholpur.

I should like to know whether this is a good appointment? And again, Sir, I make the allegation that since his reversion, the crime situation in Bharatpur has increased and is increasing on the initiative of this officer who would point out that while he was Dy. S. P., the matter was under control. Of course, Sir, I admit that during the last elections, he helped the Congress party. There is the question of what is in Bharatpur. Take the famous Pathana case. It is surprising, Sir, how the police and administration took sides against the complainants. There is one Government Officer stationed at Halena in the capacity of Gram Sudhar Officer and this officer's home is only a matter of five miles from where he is posted. It is really surprising, Sir, that this officer represents the Rajasthan Government and has been appointed under section 107 of the CR.P.C. to maintain peace. There were many allegations of corruption against this officer.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: What is his status?

राजा श्री मानसिंह: He is only one officer in the whole of Rajasthan......Inspector.

There were allegations of corruption against this officer and the Anti-corruption branch made an enquiry into those allegations. But only, Sir, this officer's own son was asked to make enquiries against his own father and the findings were that no allegations were correct. I should like to point out the case of the Divisional Forest officer in Bharatpur Sir, using electric current illegally at his private residence. He was fined by the Power House for hundred rupees in Bharatpur; A person who is dishonest on a matter of five or six rupees a month, how this dishonest person can be entrusted with crores of rupees of Government property? It is not known, Sir.

During the course of the general debate, Sir, I had mentioned the case of three loans for three nearby houses and regarding the same gentleman. I should like to mention one thing more in the matter. The Government has given a sum of Rs. 10,000/- as loan to this gentleman to establish a Dairy Farm. He has no land, he has no cattle; how he has got the Government money?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: Same Bharati?

राजा श्रीमानसिंह: Same man, Sir.

Page No.38

(राजा श्री मानसिंह)

The Government made an enquiry and the enquiry was so that five-six cattle roaming on the road have been written down as part of the Dairy Farm. The same gentleman has applied for aid to run a boarding school; school which does not exist has been recognised by the Government and most probably he will get Government aid as well, Sir.

There are only one or two more points which I should like to make, Sir, before closing my speech. Before I do so, I should like to mention a small matter which is important to politicians, specially to those members of the Bar who sit in the Treasury Benches. They know, like everybody knows, that clients are asked by lawyers to pay illegal amounts to Government employees; fourth class etc. as a matter of routine, during the proceedings of the cases. I should like to have a suggestion, Sir, from those lawyer members of the Treasury Benches, how they can eradicate this evil ? These are a few points, Sir, that I have made to show without bringing any personal allegations that the Government proves inefficient. There is prevalence of corruption and favouritism. Just when I was coming to the House, Sir, I received a telegram from Gangapur. Perhaps my friends have also received the same telegram and it is written there, Sir, that on 17th sharp in front of Nizamad, I suppose the tehsil was looted in clear day light for worth three thousand rupees, "Police taking action, 30 persons most important action request Ramesh Chander Panjabi."

The day when this sort of telegrams regarding hardship of the people cease to be sent.........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Which Gangapur this is ?

एक माननीय सदस्य : Received this telegram.

राजा श्री मानसिंह : The day, the people stop sending their grievances to the Government, then only, I will feel that something has been done to eradicate corruption, favouritism and inefficiency. I had heard during the debate on his Excellency the Governor's Address, many members, made a constructive criticism to the Government, more across the floor, Sir, and I should like to hear them again speak in the same mood unless of course overnight they might feel that Government has become extraordinarily efficient, there is no question of favouritism and there is no corruption.

श्री रामचन्द्र : on a point of order, Sir,......

श्री अध्यक्ष : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर किस चीज का ?

(विराम)

श्री भैरोंसिंह

१२.४० म० प०

१२. ४० म. प.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं, "इस सदन की सम्मति है कि सरकार के वर्तमान मंत्री-मंडल के प्रति सदन विश्वास खो चुका है।"

अध्यक्ष महोदय, अभी अभी इसी प्रकार का एक प्रस्ताव प्रजा प्रगतिशील दल के नेता राजा मानसिंहजी ने सदन में प्रस्तुत किया था। मैं समझता हूँ उन्होंने राज्य सरकार की इनएफिशियेन्सी, करप्शन और फेवरिटिज्म के ऊपर कुछ बातें सदन में प्रस्तुत कीं। लेकिन मैं अपने प्रस्ताव के पक्ष में कुछ कहने से पहले, माननीय मुख्य मंत्रीजी के, आज से तीन दिन पहले राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में जो वाद-विवाद हुआ था उसमें, सरकार के कार्य की जो आलोचना हुई थी और उसका उत्तर जो उनकी तरफ से प्राप्त हुआ था और उस उत्तर में सदन को कुछ नसीहत प्राप्त हुई थी, मैं उन नसीहतों का जिक्र करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि वह उपदेश या तो भावना से दिया गया था या यह हो सकता है कि इस अधिवेशन में माननीय मुख्य मंत्रीजी की, एक विषय की जानकारी के कारण, इस सदन में आलोचना की गई थी उस आलोचना से बचने का उनका असफल प्रयास था। मुझे उस उपदेश की ओर सब से पहले मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। उन्होंने इस सदन में एक दो शब्द, एक वाक्य बताया था कि यदि मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई सन्देह किया जाय तो मैं इस सदन में एक मिनट भी रहना नहीं चाहता। अध्यक्ष महोदय, उनके ऊपर किस प्रकार से सन्देह हो सकता है, यह बात मैं अन्त में बताऊंगा लेकिन इस मंत्रीमंडल के प्रत्येक मंत्री पर किस प्रकार से सन्देह होता है और उस सन्देह की शुरुआत किस दिन से हुई, उस शुरुआत से मैं अपना भाषण शुरू करूंगा। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के पिछले सेशन में मैंने एक पत्र माननीय वित्त मंत्री महोदय का प्रस्तुत किया था। मुझे आशा ही नहीं परन्तु पूर्ण विश्वास था कि चाहे सदन में मुख्य मंत्रीजी की ओर से यह आश्वासन न दिया जाय कि किन किन कर्मचारियों ने वित्त मंत्रीजी के चुनाव में उनको मदद देने का वायदा किया था, वे चाहे इस सदन के सदस्यों को इस बात की जानकारी न दें कि उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या इन्क्वायरी की है, वे चाहे इस प्रकार की जांच को पब्लिक डॉक्युमेंट न बनायें लेकिन जिन सदस्यों ने इस बात के ऊपर आपत्ति की थी, उस आपत्ति को करने वाले सदस्यों को कम से कम संतुष्ट करने की चेष्टा करेंगे। भूतपूर्व अजमेर राज्य के किन किन कर्मचारियों ने वित्त मंत्री महोदय के चुनाव में मदद दी, उसके सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, वे शब्द भी याद हैं जो इस सदन में ट्रेज़री बेंचेज़ की ओर से कहे गये और वे शब्द थे कि इस प्रकार के पत्र का सदन में उल्लेख न करके, उसे इलेक्शन ट्रिब्युनल के सामने लाया जाता तो उस पर उचित कार्यवाही हो सकती थी। मैं समझता हूं यह बात ठीक थी लेकिन प्रश्न यह आता है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई जांच करके, जो उसका अधिकारी होता है, उसकी सूचना में लाया जाय, तो मैं समझता हूं कि भले ही वह उस शिकायत के निराकरण के लिए उस बात को विभाग में लागू नहीं करे, लेकिन कानून की दृष्टि से जिस व्यक्ति पर वह शिकायत लागू हो सकती है, उसको पृथक करे, यह उस अधिकारी का फर्ज है इस प्रकार की कार्यवाही करने में नैतिकता की दृष्टि से कोई बाधा नहीं हो सकती। इसी प्रकार अगर

Page No.40

(श्री भैरोंसिंह)

इलेक्शन ट्रिब्युनल के सामने उस पत्र को एक पार्टी द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था, तो यह कांग्रेस सरकार, राज्य सरकार के लिए शोभा की बात नहीं कहीं जा सकती कि वह कहे एक प्रसंग के आने पर कि इसे इलेक्शन ट्रिब्युनल के सामने लाया जा सकता था। सरकार का फर्ज था कि उस सदस्य को कॉन्फीडेन्स में ले जिसने यह पेश किया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस काम के कॅगनीज़ेन्स को मुख्य मंत्रीजी को हाथ में लेना चाहिए था, ऐसे मुख्य मंत्री को लेना चाहिए था जो कहते हैं कि मुझ पर सन्देह करने वाली किसी प्रकार की कोई बात होगी, कोई काम होगा तो मैं इस जगह एक मिनट को भी नहीं बैठूंगा। वे अपने बांई ओर बैठने वाले मंत्री की ओर हाथ बढ़ायें और कहें कि उनकी बांई ओर बैठने वाले मंत्री पर सन्देह है या नहीं, अगर सन्देह है तो उनका त्याग-पत्र प्रस्तुत

(करतल-ध्वनि)

करें, लेकिन उसके सम्बन्ध में कोई इन्क्वायरी नहीं, कोई सजा नहीं दी गई। अगर सदन के अन्दर किसी करप्शन की बात बतलाई जावे, कोई प्रूफ रखा जावे, तो उसे कॉन्क्रीट प्रूफ न माना जाय और मुख्य मंत्रीजी कह दें कि जो उदाहरण पेश किया गया, वह कॉन्क्रीट नहीं मानी जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास में कोई डिपार्टमेंट नहीं है, हमारे पास में कोई मशीनरी नहीं है कि सारे डिपार्टमेंट्स के लिए एक एक आदमी को नियुक्त करें और वह आर्मी फाइल मेन्टेन करे कि फलां अधिकारी ने क्या क्या काम किये, इसकी जानकारी के लिए नोट तैयार करे। इस प्रकार के ऑफिसेज़ या साधन जिस दिन हमारे पास होंगे, उस दिन, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार की ज्यादती नहीं होगी। पर आज हमारे सामने मुश्किल यह है कि ऐसे साधन नहीं हैं। हमारी सरकार ने जो बात कही कि कॉन्क्रीट प्रूफ आने चाहिए, मैं समझ नही पाया कि कॉन्क्रीट प्रूफ से उनका मतलब क्या है? उन्हें सफाई के नाम पर यह बताना चाहिए कि वे कॉन्क्रीट प्रूफ से किस चीज की आशा करते हैं, क्या वे चिट्ठियों की आशा करते है, क्या फाइल की प्रतिलिपि की आशा करते हैं या ऑथेन्टिकेटेड प्रूफ की, ऑथेन्टिकेटेड डॉक्युमेन्ट की आशा करते हैं? अगर वे कॉन्क्रीट प्रूफ शब्द का अर्थ यह लेते हैं तो तो जो कॉन्क्रीट चीज आती हैं और कॉन्क्रीट चीज आयेगी, उस पर सरकार क्या एक्शन लेगी, सरकार का क्या एक्शन उस पर होगा? मुझे तो जिस दिन हमारे वित्त मंत्री जी के प्रश्न को हमारे मुख्य मंत्री जी ने जिस ढंग से उस प्रश्न को साइड ट्रेक किया, उसी दिन साफ नजर आ गया कि अगर कोई कॉन्क्रीट बात की भी जाय, उस कॉन्क्रीट बात पर कुछ कार्यवाही न की जाय, तो यह इस सदन के लिए शोभा की बात नहीं है। आज वे इस शब्द का प्रयोग करें क्योंकि वे मेजोरिटी में हैं, और विरोधी पक्ष अल्पसंख्यक हैं, इस कारण सरकार को इन बातों से चिन्ता न हो क्योंकि चाहे कितने ही असंतोष वाली बात विरोधी पक्ष वाले करते रहें, पर हममें सरकार को उलटने की शक्ति नहीं है। मैं मान सकता हूं कि इस प्रस्ताव से सरकार उल्टी नहीं जा सकती, दूसरी सरकार बनाई नहीं जा सकती, लेकिन इस प्रकार की चीज से जनता में जिस विषाक्त वातावरण का निर्माण होता है, वह केवल विरोधी दल के अनुकूल होता हो, यह नहीं वह विषाक्त वातावरण कांग्रेस सरकार के

Page No.41

(श्री भैरोंसिंह)

विपरीत ही जायगा, इस विषाक्त वातावरण के कारण, जिस चीज को हम बनाने के लिए चले हैं, जिस भावना का निर्माण करने के लिए चले हैं, जिनके बारे में हमें माननीय मुख्य मंत्री जी से नसीहत मिलती है, वह पूरा नहीं हो सकता। माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं सरकार की योजना पूरी हो, इसकी चिन्ता है; देश किधर जा रहा है, प्रान्त किधर जा रहा है, इसकी चिन्ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उन्हें चिन्ता है, वह चिन्ता विरोधी दल में बैठने वालों में कम होगी, यह बात नहीं है, वे भी जनता के प्रतिनिधि हैं और मुख्य मंत्रीजी भी हैं, तो बाकी सदस्य, जो सरकार की आलोचना करते हैं, आलोचना करके सुझाव पेश करते हैं, वे भी कम जिम्मेदार नहीं। उनकी बात को, उनकी आलोचना को भी गम्भीरता से देखा जाय; अन्यथा उनकी आलोचना का, उनके सुझाव का क्या फायदा ? उससे क्या लाभ होगा ? अगर मैं व्यक्तिगत बातें कहूं तो उन्हें छोटी बात कहा जा सकता है लेकिन अब प्रश्न आता है कि जो राज्य का प्रशासन है वह किस प्रकार है। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में है कि मंत्री किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो सकता है, अपढ़ हो, इसकी चिन्ता नहीं है, भले ही सेक्रेटरी उसकी डाक खोलता हो, इसकी चिन्ता नहीं है, उसके कुछ फोलोअर्स होने चाहिए, पांच छः फोलोअर्स होने चाहिए। अगर ज्यादा फॉलोअर्स हों तो अच्छी पोर्टफोलियो मिल सकती है। एक मंत्री के पीछे ज्यादा से ज्यादा सदस्य हों, यही मंत्री की क्वालिफिकेशन है। जिस सदस्य के पास यह क्वालिफिकेशन हो वह निश्चित रूप से मंत्री के रूप में आ सकता है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह आता है कि यदि हम मंत्रियों के विषय में कुछ नहीं कह सकते, तो भी हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारे प्रशासन को चलाने के लिए हमारे पास योग्य व्यक्ति हों या नहीं। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार के अन्दर जो अधिकारी वर्ग है, जो विभागाध्यक्ष हैं, जो हैड आॅफ डिपार्टमेंट्स हैं, वे सम्बन्धित विभागों के लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं ? प्रशासन के लिए अच्छी बात तभी होती है जब कि हमारे हैड आॅफ दी डिपार्टमेंट क्वालिफाइड हों ! अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां के विभागाध्यक्ष, हैड आॅफ दी डिपार्टमेंट किसी रूप में विभाग के काम के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं। कम से कम सरकार को यह देखना चाहिए कि जिस विभाग में जो व्यक्ति काम करता है, वह उस विभाग के लिए क्वालिफाइड हो, लेकिन राजस्थान की बदकिस्मती है कि जितने भी हैड आॅफ डिपार्टमेंट है, वे उन डिपार्टमेंट के काम के सम्बन्ध में क्वालिफाइड नहीं है। इस प्रश्न का विचार न कर उन्हें एडजस्ट किया जाता है, उनका एडजस्टमेंट इस दृष्टि से नहीं किया जाता कि कौन व्यक्ति योग्य है, कौन किस प्रकार का काम कर सकता है इस चीज का ख्याल करके विभागाध्यक्ष की नियुक्ति होनी चाहिए। पर हमारे राज्य में यह ख्याल नहीं रखा जाता। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ व्यक्तियों के नाम भी बताना चाहता हूं। हमारे यहां पर डाइरेक्टर आॅफ प्रिंटिंग एन्ड प्रेस, श्री सुरेन्द्रनाथ मिश्रा हैं। मैं उनकी आलोचना नहीं करता, उनकी आलोचना करना मेरे लिए अच्छा भी नहीं होगा; लेकिन यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मिश्रा साहब से पूछा जाय कि मशीन कितनी तरह की होती हैं, इसकी कीमत क्या है, छपाई कितनी तरह से होती है, उसके

Page No.42

(श्री भैरोंसिंह)

चार्जेज़ क्या क्या होते हैं, किस प्रकार की छपाई राजकीय कार्य की करनी है, किस प्रकार की छपाई मंहगी होती है, किस प्रकार की छपाई सस्ती होती है, यह वे नहीं बता सकते। मैं उनकी बुराई नहीं करता, पर ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि आपको प्रिंटिंग एन्ड प्रेस डिपार्टमेंट चलाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, हर साधारण आदमी भी बुद्धि के अनुसार कह सकता है और समझ सकता है कि उस व्यक्ति का उस विभाग के ऊपर कंट्रोल होगा, जो उस विभाग के काम को जानता है। जो व्यक्ति काम नहीं जानता, उससे कोई बात पूछनी होगी तो वह अपने नीचे के अधिकारियों से पूछेगा। अगर कोई मशीन खराब हो जाती है तो वह नहीं बता सकता कि क्यों खराब हो गई, वह कहेगा कि फलां मिस्त्री कहता है कि मशीन खराब है। खराब मशीन को ठीक करके काम निकाल सके, यह सम्भव नहीं है, यह बात उनके द्वारा नहीं हो सकती है। इसलिए ऐसे विभाग के अन्दर गबन होगा और काम में गड़बड़ी हो जायेगी।

दूसरा, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में बताऊं। हमारे प्रधान मंत्री जिस समय जयपुर में आये थे तो उन्होंने आम सभा में एग्रीकलचर के बारे में एक विशेष बात बताई। मैं समझता हूं कि उन्हें पता नहीं होगा कि राजस्थान के एग्रीकलचर डिपार्टमेंट के हैड कौन हैं और वहां किस प्रकार का काम हो रहा है! उनके मुतल्लिक इस सदन में पहले एक दो दफा चर्चा हुई थी। उस समय सदन के एक माननीय सदस्य ने कहा था कि एग्रीकलचर डिपार्टमेंट के जो हैड. ऑफ डिपार्टमेंन्ट हैं, उनको इस डिपार्टमेंट की टेक्नीकल नॉलेज नहीं है। इस तरह हो सकता है कि इस विभाग के द्वारा हम अपने प्रान्त का विकास करना चाहते हैं, कृषि की उन्नति करना चाहते हैं, वह विकास और उन्नति इनके ज्ञान के अभाव के कारण न हो सके और हमारा प्रान्त विकास और उन्नति से वंचित रह जाय; दूसरे व्यक्ति को, जिसे एग्रीकलचर डिपार्टमेंट की नॉलेज हो, इस डिपार्टमेंट का हैड बनायें। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की बदकिस्मती है कि हमारे यहां का ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे यहां जो सेक्रेटेरियट है, वहां ऐसे हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट हैं, जिन्हें टेक्नीकल नॉलेज नहीं है। ऐसे व्यक्ति डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकलचर हैं।

तीसरा प्रश्न माइन्स का आता है। इस सदन में माइन्स डिपार्टमेंट के डाइरेक्टर को लेकर कई दफा बातचीत हुई है। कई सदस्यों ने आपत्ति की थी कि जो माइन्स के डाइरेक्टर हैं वे क्वालिफाइड होने चाहिए, लेकिन जो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन्स हैं वे वर्तमान डाइरेक्टर में नहीं हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि क्यों ऐसे हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट को नियुक्त कर दिया है? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि उनके विरुद्ध जनता से काफी शिकायतें आती हैं लेकिन वे शिकायतें हमारे अपॉइन्टमेंट डिपार्टमेंट के हैड, मुखर्जी साहब के बस्ते में खामोशी लिये हुए पड़ी हैं।

उनकी कोई जांच नहीं होती है। मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स हैं, उनके यहां जांच होती नहीं। लेकिन प्रश्न यह है कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स हैं, उनमें से किसी की क्वालिफिकेशन उस डिपार्टमेन्ट के कार्य करने की नहीं है, जो डिपार्टमेन्ट उनको सौंपा गया है।

१ म० प०

अब आगे इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट को ले

(श्री भैरोंसिंह)

लीजिये, यह एक ऐसा बदकिस्मत डिपार्टमेन्ट है जिसके लिये लाखों रुपये खर्च होते हैं, राजस्थान सरकार के काफी शेअर्स हैं। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट को ठीक तरह से देखा जाय तो मैं मान कर चल सकता हूं कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं मान सकता कि हमारे इन्वेस्टमेंट जो हमने कर रखे हैं वे सेफ हैं बल्कि हर जिम्मेदार व्यक्ति यही कहेगा कि हमारी सरकार इन्वेस्टमेंट्स के बारे में उदासीन है। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट बताती हैं कि हमारी सरकार हमारे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में उदासीन है। करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमेंट है, उसकी निगरानी के लिये कलेक्टर के रेंक की आई. ए. एस. की पोस्ट है, वहां उन अधिकारियों को नियुक्त कर रखा है, यह गवर्नमेंट के, इन्वेस्टमेंट के इन्ट्रेस्ट के सेफ गार्ड का प्रश्न है, जिस पर मामूली आदमी एपॉइन्ट कर दिये जाते हैं। कभी मैनन साहब थे, पांच छः महीनों में उन्होंने इस विभाग का काम जाना तो कक्कड़ साहब को ले आये, तो इस उथल-पुथल में इन लोगों को मालूम नहीं पड़ता कि जो विभाग उन्हें सौंपा जा रहा है, उसमें उन्हें कितने दिन रखेंगे। मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि इस विभाग के बारे में, इस विभाग के अध्यक्ष महोदय को ज्ञान नहीं है। आज हम इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट करना चाहते हैं, इसमें इन्डस्ट्रियल टेक्नीक को देखना पड़ेगा। जिसमें ऐसी टेक्नीक नहीं वह क्या विकास करेगा? आज मन्त्री महोदयों के भाषणों से इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट, और इन्डस्ट्रियल टेक्नीक विकास नहीं कर सकेगी, राजस्थान का औद्योगीकरण नहीं हो सकता। वह तब तक नहीं होगा जब तक कि सारे डिपार्टमेंट की मशीनरी, सारे प्रान्त में बच्चे-बच्चे को यह जानकारी नहीं दे दे कि हम अपने प्रान्त का इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट इस तरह से कर सकते हैं। यह जानकारी देने का काम मंत्री महोदयों का नहीं, उनको जानकारी देने का मौका उद्घाटन करते समय होता है, पर इस तरह के उद्घाटन कम होते हैं और जो होते भी हैं वे जनता को जानकारी देने के लिये नहीं, और ही उद्देश्य से होते हैं। तो जो राजस्थान की इन्डस्ट्रीज़ के हैड हैं, उनके बारे में नहीं कह सकते कि वे अपने इस डिपार्टमेंट के काम में क्वालिफाइड हैं।

अब ट्रान्सपोर्ट विभाग को ले लीजिये। इसके अध्यक्ष हैं वहीदुल्ला खां ...

श्री भीखाभाई (उपमंत्री) : The Hon member has been repeatedly making personal aspersions against the officers by name. I think it is unparliamentary and I request the Chairman to interfere into it.

श्री अर्जुनदास : Little knowledge is a dangerous thing.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, कोई किसी को व्यक्तिगत रूप से कहने का मेरा मतलब नहीं है, व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में मैं यही कहूंगा वे ऑनेस्ट हैं और वे दूसरे कामों में क्वालिफाइड हो सकते हैं, पर जिस काम पर उनको लगाया गया है उस काम के बारे में कोई नॉलेज नहीं; यह व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, यदि मन्त्री महोदय जानना चाहें तो उनके बारे में भी मैं कह सकता हूं कि उनको जो काम सौंपा गया है उस बारे में वे खुद एक्सपर्ट नहीं हैं।

श्री अर्जुन दास : Is it also personal, Sir.

श्री भैरोंसिंह : (जारी) No, Sir. अब, अध्यक्ष महोदय, हम यह भी चाहते हैं कि

(श्री भैरोंसिंह)

हमारे प्रान्त में यातायात का प्रबन्ध बढ़े, मैं इन बातों में ज्यादा न जा कर इतना ही कहूंगा कि माननीय यातायात मंत्री स्वयं समझते होंगे कि उन्हें हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट की हैसियत से ट्रान्सपोर्ट के बारे में कितनी नॉलेज है और कितने प्रस्ताव यातायात के साधन बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार के सामने वे प्रस्तुत कर सकते हैं !

इसी तरह डाइरेक्टर ऑफ कन्सोलिडेशन हैं; मैं दो शब्द जरूर कहूंगा कि उन अधिकारी के प्रति मेरी पूर्ण श्रद्धा है और इसमें कोई शक नहीं कि हर प्रकार से वे ईमानदार अधिकारी हैं; पर यह कहना पड़ेगा कि उनको हमारी सरकार ने कोऑपरेटिव की ट्रेनिंग दिलाई थी, इसके लिये उनको विदेश में भेजा था, राजस्थान सरकार का काफी खर्चा हुआ उन्हें यह ट्रेनिंग दिलाने में। ज्यों ही ट्रेनिंग से वापिस आये, ६ महीने की ट्रेनिंग के कारण से कोऑपरेटिव में सुधार कर सकें इससे पहले ही उनका बांसवाड़ा ट्रान्सफर हो गया, इसके बाद दूसरी जगह ट्रान्सफर हुआ, इसके बाद नया डिपार्टमेंट उनको मिला डाइरेक्टर आफ कन्सोलिडेशन का कन्सोलिडेशन का कितना जटिल काम है ? पंजाब सरकार में १० वर्षों से कन्सोलिडेशन का काम चल रहा है, यू. पी. सरकार ने इसे अपने हाथ में ले रखा है, पर उनको इस कार्य में पूर्ण सफलता नहीं मिली है, उनकी जो कन्सोलिडेशन की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में क्यों नहीं कन्सोलिडेशन हो सका है, इसका कारण बताया है कि एक्सपीरियेन्स्ड अफसर उपलब्ध नहीं होते। दस वर्ष से जो स्कीम पंजाब जैसे प्रान्त में चली आ रही है और वहां पूर्ण सफलता नहीं मिली है, उसी स्कीम को हमारे यहां ट्रेस आउट करने के लिये, उस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिये नये व्यक्ति को उस विभाग का हैड बना दिया, जिसको लेकर हमें आगे काम करना है, कन्सोलिडेशन का काम करना है, फ्रेगमेन्टेशन को रोकना है, इसलिये निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि यदि पूरी नॉलेज नहीं हैं और ऐसे महत्वपूर्ण विभाग के ऐसे अध्यक्ष हों तो यह उचित नहीं होगा। मंत्री महोदय कह देंगे कि उनको यू. पी. और पंजाब में पन्द्रह-पन्द्रह २०-२० दिन के लिये ट्रेनिंग को भेजा है, तो मैं यह कहूंगा कि ऐसे पढ़े लिखे आदमी को यों ही कागज दे दिये जायं तो वह काम चला सकता है, इस प्रकार की भी ट्रेनिंग दी जाय तो वह भी किनको दी जाय, जिनके केवल दो साल सर्विस के बाकी हैं, जिनकी देख रेख में कन्सोलिडेशन डिपार्टमेंट को जमाया जा रहा है, उनके रिटायरमेंट में केवल दो वर्ष बाकी हैं, पहले खर्चा किया कोऑपरेटिव की ट्रेनिंग दिलाने के लिये, उससे कोई लाभ नहीं उठाया गया और अब कन्सोलिडेशन की ट्रेनिंग देकर खर्चा किया जा रहा है और दो साल बाद दूसरे को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ?

कोऑपरेटिव का अध्यक्ष सूद साहब को बनाया। यह सुना है कि आप नागौर में कलेक्टर थे। इन्होंने वहां सख्ती से वसूली की। नतीजा यह हुआ कि इनको रजिस्टार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाया। वे भी इसमें ट्रेन्ड नहीं कहे जा सकते। तो इस तरह सभी हैड्स ऑफ दी डिपार्टमेंट्स उस काम में ट्रेन्ड नहीं हैं जो काम उनको सौंपा गया है, एक-दो को छोड़ कर यह सब पर लागू होता है। तो इस तरह हमारे यहां का प्रशासन आगे बढ़ रहा है, यह कहा जाना संभव नहीं।

(श्री भैरोंसिंह)

अध्यक्ष महोदय, डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन को अब लीजिये। यह एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास है। मैं कह सकता हूं अध्यक्ष महोदय, कि मुख्य मंत्री महोदय चाहे मन्त्री मण्डल में सबसे कम पढ़े-लिखे हैं पर उनकी नॉलेज

(हंसी)

सबसे ज्यादा है, यह मैं अवश्य कहूंगा, मगर जहां शिक्षा का प्रश्न आता है तो ऐसी सूरत में उनको दो आदमी अच्छे रखने चाहिये। जहां स्वयं माननीय मंत्री महोदय इसके लिये एक्सपर्ट हो सकते हैं मगर उनको दो आदमी एक तो एज्युकेशन सेक्रेट्री, और दूसरा डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन अच्छा रखना चाहिये। लेकिन हमारे यहां राजस्थान में डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन को कलेक्टर के बराबर रखा है। एक कलेक्टर अपने जिले का सर्वेसर्वा होता है और सर्वोच्च अधिकारी होता है और अपने जिले की सुव्यवस्था के बारे में उसकी जबाबदारी रहती है, मगर डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन जैसे व्यक्ति के हाथ में आप चाहें तो समूचे राजस्थान का भाग्य सौंपा जा सकता है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि दूसरे विभाग के लिये ऐसा व्यक्ति हो सकता है, मगर शिक्षा विभाग इसके लिये उपयुक्त नहीं है। शिक्षा एक इस प्रकार का विषय है जिसके प्रसार के लिये यदि आप किसी क्वालीफाइड व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेंगे, तो आज जिस प्रकार शिक्षा का डिप्रेशन हुआ है उससे भी ज्यादा होगा। मैं यह नहीं कहता, कि उनको इसलिये लिया गया कि वे उदयपुर के हैं। सेक्रेट्री को इसलिये लिया गया कि दूसरों में कॉन्फीडेन्स नहीं होता, उदयपुर वालों में कोन्फीडेन्स हो। आप उदयपुर वालों को भी नियुक्त करें मगर जिन्हें आप नियुक्त करें वे योग्य होने चाहिये। दूसरी बातें, आपके सामने आगे प्रस्तुत करूंगा। अभी प्रश्न अधिकारी का था उसका नाम आया इसलिये मजबूर होकर कहना पड़ा।

अब सोशियल वेलफेअर को लीजिये। बहुत सुन्दर महकमा है। परसों भी इस पर बहस हुई थी और 'दा सा' इसके इन्चार्ज हैं।

एक माननीय सदस्य : 'दा सा' कौन हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह प्रेम का नाम है। हम श्रद्धा की दृष्टि से उनको दा साहब कहते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, 'दा साहब' उसके इन्चार्ज हैं, और मैं समझता हूं कि उनके द्वारा समाज कल्याण का कार्य ठीक प्रकार से होता है, उसकी सूचनाएं तो मिलती रही हैं, लेकिन अभी तक उनको कन्फर्म नहीं किया। जब कन्फर्मेशन हो जाएगा, उनको सदन के सामने सूचना के रूप में रख दूंगा। लेकिन हमको यह सोचना पड़ेगा कि उस विभाग के कौन हैं? उस विभाग के अध्यक्ष परमानन्दजी हैं जो आज तक एसिस्टेन्ट कमिश्नर जागीर थे और उससे पहले अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड में थे और भी कई जगह रहे होंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जिसके द्वारा हम बराबर लाखों रुपया इसके लिये खर्च करते हैं और हरिजनों के उत्थान के लिये सदन में कहते हैं उतना कार्य नहीं हो रहा है और न खर्च हो रहा है। जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव हैड को हरिजन एक्टीविटीज़ में समन्वय करने की भावना नहीं होगी तब तक यह कार्य नहीं हो सकता। केवल ट्रान्सफर करने से या किसी के सम्मान में किसी सेमीनार का आयोजन करने से इस विभाग की तरक्की, या हरिजनों का उद्धार नही हो सकता और यही कारण है

(श्री भैरोंसिंह)

कि जिन लोगों को उन्नति करनी चाहिये थी, नहीं हुई और हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी दबे हुए शब्दों में यह स्वीकार किया था कि जो बातें हम हरिजनों के सर्विस के रूप में, उनके उत्थान के रूप में देना चाहते थे, वह नहीं दे सके। उन्होंने अपनी इनएफिशियेन्सी को स्वीकार किया है, और इसका मोटा कारण यही है कि हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट की तरफ से उनको कोई सूचना नहीं मिली होगी कि कितने लोगों ने दरख्वास्ते दी हैं, और पी. एस. सी. के सामने नहीं पहुंची होगी या उनकी दरख्वास्तों का क्या हुआ ? मैं उनकी रेस्पोन्सिबलीटी के बारे में कुछ नहीं कहता। मैं यह कहूंगा कि इस विभाग के लिये किस योग्यता की आवश्यकता है और आवश्यकता है या नहीं ? यह भी कहा जा सकता है कि इसके लिये आर ए.एस. या आई.ए.एस. की क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, आइ. ए. एस. की किस प्रकार की क्वालीफिकेशन्स हैं, यह आप बतावेंगे ?

अब चीफ पंचायत ऑफिसर का प्रश्न आता है। पहले जो चीफ पंचायत ऑफिसर था उसको हटा दिया गया। उनको पंचायतों का अच्छा अनुभव था, और पंचायतों को एस्टेब्लिश करने में बहुत प्रचुरता दिखाई, हालांकि उस संबध में कई शिकायतें आई। मगर पंचायतों में जिस प्रकार का कार्य होना चाहिये और जिस प्रकार की सतर्कता लानी चाहिये नहीं आ सकी, जिस प्रकार की सर्विसेज़ लानी चाहिये थी नहीं आ सकीं। शिकायतों की बात किसी तरह सही थी और राज्य सरकार ने इसकी जांच की, और मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने उनको दूसरी जगह बदलना आवश्यक समझा होगा इसलिये उनको बदल दिया और उनकी जगह रेवेन्यु बोर्ड के रजिस्ट्रार को चीफ पंचायत ऑफिसर बनाया। मैं यह कहूंगा कि जहां तक पंचायतों या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपेलिटीज़ का काम है यह एक अलग तरह का काम है और इसके बारे में ट्रेनिंग की विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके बारे में एक्सपीरियेन्स की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़ हर ६ महीनों के बाद बदलते हैं और माननीय मंत्री महोदय की निगाहों में आ जाते हैं। डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ एक प्रकार का स्टेपिंग स्टोन है। यदि आप इन पांच वर्षों में देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जितने परिवर्तन इस जिम्मेदार जगह में हुए हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं हुए होंगे। जो पहले चीफ पंचायत ऑफिसर थे उनकी शिकायतें थी। शिकायतों की जांच किस ढंग से हुई, यह नहीं कहा जा सकता लेकिन उनकी जगह रेवेन्यु बोर्ड के रजिस्ट्रार को पंचायत विभाग दे दिया जिसको कभी इस विभाग में काम करने का मौका नहीं आया ? ऐसी स्थिति में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या भाग्य होगा कह नहीं सकता ?

अब आते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की तरफ। यह एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके बारे में यदि कोई आलोचना करे तो उसकी शामत आ जावे। अध्यक्ष महोदय, यह जन-संपर्क विभाग कहाता है और हमारे यहां जन-संपर्क अधिकारी किस प्रकार का होना चाहिये उसके लिये मैं अपनी राज्य सरकार की मजबूरी को महसूस करता हूं। अध्यक्ष महोदय, पुराने राजा-महाराजाओं के समय में जब तक उनकी कोई तारीफ नहीं करता, उनके गुणगान नहीं करता, उनके पक्ष में दोहे, छन्द या कविता नहीं सुनाता या उनके सामने नहीं रखता जिसमें उनकी तारीफ हो तो वे खुश नहीं होते थे,

(श्री भैरोंसिंह)

और कइयों की तो ऐसी आदत हो गई थी कि बगैर इनके उसको खाना भी नहीं भाता था । जब तक उनकी कोई तारीफ नहीं करता, या उनको कोई उनकी तारीफ के छन्द या कविता नहीं सुनाता वे खाना नहीं खाते थे । लेकिन मैं यह कहूंगा और समझता हूं कि हमें आज के प्रगतिशिल युग में उनकी आलोचना करनी चाहिये । इससे हमको इस प्रगतिशील युग में प्रेरणा लेनी चाहिये कि काम तो कुछ लोग ऐसा ही करते हैं और उस काम से भी ज्यादा, लेकिन उसका ढंग बदला हुआ है, उसका नाम आज के युग में बदल गया है और उसका नाम पब्लिक रिलेशन ऑफिस रखा गया है । काम तो वही है जो राजा-महाराजाओं के समय चारण और भाट करते थे, मगर नाम का फर्क है, काम वैसा का वैसा ही है; लेकिन छाप यह लगती है कि वे जनता से संपर्क बनाते हैं । लेकिन उस समय वह काम केवल चारण और भाट ही करते थे, दूसरा नहीं कर सकता था । लेकिन इस समय चारण और भाटों का काम कोई भी कर सकता है । उस समय चारण और भाटों के काम के लिये कोई रसोइया नहीं लिया जाता था, वह काम चारण ही कर सकता था और चारण ही उसके लिये मिलता था । लेकिन आज—कल कोई भी व्यक्ति जो हां में हां करता है, कर सकता है; चाहे वह उस काम को जाने, या न जाने, दूसरे ही छन्द की या दोहों की रचना करे और वे अपने नाम की छाप लगा कर पुरस्कार प्राप्त करने की कोशीश करते हैं । इस विभाग में भी अजमेर के इन्ट्रीग्रेशन के बाद स्टेटस रिआर्गेनाइज़ेशन एक्ट के मातहत सारी सर्विसेज़ को प्रोविज़नल बेसिस पर लेते तो इससे बचने के लिये अजमेर के इन्टीग्रेशन के बाद सर्विसेज़ का एकीकरण किस प्रकार से करे और अब तक यह काम समाप्त नहीं होता । लेकिन हमारे डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन ऑफिस को किसी कारण से इस विभाग में कन्फर्म कर दिया, उसके पूरे कारनामें आगे प्रस्तुत करना चाहूंगा ।

अब मैं जिस विभाग को लेना चाहता हूं वह देवस्थान विभाग है । अध्यक्ष महोदय, देवस्थान विभाग के लिये ऐसे ही व्यक्ति होने चाहिये जिस प्रकार के व्यक्ति आज देवस्थान में हैं । क्या करना चाहिये राज्य-सेवाओं में वे अच्छी तरह जानते हैं । वे इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिससे मंदिरों को हानि हो रही है, उसकी चिन्ता नहीं करते, फिज़िकल वेरिफिकेशन उनके विभाग में नहीं होता है; रिखबदेवजी के मंदिर में दो लाख का गबन हो जाता है, उसकी इन्क्वायरी नहीं होती है; फिर भी कोई बात नहीं है ! दूसरे मंदिरों से जो रकम लोगों को उधार दी जाती है उसकी वसूली नहीं हो, उसकी चिन्ता उनको नहीं । समझ में नहीं आता कि या तो सरकार करती नहीं या वे सरकार को कह नहीं सकते कि मैं इसको करने के लिये तैयार नहीं हूं । हमारी सरकार उनसे राजी और सरकार से वे राज़ी । काम हो या न हो, लेकिन दोनों का काम चलता रहता है । अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले रिखबदेवजी के मंदिर में पुजारी को सामान संभालना था । कोई रजिस्टर नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति के पास चार्ज था और धीरे धीरे जेवरात और दूसरी चीजें आदि गायब होती जा रही थी । राज्य सरकार के व्यक्तियों ने कोशिश की और यह आदेश दिया कि इस विभाग से दूसरा आदमी जाकर चार्ज ले ।

लेकिन यह कहीं सुनने को नहीं मिला होगा, अध्यक्ष महोदय, कि जो व्यक्ति

(श्री भैरोंसिंह)

लाखों रुपयों का सामान गायब कर दें, वह कहें कि मैं चार्ज नहीं दूंगा। दो महीने तक चार्ज नहीं दिया गया और इसीलिए नहीं दिया गया, कि जो कमी हुई है वह किसी दिन पूरी की जाय, उसने उस कमी को पूरी की या नहीं. लेकिन दो लाख का गबन उस मंदिर से हुआ। उसकी जानकारी कौन करे, कौन उसकी इत्तला दे ? यह होने के बाद राजस्थान सरकार को सूचना मिलती है एक वर्ष बाद और एक वर्ष के बाद सूचना मिलने पर भी अभी तक राजस्थान की सरकार ने इन्क्वायरी कम्प्लीट नहीं की है कि किस व्यक्ति की गफ़लत के कारण इस मंदिर में दो लाख का गबन हुआ, घाटा हुआ। लेकिन देवस्थान विभाग के अध्यक्ष, देवता के रूप में हैं, अच्छे, हैं। कोई कुछ खाओ पीओ उनको कोई परवाह नहीं। वे एक व्यक्ति के तौर पर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव केपेसिटी उनमें होनी चाहिए वह नहीं है और मैं समझता हूं कि उनमें एक जबरदस्त कमी है और उसका असर देवस्थान विभाग पर और राजस्थान पर पड़ता है। यह कहना पड़ेगा कि जो क्वालिफिकेशन एक विभागाध्यक्ष में होनी चाहिए वह क्वालिफिकेशन उनमें नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी कहा करते हैं कि सदन में जो आलोचना होती है वह व्यक्तिगत आलोचना होती है और रीति-नीति के बारे में कुछ कहा नहीं जाता, मैं भी मानता हूं। रीति—नीति के बारे में अव्वल तो सदन में चर्चा करने का और गम्भीरतापूर्वक विचार करने का जब कभी मौका आता है तो वह या तो बजट सेशन में आता है और दूसरा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद देने के मौके पर और उसी वक्त रीति-नीति की भी आलोचना करनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार के कारनामे सरकार के होते हैं कि उनका उस रीति-नीति की ओर से ध्यान हटा कर उन कारनामों की रोकथाम कराना आवश्यक हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि हमारी सरकार की कोई रीति-नीति ही नहीं है। मुख्य मंत्रीजी नाराज होंगे और कहेंगे कि कोई सरकार बिना रीति-नीति के चल नहीं सकती है। मैं भी मानता हूं कि बिना रीति-नीति के कोई सरकार चल नहीं सकती। लेकिन कौनसी रीति-नीति है, जिस के जरीये से राजस्थान सरकार को कन्स्ट्रक्टिव सुझाव दे सकें। राजस्थान की कोई इन्डस्ट्रियल पोलिसी नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रान्त का इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, हम चाहते हैं कि इन्डस्ट्रियल डेवलपमन्ट से हमारे राजस्थान में जितनी अनएम्प्लोयमेंट की समस्या है, उसको दूर करें, किस रीति-नीति से इस समस्या को दूर करें। चाहे दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में हमारी सरकार स्टेटिस्टिक्स कैसे ही तैयार करे, अमुक प्रान्त में अमुक कमी थी लेकिन हमने इतना पूरा किया, चाहे स्टेटिस्टिक्स के रूप में तैयार करें, और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने पिछले वक्त बताया था और पर-केपिटा बेसिस पर डिस्ट्रिक्ट के आंकड़े प्रस्तुत किये थे। अध्यक्ष महोदय, इस परकेपिटा के पीछे रहस्य क्या है, वह मैं आगे बताने वाला हूं। लेकिन प्रश्न आता है, अध्यक्ष महोदय, जिस राजस्थान प्रान्त का इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट करना चाहते हैं, उस सम्बन्ध में कोई पॉलिसी नहीं बनायी और इसीलिए अध्यक्ष महोदय, क्या हो रहा है कि राजस्थान में इन्डस्ट्रियल डवलप्मेन्ट करने के लिए इन्डस्ट्रियलिस्ट्स

(श्री भैरोंसिंह)

आगे आना चाहते हैं, वे इन कानूनों के अभाव में, सरकार की नीति के अभाव में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। किसी व्यक्ति को कभी लोन मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता और जिसको लोन मिल जाता है वह उस लोन को अपने घर के काम में उपयोग करता है, और उसका उपयोग इन्डस्ट्री में नहीं होता। कानून के अभाव का फायदा उठा कर मनमाने ढंग से जो पॉलिसी अपना रखी है, उस राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह इन्डस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा करे। अभी अभी सुना है कि ३० लाख का लॉन दिया जाने वाला है और वह लाने इस बेसिस पर दिया जाने वाला है कि हमारे प्रान्त में २५ हजार स्पिण्डल लगाये जावेंगे। कौन लगावेगा अध्यक्ष महोदय इसके लिये हमारी राज्य सरकार के और इन्डस्ट्रियलिस्ट के बीच में बातचीत चल रही है। उनको ३० लाख रुपये का लोन दिये जाने की बातचीत की है और उससे वे २५ हजार स्पिण्डल यहां लगाना चाहते हैं। नये नहीं खोलेंगे, अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब भी उनकी कानपुर में मिल है, वहां से लाकर राजस्थान में लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी सूरत में शंका होती कि हमने अभी उनको कोई लोन दिया नहीं है, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन दी है, उसमें ३० लाख रुपयों का लोन मांगा है, २५ हजार स्पिन्डल लाने पर। भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन के द्वारा २५ हजार की संख्या को कम करके १६ हजार स्पिन्डल्स ही कर दिये हैं। लोन की जो मात्रा है, वह ३० लाख से कम हो कर उसी प्रोपोर्शन से कम होनी चाहिए थी। लेकिन मैंने सुना है कि राजस्थान सरकार ने ३० लाख के लोन में से कम न करके, जो कि ओटोमेटिक ही कम होने चाहिए थे, उनको कम न करके पूरा का पूरा लोन स्वीकार करने का निर्णय कर लिया है। अभी मिला है या नहीं लेकिन लोन प्राप्त करने के लिए वे काफी प्रयत्नशील हैं। इस प्रकार से कोई आदमी इन्वेस्टमेन्ट नहीं करता है और वह पुराने स्पिन्डल राजस्थान में लाकर लगाये, और उस पर ३० लाख रुपया लोन लेना चाहे, तो लोन किस प्रकार सेफ रहेगा, जब कि उस पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। कुछ शेयर्स हैं उसी पर सिक्योरिटी मानी जाकर, ३० लाख का लोन देने की व्यवस्था की जा रही है। ये हैं अपने यहां के प्रसिद्ध उद्योगपति जयपुरिया जी। इसलिए राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा, कि लोन देने के सम्बन्ध में उसकी कोई नीति होनी चाहिए। अभी अभी मालूम हुआ है कि सवाई माधोपुर की सिमेन्ट फेक्टरी को ६० लाख रुपया दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आशा यह थी कि ६० लाख रुपयों को देकर उद्योगपतियों में विश्वास जाग्रत होगा, लेकिन ज्योंहि ६० लाख रुपये दिये, उनका विश्वास नहीं बल्कि ६० लाख रुपये भारत सरकार की बिना एप्रूवल के दिये, भारत सरकार ने ६० लाख की उनको स्वीकृति नहीं दी, उसके पहले ही सरकार ने तकाजा करके लोन दिया। अभी अभी कुछ दिनों पहले अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग कमिशन ने और कन्ट्रोलर ऑफ लोन्स ने कहा कि हमारी स्वीकृति से नहीं दिये गये और राजस्थान सरकार को हम से देने के पहले पूछ लेना चाहिए था। इस प्रकार की चीजों में जिनको अधिक जानकारी होती है उनसे पूरी जानकारी लेने के पश्चात् ही राज्य सरकार को चाहिए था कि लोन के विषय में अन्तिम निर्णय लेती, वह भी नही हुआ। जयपुर के स्पिनिंग और

Page No.50

(श्री भैरोंसिंह)

वीविंग मिल्स में राजस्थान सरकार के काफी शेयर्स हैं। आज उनकी कीमतें कितनी गिर गई है, इसको देखने का न तो कोई विशेष प्रबन्ध है और उस प्रबन्ध के विषय में आज आवश्यकता थी कि उनके आंकड़े देखते। १३ साल से यह डिविडेन्ड नहीं दे रही है, उसकी जांच कमेटी बैठा कर, जांच कराके जो कमियां हैं उनको दूर करने की कार्यवाही करते और साथ ही साथ इसकी लिक्विडेशन की भी कार्यवाही करते। मुझे अफसोस होता है अध्यक्ष महोदय, कि मुख्य मंत्री जी ने जहां संकोच किया, वहां हमारे राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने कड़ा कदम उठाने की चेष्टा की और उन्होंने इन्क्वायरी कमेटी भी कायम कर दी। लेकिन कुछ दिनों बाद राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को सूचित किया, कि इस प्रकार की कमेटी अपॉइन्ट करने की आपकी क्या प्रोप्राइटी है ? और उनकी जब प्रोप्राइटी नहीं थी, तो वैसी हालत में जब मुख्य सचिव यह चाहते थे कि इस संबंध में जांच कमेटी बिटाई जाय, तो उसमें हमारे मुख्य मंत्री को क्यों आपत्ति होनी चाहिए, उनके द्वारा कमेटी की नियुक्ति केवल जांच तक ही सीमित थी, किसी पर एक्शन लेने से तो उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। अगर जांच होती तो राज्य सरकार के सामने कुछ आंकड़े आते और उस पर राज्य सरकार अपनी राय बनाती, और राज्य सरकार उस स्थिति के अनुसार अपने सिद्धान्त तय करती। राज्य सरकार की ओर से उलटा उनकी प्रोप्राइटी को क्वेश्चन किया गया और जो इन्क्वायरी कमेटी की मुख्य सचिव की तज़वीज़ थी उसको नामन्जूर कर दिया गया।

मान इन्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन का क्या हाल है, यह किसी से छिपा नहीं है। राज्य सरकार को उससे क्या लाभ होता है, राज्य सरकार के शेयर्स सेफ हैं या नहीं, इस बारे में हमारी राज्य सरकार अच्छी तरह से परिचित है, इस प्रकार के इन्वेस्टमेन्ट जो होते हैं उनमें सरकार का रुपया किस प्रकार से सुरक्षित हो सकता है इसके लिए हमारी राज्य सरकार के पास कौनसी मशीनरी है, किस प्रकार अपने हाथ पांव बचा कर सरकार का रुपया सुरक्षित किया जा सकता है, इस बारे में दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इन सब बातों के अन्दर राज्य सरकार की कोई औद्योगिक पॉलिसी नहीं है।

राज्य में खेती की उपज बढ़नी चाहिए हमारी सिंचाई योजनाओं के कारण माइन और मेजर इर्रीगेशन के कारण और जगह जगह नहरें, कूए और बान्ध बन जाने के कारण राज्य में उपज बढ़ेगी। यह मैं मान सकता हूं लेकिन जिस प्रकार से हमारे यहां इर्रीगेशन स्कीम्स चल रही हैं उस अनुपात से हमें विचार करना होगा। अगर राजस्थान में अनाज की पैदावार बढ़ती है तो हमें यह भी देखना होगा कि भावों में किस प्रकार का हाल होगा। भाव बढ़ेंगे तो काश्तकारों को नुकसान होगा तो नुकसान से बचने के लिए काश्तकार और कोई उपाय सोचेगा, वह सोचेगा कि अनाज के पैदा करने से कम आमदनी होती है, तो वह ऐसी क्रॉप्स पैदा करने की सोचेगा जिससे ज्यादा लाभ हो सके। प्रश्न यह आता है जो गेहूं की पैदावार करते हैं, जौ की पैदावार करते हैं, बाजरे की पैदावार करते हैं, जो जन साधारण के काम आने वाली चीजें हैं, उनसे जब किसान को नुकसान होवेगा तो काश्तकार यह कोशिश करेगा कि ऐसी क्रॉप्स पैदा की जाय जिसमे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। अगर कपास की पैदावार की जाती है, सरसों पैदा

(श्री भैरोंसिंह)

की जाती है, दालें बोयी जाती हैं और भी कई प्रकार की चीजें बोयी जाती हैं तो उनका कन्ज़म्शन क्या होगा। यहां से सारा कपास इकट्ठा होकर जहां इसकी मिलें हैं, वहां भेज दिया जायगा, उसमें होगा क्या कि मामूली सा पैसा काश्तकार को मिल जायगा और वही केवल उसका लाभ होगा। जो पैदा करके उन्होंने जिस एजेन्सीज़ को दिया, वह काश्तकार को उसके श्रम के कुछ पैसे दे देगा, लेकिन सही कीमत उसको वह नहीं मिल पायगी। जिस प्रकार गन्ने की पैदावार यहां करते हैं, उसके लिये शुगर फेक्टरी है, वहां क्या होता है कि हाथों हाथ गन्ना बिक जाता है और ठीक पैसे काश्तकार को मिल जाते है। गन्ने को क्रश करने की एक मिल श्री गंगानगर में है, केवल इस एक मिल से हम अपने राजस्थान के गन्ने की समस्या को हल नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, जहां हम इस प्रकार की मिलें खोलें, वहां हमें छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज़ को भी डवलप करना होगा। जितने भी काश्तकार कॉमर्शियल क्रॉप पैदा करेंगे, वे अपने श्रम का पूरा लाभ उठाना चाहेंगे उन लोगों के लिये मार्केट फेसिलिटीज़ प्रोवाइड़ करनी पड़ेगी।

गन्ने के संबन्ध में हमारे यहां फेक्ट्रीज़ हैं, कपास और दालों के लिये हमारे यहां कोई फेक्ट्री नहीं, तेल के लिये कोई मिल नहीं। मूंगफली का तेल निकालने के लिये यहां कोई फेक्ट्री नहीं, उसका खलिहान किस प्रकार से होता है, उसके तेल को किस प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इनको हम धीरे-धीरे डवलप करें तो हम मान सकते हैं कि हमारी राज्य सरकार की कोई इन्डस्ट्रियल पोलिसी है। लेकिन इस प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं, वैसी हालत में हम कैसे मान सकते हैं, हमारे काश्तकार लाभ की आशा कर सकते हैं। खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार की कोई इन्डस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है।

मैंने अभी अभी जैसा कि जिक्र किया, एक ओर इन्डस्ट्रियल पॉलिसी नहीं, दूसरी ओर मैं यह भी कह सकता हूं, कि हमारी राज्य सरकार की कोई एज्युकेशनल पॉलिसी भी नहीं है। हमारा राजस्थान सरकार का एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट हमारे प्रान्त के सब से बड़े आदमी, सबसे योग्य व्यक्ति कांग्रेस की दृष्टि से हैं, ऐसे व्यक्ति के हाथ में हमारा एज्युकेशन डिपार्टन्मेट है। मैं यह भी चाहता हूं कि हमारा एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट मुख्य मंत्री के पास न होकर के किसी दूसरे एज्युकेशनिस्ट के पास होता, हो सकता है उनके पास फ़ुरसत न हो और ये ही इसके लिये ज्यादा समय दे सकते हों, इसी के कारण हमारा शिक्षा का स्तर है वह सुधरा नहीं है। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं, कि राजस्थान की स्कूलों के अन्दर जिस करप्शन का नामो निशान नहीं था, जहां विद्यार्थी स्वच्छन्दता से पढ़ रहे थे और ईमानदारी से इम्तिहान में बैठने और ईमानदारी से नम्बर हासिल करके पास होते, आज उस शिक्षा के अन्दर आप देखें प्राइमरी स्कूल से लेकर कालेज की शिक्षा तक चले जाइये, तो आप देखेंगे कि यदि लड़के को पास होना हो, तो, या तो उसको ट्यूशन लेना होगा, या दूसरे ढंग से रिश्वतें देनी होगी। प्राइमरी स्कूलों में जाते हैं तो हम देखते है, एक एक अध्यापक के पास बीस बीस ट्यूशन्स हैं जो अध्यापक दस बजे से लेकर चार बजे तक तो स्कूल में पढ़ाता है और फिर २० ट्युशन कर लेता है, एक

(श्री भैरोंसिंह)

बड़े सोच विचार की बात है। उन लड़के से किसी से तो १० रुपया, किसी से पन्द्रह और किसी से बीस रुपये तक माहवार ट्यूशन के लिये जाते हैं। उन लड़कों ने साल भर चाहे कोई पढ़ाई न की हो, लेकिन अगर मास्टर की एक महिने की ट्यूशन कर ली, तो वह पास होजाता है। जिस एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट के अन्दर करप्शन का नामोनिशान नहीं था आज यह डिपार्टमेन्ट भी दूसरे डिपार्टमेन्ट में होने वाले करप्शन से मुकाबला करने पर तुला हुआ है। सरकार ने नियम बना रखा है कि एक अध्यापक दो ट्यूशन्स से ज्यादा नहीं कर सकता अगर करता है तो उसे इजाजत लेनी पड़ती है। असिस्टेन्ट टीचर अगर ट्यूशन करना चाहता है, तो उसे हैडमास्टर से पर्मिशन लेनी पड़ती है और अगर हैडमास्टर ट्युशन करना चाहता है तो उसे इन्सपेक्टर की परमिशन लेनी पड़ती है। इस प्रकार की इजाजत लेते हैं या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता, प्राइवेट रूप में अध्यक्ष महोदय, यदि हमारे मुख्य मंत्री जाकर किसी स्कूल में इन्सपेक्शन करें, तो उनको पता चल सकता है कि एक अध्यापक के पास कितने कितने ट्यूशन आते हैं। आजकल ट्यूशन्स का सीजन है, लड़कों से मालूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लड़के एक अध्यापक के पास पढ़ते हैं। जिस विभाग में करप्शन नहीं था, उसमें भी आज करप्शन आगया है। यह शिक्षा का विभाग ऐसा विभाग है जिसमें लड़कों का चरित्र निर्माण होता है, उसमें भी अगर करप्शन आ जाय तो अध्यक्ष महोदय, ऐसे राज्य का आगे क्या हाल होगा, यह ईश्वर ही जाने !

जब अध्यापकों को इस बारे में कहा जाता है, तो अध्यापक केवल यह जवाब देते हैं अध्यक्ष महोदय कि यह तो हमारा साइड बिजीनेस है। एज्युकेशन डिपार्टमेंट में काम करना तो हमारा साइड बिजनेस है, दूसरे डिपार्टमेंट में जगह मिलते ही हम इस जगह को छोड़ चले जायेंगे, यह उनका ध्येय सामने आता है। जो व्यक्ति किसी दूसरी पोस्ट के सिलेक्शन में नहीं आ सकते या जिनको दूसरे पोस्ट के योग्य नहीं माना जाता, या जो दूसरे डिपार्टमेंट्स द्वारा रिजेक्ट कर दिये जाते हैं, वे लोग इस शिक्षा विभाग में आते हैं, अध्यापक या हैडमास्टर या कालेज के लेक्चरार बनते हैं, लेकिन वे भी दूसरे डिपार्टमेंटस में जाने की कोशिश करते हैं। कई मायने में अध्यापकों की दलील भी सही है, आखिर उनको तनख्वा क्या मिलती है, तनख्वा कुछ नहीं। जयपुर के रहने वाले किसी अध्यापक को आप बैराट में लगा देते हैं और उसको पचास रुपये माहवार वेतन देते हैं तो क्या आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह जयपुर में बैठे हुए अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। इसलिये मजबूर होकर उन्हें इस प्रकार का काम करना पड़ता है। यह मजबूरी अच्छी है लेकिन हमारी राज्य सरकार इस पर विचार करना नही चाहती कि जिन शिक्षकों के हाथ में हम अपने नवयुवकों का भाग्य निर्माण का भार सौंप रहें हैं, जिनके हाथों में बालकों के चरित्र निर्माण का भार सौंप रहे हैं, वे शिक्षक हैं कैसे और वे किस प्रकार के व्यक्ति होने चाहिये। अगर एक व्यक्ति को इतनी तनख्वा नहीं मिलती है कि वह अपना पेट पूरी तरह से भर सके तो वह छात्रों से इस प्रकार से रिश्वत लेता है, तो उसे नाजायज तो कही जायगी किन्तु पेट पापी है अगर वह अपने पेट के लिये ऐसा करता है तो कोई अन्याय नहीं कहा जा सकता। लेकिन

(श्री भैरोंसिंह)

अनैतिकता का काम जरूर है, जहां इसके दोष का भागी है उससे कम मात्रा में हमारी राज्य सरकार भी कम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर सन् ४७ में जे० टी० सी० और पी० टी० सी ट्रेन्ड अध्यापकों का अपॉइन्टमेंट किया था, लेकिन आजतक उन लोगों को उनके एरियर्स नहीं मिले, उनका फिक्सेशन नहीं हुआ। कभी वे बेचारे जयपुर में आ कर बैठते हैं और अध्यापकों का सम्मेलन करते हैं और उस सम्मेलन में प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार को भेजते हैं लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता और फिर ऐसे अनैतिकता के काम करने पड़ते हैं। अगर हमारे बालकों को भारत के उदीयमान व्यक्तियों में लाना चाहते हैं, उनको ऐसे लोग बनाना चाहते हैं जो बड़े होकर हमारे समाज के नैतिक धरातल को ऊपर उठावें, तो हमें इस बात की ओर ध्यान देना होगा, हमारे अध्यापकों के पेट की भूख को मिटाना होगा और जब तक उनके पेट की पूर्ति नहीं होती तो उनका नैतिक उत्थान भी नहीं हो सकता।

अब प्रश्न आगे आता है नेशनेलाइजेशन आफ टेक्स्ट बुक्स का। यह भी एक जबर्दस्त स्केन्डल है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की चीज को स्केन्डल कहा जावे, यह मेरे लिये भी शोभा की बात नहीं हो सकती। पर मजबूरी है। मजबूर होकर मुझे इसको एक स्केन्डलस पॉलिसी कहना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इस नेशनलाइज़ेशन की पॉलिसी के इन्स और आउटस में जाने के बाद और इस नीति सम्बन्धी विवेचना करने के बाद में व्यक्तिगत रूप से नहीं, पर दल की ओर से इस पॉलिसी का विरोधी हूं। मैं समझता हूं कि सरकार ने भी जो इस प्रकार की पॉलिसी अख्तियार की है, उसके द्वारा उसने कुछ अनुभव किये होंगे, कि इसको एग्ज़ीक्यूट करने में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है पर पॉलिसी स्वयं में शुद्ध है, और सही है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ हम प्रजातन्त्र की बात करते हैं, प्रजातन्त्र को, डेमोक्रेसी को डवलप करना चाहते हैं, प्रजातान्त्रिक एडमिनिस्ट्रेशन को डवलप करना चाहते हैं और जब एक तरफ ये बातें करते हैं तो वहां दूसरी तरफ हमें यह भी विचार करना पड़ेगा कि लोगों के अन्दर जो एक शिक्षा का माध्यम है, जो एक शिक्षा का तरीका है और जो शिक्षा हम लोगों को दे रहे हैं, वह किस प्रकार की है और इसके लिये हम यदि उसको भी किसी तरह से रेजीमेंट करना चाहें, अपनी विचारधारा को रेजीमेंन्ट्स करना चाहें एक रूप में मानना चाहें तो मुझे मजबूर होकर यह कहना पड़ेगा कि इस प्रकार की पॉलिसी विद्यार्थियों के लिये लाभदायक नहीं हो सकती। पर यह स्केन्डल आज से शुरू नहीं हुआ। इससे पहले राजस्थान सरकार टेक्स्ट बुक्स का सिलेक्शन करती थी, तब से ही यह चालू है। इस सिलेक्शन को लेकर भी कई बार इस सदन में चर्चा हुई है और इस प्रसंग में यहां हुई बहस की एक मोटी किताब सी बन गई है। पर मैं उन बातों को आज यहां दोहराना नहीं चाहता।

टेक्स्ट बुक्स के सिलसिले में, उसके सिलेक्शन में परेशानियां आई, सरकार के सामने उनसे बचने के लिये, जहां तक मैं समझता हूं, सरकार ने आज इस नेशनेलाइजेशन की पॉलिसी को स्वीकार किया है। पर इसमें भी हमारे सामने इस प्रकार की गड़बड़ियां आई हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के छात्रों को बिना पैसे स्कूलों में प्रवेश नहीं, बिना पैसे वे पढ़ नहीं सकते, अध्यापक

(श्री भैरोंसिंह)

बिना पैसे पढ़ा नहीं सकते और अगर पढ़ावें तो किताबें नहीं। राजस्थान ही एक इस प्रकार का राज्य होगा कि जहां जुलाई में स्कूलें खुलें, जुलाई में लड़कों का एडमिशन हो, पर तब तक राजस्थान सरकार उनको नेशनेलाइज़ की हुई टेक्स्ट बुकें प्रोवाइड नहीं कर सकी। मैं समझता हूं यह मेरा प्रश्न नहीं, मेरे सगे सम्बन्धियों का प्रश्न नहीं, या इस सदन में बैठने वाले सदस्यों के बच्चों का ही प्रश्न नहीं, पर समूचे राजस्थान भर के बच्चों का प्रश्न है और इसके लिये राजस्थान सरकार कहती है क्या हुआ, देर से मिली तो। जुलाई में किताबें नहीं मिली बच्चों को, तो राजस्थान सरकार सक्युलर निकालती है। उसके द्वारा अध्यापकों को आदेश देती है कि किताबें नहीं आ रही हैं, किताबों के छपने में देरी हो रही है, इसलिये बहकाते रहो लड़कों को। (हंसी) बहकाने का काम आसान नहीं। पर अध्यापक एक्सपर्ट बनते हैं लड़कों को बहकाने के काम में भी। (हंसी) एक ने कहा कि अगस्त में आ रही हैं, दूसरे ने कहा प्रेस में किताबें छप रही हैं, मैं देखकर आया हूं, तीसरे ने कहा बुक बाइन्ड हो रही हैं, चौथा कहता है पार्सल आने वाली ही है। इस तरह कह कर नवम्बर तक बच्चों को पहुंचा दिया। पर चाहिये तो किताबें थीं, इस बहकाने से क्या हुआ? पर किताबें मिली नहीं। राजस्थान सरकार ने पिछले अधिवेशन में देखा कि किताबों के प्रसंग को लेकर झगड़ा होगा, उसने मेम्बरों को किताबें तकसीम कराई। पर वह भी पूरी नहीं। (हंसी) पर आज सरकार से पूछूं, आखिर आपका यह शिक्षा विभाग करता क्या है? इसकी ड्युटी क्या है? यह राष्ट्रीयकरण बोर्ड क्या करता है? इसका काम क्या है? स्पेशल अलाउन्स लेना ही काम नहीं है। टेबुलों पर बैठकर सरकार की नीतियों के सम्बन्ध में कागज लिखने का ही काम नहीं है। पर व्यवस्था यह होनी चाहिये थी कि हमारी राज्य सरकार हमारा यह शिक्षा विभाग, हमारा यह पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीयकरण बोर्ड पुस्तकों का प्रबन्ध करता। जहां जुलाई में सैशन प्रारम्भ होता है सरकार का यह कर्तव्य था कि तभी प्रत्येक बच्चे के पास किताबें पहुंचे, पर आज तक नहीं पहुंची। शक हमारा बढ़ता है। आप कहते हैं अब हमने छपवा दी, पर लड़कों को जाकर आप पूछें तो सही कि किताबें किनको मिली, किनको नहीं? और उनकी जगह उनको मिलता क्या हैं। नोट्स मिलते है। नोट्स में और कुछ नहीं ऊपर तो वह का वह पूरा लैसन, जो उस टेकस्ट बुक में है और नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। अब उनको फोर्ज्ड टेक्स्ट बुक्स भी मान सकते हैं। सरकार की जो टेक्स्ट बुक की राष्ट्रीयकरण की पॉलिसी है, उसका फेल्योर भी मान सकते हैं। एक रूप में फरजी टेक्स्ट बुक मानकर लड़कों के अन्दर नीचे के स्तर की शिक्षा का काम भी मान सकते हैं। लड़कों के पास किताबें नहीं, टेक्स्ट बुक्स नहीं पर नोट्स मौजूद हैं जो टेक्स्ट बुक्स की नकल मात्र हैं। राजस्थान सरकार इसे चाहे अपनी नीति का सुफल समझे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन की एफीशियेन्सी समझे, किसी प्रकार का कोई काम समझे, पर राजस्थान की जनता यह कहे बिना नहीं रह सकती कि सुखाड़िया के शिक्षा मन्त्रित्व काल में राजस्थान के स्कूलों के बच्चों को जुलाई से नवम्बर तक बिना किताबों के रहना पड़ा और अध्यापकों को उन्हें बहकाते रहना पड़ा। (हंसी) तो अध्यक्ष महोदय, यह इस प्रकार का प्रसंग नहीं है जिसको मजाक में टाला जा सके, यह उस प्रकार का प्रसंग नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

है जिसको गम्भीरता से विचार न करें। एक तरफ तो इस प्रकार के प्रसंग आते हैं और दूसरी एक तरफ यह राज्य सरकार शिक्षा के स्तर को लेकर कई प्रकार की व्यवस्थाएं करने की बातें करती है।

मैंने पहले भी कहा था कि सरकार की जो शिक्षा सम्बन्धी नीति है, उसके अन्दर एक भेदभाव की भावना बढ़ती जा रही है। मैं उस तरह नहीं कहता जिस तरह से माननीय गृह मन्त्रीजी ने कहा था। पुलिस की यूनियन का जिक्र जब आया था, तब चुपके से ऐसे शब्द कहे थे, उन्होंने कि सदन में गुमराह करने वाले भाषण नहीं करने चाहिये। मैं मानता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये शब्द कहे थे, और सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को इस जिम्मेदारी को ठीक तरह से समझना चाहिये, कि सदन में गुमराह करने वाले भाषण दिये जा सकते हैं, या नहीं। मैं भी इस पक्ष में हूं कि गुमराह करने वाले भाषण नहीं दिये जाने चाहिये। पर कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो सरकार पैदा करती है, और जिन से गुमराह की भावना अपने आप निकलती है। इसका इलाज क्या है? कोई इलाज नहीं। यही हो सकता है कि उन भावनाओं को यहां सदन में व्यक्त किया जाय। जिस प्रकार मल्टी पर्पज़ हाई स्कूलें चल रही है, बेसिक एज्युकेशन के तरीके निकले हैं उनको मैं मानता हूं, आज के इस अनएम्प्लोयमेन्ट के युग में लाभदायक हो सकती हैं। पर प्रश्न यह आता है कि आज इसके कारण से रुरल वरसेज अर्बन इस तरह की एक खाई गांव और शहर के बीच बनती जा रही है। आप आज प्रत्येक ग्रामीण से पूछेंगे तो वह यही कहेगा कि यदि कोई मैडिकल कालेज खुलेगा तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा जैसे शहरों में ही खुलेगा, यदि इन्जीनियरिंग कालेज खोलने का प्रश्न आवेगा तो वह भी जोधपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर जैसे शहरों में ही खुलेगा। इस प्रकार के कालेज इन शहरों में ही खोले जावेंगे। यह शिक्षा शहरों में रहने वालों के लिये ही है और फिर ग्रामीण कहते क्या हैं: हमें सिखाया जाता है चमड़ा कमाना, दर्जी का काम, खाती का काम। तो आज उनके दिमाग में निश्चित रूप से यह भावना डवलप होती जा रही है कि शहरों में रहने वाले इन्जीनियर होंगे, आई० ए० एस० और आई० सी० एस० होंगे, मैडिकलमैन होंगे, और ग्रामीण जितने हैं उनके बच्चे या तो खाती का काम करेंगे या लोहार का या चमड़े का या ऐसा ही कोई और काम करेंगे और वे पूरी तरह से डवलप नहीं हो सकते। तो, या तो मैं यह कहूं कुम्भारामजी के शब्दों में जो कि राजस्थान पंचायत संघ के अध्यक्ष हैं, कि हमें पढ़े लिखे लोगों का शासन समाप्त करना है। यदि इस चीज़ को और तरह से कहें, तो यह भी कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग ही तरक्की कर सकें इस प्रकार का प्रयास उनका है। पढ़े लिखे व्यक्ति शहरों में रहते हैं, उनके बच्चे शहरों में रहते हैं वे इनका फायदा उठाएं उनके सम्बन्ध में मान सकते हैं। पर पढ़े लिखे लोग जो करते हैं उनको सन्देह की निगाह से देख सकते हैं। दूसरी दृष्टि से देखें तो सामाजिक व्यवस्था की बात आती है तो ऐसा लगता है कि यह तो एक पूंजीपति व्यवस्था पनपती जाती है, जिनके बल पर आज ये राज्य सरकारें चलती हैं। समाजवादी व्यवस्था का तो नारा मात्र है, इसकी आड़ में पनपता है पूंजीवाद। मन्त्री महोदय, यह भी कह सकते हैं, कि हम पूंजीपतियों के पैसे पर पनपने

Page No.56

(श्री भैरोंसिंह)

वाले नहीं हैं। पर आपको पता है सेठ मूंदड़ा ने क्या कहा है ? उसने कहा है कि एक लाख रुपया कांग्रेस को दिया है और चन्दा दिया है। इस तरह से न मालूम कितना पैसा इन लोगों द्वारा दिया गया है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम आज अगर यह कहें, कि हम पूंजीपतियों के पैसे पर नहीं पलते, यह सही नहीं है। पलते हैं। हमारी सरकारें उनके बल पर चल रही हैं। यही प्रेरक शक्ति है कि जिसके कारण शिक्षा के स्तर को लेकर गांवों और शहरों में एक भेद की सी वृत्ति बढ़ती जा रही।

(घन्टी)

श्री अध्यक्ष : आपको काफी समय हो गया है। जल्दी भाषण समाप्त करिये।

श्री अर्जुनदास : We are interested in hearing him, Sir.

श्री अध्यक्ष : It is no question of your interest or anybody's interest,

श्री अर्जुनदास : We can give him our own time, Sir.

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : You have no time to give.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : १५ मिनट में समाप्त कर दें।

श्री भैरोंसिंह : साहब, १५ मिनट में तो समाप्त नहीं कर सकूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : गवर्नमेन्ट अगर १० मिनट में छोड़ देगी तो हम भी १० मिनट में ही समाप्त कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Another 20 miuntes.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं बोलूंगा और हमारी पार्टी से भी कम ही बोलेंगे।

अब अध्यक्ष महोदय, हमारी राज्य सरकार की शिक्षा संबंधी नीति के बारे में मैंने कुछ बातें सदन के सामने संक्षेप में पेश कीं, लेकिन दूसरे डिपार्टमेन्ट्स भी हैं। राज्य सरकार की कोई श्रम संबंधी नीति नहीं है, जिसको हम यह कह सकें कि राज्य सरकार की कोई ऐसी लेबर पॉलिसी है कि जिस पॉलिसी के ऊपर हम विवेचन कर सकते हों। राज्य सरकार से इस सदन में और इस सदन के बाहर भी कई बार इस बात की मांग की है कि मिनिमम वेजेज़ एक्ट लागू होना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार से आज तक मिनिमम वेजेज़ एक्ट लागू नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, लोकल सैल्फ गवर्नमेन्ट के संबंध में राज्य सरकार की कोई नीति नहीं है। राज्य सरकार ने अभी पिछले दिनों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन्स करवाये, जिसमें जयपुर की पुरानी रियासतों में जितने भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स थे उनके इलेक्शन्स हो गए, लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि एक तरफ जयपुर स्टेट के काश्तकार इसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सेस पिछले सात वर्षों से देते रहे हैं और राजस्थान के बाकी के हिस्से के लोग इस-डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का या तो टेक्स रखते हैं, तो उस टेक्स से बचें, या इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा जो प्रिविलेजेज़ हैं, उनसे वंचित होते रहें। डिस्ट्रिक्ट बोर्डस को ख़त्म किया जाय या नहीं। सरकार के सामने जब भी यह सवाल आता है, तो कहती है कि हम विचार कर रहे हैं। अब बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट आई है

Page No.57

(श्री भैरोंसिंह)

लेकिन सरकार इस पर भी कोई शीघ्र निर्णय नहीं लेने वाली है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का भविष्य क्या होगा ? जहाँ इस प्रकार की नीति हमारी सरकार के पास नहीं है वहां यह कहना ही पड़ेगा कि राज्य सरकार की कोई नीति नहीं है। एग्रीकल्चर पॉलिसी सरकार की नहीं है, कोई इन्डस्ट्रियल पॉलिसी सरकार की नहीं है, एज्युकेशन पॉलिसी एक तरह की है लेकिन उसको एग्ज़ीक्यूट करने का सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसी सूरत में मजबूर होकर यह कहना पड़ता है कि आज की हमारी सरकार पॉलिसी विहीन सरकार है और उसकी कोई भी पॉलिसी नहीं है जिसके आधार पर कि वह अपने प्रशासन को सुचारू रूप से चला सके।

अब प्रश्न यह आता है और उसकी इस सदन में भी कई बार चर्चा हुई है और वह है भ्रष्टाचार। मैं ऐसा समझता हूं कि इस भ्रष्टाचार के प्रेषकों को लेकर यह जितनी भी सरकारी नीति है वह नीचे आ जाती है, उनके ऊपर कोई विवेचन नहीं हो सकता है और इसीलिए मजबूर होकर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में इस सदन के सामने बराबर कुछ न कुछ पेश करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, श्रीमान राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भाषण करते हुए, मैंने सदन के सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत किए थे और उनका जवाब माननीय मुख्य मन्त्री जी की ओर से मिला, और मुझे ऐसी उम्मीद थी कि जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा कि अगर कोई भी मुझ पर संदेह करने वाला व्यक्ति यदि तथ्य के आधार पर संदेह करे तो मैं त्यागपत्र दे सकता हूं। मैं सब बातें इस समय सदन के सामने नहीं लाना चाहता। मुझे खुशी है कि उन्होंने यह तो माना कि वह पत्र लिखा गया। श्री खेतसिंह जी ने उसको लिखा यह भी स्वीकार किया। मैं समझता हूं कि मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने स्पष्ट रूप से इसको माना था कि यह पत्र लिखा गया। अब उस पत्र में जिन.......

१. ५६ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

बाबूजी का जिक्र आता है, वह कौन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मानिये उन्होंने स्वीकार किया कि मैं बाबूजी हूं तो, चलो, बाबूजी की तो समस्या हल हुई। लिखने वाले ने पत्र लिखा या नहीं इसकी भी समस्या हल हो गई। अब समस्या है कि यह पत्र रोशनलाल जी के पास पहुँचा या नहीं और फिर उसका असर क्या हुआ उपाध्यक्ष महोदय, हमें इन सब पर विचार करना पड़ेगा। मैंने इस लिफाफे को आज अच्छी तरह से देखा ...

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : Sir, I rise on a point of order. "No allegation of a defamatory or incrimintaory nature shall be made by a Member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned." I think no such notice was given in this case. A reference to rule 223......

श्री अर्जुनदास : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order please !! let me hear the Hon. Member. Yes, what is that ?

श्री बृजमोहनलाल : Rule 223 of the Rules of Procedure says:

'No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be

Page No.58

(श्री बृजमोहनलाल)

made against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of reply."

श्री सतीश चन्द्र : वह तो जनरल नोटिस होगा। अविश्वास का प्रस्ताव आ गया, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए ?

श्री अर्जुनदास : On a point of order, Sir, on this point of order by Hon. member, Sir, I only submit that he cannot possibly rise this point of order. This is a motion of 'No confidence' and we have got to give instances against the Cabinet and Hon. Members of the Cabinet, and if we are not entitled to this, then what is the idea of No-confidence, sir ?

श्री बृजमोहनलाल : Under the Rules, Sir, there is no exception to it. The No-confidence Motion has been moved under Rule 76, there is of course a provision. But under rule 223 it makes no exception for a No-confidence Motion, that where a No- confidence Motion has been moved, all these allegations can be made against the Ministers, Sir.

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खुद मिनिस्टर साहब ने यह चाहा था कि............

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! As the issue does not relate to an aspersion on the Minister but a person outside the House, the point of order is not well taken.

श्री बृजमोहनलाल : Sir. I rise again.........

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री बृजमोहनलाल : I again refer to rule 223. He cannot Make all these allegations, Sir.

श्री अर्जुनदास : On a point of order, Sir, he persists after the ruling of the Chair has been given; this is contempt of the House, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : He is not persisting against the ruling, he is enlightening the Chair on certain issues involved.

श्री अर्जुनदास : After the ruling is given, Sir, he is not entitled to enlighten the Chair even, Sir.

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : जहां तक इस प्रश्न का सवाल है मैं यह चाहता हूँ कि उनको कहने दिया जाये।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

श्री बृजमोहनलाल : Sir, it is a question of the rules of the House. Under rule 222, Sub-rule (vii), Sir, no defamatory words can be uttered by an Hon. Member. It is a question whether any body can infringe the rules of the procedure or not ?

श्री उपाध्यक्ष : Well, I have given the decision. The Hon. Member will resume his debate, but I hope he will be careful not to cast any asporsions on the persons because the matter relates to persons outside the House.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की आपत्ति के लिए अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने....

श्री अर्जनदास : नो–नो, अजमेर से तो मैं हूं।

श्री भैरोंसिंह : ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो ट्रेज़री बेन्चेज़ की खुशामद की है, उसके लिये मैं उनका बड़ा आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon. Member would be a little cautious in commenting over such issues.

श्री अर्जनदास : Sir, does it mean that the words are expunged from the proceedings. It may be that a word may be objectionable but not un-parliamentary.

श्री उपाध्यक्ष : He will resume his debate.

श्री बृजमोहनलाल : श्रीमान एसेम्बली में बैठकर इस प्रकार के नाज़ाइज़ शब्द केबिनेट के लिए प्रयोग में नहीं लाये जा सकते।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Order please! The Chair is on its legs. He will resume his debate.

श्री भैरोंसिंह : (जारी) मैं, यह निवेदन करना चाहाता था कि इस पत्र के संबंध में दो पहलू हैं। मुझको इसलिए कहना पड़ता है कि यदि किसी दूसरे व्यक्ति का होता तो मैं समझता हूं कि मैं इस मामले को छोड़ देता लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जब यह मामला उच्च श्रेणी तक जाता है तो मुझे इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। यह इस प्रकार का प्रश्न है और अगर यह अनिर्णीत ही रहता तो लोगों के मस्तिष्क में संदेह ही बना रहेगा और उसके कारण सर्विसेज़ में एफिशियेन्सी नहीं आयेगी इससे, बल्कि मैं तो कहूंगा कि जनता में डीमोरेलाइजेशन की भावना आयेगी। इसलिए आवश्यक है कि हम इसके सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करें।

मेरे किसी व्यक्ति को कह देने का कोई भी सवाल नहीं है। मैं समझता हूं कि खेतसिंहजी से जितनी मेरी मित्रता है उतनी मेरे ख्याल से और कहने वाले माननीय सदस्यों की भी नहीं होगी। परन्तु प्रश्न आता है कि मित्रता के नाम पर कोई इस प्रकार की कार्यवाही सदन में प्रस्तुत करूं या नहीं। यह मेरा कर्तव्य है कि यदि इस प्रकार की कार्यवाही से सदन के द्वारा समाज का लाभ हो सके तो इस प्रकार से लाभ पहुंचाने वाली कार्यवाही मुझे करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए।

२ म. प.

अब प्रश्न यह आता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इसमें कई बातें लिखी हुई हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया कि उस दिन फाइल रेवेन्यु सेक्रेटरी के पास में थी।

(श्री भैरोंसिंह)

हो सकता है कि रेवेन्यु सेक्रेटरी के पास में हो। उन्होंने यह भी बताया कि इसके अन्दर क्लेक्टर के नाम पर आदेश जारी किये गये थे, जांच करने को और डिस्पोज़ आफ करने को। इसी बीच में रेवेन्यू बोर्ड से इस प्रकार के आदेश आये कि इसमें राज्य सरकार को अधिकार नहीं है कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स से ठिकाना रिलीज़ होने के बाद जितनी अमानत रकम कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नाम पर जमा है, उस रकम को रोका जा सके और जिस व्यक्ति के नाम ठिकाना रिलीज़ हुआ है उसको मिलना चाहिए। नियम बहुत साफ हैं। इन तमाम बातों को देखते हुए राज्य सरकार ने उस वक्त के जो रुपये थे उनको रोका क्यों ? रोकने का जब कारण देखते हैं तो कारण यह बताया जाता है कि माजी ने यह दरख्वास्त पेश की थी, और माजी ने यह दरख्वास्त पेश की थी कि ठिकाने के ऊपर कुछ लोगों का बकाया है, उस बकाया रकम की भुगतान/इस रकम में से की जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मानी जा सकती है, लेकिन वह दरखास्त कब दी थी, उसका डिस्पोज़ल कब हुआ और डिस्पोज़ल के बाद में वह फैसला किसके हक में हुआ ? फैसला माजी के हक में नहीं हुआ। फैसला जागीरदार के हक में हुआ। उस तारीख को नहीं हुआ, उस तारीख से १५ दिन के बाद में हुआ। कोई बात नहीं, कलेक्टर के पास जांच के लिये भेज दिया। बाद मे जांच होकर मामला जागीर दार के पक्ष में निर्णीत होता है। उसी रूप में सारी की सारी रकम का भुगतान होता है। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं मानता, मैं संदेह नहीं करता कि उस पत्र का असर नहीं हुआ। उस पत्र में लिखा हुआ था कि मामला ठेठ पूग गया है और ठौर का ठौर पेमेन्ट कर दिया जायेगा, यह खेतसिंह जी ऐसा पत्र दूसरे किसी एडवोकेट या श्री चिरन्जीलाल, श्री वेदपाल त्यागी या सतीशचन्द्रजी अग्रवाल आदि ऐसे वकील को देते, तो मैं ऐसा समझता हूं कि उनकी वकालात का मेहनताना हो सकता है, लेकिन रोशनलालजी वकील नहीं हैं, वे अदालत के एडवोकेट नहीं हैं। सेक्रेटेरियेट प्रेक्टिस उनकी चलती है, यह मानता हूं। उस समय भी चलती थी। वह कोई वकालत का प्रोसीजर नहीं है। अब सेक्रेटेरियेट प्रेक्टिस के कारण से एक व्यक्ति के लिए यह लिखा जाय कि मामला ठेठ पूग गया है और जगह की जगह भुगतान कर दी जायगी, तो वह भुगतान पाने के खर्चे की नहीं, गाड़ी के खर्चे की नहीं, टेलीग्राम के खर्चे की नहीं, लेकिन भुगतान इस बात की कर दी जायगी कि मामला होना चाहिए और होने में कुछ भी खर्चा हो। शायद यह तय हुआ होगा कि खर्चे की भी उस समय भुगतान कर दी जायगी। रोशन-लालजी उस समय रेवेन्यु सेक्रेटरी नहीं थे, उस समय रेवेन्यु मिनिस्टर नहीं थे, जिनको कि भुगतान करने का काम हो सकता है, बल्कि उस समय वे कांग्रेस के ऐसे सदस्य थे जिनका प्रभाव कांग्रेस के क्षेत्र में हो। उस प्रभाव का मिसयूज़ किसी अधिकारी के ऊपर चाहे वह छोटा ही अधिकारी हो, चाहे रेवेन्यु सेक्रेटरी हो, चाहे उस समय के रेवेन्यु मिनि-स्टर हों, उनके ऊपर प्रभाव डालना है, इस कागज़ के जरिये नाजायज़ फायदा उठाना चाहते हैं, तो उठा सकते हैं। उस लिफाफे के ऊपर उदयपुर की मोहर है। उपाध्यक्ष महो-दय, यह नहीं कहा जा सकता है की जोधपुर से लेटर डाला गया है और जोधपुर से ही डिब्बे में से उड़ा लिया गया है। वह पत्र

(श्री भैरोंसिंह)

उदयपुर में रोशनलाल जी एम. एल. ए., कांग्रेस कार्यालय, के नाम से आया है। उसके ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में 'पर्सनल लेटर' लिखा हुआ है। मैं समझता हूं कि कोई भी सेन्सिबल आदमी पर्सनल लेटर को नहीं खोलेगा। यह लेटर उनके हाथों में गया है, यह मैं मानता हूं। किस ढंग से यह हुआ है, मैं स्पष्ट रूप से नहीं कहना चाहता हूं, और मुझे कहना भी नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी को चाहिए कि इस सम्बन्ध में जुडीशियल इन्क्वायरी करवाएं, और जुडिशियल इन्क्वायरी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय यातायात मन्त्री, श्री नाथूराम जी, जैसे जुडिशियल आफिसर से नहीं करवायें। उसकी जांच सेशन्स कोर्ट का कोई ज़ज, या हाईकोर्ट का कोई ज़ज हो, उस प्रकार के व्यक्तियों से जांच करवा सकते हैं और माननीय मुख्य मन्त्री जी को चाहिए कि इस प्रकार के प्रसंग को लेकर चाहे उनका आचरण बिल्कुल शुद्ध हो, मैं भगवान से प्रर्थना करता हूं कि इस मामले में उनका आचरण बिल्कुल शुद्ध साबित हो, लेकिन जन-मानस के हृदय में जो संदेह बन गया है उसको दूर करने के लिए इस विषय में जल्दी से जल्दी जांच करवायें और उस फाइल को जुडिशियल अधिकारी के कब्जे में दिया जाय। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि यह फाइल उनके पास है, और कई दिन तक इन्क्वायरी होती रहे, यह एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्टिक्स हैं, और इन टैक्टिक्स के जरिये एक फाइल कितनी ही गन्दी से गन्दी हो, आप मुझे दीजिए, तो मैं उसी फाइल को ठीक प्रकार से रख दूं, और कन्विन्स करवाने की कोशिश करूंगा कि फाइल में कुछ नहीं है। इन्क्वायरी करवाने से पता लगता है।

इस प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा काण्ड था, जिसके विषय में और बोलने वाले माननीय सदस्य कुछ कहेंगे। उसके लिए माननीय यातायात मंत्री स्वयं जुडिशियल एन्क्वायरी करेंगे। मैं समझता हूं कि उसके बाद में जुडीशियल ऑफीसरों की जांच करने वाले ऐसे कई जुडीशियल ऑफिसर्स राजस्थान में हैं तो यह काम भी उनके सुपुर्द कर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, फारेस्ट डिपार्टमेंट इस प्रकार का डिपार्टमेंट है कि आज भी कह सकता हूं कि जितने जंगल नीलाम किये जाते हैं उन अधिकांश जंगलों के नीलाम में कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। जनाबी, दयाभाग, झालावाड़ और सागवाड़े के उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से ऐसे जंगल हैं जिनका नीलाम हुआ है, जिनकी बोली लगाई गई है, उन सब के अन्दर गड़बड़ हुई है। उस गड़बड़ को रोक सकते हैं, अगर इनमें से किसी हिस्से को लेकर इन्क्वायरी करा लें और इन्क्वायरी करवाने के बाद में आपको विश्वास दिलाता हूं कि अच्छा असर हो, और जिन लोगों ने संदेह किया है वह संदेह अच्छी तरह से मिट सकेगा।

अब प्रश्न यह आता है, उपाध्यक्ष महोदय, सूक्ष्म में मैं यह कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान में विकास के नाम पर कई संस्थाएं चालू हैं। सरकार की ओर से कइयों को सहायता मिलती है। सरकार की ओर से कई प्रकार की एकेडेमीज़ की स्थापना हुई है। मैं समझता हूं कि उनके पीछे जो भावना है, वह भावना शुद्ध होगी, इसमें संदेह करने की बात नहीं है। साहित्य एकेडेमी का निर्माण होता है, उसके पीछे भावना अच्छी होगी, संगीत एकेडेमी का निर्माण होता है, उसके पीछे भावना अच्छी होगी, लेकिन जिस भावना से काम किया

(श्री भैरोंसिंह)

जाता है वह थोड़ी सी देखें। तो मूल भावना है उसके ऊपर आगे जो कार्यवाही होती है, जो कुछ उसके ऊपर आघात किया जाता है, राजस्थान में मावली से आने वाले माननीय सदस्य इस साहित्य एकेडेमी के अध्यक्ष बनें, इसका हमें कोई एतराज नहीं है, और मैं करूंगा भी नहीं। ....

एक माननीय सदस्य : ईर्ष्या तो है।

श्री भैरोंसिंह : ईर्ष्या भी नहीं, और है; तो भी करूंगा नहीं। तो बाकी के जितने सदस्य हैं, और वे स्वयं जानते हैं, और मैं समझता हूं कि स्वीकार करेंगे, कि राजस्थान साहित्य एकेडेमी में और जो व्यक्ति लिये गये हैं, तो क्या राजस्थान में साहित्य के विषय में जानकारी रखने वाले उनसे बढ़िया और कोई व्यक्ति नहीं हैं? मैं समझता हूं कि वे स्वयं स्वीकार करेंगे कि हैं, लेकिन उनको इगनोर किया गया है। उनको किस लिए इगनोर किया गया है, उसको स्पष्ट करें। हमारी समझ में नहीं आता है मान लीजिये और दुनियां मानती है कि राजनैतिक कारण हैं। जिन लोगों को लिया गया है, उनके राजनैतिक प्रभाव से प्रभावित हैं। इस साहित्य एकेडेमी में कुछ महिलाओं को भी सदस्य बनाया है, तो वे राजस्थान के बाहर की महिलाएं हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसी महिलाओं को साहित्य एकेडेमी का सदस्य बनाने में सरकार की क्या नीति रही है? लेकिन यदि आपको कुछ महिलाओं को लेना था, इस सम्बन्ध में लेना था तो कम से कम इस बात की पूर्णतया जानकारी करनी थी कि साहित्य के सम्बन्ध में राजस्थान में जानने वाले कौन कौन व्यक्ति हैं और उन व्यक्तियों को किस प्रकार से लिया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं साहित्य एकेडेमी के विषय में ज्यादा नहीं कहूंगा, पर कुछ बातें ऐसी संस्थाओं के द्वारा हमारी राज्य सरकार में होती हैं उन बातों की ओर संकेत करना चाहूंगा।

हमारे यहां पर एक भारतीय लोक कला मंडल है। उसके संचालक श्री देवीलालजी सामर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वे बहुत ऊंची श्रेणी के व्यक्ति हैं। उनकी व्यक्तिगत हैसियत के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन अभी अभी एक प्रमाण सहित बात मिली है, और उस प्रमाण के कारण संदेह होता है कि जिस तरह कि जल बोर्ड के खिलाफ अभियोग लगाया जाता है, जिस तरह कि खादी बोर्ड के खिलाफ अभियोग लगाया जाता है, भारत सेवक समाज के रुपयों का दुरुपयोग होता है, उसी प्रकार का अभियोग इन पर लगाया जा सकता है। इस प्रकार का अभियोग, यदि इस प्रकार की संस्थाओं पर भी लगने लगे, जिनके द्वारा हम साहित्य और कला जैसी सभी चीजों का उत्थान करना चाहते हैं, लोगों का उत्थान करना चाहते हैं, उन पर भी यदि अभियोग लगे तो उसका मतलब क्या निकलेगा और परिस्थितियां कैसी बनेंगी? उन्होंने "मध्यभारत के भीलों का सांस्कृतिक जीवन," इस प्रकार का एक लेख लिखा, एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक के दो भाग हुए। पहला लेख निकला, "लोक कला" नामक एक द्विमासिक पत्र निकलता है, उसमें "मध्यभारत के भीलों का सांस्कृतिक जीवन" नामक लेख निकला। उसका दूसरा भाग भी उसमें आ गया और उसके बाद हमारे इसी लोक-कला मंडल के संचालक मध्यभारत सरकार के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमने इस प्रकार की किताब निकाली है, एक किताब इस प्रकार की लिखी

(श्री भैरोंसिंह)

है और उसको लिखने में खर्चा हुआ है। मैं मान सकता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि किताब लिखने में खर्चा होता है। लेकिन "लोक-कला" नामक अखबार में लेख निकल गया और उसमें ये दोनों भागों को निकाल कर एक जगह करके बाइन्ड करवा कर, एक पुस्तक का आकार देकर मध्यभारत सरकार के सामने जाकर कहा कि इसको छपाने में ५० हज़ार रुपये लगे हैं इसलिये मदद दी जाय, मध्य भारत उनको १३००० रुपये देती है और राजस्थान सरकार ३००० रुपये देती है और केन्द्रीय सरकार से ४००० हजार रुपये दिये जाते हैं। इस पर भी राज्य सरकार को और दर्ख्वास्त दी जाती है कि सहायता दो....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): कहां की, साहित्य एकेडेमी की बात कर रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान की।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दर्ख्वास्त अभी १०–१५ रोज में दी है क्या?

श्री भैरोंसिंह : जी हां, दर्ख्वास्त दी है।

इसके बारे में एक चीज़ आनेवाली है, वह मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इस क्षेत्र में इस प्रकार की चीज़ होती है तो आगे चल कर नतीजा क्या होता है? नतीजे की तरफ जब हम देखते हैं, तो नतीजा भयंकर मालूम होता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि इसका असर समूचे राजस्थान पर यदि होता है तो जिन विकास की योजनाओं को लेकर हम आगे चलना चाहते हैं उनसे आगे नहीं चल सकेंगे।

अन्त में मैं एक विभाग को लूंगा और वह विभाग है डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स। इसके सम्बन्ध में काफी चर्चा हो रही है। इसकी कई शिकायतें सदन के सामने आई हैं, सदन के बाहर भी आई हैं, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सामने भी शिकायतें इसकी आई हैं और ऑडिट रिपोर्ट के अन्दर भी सब बातें आई हैं। लेकिन न मालूम राजस्थान सरकार उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? उनका फिक्सेशन जिस ढंग से हुआ, उसके बारे में नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात कहूंगा कि हमारे यहां बुल्गानिन साहब २ वर्ष पूर्व ८ दिसम्बर, सन् ५६ में पधारे थे। सौरी, सन् ५५ में पधारे थे। उनके पधारने के उपलक्ष में, जयपुर की जानकारी उनको करानी आवश्यक थी। उनको जयपुर की जानकारी कराने के बारे में, डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स ने एक किताब निकाली, जिसका नाम था "जयपुर"। "जयपुर" से जयपुर की जानकारी हो सके इसलिये किताब निकाली, और उसका ऑर्डर दिया गया। उसकी २००० कॉपियां अंग्रेजी में छपवाई और २००० हिन्दी में छपवाई और १००० रशियन लैंगवेज़ में छपवाई नहीं लेकिन छपवाने का ऑर्डर दिया। उसमें से ३०० कॉपियां ८. १२. ५५ को आई और बाकी की १७०० २८. ६. ५७ को दो वर्ष बाद आती हैं, लेकिन उनका पेमेन्ट होता है २२. १२. ५५ को; केवल ३०० कापियों का ही नहीं बल्कि २००० का जिनमें वे भी शामिल हैं जो २ वर्ष बाद निकलीं। इसी प्रकार हिन्दी की ३०० कॉपीज़ ८. १२. ५५ को आई और १७०० कॉपीज़ दो वर्ष बाद पहुंचीं और उनका पेमेन्ट भी उसी तारीख को कर दिया गया। उसी तरह से रशियन भाषा की १६० पुस्तकें ८. १२. ५५ को आई और ६. १२. ५७ को ५०० आई और बाकी की अब तक आ रही हैं, लेकिन पेमेन्ट उनका भी हो चुका है।

Page No.64

(श्री भैरोंसिंह)

रशियन भाषा की किताबें अब तक आ रही हैं। इसका मतलब क्या होगा ? मैं समझता हूं, अभी रशियन पार्लियामेन्ट्री डेलिगेशन आ रहा है, उसके लिये काम आवे तो अच्छा हो। उनको देनी चाहिये। हम यह नहीं बातायेंगे कि बुलगानिन साहब आये थे, तब छपवाई थीं।

(हंसी)

किताबें सन् ५५ में छपवाई गई थीं और उनका पेमेन्ट भी सन् ५५ में कर दिया गया था, लेकिन किताबें छपकर अब तक नहीं आई हैं। यह इस डिपार्टमेंट का हाल है।

इसी तरह से जुबली ब्लॉक वर्क्स और हिन्द ब्लॉक वर्क्स नामक दो फर्म्स हैं, उनमें राज्य सरकार की ओर से फोटो छपवाने की व्यवस्था की जाती है। डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स को यह अधिकार है कि ५०० रु. तक के बिल्स की भुगतान कर सकें। उन्होंने टेन्डर्स इन्वाइट किये। और बाद में हिन्द ब्लॉक वर्क्स नामक जो फर्म है उसका टेन्डर सबसे कम आने के कारण स्वीकार हुआ, लेकिन सारा काम होता है जुबली ब्लोक वर्क्स में। उसके लिये कहा जाता है कि हिन्द ब्लोक वर्क्स काम पूरा नहीं कर सकता, इसलिये जुबली ब्लोक वर्क्स से काम कराया जाता है। प्रशासन का यह सामान्य नियम है कि जिसका टेन्डर स्वीकार होता है उसको नोटिस दें और कहें कि टेन्डर के अनुसार काम नहीं करोगे तो तुम पर इतना पनिशमेन्ट इम्पोज़ किया जायगा और बाद में यदि आवश्यकता हुई तो दूसरे व्यक्ति को दिया जायगा। लेकिन इस प्रकार का उसको कोई नोटिस नहीं दिया गया। उससे केवल १५००), १६००) रुपये का काम करा लिया और बाकी सब काम जुबली वर्क्स से कराते रहे। जब डी. पी. आर. को मालूम हुआ कि बिल्स के पेमेन्ट करने में ऊपर से सेंक्शन लेनी पड़ेगी तो एक दिन में ५०० से ऊपर के जितने बिल्स थे, उनको स्प्लिट करते हैं और किसी में ३०० का बनाते हैं और किसी में २५० का, तो किसी में २०० रु. का। इस तरह से बिल बनाकर सारी रकम का भुगतान कर देते हैं। वैसी सूरत में विचार करना पड़ेगा कि जो खर्चा अनऑथोराइज़्ड रूप से होता है उसको किस प्रकार रोका जाय।

हमने यह भी आलोचना की थी कि विज्ञापन के संबंध में कोई नीति नहीं है। हमने मांग की थी कि इस संबंध में नियम बनाने चाहिये। किस प्रकार के पत्रों को विज्ञापन देने चाहिये, इसके लिये नियम होने चाहिये, ब्लेक लिस्ट किस प्रकार किया जा सकता है, किन पत्रों से पब्लिसिटी अच्छी हो सकती है, कितने पैसे दिये जाने चाहिये, कितनी लंबाई-चौड़ाई विज्ञापन की होनी चाहिये, इन सब के लिये नियम बनने चाहिये। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके नियम बनने चाहिये। पिछले पांच वर्ष गुजर गये और छठा वर्ष भी गुजर रहा है, लेकिन नियम अब तक नहीं बन पाये। इसलिये नहीं बने कि मर्जी आवे जिनको देते हैं, उस पर नियम बनने से चेक हो जायगा। गवर्नमेन्ट प्रेस से छपाई नहीं करवाई जाती है। उससे नोन-अवेलेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिलता है, इस बात का सर्टिफिकेट ले लिया जाता है कि गवर्नमेन्ट छपाई करने में असमर्थ है। इस पर प्राइवेट प्रेसेज़ से छपाई कराई जाती है और किताबें छपने से पहले ही एडवान्स दे दिये जाते हैं। मुझे मुख्य मंत्री जी से विशेष रूप से कहना पड़ेगा कि यह इस प्रकार का विभाग है, जिसका

(श्री भैरोंसिंह)

जनता से संपर्क है। कम से कम इस विभाग के प्रशासन में जितनी शुद्ध बातें आवें उतना ही अच्छा है।

अभी प्रेस में १५०० रुपयों की कमी हुई। इस बारे में होम मिनिस्टर साहब को पत्र लिखा तो कहते हैं कि यह तो टेक्निकल इर्रेगुलेरिटी है। मैं यह कहूंगा कि यदि इस प्रकार की बातों को डिटेक्ट नहीं किया गया तो आगे चलकर ये ही इर्रेगुलेरिटिज़ एम्बेज़लमेन्ट का रूप होंगी। राजस्थान जब से बना तब से लेकर आज तक जितने एम्बेज़लमेन्ट हुए हैं उनकी संख्या को जोड़ा जाय तो मैं कह सकता हूं कि लाख, दो लाख का इधर उधर हो सकता है लेकिन ८४ लाख रुपयों का गबन हमारी सरकार के यहां हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि केवल एक मंत्री-मंडल के समय में ही हुआ है, या भूतपूर्व मंत्री मंडल के समय में ही हुआ है लेकिन हमारी जो शिथिलता है, उससे हम इन्कार नहीं कर सकते, कोई डिपार्टमेन्ट इससे इन्कार नहीं कर सकता। जब कोई डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी होती है तो अपोइन्टमेंट डिपार्टमेन्ट में जाती है लेकिन वहां पर बस्ते-खामोशी है, कोई काम जल्दी नहीं होता। जिस मामले में इन्क्वायरी नहीं करानी होती है, उसको अपोइन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट के पास भेज देते हैं। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। राजस्थान में एम्बेज़लमेन्ट का काम बढ़ता गया और जिनके पास सुरक्षा का काम है उनके यहां भी गबन हुआ। गबन को रोकने वालों के घर में गबन, यह इसी राज्य की सरकार के यहां होता है, दूसरों के यहां नहीं। मुकद्दमें चले, चालान हुआ। मैं कह सकता हूं कि इसमें एक ही डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस इन्वोल्व्ड नहीं है, बल्कि ऊपर के अफसर भी इसमें शामिल हैं। लेकिन इसमें भी संतोष है कि एक व्यक्ति का चालान हुआ, और दूसरों के चालान की आयन्दा गुंजायश नहीं। लेकिन हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारा क्या कर्त्तव्य है, और उस कर्तव्य को निभाने के लिये हमें क्या कार्यवाही करनी है? यदि एडमिनिस्ट्रेशन में शिथिलता आती है तो उसके लिये जिम्मेदारी हमें समझनी चाहिये और खास कर ऐसे केसेज़ में जिनमें सरकार के फाइनेन्सेज़ इन्वोल्व्ड हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार के पास शक्ति है, शक्ति से इसकी रोक-थाम करने के लिए जो आवश्यक कार्यवाही हो, वह हमारी सरकार को करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सारे प्रसंग को लेकर एक बात कहे बिना नहीं रहूंगा और वह बात यह है कि हमारे राज्य में जो लो पेड एम्प्लॉइज़ हैं, उनके सम्बन्ध में एक अलग से प्रस्ताव आ रहा है, उस पर अलग से बातें कही जायंगी लेकिन मेरे अविश्वास प्रस्ताव का एक कारण यह भी है कि हमारे राज्य में जो कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी हैं, उनके विषय में ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको देखा जाय, कांग्रेस के अधिवेशनों में समय समय पर जो चर्चायें हुई हैं उनको देखा जाय तो हमको पता चलेगा कि इस सम्बन्ध में कुछ भी काम नहीं हुआ है। हमारे राज्य सरकार का एक बजट निकल गया, दूसरा बजट निकल गया, तीसरा बजट आने वाला है, इसके अलावा भी कई बजट निकल गये; तो बजट के जो आय पत्रक प्रस्तुत होते हैं, उनमें इन छोटे कर्मचारियों पर कोई विचार नहीं होता है। किसी बजट में पांच रुपये बढ़ा दिये, कभी राज्य सरकार ने तीन रुपये तनख्वाह में बढ़ा दिये, कभी बेसिक पे में एक रुपया बढ़ा दिया गया, कभी एक इन्क्रीमेंट

(श्री भैरोंसिंह)

की व्यवस्था कर दी, पर इससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उनके पास अर्थ की जो कमी है, उसकी पूर्ति नहीं होगी। इस अर्थ की पूर्ति उसी सूरत में हो सकती है, जब कि राज्य के प्रान्त के जो छोटे कर्मचारी हैं, जो अध्यापक हैं, जो चपरासी हैं, जो पानी पिलाने वाले हैं, झाड़ू निकालने वाले हैं. इन सब व्यक्तियों का भी पेट है, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनकी तनख्वाह के लिये सरकार घोषणा करे कि किसी की भी १०० रुपये से कम तनख्वाह नहीं होगी। (करतल-ध्वनि) लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसी कार्यवाही हमारी सरकार नहीं कर सकती। केवल उन लोगों से हमारे मुख्य मंत्रीजी की सहानुभूति हो हो सकती है, उन लोगों को भी सहानुभूति है जिनकी तनख्वाह पर छोटे लोगों की तनख्वाह बढ़ने से चेक आ सकता है। हमारे राज्य में सरकारी कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्हें हज़ारों रुपये मिलते हैं, ऐसे गरीब कर्मचारी भी हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। जो टैक्स पेअर हैं, जिनके धन को सरकार खर्च करती है, वे भी अल्प वैतनिक कर्मचारियों से सहानुभूति रखते हैं। आज यह भावना है कि हमारी राज्य सरकार ने छोटे कर्मचारियों के प्रति उपेक्षापूर्ण नीति अपनाई है, उनकी तनख्वाह में राज्य सरकार द्वारा कोई वृद्धि नहीं की गई है पर साथ ही उनके ऊपर काम की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय अंत में मैं...

श्री उपाध्यक्ष : आपने २० मिनट की मांग की थी, लेकिन अंत में ३० मिनट हो गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रसंग में मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा, वैसे मैं इस सदन में उन सब चीजों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक प्रधान चीज़ है जिसकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा, और वह है, हमारे मेडीकल डिपार्टमेंट की पर्चेज़ेज़ के सम्बन्ध में। कुछ दिनों पहले इस सदन के बाहर मेडिकल डिपार्टमेंट की खरीद को लेकर अफ़वाह फैली हुई थी; मैं उन अफ़वाहों के आधार पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यह बात ऑडिट रिपोर्ट में भी आ गई है। मेडिकल डिपार्टमेंट की पर्चेज़ेज़ में इस प्रकार की इर्रेगुलेरिटीज़ को राजस्थान के ऑडीटर जनरल ने भी पॉइन्ट आउट किया है और यह कहा है कि इन खरीदों में काफी घोटाला हुआ है, काफी अनियमिततायें बरती गई हैं और बिना स्वीकृति के तीन लाख और चार लाख की खरीद हुई है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इसका संतोषजनक उत्तर दें और अगर वे आवश्यक समझें तो इस मामले को लेकर जांच करायें।

अब प्रश्न अविश्वास का आता है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजा मानसिंह जी ने जो अविश्वास प्रस्ताव रखा था, वह करप्शन, नेपोटिज़्म और फेवरटिज़्म को लेकर रखा था। मैं समझता हूं कि अगर मैं नेपोटिज़्म की बात इस सदन में कहूं तो व्यक्तिगत होने के नाते अच्छी नहीं लगेगी। इस अप्रिय प्रसंग को छोड़ कर मैं इस सदन से एक बात की प्रार्थना करना चाहूँगा और वह प्रार्थना खास तौर से अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य को करना चाहता हूं, जिन्हें सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव से चिन्ता हुई है। ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, जिस समय यह प्रस्ताव लाया गया था, उस वक्त

(श्री भैरोंसिंह)

वे विरोधी बेंचेज़ पर आये और उन्होंने कन्वेसिंग करना शुरू कर दिया कि ३८ सदस्य इस प्रस्ताव से सहमत न हों। उन्होंने जो काम किया है, उसके लिए मैं उन्हें दाद देता हूं। उन्होंने ट्रेज़री बेंचेज़ पर छाप लगा दी है कि वे कितने सिन्सियर हैं। लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए कि अजमेर की सर्विसेज़ क्या कहती हैं, अजमेर की सर्विसेज़ के सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई है, अजमेर से आने वाला स्टाफ कौनसी एडवाइज़री कमेटी के सामने अपने रिप्रेजेन्टेशन पेश कर सकता है, कौनसी कमेटी है जिसके सामने, पुलिस के अधिकारियों के ऊपर जो ज्यादती हुई है, उसके सम्बन्ध में, मांग प्रस्तुत कर सकते हैं! ऐसी कोई एडवाइज़री कमेटी नहीं है। स्टेट रिआर्गेनाइज़ेशन कमीशन की रिपोर्ट में प्रोवीज़न था कि शुरू में अजमेर की सर्विसेज़ को प्रोविज़नल सर्विसेज़ माना जायगा, लेकिन बाद में उनकी सीनियरिटी फिक्स की जायगी, जिनकी इस सीनियरिटी से, पोस्टिंग से आपत्ति हो, उनके लिए एक एडवाइज़री कमेटी अपोइन्ट होगी, जिसके द्वारा अजमेर की सर्विसेज़ अपनी आपत्ति भारत सरकार के समक्ष रख सकेंगी। मैं निवेदन करूंगा कि मेरा प्रस्ताव गिरे या न गिरे, मैं जानता हूं वह गिरेगा भी, लेकिन वे अपना वोट इसके विरोध में न दें, क्योंकि उन्हें अजमेर की सर्विसेज़ ने वोट दिया है; सोरी, अजमेर नहीं, ब्यावर। वैसे ब्यावर से मतलब सारे अजमेर स्टेट से है। वे यहां पर अजमेर के प्रतिनिधि बन कर आये हैं। मैं जानता हूं कि मेरे इस अविश्वास के प्रस्ताव से सरकार उलटेगी नहीं। लेकिन अजमेर के कर्मचारियों को जो दुःख दिया जा रहा है उनको देखते हुए ब्यावर से आने वाले सदस्य इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट नहीं देंगे। हम मान सकते हैं कि वे इसके ख़िलाफ़ वोट नहीं देंगे। इस अविश्वास प्रस्ताव का जहां तक प्रश्न है, यह कोई सरकार को उलटने का प्रश्न नहीं है। हमारी जो भावना थी, उन भावनाओं को हम व्यक्तिगत रूप से रखते हैं, भावनाओं को सदन में रखने का प्रयास भी किया जाता है। मैं जानता हूं इसको सुन्दर प्रयास नहीं कहेंगे, बल्कि हमको राजस्थान सरकार की सारी कमियों को प्रस्तुत करने का अधिकार था और उसका हमने प्रयोग किया और इस उपयोग के जरिये, मैं यह चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे शासन का जो ढंग है वह ठीक ढंग से हो, रीति नीति हैं, वे ठीक ढंग से हों और जो हमारा आचरण है, वह ठीक ढंग से हो। इसके साथ ही जो हमारी समस्यायें हैं उनका समाधान भी ठीक ढंग से हो।

इन सब बातों को सामने रखकर मैंने जो अविश्वास का प्रस्ताव सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया है, उससे मैं ऐसा समझता हूं कि कम से कम हमारे मुख्य मंत्री जी को कम तनख्वाह पाने वाले व्यक्तियों की बात सोचनी चाहिए। मुख्य मन्त्रीजी कहते हैं कि हम कॉन्करीट चीज़ कहें, मेरा निवेदन है कि कॉन्क्रीट चीज़ के लिए फाइल्स होनी चाहिये। फाइल्स न होने से जो तारीख हम देते हैं, उसके अन्दर उलट पुलट हो सकती है। जहां हम रुपये की बात करते हैं, उसमें १००–५० रुपये की उलट पुलट हो सकती है लेकिन जो तथ्य हम रखते हैं वह तथ्य ग़लत नहीं हो सकते। यदि हमारे मुख्य मन्त्री जी सदन की प्रतिष्ठा बनाये रखना चाहते हैं, तो यह घोषणा करें कि राजस्थान का जो पुस्तकांग है, उसकी जुडिशियल जांच होगी जुडिशियल ऑफिसरों द्वारा जांच करवाई जाय। इसी प्रकार मेडिकल डिपार्टमेंट की जो पर्चेज़ेज़

(श्री भैरोंसिंह)

में घोटाला हुआ है उसके सम्बन्ध में जांच करायें। यदि इनमें हमारा कोई दोष नहीं है तो जांच से डरना नहीं चाहिए। अभी भारत सरकार ने छागला कमीशन के द्वारा टी. टी. कृष्णमाचारी की जांच कराई। जो दोषी ठहराये जायं वे दंड भुगते और जो निर्दोष साबित होंगे, वे गवर्नमेंट को सलाम करके चले जायं। उनकी सलाम से डरना नहीं चाहिए। मेरे प्रस्ताव का असर नहीं पड़ेगा, यह समझना ठीक नहीं। असर अवश्य पड़ेगा। यह सोचना ग़लत है कि आज जो पक्ष अल्पमत में है, वह बहुमत में नहीं हो सकता। अल्पमत भी बहुमत में आ सकता है। अगर अल्पमत बहुमत में न आता तो पहले दो तीन मुख्य मंत्री न बदलते। आपके दल में भी जो अल्पमत है, वह बहुमत में आकर मंत्रीमंडल बदल सकता है।

(करतल-ध्वनि)

इन सब समस्याओं को सदन के सामने रख कर मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी से विशेष रूप से प्रार्थना करूंगा कि वे इन सारी समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करें। इसके साथ ही मैं सदन के समस्त सदस्यगणों से भी प्रार्थना करूंगा कि वे इस अविश्वास प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार करके, अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और इसे बहुमत से पास कराने में सहयोग देंगे। अपने अविश्वास प्रस्ताव को सदन के समक्ष प्रस्तुत करके मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह इसे पारित करने की कोशिश करें।

(करतल—ध्वनि)

श्री ज्वालाप्रसाद् (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े गौर से दोनों प्रस्तावक महाशयों के भाषणों को सुन रहा था, लेकिन यह कहा जाय कि गौर करने के बाद भी ऐसी चीज नहीं ला सके, ऐसी बात नहीं बता सके जिसकी बिना पर जो बातें उन्होंने हमारे गवर्नर के भाषण के ऊपर न कहीं हों। इसलिये इसके बाद अगर आप देखना चाहें तो राजा मानसिंह जी के भाषण में, चाहे भैरोंसिंह जी के भाषण में, मानसिंहजी को ऐसा लगता है कि डी. एस. पी. ने बहुत दिक कर रखा है, और उस डी. एस. पी. का नाम जब उनके सामने आता है तो उनको बिलकुल क्रोध आ जाता है और वह घूम फिर कर भरततुर के डी. एस. पी. पर आते हैं और कहते हैं कि क्यों उसको बढ़ा दिया, यह क्यो हुआ, वह क्यों हुआ; वही बातें कहना शुरू करते हैं। वही बातें कहना शुरू करते हैं जो उन्होंने गवर्नर के भाषण पर कही हैं और बजट के दिन भी अगर वे बोलेंगे तो इसके सिवा कुछ नहीं कह सकेंगे।

इसी प्रकार हमारे माननीय सदस्य, श्री भैरोंसिंहजी, ने अपने भाषण के अन्दर आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, सदन के सभी सदस्य गौर से सुन रहे थे; वे किसी बात को, यह सही है कि कपड़ा दूसरा ओढ़ाते हैं, बोतल वही उसके अन्दर रंग दूसरा पैदा करने की कोशिश करते हैं, पर आज तो कह सकता हूं, उनसे वह रंग भी पैदा नहीं हुआ। उनके भाषण पर तो बाद में कहूंगा लेकिन मैं सदन से यह कहना चाहूंगा कि वे इस बात को गौर से देखें, इस निजाम को समझने की कोशिश करें, और जो एक परिवर्तन हो रहा है, जल्दी जल्दी, आज हिन्दुस्तान और भारतवर्ष ने आजादी के बाद जो करवट ली है,

(श्री ज्वालाप्रसाद)

उस करवट के नीचे, स्वार्थ भरे लोग हैं, वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोग हैं, उनके सारे हित, उनके अधिकार विचलित हैं, नीचे दबते हैं और दबने के बाद एक कड़कड़ाहट पैदा होती है और वे लोग हमारे उपदेशक बनते हैं। उनको क्या आजादी है, कल तक ध्यान नहीं था। वे वेस्टेड इन्ट्रेस्ट, मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा, अंग्रेजों का साथ देने में लगे हुए थे, जिन्होंने गुलामी को जकड़ने में साथ दिया, वे आज हमें उपदेश देते हैं, इस बात पर गौर करेंगे तो पता चल जायगा कि आज इस अविश्वास के प्रस्ताव को अचानक लाने का क्या कारण है!

दूसरे देशों में जहां पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी है वहां ऐसे प्रस्ताव मूव करने हों करते हैं, पर यहां पर तो मेरी समझ में नहीं आता, मेरे माननीय सदस्य दोस्त ने कहा है, किसी से बात करना भी मना, बल्कि होना तो यह चाहिये था कि अगर ताकत होती, इतना भी विरोध पैदा करने के लिये, जितना जरूरी है, ताकत को इकटठा करने के लिये, वह भी बनाई हुई चीज थी, यह साफ मालूम होता है, अगर दो घंटे भी मिल जाते, तो ३८ आदमियों का मिलना मुश्किल था, मेरे खुद दोस्त ने कहा है। जिस बात को उछाल कर ऐसी चीज़ खड़ी करते हैं तो उनकी यह चीज़ यकीनन चल नहीं सकती। माननीय सदस्य ने अविश्वास का प्रस्ताव रखा तो उसे रखते समय शुरू में ही कहते हैं कि मिनिस्टरी तो हट नहीं सकती, इतनी निराशा और दबने की जरूरत क्या, आप खुद मानते हैं कि मिनिस्टरी नहीं हट सकती, तो आज राजस्थान की जनता और ये सदस्य लोग क्या समझेंगे कि एक बात का कदम उठाते हैं, और कदम उठाते वक्त आप खुद जानते हैं कि आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते तो आप ऐसा कदम ही क्यों उठाते हैं? कहते हैं कि मौका नहीं मिलता ऐसी बातें कहने का। आपको मौका मिला राज्यपाल के भाषण पर, बजट के वक्त मिला, सप्लीमेंटरी बजट के वक्त मिला और एक ही चीज़ कहते चले जाते हैं और इस चीज़ के बाद आप देखेंगे कि मैं उन चीजों का जवाब डिटेल में दूंगा। उनसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी कैसे चलती है, इसकी तरफ संक्षेप में गौर कर लिया जाय, तो इन सब चीजों का, उन सब बातों का निराकरण स्वतः हो जाता है।

हमारे संविधान में एक स्कीम है, भारतवर्ष की आज़ादी में राज्य चलाने की, सारी उस स्कीम के अन्दर, मैं आपको कहूंगा कि ५ बिलकुल इन्डिपेन्डेन्ट चीजें हैं। स्वयं जिनको अधिकार है, जिनका सरकार से ताल्लुक नहीं, स्वतन्त्र हिस्से हैं। एक स्कीम है हमारे संविधान में इलेक्शन कमिशन है जिसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं, दूसरी ए. जी. सी. आर. एकाउन्टेन्ट जनरल का दफ्तर है, जिसका सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं। तीसरी स्कीम पब्लिक सर्विस कमिशन है, और चौथी है सुप्रीम कोर्ट और इस तरह से, ऐसे बेलेंस से रखा है, इस चीज़ को बनाते वक्त कि कोई एक राय बने कि जो राजस्थान में चीजें चलती थीं, उस तरह से कोई राज्य नहीं चलता। आज मेरे दोस्त इस तरह से बात नहीं करते कि आज़ादी का मतलब, व्यक्तिगत आज़ादी का मतलब क्या है? हम कानून के ज़रिये लगाया करते हैं। कोई इन्सान भारतवर्ष का नागरिक है उसको वे सभी अधिकार हैं जो एक चीफ मिनिस्टर को अधिकार है। चीफ मिनिस्टर को अधिकार है वही

Page No.70

(श्री ज्वालाप्रसाद)

हर एक को अधिकार है, जो राजस्थान में रहता है हिन्दुस्तान में रहता है, सब को अधिकार है । हम किसी को बगैर सुबूत के, घूंसखोर, चोर कहने का अधिकार नहीं रखते । एक आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है । अगर गलत ढंग से उसको आप सजा देना चाहते हैं तो इस तरह से पांच चीजों को एक तरह से मिला कर राज्य चलाना पड़ता है । पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को चलाना पड़ता है तो हर एक चीज को सोच समझ कर करना पड़ता है । जब आपको मुँह से जुबान हिला कर किसी के लिये कुछ भी बात कहने का अधिकार मिला है, आपको स्वतन्त्रता मिली है, इस असेम्बली में कुछ भी कह दें, आप पर मुकदमा नहीं चलेगा । मेरी प्रार्थना है सब सदस्यों से कि वे इस चीज़ को देख कर यह तय करें कि आया आपने अपनी जुबान से क्या निकाला है, अपनी सतह के अन्दर रह कर इन अधिकारों का उपयोग करना चाहते हैं । आप अनार्किज़्म को ग़लत चीज़ समझते होंगे, इसमें यह रखी गई है कि हर आदमी इस तरह से महसूस करेगा कि अपने पड़ौसी को किसी तरह से दुख नहीं देना चाहिए, तब सरकार की जरूरत नहीं रहेगी । आज इतनी जिम्मेदारियों की बात सोच कर कितने हल्केपन से किसी के ख़िलाफ़ चार्जेज़ लगाते हैं । जिसके ख़िलाफ़ चार्जेज लगाते हैं तो आपको पता चलेगा कि वह कैसे भाव हो सकते हैं । सर्विजेज़ के जो अधिकार हैं, उनके साथ ५ प्लान हैं कि वह अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ सकता है, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के बाद वह गवर्नमेंट के पास अपील कर सकता है, उसके बाद हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, उसके बाद वह हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन कर सकता है । ऐसी हालत में आप सस्ती सहानुभूति प्राप्त करना चाहें तो हो सकता है, पर यह पुरानी बात पड़ गई है ।

पिछली मर्तबा चुनाव हुए तो आप बहुत ज़्यादा तादाद में आये । अब देख रहे हैं कि हम फ्युडल स्टेट से निकल रहे हैं, वह रियासतों का राज्य गया, वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स उखाड़े जा रहे हैं । देरी हो गई है, इस देरी के लिये कौन जिम्मेदार है ? जो इतनी लाइटली, इतने हल्केपन से, नौ-कोन्फीडेन्स का मोशन मूव करते हैं, वे हाउस का वक्त ख़राब करते हैं, जानते हुए करते हैं....

(श्री मदनसिंह द्वारा विनोदपूर्वक कुछ कहने पर)

दांता साहब ज्यादा दांत न दिखावें ।

(ट्रेज़री बेंचेज़ की ओर से करतल-ध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री ज्वालाप्रसाद (जारी) : मैं यह बात कर रहा था कि आज यह एलीमेन्ट पैदा किये जा रहे हैं । अब पब्लिक आपको बहुत अच्छी तरह से पहिचानती है । यही बात है जिसकी वजह से आप दिन ब दिन इस प्रकार दुबले होते जा रहे हैं, जिस प्रकार कोई सूखे का रोग किसी बच्चे को लग जाने पर सूखता है, पेट कहीं आगे निकल जाता है, तो पसलियें कहीं रह जाती हैं । इसी तरह से दिन-ब-दिन जनता आपको वोटों से पतले किये हुए चली जा रही है ।

(हंसी एवं हर्ष-ध्वनि)

इसके आगे अब मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि बहुत सी बातें कही गई हैं जो ऐसी हैं, कुछ समझ में नहीं आईं और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका जवाब राज्य सरकार की तरफ से होगा ही । मगर चुनावों के बारे में जो बात कही गई उसके लिये अगर ठीक तरह

(श्री ज्वालाप्रसाद)

से समझा जावे तो मैं यह कहूंगा कि इलेक्शन के लिये इलेक्शन कमीशन है और उसका स्वतन्त्र अधिकार है। आप देखिये कि चुनावों के अन्दर किसी प्रकार की आपको गड़बड़ी दिखाई दे, तो इलेक्शन कमीशन है और उसको आप मूव कर सकते हैं। जब कांग्रेस ने अंग्रेजों को निकाला तो लोग यह कहते थे कि वे आ जावेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यह चाहते थे कि वे लौट कर आ जावें और आज कांग्रेस का ठेका नहीं, कांग्रेस को निकालने के लिये जिस ढंग से बदनाम किया जाता है मैं कहता हूं कि पब्लिक उसको सुनना पसन्द नहीं करती। आप बतावें कि...

श्री बृजमोहनलाल : यदि उनको आज भी यह मालूम हो जाए कि चर्चिल आने को तैयार हो तो वे पत्र चर्चिल को भेजने को तैयार हैं। १८५७ से जिक्र किया जाए तो देश के गद्दार राजा थे, वे मिट गये।

श्री ज्वालाप्रसाद : (जारी) इसलिये उन लोगों ने जब अंग्रेज गये तो कोशिश की कि वे वापिस आ जावें। मैं राजाओं की बात नहीं कहता। मैं भी १२–१३ साल संघर्ष में रहा हूं और मैं जानता हूं कि अगर गोलियों के जरिये आज़ादी आती तो सभी के सिर लटक जाते। कांग्रेस को दुआ दो, महात्मा गांधी को दुआ दो जिनकी वजह से वे जिन्दा छोड़े जा रहे हैं और अब कानून के जरिये राज्य करने की कोशिश की जा रही है।

श्री जगदीशप्रसाद : ये सब कांग्रेस में बन गये।

श्री ज्वालाप्रसाद : उनको बराबर के अधिकार हैं। हर व्यक्ति को बराबरी के अधिकार हैं, यह कांग्रेस की वजह से है। पहले दांता साहब के गढ़ के सामने किसान इकट्ठे किये जाते थे और...

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order please! The Hon. Member will not refer to the names of hon. Members. Yes, resume the debate...

श्री मदनसिंह (दांता) : कोई बात नहीं, अकबर के यहां क्या भांड नहीं होते थे?

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order please!

श्री ज्वालाप्रसाद : मैं अकबर के राज्य की बात नहीं करता, वह तो आपके साथ रिश्ता होगा।

(हंसी)

मैं आपको यह बताने की कोशिश करूं कि १० साल के अर्से में हम कहां से कहां तक पहुंच गये हैं। कांग्रेस का राज्य आया और हमने भ्रष्टाचार और निपोटिज़्म और फेवरिज़्म से लड़ने के लिये कदम उठाये : यह नहीं कि सारी की सारी जगह राजा जी के साले और छुट भाइयों को दी जाएं और उनको ही अफसर बनाया जाए। वे लोग आज इस तरह की बातें करते हैं कि फलां व्यक्ति सुप्रिन्टेन्डेन्ट कैसे बना, वह तो एक सब इन्सपेक्टर था? उसको सब इन्सपेक्टर से प्रोमोशन किस तरह से मिल गया? मैं यह कहूंगा कि यह उसका राइट था एज़ ए गवर्नमेंट सर्वेन्ट, उसका अधिकार था और उसको मिला। दूसरी बातों का जवाब देने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको पहले और इस समय के अधिकारों का मुकाबला करना है। आज कांग्रेस का राज्य है और कांग्रेस के राज्य में कोई किसी को निकाल नहीं सकता, उसके

(श्री ज्वालाप्रसाद)

साथ अत्याचार नहीं कर सकता, जिस प्रकार कि सीकर में किसानों पर अत्याचार हुए और दूसरी कई जगह पर हुए। मैं किसी के लिये नहीं कहता, मगर उस समय की तरफ इशारा करना चाहता हूं और यह कहना कि उस तरह के युग से हम निकल चुके हैं और आज जनता में सिवाय संतोष के कुछ नहीं है और जनता संतुष्ट है हमारे कार्यों से। इस बात का फैसला पब्लिक कब करती है कि वह किसके द्वारा राज्य चलाना चाहती है? जब चुनाव होते हैं, राजस्थान के वोटर इस बात को तय करते हैं कि वह राज्य किस पार्टी से करवाना चाहते है? आज से साल भर पहले वोट पड़े थे और उसके बाद राजस्थान की पब्लिक ने यह साबित कर दिया कि वह केवल कांग्रेस से राज्य कराना चाहती है, कांग्रेस में उसको विश्वास है। उसकी एफिशियेन्सी में उनको विश्वास है, उसकी ईमानदारी में और दयानतदारी में विश्वास है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे मौजूदा अधिकार हैं और पुराने जमाने में क्या होता था उस पर प्रकाश डालता हूं। पहले जागीरदार क्या किया करते थे, उनके यहां क्या होता था, वे एक बलाई या भाभी को किसी भी व्यक्ति को बुलाने के लिए भेजते थे और कहते थे कि फलां को पकड़ लाओ। उसको पकड़ लाता था और उसको खोड़े में डाल दिया जाता था। सुबह से शाम तक वह खोड़े में पड़ा रहता था। जब वह व्यक्ति सुबह से शाम तक खोड़े में पड़ा रहता था तो आपकी सब बातें अपने आप मान लेता था। मगर आज क्या होता है, ऐसी बात नहीं है।

श्री मदनसिंह (दांता) : आज भीमसिंह जी को टिकट दिया जाता है, जो किसानों को मारते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद : यह कुछ लड़खड़ाहट की बात है, मेरी समझ में नहीं आई। आप अपने दायरे में रहिये। अभी आपको बहुत कुछ सुनाऊंगा। मैं आपको कह रहा था कि किस तरह से यहां पर पुरानी बातों को लेकर बहुत सी चर्चा की गई। जब एक एक बात को ले ली जावे तो समझ में आ जाएगी। लेकिन किस तरह से उनको रखने की कोशिश की गई है, चाहे उनमें कोई तथ्य नहीं हो, मगर इस ढंग से रखी गई है कि बड़ी सुन्दर मालूम होती हैं, मगर उसमें तथ्य क्या निकलेगा? भैरूसिंह जी ने बोलने का अपना एक तरीका बना रखा है और उसको सुनते सुनते हम लोगों को ऐसा लगने लगा है जैसे कई दफे कोई गाना सुनते सुनते लगता है। जब किसी गीत का गली गली में प्रचार होता है तो कान आदी हो जाते हैं और एक बात यह भी है कि उनकी बातों के कहने का एक मजेदार तरीका होता है। उन्होंने सर्विसेज के बारे में कहा और पहली बात जो उन्होंने उठाई वह हेड्स ऑफ दी डिपार्टमेंट के बारे में थी। आपने फरमाया कि डाईरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज टैक्नीकल हेड नहीं है, आई. ए. एस. नहीं होना चाहिये। मैं बडे अदब से कहूंगा कि आई. सी. एस. और आई. ए. एस. अधिकारियों को यहां तो क्या सेन्टर गवर्नमेंट-में भी टैक्नीकल पोस्टों पर सरकार रखती है। मैं आपको बताऊं कि डाईरेक्टर ऑफ टेलीग्राफ कोई टैक्नीकल हैन्ड होना चाहिए था, मगर नहीं है। शंकरराय आई. सी. एस. हैं, वे टैक्नीकल नहीं हैं फिर भी टैक्नीकल पोस्ट पर है। उनको इसलिए रखते हैं कि आई. सी. एस. और आई. ए. एस. अच्छी तरह से जानते हैं कि कानून के जरिये काम किस तरह से चलाया जाता है उनके नीचे टैक्नीकल एक्सपर्ट रहते हैं जो उनको राय देते रहते हैं।

Page No.73

(श्री ज्वालाप्रसाद)

मुझे ऐसा लगा जब उन्होंने एक घंटा इस बात के लिए लिया और जब वे किसी भी तरह से इस बात को साबित नहीं कर सके तो उन्होंने यही कहा कि फलां डाईरेक्टर साहब उस डिपार्टमेंट का काम नहीं जानते ।

मेरे दोस्तों, वही बात है, ज़रा अभी अभी मौका पड़ा है, आपका अनुभव है, किसी ने मुझे बताया कि आप सब इन्स्पेक्टर पुलिस थे। फिर ऐसी बातें क्यों करते हैं। कहीं जानबूझ कर तो नहीं करते, यह मेरे मन में आता है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये जान-बूझ कर करते हैं। भाषा भी आप अजीब बोलते हैं। पुलिस यूनियन बनाने के लिए अपनी लैंगवेज में चीफ मिनिस्टर साहब को कहा, जरा मैं उन्हीं के शब्दों को पढ़ देता हूं; आप कहते हैं अपनी भाषा के जरिये, "नागवार लगा"। लगा नागवार। "लेकिन वक्त ऐसा आगया है कि कहना ही पड़ता है।" यह भाषा है। नागवार लगना मुश्किल था, कुछ इस तरह कहना भी जरूरी हो जाता है। यह भाषा का रूप है। भाषा में क्या सौन्दर्य है, भड़ाभड़ मालगाड़ी चली आ रही है वैसे चले जाते हैं।

(हंसी)

आप देखिए उन्होंने जो पहला सवाल उठाया था, जरा आप विचार करें, समझदारी की बात हो तो कोई। दा साहब के इलेक्शन की बात कही। मैं कहता हूं वह तो इलेक्शन कमीशन का काम था। वहां जितने अधिकार आपके थे, उतने ही अधिकार दा साहब के भी थे। यह मोरल टर्पिट्यूड की बात है। इलेक्शन के वक्त आप इसको करते। यह वहां के अधिकारों की बात थी। लेकिन इलेक्शन के वक्त तो किया नहीं। सदन में जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को काम में लेना चाहिये, लेकिन नहीं; इलेक्शन की बात कह कर एक कायराना हमला करते हैं। यह एक कायराना हमला है, मैं इसको एक कायराना हमला कहता हूं '

(करतल–ध्वनि)

श्री मदनसिंह (दांता) : इसके लिए और कुछ कहने वाले थे!

श्री ज्वालाप्रसाद : मुझे आपसे डर नहीं लगता है। मैं इस तरह से चुप नहीं होने वाला हूं। तो मैं आपसे कह रहा था पहली बात के लिये कि इसको उन्होंने यहां जो उठाया है वह एक चीज़ पर आधारित है, एक स्कीम के मातहत है, यह चीज़ पूरी तरह से सारे देश में फैली हुई है, वहां आपको अधिकार है और उनका वहीं उपयोग करिये। कोई आदमी बे गुनाह है, उसके लिए हंसने लगे और किसी बात पर ज़ोर देने लगे। हंसने लगे, तो जैसे वह ग़लत लगता है उसी तरह से इस बात को यहां बार बार उठाना भी इस हाउस को ग़लत लगता है। पहला आपने प्रेस डिपार्टमेन्ट के लिए बताया। मैं बड़े गौर से आपकी भाषा को सुन रहा था, लेकिन दांता साहब, वे फरमाते जा रहे हैं लेकिन डरते भी जाते हैं। मैं जानता हूं कि उनसे कल ही चेम्बर में काम पड़ने वाला है और वे सुन लेंगे चाहे दरवाजे में खड़े रह कर, लेकिन बात करते हैं तो बात करना पड़ता है। उनकी भाषा को गौर से देखना पड़ता है। बड़े अच्छे अफसर हैं। लियाकत की बात है। मैं तो भाषा की बात करता हूँ। प्रेस में कम्पोजिंग का कार्य डाइरेक्टर थोड़े ही करता है। हाउस के सामने एक ले-मेन की तरह बात कही जाती है। डाइरेक्टर का यह काम है कि ऑफिस के काम में एफिशियेन्सी हो, यदि कोई गलत कार्य, ऑफिस में,

(श्री ज्वालाप्रसाद)

उनके सबोर्डिनेट्स द्वारा किया जाता है, उसको देखे और सजा दे । डाइरेक्टर को गजट निकालने पड़ते हैं, इसके लिए कानूनदां आदमी की जरूरत पड़ती है और इसीलिए उनको बैठा रखा है । उनसे कोई कम्पोजिंग नहीं कराते । इत्मिनान रखिये, इत्मिनान रखिये, और आपकी जो ग़लतफ़हमी है उसको निकाल दीजिये ।

(हंसी)

और भी डिपार्टमेन्ट्स की बातें कहीं। इन बातों में एक पंचायत डिपार्टमेन्ट की बातें कहीं।

(कुछ ठहर जाने के कारण)

श्री तनसिंह : कल बोलिये ।

श्री ज्वालाप्रसाद : एक एक बात लेकर आता हूं ।

(पुनः कुछ ठहरना एवं कागज़ पलटना)

श्री तनसिंह : शुक्रिया। सुनने के लिए बड़े इच्छुक हैं।

श्री मदनसिंह (दांता) : दूसरे को समय दें, अध्यक्ष महोदय।

श्री ज्वालाप्रसाद : वह मेरे वक्त से कट जावेगा, आपको क्यों फिक्र हो रही है ?

(हंसी)

वे चीजें कुछ फायदा उठावेंगी आपका । ३०० केसेज़ के एम्बेज़लमेन्ट की बात कही । क्या एम्बेज़लमेन्ट का आपको पता चला ? निकाले तो इसी गवर्नमेन्ट ने निकाले । यदि ३७६ हो गये तो आपने निकाले या इसी गवर्नमेन्ट ने निकाले ?

(राज्य पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

आपकी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कि आप इस प्रकार कहते हैं तो आप करप्ट करते हैं, अधूरे फेक्ट्स लाकर आप करप्ट करते हैं लोगों को, हमारी सर्विसेज़ को करप्ट करते हैं जिनसे इस प्रकार के अधूरे फेक्ट्स लाकर करते हैं ।

(राज्य पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

इसी कांग्रेस हुकुमत ने एस्टीमेट्स कमेटी में ले जाकर आपको बिठाया, उसी से फेक्ट्स लाकर जनता में बातें पैदा करना चाहते हैं, उसी हुकूमत के टुकड़े हैं जिसका राज्य है, जो चीजें उससे मिलती हैं, उसी के प्रति आपको अविश्वास कैसे हो सकता है ? जो हुकुमत चीजें निकालती है, उन चीजों का क्या जनता में इस प्रकार अविश्वास पैदा करा देना चाहिए। निकाली हैं तो कांग्रेस की इस हुकूमत ने । मामलों में इन्क्वायरी होती है, उनके भी अधिकार हैं। जितने आपके अधिकार हैं। आप देखिये महाशय, आप कहते हैं घूस लेकर, फिर रेजिग्नेशन देकर बच गये ।

(करतल—ध्वनि)

इन्क्वावयरी होती है, कोई कानूनी बात उठती है, रिट में चला जाता है । कोर्ट में विश्वास है।

डेमोक्रेसी धीरे धीरे चलती है। आप जो डेमोक्रेसी का मतलब समझते हैं वह डेमोक्रेसी नहीं, वह तो तानाशाही है। आज जनता तानाशाही में नहीं समझती । जहां जहां समझती है वहां इस तानाशाही को वह खत्म करती जा रही है ।

(राज्यपक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

श्री मदनसिंह दांता : हम भी यही चाहते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद : आप क्या चाहते

(श्री ज्वालाप्रसाद)

हैं, उसी का यह हाल हो रहा है। भगवान और धर्म यहां आ जाता है।

(राजपक्ष द्वारा करतल-ध्वनि एवं हंसी)

अब वक्त बदल गया है। टाकुर साहब दांता, वक्त बदल गया है। वक्त के साथ चलेंगे तब ही जनता के लीडर हो सकते हैं; नहीं तो भगवान और धर्म के भरोसे मौका आपका आने वाला नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : उसी का सहारा ले रहा है वही अच्छा है।

श्री ज्वालाप्रसाद : भगवान की बात कहते हैं लेकिन भगवान की बात ऐसी है। दोनों तरफ से बता सकता है। एक चोर चोरी करने के लिए जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान् अच्छी जगह चोरी करा जिससे अच्छी प्राप्ति हो .. ....

(हंसी)

श्री मदनसिंह : यह बात आपकी तरफ से हो रही है ?

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

श्री ज्वालाप्रसाद : एक सेठ कहता है कि भगवान मेरी तिजोरी की रक्षा करना। भगवान कान में अंगुली लगाकर बैठ जाता है और कहता है कि अपनी अपनी अक्ल लगाओ, मुझसे मत पूछो। इसलिए दांता साहब, डेमोक्रेसी में कानून है, आपकी सुनवाई नहीं होने वाली है।

(हंसी)

जनता की सुनवाई होने वाली है।

(करतल-ध्वनि)

अब जनाब पहली मर्तबा तो शुरू किया वहां हमारे भैरोंसिंहजी ने, जनाब की एफीशियेन्सी की तरफ निगाह गई और कहा कि आई. ए. एस. और सर्विसेज़ के लोग हैं, डाइरेक्टर किस को बनाना चाहिए । कम्पोजिटर हो उसको डाइरेक्टर बना देना चाहिए ? अगर एक आदमी खेती कर रहा है, उस किसान को डाइरेक्टर एग्रीकल्चर बना देना चाहिए। कई प्रयोग-शालायें खुली हुई हैं, कीड़ा कैसे लग जाता है, उनमें उनके द्वारा जो इसके लिए एक्पर्ट हैं जांच होती है, एक्सपर्ट मौजूद हैं, प्रयोगशालायें खुली हुई हैं और उन सब का डाइरेक्टर संचालन करते हैं। एक्सपर्ट हैं उनका भी एक तरीका है। आप कहते हैं कि इसके साथ यह क्यों नहीं हुआ, इसके साथ यह क्यों नहीं हुआ, १२ की क्यों नहीं आई, १८ की कहां गई ? एक दूसरे से विपरीत बातें कही जाती हैं। फिर कहा जाता है कि शिड्यूल्ड कास्ट का परसेंन्टेज आया नहीं। हिमायत की जाती है, ऐसा किया जाय, वैसा किया जाय। हिमायत की जाती है ऐसी चीजों की जिससे मालूम हो कि विरोधी चीजे हैं। विरोधी सदस्य चाहते हैं कि इसमें नमक डाल दिया जाय, सरकार में नमक डाल दें। उनमें इस प्रकार नमक नहीं डाला जा सकता, वे तो उसी प्रकार रहेंगे। कभी भी इनके काम के अन्दर किसी प्रकार की बाधा जनता आने नहीं देगी। जनता का इनमें विश्वास है जिसे जनता ने अपना विश्वास देकर सरकार हाथ में सौंपी है उसे कोई भी हटा नहीं सकते ....

श्री मदनसिंह : अजमेर की गलियों में से तो कुछ लिखा हुआ आपके पास नहीं आ गया।

श्री ज्वालाप्रसाद : (जारी रखते हुए) एक बड़ी मजेदार बात और कही एक माननीय सदस्य ने। उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री के

Page No.76

(श्री ज्वालाप्रसाद)

इस कथन को दोहराया कि अगर किसी एक भी सदस्य को उनके कार्य पर सन्देह हो तो वे एक मिनिट भी इस कुर्सी पर बैठने वाले नहीं हैं; यह ठीक है, यह एक ईमानदारी और दयानतदारी का सुबूत है कि हमारे मुख्य मंत्री को अपने कार्य पर इतना विश्वास है कि उन्होंने सदन में यह कहा कि किसी आदमी को फेक्ट्स के बेसिस पर सन्देह हो तो वे अपनी जगह से हटने को तैयार हैं। मैं समझता हूं, हर ईमानदार इस प्रकार की बात कहेगा, हर आदमी जिसको कुर्सी का या पद का मोह नहीं वे तो ऐसी बात कहेंगे ही, लेकिन जो सदस्य नसीहत देते हैं वे खुद उससे नसीहत लेते नहीं हैं। महानुभाव आपको यह ध्यान में रखना चाहिये कि ११६ आदमियों का बहुमत लेकर आये हैं, आपके जैसे व्यक्तियों के रहम की जरुरत नहीं। आपके दिमाग में फोड़ा हो गया हो तो उसको निकाल लें।....

श्री मदनसिंह : सबसे बडा फोड़ा तो यही है।

श्री ज्वालाप्रसाद : (जारी रखते हुए) आप बुद्धिमान हैं और इतने बुद्धिमान हैं कि सारे राजस्थान के लोगों को आपका लोहा मानना चाहिये। भले मानुष, भले आदमी चीफ मिनिस्टर साहब इस्तीफा देते हैं तो क्या राज्य आपके हाथ में आने वाला है? जिस तरह से आकाश में बादले इकट्ठे होते हैं और उन बादलों के बीच में उस अन्धकार को चीरने वाला सूर्य या चांद ही हो सकता है, आप अपने वोटों को तो गिनिये आपके पास वोट कितने हैं......

३.३ म० प०

श्री अर्जुनदास : On a point of information, Sir, does the Hon. member refer to the members or to the Chair ?

श्री ज्वालाप्रसाद : You will please take your seat.

श्री अर्जुनदास : To whom is the Hon. member referring, to the members or the Chair ?

श्री उपाध्यक्ष : Since the Hon. member is not giving way, the Hon. member may kindly take his seat.

श्री अर्जुनदास : What I mean is whether the Hon. member is......

श्री उपाध्यक्ष : The Chair is on its legs. The Hon. member is not giving way. (to the Hon. member) Will resume his debate.

श्री ज्वालाप्रसाद : ये नसीहत की बातें नहीं हैं, ये फेक्ट्स हैं जो मैं आपको बतला रहा हूं। आपने इस फेक्ट को इतना जल्दी मान लिया, इसके लिये आपको बहुत धन्यवाद है। आपने उसी वक्त मान लिया था कि दूसरी सरकार बन नहीं सकती, तो महानुभाव आपने तकलीफ ही क्यों दी, आपको क्या बीमारी हो गयी थी? सदन के सदस्यों को यहां आना पड़ा, कौन सी ऐसी बात थी जिसने आपको इस प्रकार के प्रस्ताव को रखने को मजबूर किया। पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का सिद्धान्त है, आप हुकूमत बदल सकते हैं, जब कि आपके पास वोटों की ताकत हो। आपका बहुमत ही आपके प्रस्ताव को सफल बना सकता है लेकिन अपको पता है आपके पास कितने मत हैं? आप अपने आपको बड़े सिद्धान्तवादी मानते हैं। सिद्धान्त सरकार

(श्री ज्वालाप्रसाद)

को किस प्रकार बदला जा सकता है, यह भी आप जरूर कुछ समझते हैं। आपको विरोध रखना जरूरी है। आप विरोध किस प्रकार का रखते हैं, यह भी मैं सुनाऊंगा। पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के साथ दयानतदारी की बात है तो यह मौका ऐसा नहीं था कि आप नो कॉन्फीडेन्स मोशन लाकर हाउस का वक्त लेते। उन्होंने दो मोटी सी बातें रखी हैं। एक बात को लेकर उन्होंने कांग्रेस की तरफ इशारा किया, मूंदड़ा कान्ड का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने एक लाख रुपया कांग्रेस के चुनाव में दिया। लेकिन माननीय सदस्य को याद होना चाहिये, यह तो उसी सरकार की हिम्मत है कि आज उस पर मुकदमा चलाकर उसको जेल में बन्द कर दिया गया।

(करतल-ध्वनि)

श्री मदनसिंह दांता : ऐसा ही मुकदमा इन पर चलाया जावे तो आनन्द आवे।

श्री ज्वालाप्रसाद : उन महानुभाव को पता होना चाहिये कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है ? आज हर कार्य हम कानून के जरिये करना चाहते हैं, आज हम यह नहीं कर सकते कि अमीरों का धन छीन कर गरीबों में बांट दें। जो कुछ भी हमें करना होगा वह कानून और कायदे के ज़रिये किया जायगा। छोटी छोटी बातों को लेकर आप बौखलाहट करते हैं आप अपने को जनता का प्रतिनिधि मानकर अपने हकों को जबरदस्ती मनवाना चाहते हैं। आप कानून से बचने के लिये दो, चार, दस का लालच देते हैं और इस तरह से ओब्स्ट्रक्शन लाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि आप जनता तक स्वराज्य को पहुंचाने में बाधा पैदा कर रहे हैं।

ट्रान्सपोर्ट की बातें करते हैं। महाशय, आपको मालूम होना चाहिये इसके लिये ट्रान्सपोर्ट एक्ट है जो क्वाज़ी जुडिशियल बोडी है, उसमें देने-लेने का ताल्लुक ही क्या है....

श्री भैरोंसिंह : मोटर विहिकल्स एक्ट है।

श्री ज्वालाप्रसाद : आपकी कानून के बारे में क्या पोजीशन है, वह भी सुनना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैंने तो कभी प्रेक्टिस की ही नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद : प्रेक्टिस नहीं तो सिफारिश की होगी। आपको पता होना चाहिये, इस प्रकार का एक एक्ट है जिसके अन्तर्गत आर० टी० ए और एस० टी० ए० की बॉडी बनी हुई होती है जो क्वॉजी जुडिशियल बोडी कही जाती है। उस क्वॉजी जुडिशियल बॉडी को अधिकार है और उन अधिकारों के मातहत वे परमिट देते हैं। अगर उसके खिलाफ किसी को एतराजात होते हैं तो उसको अपील करने का अधिकार है और मुझे जहां तक याद है हाईकोर्ट तक जा सकते हैं। आपको ट्रान्सपोर्ट का बड़ा फिकर है, आपको अधिकार है, आपको किसी प्रकार का एतराज है तो आप अपील कर सकते हैं, हाईकोर्ट तक आपके लिए खुला है। हमारे एक माननीय सदस्य की लिटल कार गिर गई इसलिए उनको ट्रान्सपोर्ट की फिकर पड़ गई और फिर नेशनल हाईवे की बात कर दी। लेकिन महानुभाव आपके पास तो मोटर नहीं, आपको ट्रान्सपोर्ट डाईरेक्टर के खिलाफ इतनी नाराजगी क्यों ? जिसकी वजह से आपको इतना दुख हुआ।

श्री अनूपसिंह : On a point of order, Sir, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय

Page No.78

(श्री अनूपसिंह)

सदस्य पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी के एक्सपर्ट हैं लेकिन माननीय सदस्य को यह पता नहीं कि किस प्रकार किसी सदस्य को सम्बोधित किया जाता है। अगर किसी सदस्य के लिए कुछ कहना हो तो या तो माननीय सदस्य कहकर या उन सदस्य की कोन्स्टीट्युएन्सी का हवाला देते हुए कहना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : My request to the Hon. member will be that he would refer the constituency of the Hon. member to whom he is referring in the debate and not refer to persons.

श्री ज्वालाप्रसाद : Will the Speaker help me to continue. Some body does not know the constituency......

श्री उपाध्यक्ष : Will continue. This type of references were also advanced by the......

श्री ज्वालाप्रसाद : The Hon. member does not know at all, Sir, that by that side also they were referring to persons and designations of the officers at that time.

(बाधाएं)

Will the Hon. Spekaer help me to continue...

श्री अर्जुनदास : Does the practice envisaged to refer constituencies to which he represents is followed ? The Hon. member could have received tha information. It bis a practice envisaged which is to be observed.

श्री उपाध्यक्ष : The chair connot be helpful in this respect.

श्री ज्वालाप्रसाद : (जारी रखते हुए) माननीय उपाध्यक्ष इसके लिए मुझे दो तीन सदस्यों की कोन्स्टीटयुटएन्सी याद रखनी होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें आपकी मदद की आवश्यकता है, पार्लियामेंन्टरी प्रेक्टिस का जो सहारा लिया गया है वह ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : It is...

श्री ज्वालाप्रसाद : इनकी कोन्स्टीट्यूएन्सी श्री माधोपुर बताई गई।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री ज्वालाप्रसाद: (जारी) तो मैं कह रहा था कि यह श्रीमाधोपुर से आने वाले सदस्य जो बोल रहे थे, वे जैसा उनका तरीका है बड़े बढ़िया ढंग से एक हैडिंग देते हैं और एक ही बात को दस बार दोहराते हैं। मैं उनकी तरह से उत्तर नहीं दूंगा। उन्होंने ट्रांन्सपोर्ट के बारे में कहा। मैं कहता हूं, एक बात दिमाग में से निकाल दी जावे कि सर्विसेज़ कुछ करती हैं, पार्टी पॉलिटिक्स में बह जाती हैं, उनके अपने राइटस हैं, वे किसी मिनिस्टर से नहीं दबते। वे आज इस पार्टी के वफादार हैं, कल दूसरी पार्टी आई तो उस केसाथ भी वफादारी की कसम खाते हैं। वे तो जनता की सेवा करने के लिये हैं। कभी भी पॉलिटिक्स से वास्ता नहीं रखते। उनको विधान के ज़रिये प्रोटेक्शन दिया गया है। वे मिनिस्टरों की भी नहीं मानते गैर वाजिब चीज़ तो। यह आपको मानना चाहिये। आप उनके, डिफरेन्ट तरीके से काम करने के औचित्य को क्वेश्चन करते हैं। मैं कहता हूं उनको आप नहीं कर सकते इस तरह से। इस तरह से

(श्री ज्वालाप्रसाद)

करना गैर कानूनी है। यहां अलग अलग स्टेटें हैं; किशनगढ़ है; झालावाड़ है वहां से सर्विसेज़ से आदमी राजस्थान सर्विसेज़ में आये हैं, वे वहां अपनी जागीरें बनाकर न बैठ जावें इसलिये जरुरी है कि उनका तीन साल में तबादला कर दिया जावे। अब ऐसा करते हैं तो आप फरमाते हैं तबादला क्यों करते हो? आपको शुबहा है तबादले में भी? उनको तो क्या मीनिया हो गया है? उनको एक बीमारी हो गई है, यह क्या हुआ, कैसे हो गया? बहम हो गया। हर बात में शुबहा। मुर्दे को मरघट ले जाते वक्त रास्ते में उत्तर की तरफ रखते हैं। एक ने पूछा उत्तर में क्यों रखते हैं इसे, दक्षिण में क्यों नहीं? एक बुजुर्ग ने कहा "यह तो एक रिवाज़ बन गया है कि यह उत्तर में ही रहेगा और कोई बात नही"। अब अगर तुम्हारे लिये उसे दक्षिण में रख देते तब भी तुम तो यही प्रश्न करते कि इसे दक्षिण में क्यों रक्खा, उत्तर में क्यों नहीं?

(हंसी)

तो इस तरह से कोई भी सही काम करिये। एक तरफ जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ गैर जिम्मेदारी है। एक गैर जिम्मे-दारी के ऐसे सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता। तो एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से सोचने की हमें कोशिश करनी चाहिये ताकि समझ में आ सके कोई बात। आप मिलते हैं अफसरों से। आपका काम कर दिया तो अच्छा, नही तो बुरा। माफ करिये बहुत सी जगह ऐसी बातें हैं। मैं कहूं मिनि-स्टरों के यहां केजुअलि जाते हैं, उन्हें सलाम करते हैं। आपने भी कइयों को देखा होगा। मैं नाम नहीं लूंगा। वह बड़े इखलाक के साथ बातें कह जाते हैं। बहुत सी बातें कही जाती हैं, कोशिशें की जाती हैं। कहीं किसी का भाई फंस गया किसी मामले में, तो मिनिस्टरों तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, कहीं कोई उसका सगा-सम्बन्धी किसी मामले में फंसता है तो सिफारिशों के लिये कोशिश की जाती है; कहते हैं छोटी-मोटी गलती हो गई है, उसको छोड़ दिया जाय। नहीं छोड़ते हैं तो करप्शन का लेक्चर देते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास: नाम बताइये उनका।

श्री ज्वालाप्रसाद: अगर नाम की बात करते हैं तो नाम भी बताऊंगा।

श्री अर्जुनदास: We are entitled to hear the name, otherwise it is an aspersion of the Hon. members, Sir, नाम कहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: Order Please!

श्री अर्जुनदास: He should tell the name, Sir.

श्री उपाध्यक्ष: There is nothing of aspersions. It is generalisation of the issue.

He will continue the debdate.

श्री मुरलीधर व्यास: नाम बताने चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद: इसके बाद श्रीमान्जी, इस बात को अच्छी तरह समझने के लिये थोड़े धीरज की जरुरत है।

इसके बाद कोऑपरेटिव की ट्रेनिंग की बात कही। ट्रेनिंग नहीं दें, आप कहते हैं ट्रेनिंग नहीं देते। आपने पंजाब और यू. पी. की दलीलें दीं। कन्सोलिडेशन के लिये रिपोर्ट में लिखा है और क्या लिखा है, ये सब बातें बगैर एक्सपर्ट के नहीं कह सकते। रिपोर्ट में ठीक ही लिखा है। फिर जो काम शुरु हुआ

Page No.80

(श्री ज्वालाप्रसाद)

है वह आज के इस अस्तव्यस्त समाज में क्रांति उत्पन्न करने के लिये किया जा रहा है। इसके लिए डिपार्टमेंट खोले जा रहे है। आज वे काम हो रहे हैं जो पहले रियासतों में कभी नहीं हुए। तो आज आपके पेट में दर्द है कि इसको डाइरेक्टर क्यों बना दिया ? दो साल बाकी थे रिटायर होने में, उसे ट्रेनिंग में क्यों भेजा ? यह सरकार के देखने का काम है। किस आदमी से क्या काम लेना है क्या नहीं, इसका फैसला योग्यता से सरकार कर सकती है। आप ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि दो साल में चला जावेगा। पर इन दो साल में ही वह दस आदमियों को ट्रेंड कर देगा। यह आपने नहीं सोचा ! फिर कन्सोलिडेशन का काम अच्छा शुरू होगा। पर आप ढिलाई चाहते हैं। जल्दी का नाम लेकर देरी करवाना चाहते हैं। जो आज क्रान्तिकारी परिवर्तन राजस्थान में हो रहे हैं, जिनकी कल्पना तक हमने नहीं की थी कभी, उसकी रफ्तार में आप देरी करना चाहते हैं पर अगर इसमें देरी आप करेंगे तो आपकी तबियत खुश हो जायगी।

इसके बाद किन्हीं सूद साहब का नाम लिया। मालूम नहीं किस लिये। वैसे कहूं तो उनके वे बड़े दोस्त हैं। इसको कलेक्टर से रजिस्ट्रार बना दिया, कोऑपरेटिव का। वहां तो कोई शिक्षा विशारद होना चाहिये। जानकार होना चाहिये। बीच बीच में आप इस तरह की हल्की हल्की बातें भी किया करते हैं। उनका जवाब दे सकता हूं। पर मैं नहीं सोचता, इस वक्त उस तरह का जवाब दिया जाय। हम पूरी तरह से कुए की आवाज निकाल सकते हैं। आप गैर जिम्मेदारी से कुछ भी कह सकते हैं। हम भी उसी रूप में जवाब दे सकते हैं।

श्री ब्रजनदास : आप कहें न।

(शोरगुल)

श्री ज्वालाप्रसाद : ऐसा लगता है आप मुझसे कहलवा कर रहोगे।

(हंसी)

नहीं मानोगे।

तुम वहां पर हमारी तरफ से मीरजाफर की तरह बैठे हुए हो।

(हंसी)

अब आपने कृपा की समाज कल्याण बोर्ड पर। आप फरमाते हैं सोश्यल वैलफेयर आफिसर ऐसे आदमी हो सकते हैं। आपको मालूम नहीं, शायद उन्होंने कितना सोश्यल काम किया है। आपको मालूम है। जिसके लिए इन्टर्नेशनल लेबर ऑर्गेनाईजेशन है, उसमें यहां के लिये आया है कि एक एक टाकुर के पीछे डावड़ियां जाती हैं। वह सोश्यल वेलफेयर था। यह एक गुलामी की प्रथा थी। यह हमारा पुराना इतिहास उलटा नहीं जा सकता। जिसकी सारे दुनियां में चर्चा हुई वह आज किस तरह से पलटा जा सकता है। अब कौन आदमी सोश्यल वेलफेयर ऑफिसर है, मुझे मालूम नहीं पर परमानन्दजी से शिकायत मालूम होती है। पर मेरा यह निवेदन है आप से, आप इन बातों में दस्तन्दाज़ी न करें, यह सरकार का काम है। आपकी बात बन्द कमरे में नहीं मानी। आपके कहने से मान जावें, इस उम्मीद पर कहें तो यह भी गलत।

इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन की बात कहते हैं। दो बातें कहीं, पहले तो यह कि किसी की एफीशयेन्सी कैसी है। यह विभाग आई. ए. एस को आई. सी. एस. को कैसे दे दिया ? इसमें तो किसी एक्सपर्ट की जरूरत थी जो कम्पोजीटर का काम जानता होता या कॉआपरेटिव में हल चलाया हुआ होता या ट्रांसपोर्ट

(श्री ज्वालाप्रसाद)

में मोटर चलाया हुआ होता । मैं आपकी बात समझता हूं यह आपकी सिफारिश खतम हो गई । इसके बाद आते हैं, कोई रीति नहीं, कोई नीति नहीं । हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि भाई ये सब चीजें बारबार आप कहते हैं । आप कहीं एक जगह आकर खड़े होओ । हम चाहते यह हैं कि आपसे हमें मदद मिले । जब कभी ऐसा मोका आए तो आप अपना सुझाव पेश करें जिससे जनता का लाभ हो । इसलिए उन्होंने आपसे प्रार्थना की कि रीति-नीति पर बातें करें । तो आप फरमाते हैं कि रीति-नीति कोई है ही नहीं। मुझे अदब के साथ कहने दीजिए कि ये कांग्रेस सरकार की स्पष्ट नीति आज है कल थी, आज के वक्त थी, आज है, और जब अंग्रेज यहां थे तब थी । इस राजस्थान में और सभी ओर जगह नीति एक है और उस नीति की घोषणा एक है और वह है कि सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं जिसमें शोषण का काम हो । यह हमारा ध्येय है और उससे हम कभी इन्कार नहीं होंगे । आप करप्शन की बात करते हैं । यह करप्शन होता क्यों है ? इकोनोमिक बेसिस आफ काइम है क्या ? इस तरफ भी तो आप गौर करें । आप कुछ वैज्ञानिक तरीके से भी तो चलने का प्रयत्न करें । जिस जनतंत्र में आप रहते हैं, उसमें आपको कैसे काम करना है, इस पर आपको गौर करना चाहिए । आपको जो कुछ करना है वह कानून के जरिये करना है । जब आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आपने जिस तरह से यह रीति-नीति की बात कही । यह तो मैं कहता हूं कि दुनियां में सब कुछ कहा जा सकता है लेकिन हिन्दुस्तान में या राजस्थान में यह बात कभी नही मानेंगे कि उसकी नीति कुछ भी नहीं है । यह सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान क्या है ? यह सब हमारी नीति का ही तो फल है । उसके बाद में हमारे यहां पर-कैपिटा इन्कम बढ़ाने के लिए और भी स्टेटिस्टिक्स एकत्रित की जाती है । जो कि ऑनरेबल मेम्बर्स को यहां हाउस में कई बार दी जाती हैं । वह सब चीज क्या है ? हम एक ही तरफ चल रहे हैं, आज हमारे कानून का एक ही दृष्टिकोण है कि हम किसी तरह से उस तरफ बढें, जहां कि प्रोसपेरिटी हो : एक दिन में सब कुछ नहीं होता । किसी एक नेशन की जिन्दगी में दस या बीस साल कोई बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता । एक डिकेड हुआ है उसमें आज से दस वर्ष के पहले की कल्पना कीजिए । हम एक ऐसे ऐतिहासिक काल से गुजरे हैं कि हमने गुलामी भी देखी. स्वतन्त्रता भी देखी, राजाई भी देखी. जागीरदारी भी देखी. हमने ठाकुरी भी देखी, सेठ भी देखे, मिल मालिक भी देखे, अंग्रेजों का वक्त भी देखा और आज राजस्थान सरकार का वक्त भी देख रहे हैं । आप एक प्रकार की दीवार उठाने की कोशिश करते हैं, बीस लाख और तीस लाख की बात कह कर । एक मर्तबा क्या हुआ कि अफ्रीका के अन्दर कुछ स्टेटिस्टिक्स मांगी गई । आखिर स्टेटिस्टिक्स की बात हुई कि कितने आदमी रहते हैं और उन पर कितना रुपया खर्च हुआ ? अब इस प्रकार की स्टेटिस्टिक्स निकालने में दो चार वर्ष लगते हैं, लेकिन स्मर्टस साहब खडे हुए थे और उन्होंने बड़े इत्मिनान से एक बड़ी सी संख्या बोल दी और उस संख्या को सब लोग सुनते ही रह गये । जब वह लौटने लगे तो उनके सेक्रेटरी ने पूछा कि साहब आपने ये फिगर्स कहां से दे दिये तो उन्होंने कहा कि यह तो मैंने अपने मन से बोल दिये और अगर वह वैरीफाई करेंगे तो उनको वैरीफाई करने में दो साल लग जायेंगे और जब दो साल निकल जायेंगे तो शायद हम यहां रहेंगे ही

(श्री ज्वालाप्रसाद)

नहीं, अपने को क्या करना है, बस इतना सा कह दिया, तो इस तरह से यह लाखों की बात कह देने से लोगों पर प्रभाव डालने की भावना को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। गवर्नमेंट आपको बहुत अच्छी तरह से इनका जवाब दे सकती है और देती है। आपने कहा है कि फाइनेन्शियल करप्शन के बारे में और उस पैसे के फिगर्स के बारे में कहा। जनाब, जो कान्स्टीट्यूशन है जो संविधान है उसमें अकाउन्टेन्ट जनरल भी है, वह सब चिन्ता करता है और सब देखता है और उस देखने के बाद कुछ गड़बड़ होती है तो बड़ों बड़ों को रिज़ाइन करना पड़ता है और इसलिए यह चीज उठाना ही फिजूल है। मैं आपको बताऊं कि यह खबर कैसे आती है ? मान लीजिए कि हमें एक चीज मिली। यह हमारे यहां किसी भी दोस्त के यहां तय होती है और उस तय होने के बाद में उस सवाल को फिर यहां उठाया जाता है। यह बड़ा मुश्किल होता है एक कानून के अन्दर यह कहना कि ऐसा ही होता है, जगलों में ऐसा ही होता है। मैं आपको बताऊं कि इधर तो मिनिस्टर साहब ने सच्चाई की बातें सोचीं और उधर तो सच्चाई के पास तक नहीं आना। यह कैसे हो सकता है ? अब एक चीज जंगल के लिए है कि पार्टीज़ में एग्रीमेन्ट हुआ और एग्रीमेन्ट हाईकोर्ट में चला गया और जिसका हक था उसको देना पड़ा। तो जो वह वहां से हक लाये थे उसकी भी जांच हो रही है। लेकिन फिर भी संतोष नहीं है। अगले समझते हैं कि कुछ भी हो जाय, जनता में एक अव्यवस्था और कयास फैलायें जिससे कि संतोषजनक वातावरण न हो, जिससे कि सर्विसेज़ पूरी तरह से काम न कर सकें। इस मकसद से कांग्रेस पार्टी आगाह है और यह आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए हमने यह तय किया है कि हम पूरी तरह से हमारी नीति से संतुष्ट हैं। मैं नहीं जानता कि इसके अन्दर कोई शुबहा करने की बात है। मैंने सब बातों के ऊपर कहा है और उसके बाद में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं और "चेलेन्ज" लफ्ज़ की बात है तो चेलेन्ज भी कर सकता हूँ, मगर क्या कहें चेलेन्ज की कोई बात ही नहीं है, हमारा चेलेन्ज तो यही है कि जो हमारी नीति है वह बिल्कुल साफ है और उसको हम आखिर तक निभायेंगे।

इसके बाद में कृषि की उन्नति के बारे में लेक्चर दिया। उसमें बताया है कि इसके अन्दर भी कोई नीति नहीं है। यह तो हुकूमत चलाने वालों को भी पता है कि कृषि के विषय में हमारी क्या नीति है और वह कैसी है। हुकूमत चलाने वालों को भी पता है कि प्रपोरशन कैसे बनता है, आमदनी का क्या जरिया बनता है। मगर जोश के साथ कह कर किसी को गुमराह नहीं किया जा सकता। कृषि के बारे में दलील दी जाती है और कहा जाता है कोई नीति नहीं है। तो मैं आपको कहूंगा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सामने जैसी जैसी स्थिति आवेगी वैसी वैसी ही हम नीति बनायेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे। जवाहरलाल जी नेहरू ने भी कहा है कि हम यही प्लानिंग कर रहे हैं, हम ग्रुपिंग कर रहे हैं और जैसी जैसी स्थिति आती है, उसका सामना करने के लिए कोशिश करते हैं। तो आपके यहां जहां मूंगफली पैदा होती है वहां तेल निकालने के लिए कुछ लगाया गया या नहीं, इस तरह के प्रश्न आते हैं। जनाब जैसी स्थिति आयेगी और कांग्रेस की जो नीति है, उसके मुताबिक ही सब काम हो जायेंगे। आप

(श्री ज्वालाप्रसाद)

निश्चित रहें कि जिस तरह से राजस्थान की जनता निश्चित है, जिसको अपनी सरकार में विश्वास है, जिसमें आज से एक साल पहले पूरी तरह से चुनकर विश्वास रखा है वह सरकार सचेत है। जनता का उसमें विश्वास है। आपको जनता की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है तो फिर किस पार्टी के पास नीति है? जनसंघ के पास बहुत बड़ी नीति हैं, राम राज्य परिषद् के पास नीति है। "कहीं का रोड़ा कहीं का भाटा," क्या कहावत है? वह प्रोग्रेसिव पार्टी भी एक ही है। इन पार्टियों के पास तो रीति-नीति है। यह जनता बहुत अच्छी तरह से समझती है कि राजस्थान के अन्दर किस पार्टी के पास नीति है। इस आजादी को आगे ले जाने की और गरीबी से मोर्चा लेने की शक्ति आज केवल कांग्रेस पार्टी में ही है और किसी पार्टी में नहीं है और न उनमें शक्ति आयेगी और न आगे दस-बीस साल में पैदा हो सकती है।

इसके बाद में आपके सामने बुक्स की बात कही गई, नेशनेलाइज़ेशन ऑफ बुक्स। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने सदन को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। हमने नेशनेलाइज़ेशन ऑफ बुक्स किया उसके लिए सब लोगों ने यहां वोटिंग किया और जो कुछ भी उस समय हमने तय किया वह सब जनता की राय का ही एक्सप्रेशन था। आप लोगों ने इस हाउस में अपनी राय दी है फिर आप बराबर उसकी बुराई क्यों करते हैं? आपकी आवाज क्या है, आप हर दफा हारे हैं और हारेंगे। आपको श्रीमान यह देखना होगा कि आप इसको समझें बहुत अच्छी तरह से कि बुक्स का क्या काम है और उसके नेशनेलाइज़ेशन करने से क्या फायदा होगा? अब किताबें जुलाई से सितम्बर तक नहीं मिली? आपको बड़ी सहानुभूति है! आपकी सहानुभूति को जनता समझती है।

लेकिन आज यह डेढ़ करोड़ का राज्य है। इसके इतने कर्मचारी हैं। इनकी गलतियां होती हैं उनको सजा देने का हक है। चीफ मिनिस्टर प्रिन्ट नहीं कर सकते हैं। गलतियां हुई हैं। उस गलती को यहां माना है। मानने के बाद यह यकीन दिलाया है जनता को कि बुक्स के संबंध में जितना हो सकता है हम ठीक तरह से उसकी सेवा करें और स्ट्रेनुअस पोज़ीशन यह थी। स्ट्रेनुअस पोज़ीशन को लाने के लिये ठेकेदार लोग थे जिनको कि किताबों से कुछ मिलता था वह बन्द हो गया। मैं समझता हूं कि यह बात मान ली कि नेशनेलाइज़ेशन कर लें तो नेशनेलाइज़ेशन करने के बाद में जिनके हक छिन गये होंगे, वह आये होंगे कि और कहा होगा कि नेशनेलाइज़ेशन को क्रिटिसाइज़ करो ताकि नेशनेलाइज़ेशन को पूरा हटाया जाय। जनाब, जो आम जनता है वह इन बातों को नहीं समझती है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी चीज है। इस डेमोक्रेसी को समझाने के लिये दिक्कत आती है। वे समझते हैं कि इस विधान सभा में जलजला पैदा होगा और जलजले के दबाव में अफसर घबरा जायेंगे, मिनिस्टर घबरा जायेंगे। आखिर इस तरह की बात जो लोग समझते हैं वह नहीं होनी चाहिए।

यहां हाउस में कहा गया कि करप्शन अधिकारियों में है। माननीय सदस्य, इस बात को महसूस करें कि किसी बात को जिम्मेदारी के साथ कहने से पहले देखें कि हमारे पास फेक्ट्स हैं। बिना फेक्ट्स के किसी चीज में नहीं पड़ेंगे। अगर कोई इस तरह की चीज

(श्री ज्वालाप्रसाद)

लाई जाय तो पहले उसकी जांच करके संतोष कर लें। मेरे ख्याल से इसकी कोशिश की जाय। मैं नहीं मानता हूँ कि माननीय सदस्य ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन कुछ माननीय सदस्यों के चश्मा चढ़ जाता है लाल रंग का, तो उनको हर चीज़ लाल ही लाल दिखाई देती है। मेरा यह कहना है कि सदन के सदस्यों की प्रतिष्ठा के लिए यह जरूरी है कि उस चश्मे को निकाल कर पहले खास तौर से अपने लिए कल्पना करें। अगर आपको जनता पसन्द करेगी, तो बराबर आपको चुन लेगी। कुछ प्रोग्राम बनाइये, जनता में प्रचार करिये। लेकिन आप जिम्मेदारी महसूस करें। जो आपके हाथ में आये उसकी जांच करें, और जांच करने के बाद में यहां पर चीजें रखें। उसको ताकत मिले या न मिले लेकिन बात सही हो। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि उधर से आने वाले मानें या न मानें लेकिन हम जिम्मेदारी के साथ बात करते हैं और आप गैर जिम्मेदारी के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन हम अहसास के साथ उस चीज को ठीक करेंगे, हमारी सरकार उसको ठीक करके रहेगी। कोई यह समझे कि नेशनेलाइज़ेशन की पॉलिसी को हम छोड़ दें। हम अपना इरादा नहीं बदलते हैं। हम अपने इरादे को पूरा करेंगे। इसके अन्दर नेशनेलाइज़ेशन की बात है। किताबों का नेशनेलाइज़ेशन होगा। इस नीति को नहीं छोड़ा जायगा। जिन्होंने आपको एप्रोच किया है, मेरी आपसे दर्ख्वास्त है कि उनको आप खबर करदें कि किताबों का नेशनेलाइज़ेशन तो होकर रहेगा। जनता को तकलीफ हो और हमें तकलीफ हो, लेकिन कुछ तकलीफ के बाद एक दिन आराम पायेंगे। अगली जुलाई में जब कि सारी किताबें सब को मिल जायंगी तो नेशनेलाइज़ेशन का नाम होगा....

३. ३२ म० प०

दर्शक-दीर्घा में एक अजनबी द्वारा बाधा

(दर्शक दीर्घा में से किसी अजनबी के द्वारा सभा की कार्यवाही में व्याघात)

श्री उपाध्यक्ष : Sargent-at-arms... I direct the Sargent-at-arms to take him in custody.

Order ! Order Please !!

मन्त्री-मण्डल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री ज्वालाप्रसाद : मैं निवेदन कर रहा था कि इस सिलसिले में जब देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है कि जैसा कि अभी देखने में आया है कि एक असंतोष बढ़ता है। एक लचर सी चीज बढ़ती है। उस असंतोष के जरिये ऐसी बात होती है। उस चीज से हमें शिक्षा लेनी चाहिये।

पुलिस यूनियन की बात कही है, पुलिस के साथ बड़ी सहानुभूति है। एक तरफ मैं कहता हूं कि इन सब चीजों के पीछे आज ऐसी चीज, जहां तक वह बात थी वह तो कल होने वाली है। लेकिन इस तरह के जो सीन्स क्रियेट हुए हैं, मैं समझता हूं सदन के लोगों को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

तो वहां पर कहा गया है तो फिर वही पुरानी बात सामने जाती है कि आप फरमाते हैं कि उसका जवाब हो चुका है लेकिन फिर भी एक चीज चली जा रही है। मैं कहना चाहूंगा कि इस हाउस में जहां तक सच्चाई की बात है कि इस एक केस में, खिवाड़, ठिकाने के केस के अन्दर जो कुछ बातें हैं, वे आपके सामने हैं। मैं एक मूल सवाल उठाना चाहता हूं, इस सिलसिले के अन्दर। वह मूल सवाल यह है कि हर सदस्य सोचने की पूरी कोशिश करें। अगर यह नियम

Page No.85

(श्री ज्वालाप्रसाद)

रखा गया कि ईमानदारी और बेईमानी के के ऐसे कहने से साबित हो सकती है, अगर इस तरफ बढ़ा गया तो मैं समझता हूँ कि जिस आदमी को कहें, जिस मेम्बर को कहें, उस मेम्बर का नाम मुझे बतला दें, मैं उस मेम्बर के हाथ ऐसा खत भेज सकता हूं, उस मेम्बर के खत का फोटो लेकर पेश कर सकता हूं। आप क्या हैं ? आप क्या कहलाते हैं ? अगर एम० एल० एज़० को लिया जाय तो हम सच्चाई की यहां पर कसम खाते हैं। उससे अगर हम जनता में प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं तो मैं दाद दे सकता हूं इस बात की। लेकिन जिस तरह से इस चीज़ को परस्यु किया जाता है, उसके बारे में पूरी छानबीन होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि हर आदमी हो, चाहे भैरूंसिंह जी ही हों, वे जयपुर में ही रहते हैं, एक आदमी एक खत कलकत्ते से लिखता है, उसको कोई भी जो उनके साथ मोटर में जाता है निकाल कर फोटो लेले। उसके बाद में एक आदमी उसको मिलता है और वह खत किसी को दे देता है, और उसके बाद एक आदमी की चर्चा होती है। यह अजीब बात है। किसी भी मिनिस्टर के लिए, किसी भी सदस्य के लिए इस बात के सबूत बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बनाए जा सकते हैं।

आप देखेंगे कि यदि थोड़ी देर के लिए माना जाय कि बाहर के लोगों में जो बात हुई उसको यहां लाया जाता है, उसके बारे में मेरा पूरा विश्वास है कि पिछली दफा जब चर्चा हुई तब हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो पोज़िशन बताई उससे संतोष होना चाहिए था। उसके बाद भी यदि उनका यही रवैया रहता है तो मैं कहूंगा कि वे गोबिल्स के सिद्धान्त को मानते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। यदि यही बात है तो मैं उनसे कहूंगा, कि हिटलर शाही का टाइम अब निकल गया। उसके सिद्धान्त के अनुसार किसी बात को बार बार कहने से उस समय भले ही फायदा हुआ होगा लेकिन आज के जमाने में तो उससे नुकसान ही उठाना पड़ता है। आप उसी बात के पीछे पड़ जाते हैं, उसको बार बार कहते हैं, कोई नयी बात नहीं बताते तो उससे कोई नतीजा निकलने वाला नही है। सन् ५२–५३ में जो बात हुई उसी को बार बार सदन के सम्मुख लाया जाता है, तो यह गलत है ! सन् ५२–५३ में जो वाकिया हुआ उसको हमारे सम्मुख लाकर सदन का समय बर्बाद नहीं किया जाय। यह अध्यक्ष महोदय के देखने की बात है। यदि इसके लिए उत्साहित किया गया तो मैं समझता हूं, हाउस का एक भी आदमी नहीं बचेगा जिसके बारे में कोरेस्पोन्डेन्स न की जाकर कुछ न कुछ किया जाय। यदि ऐसा हुआ, तो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, उधर के लोगों को अधिक भुगतना पड़ेगा। उसका कोई सबूत नहीं मिलता है। फायलें उचकाई जाती हैं, इस तरह की बातें की जाती हैं जिससे कुछ न कुछ होता ही रहे; मैं कहूंगा कि इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा।

आपने यहां पर संदेह के वातावरण को दूर करने की सिफारिश की है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि संदेह है किसको मैं जनता की तरफ से और हाउस की तरफ से पूछना चाहता हूँ कि संदेह है किसको ? आप रिप्रेज़ेन्ट करते किसको हैं ? आप इने–गिने जो तीन जनसंघ के सदस्य हैं उनको रिप्रेज़ेन्ट कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है ? आपकी परवाह किसको है ? आप जनसंघ के तीन आदमी आये हैं उनकी

(श्री ज्वालाप्रसाद)

सदन को परवाह किस प्रकार हो। यहां फुर्सत किसको है तुम्हारी बात सुनने की? किसको फुर्सत है तुम्हारी बात पर सोचने की? यहां तो जनहित के काम में लगे हैं, तुमको संदेह है, तो तुम्हारे कहने से सारे सदन को कैसे संदेह हो जाय....

श्री अर्जुनदास : साहब इस तरह से कितने घंटे और चलेगा?

श्री ज्वालाप्रसाद : (जारी) फिर उसके आगे और भी कई बातों की तरफ गौर किया गया है और इसे गौर करने के अन्दर कुछ ऐसी बातें कहीं गई हैं। किताबों के बारे में कहा गया। जरा कल्पना कीजिये, किस तरह की बातें बनाई जाती हैं। मान लीजिये किताब छापी गई। मेरे माननीय श्री माधोपुर के सदस्य ने फरमाया, कि एक पत्रिका में लेख निकला, उसके बाद किताब छपी उसके लिये सब सिंडी मध्यभारत से लाये गये, कुछ यहां से लाई गई। मेरी समझ में नहीं आया कि इससे बाधा क्या हुई? एक आदमी राजस्थान में काम करता है, उसने कोई पुस्तक लिखी है, उसको छपाने के लिये १३००० रुपये मध्यभारत से लाकर और ३००० रुपये यहां से लेकर कुल १६००० रुपये खर्च किये, उससे क्या गड़बड़ हो गई? उसका कोई ऑडिट हुआ हो या कहीं गलती निकली हो तब तो कोई बात भी हो। लेकिन उनको किसी बात की परवाह नहीं। लेकिन जिनका धंधा ही कोई न कोई नयी बात पैदा करना हो तो, उसका क्या किया जाय। उनका काम यह हैं, कि किसी बात को मालूम करें और उसको ऐसे रूप में रखें कि जिससे लोगों को संदेह पैदा हो। उनका यही एक मतलब लगता है कि संदेह पैदा किया जाय तो यहां किसी को संदेह पैदा होता नहीं।

आपने कुछ बातें लो पेड एम्प्लोईज़ के बारे में कही, जनाब को हमारे एम्प्लोईज़ के लिये बड़ी सहानुभूति है। आप देखिये कितना विरोधाभास होता है उनकी बातों से। यदि कोई टेक्स लगाया जाय....

श्री उपाध्यक्ष : Hon. Member will kindly conclude it within five minutes now.

श्री ज्वालाप्रसाद : I have not taken much time, Sir; only 15 miun tes I want, then I will conclude.

श्री अर्जुनदास :Sir, we also want to speak.

श्री उपाध्यक्ष: You will please take 10 minutes. Five minutes are again extended,

श्री ज्वालाप्रसाद: ५ मिनिट के लिये तो आप भी चुप बैठे रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: I will be serious at this stage.

श्री ज्वालाप्रसाद : (जारी) मैं एक बात साफ करना चाहता हूं। हाउस को गौर करना चाहिये। पुलिस के बारे में कहा गया कि उनका भी एक यूनियन, ट्रेडयूनियन की तरह होना चाहिये। एक ट्रेड यूनियन है। मैंने भी मजदूरों की सेवा की है और अपनी जिन्दगी मजदूरों के साथ में निकाली है। जो लोग मजदूरों के काम को नहीं जानते हैं, मैं उनसे कहता हूं, कि वे अपने हाथ को मजदूरों से दूर रखें नहीं तो मजदूर उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार कोई इन्डस्ट्री नहीं है। उसका बिजनेस प्रोफिटेबल बिजनेस नहीं है, जिससे कि उसके

(श्री ज्वालाप्रसाद)

यहां काम करने वालों के साथ इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट की तरह से कोई डिस्प्यूट हो और इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल उनका फैसला करे। इसके साथ में एम्प्लाइज़ का मालिक से हिस्सा बटाने वाला सवाल हो, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पुलिस, मिलिट्री और गवर्नमेन्ट प्रोफीटियरिंग नहीं है, यह संविधान ने माना है। गवर्नमेन्ट खुद प्रोफेटियरिंग नहीं है इसलिये उसमें ट्रेड यूनियन नहीं हो सकती। गंगानगर शुगर फेक्ट्री में ट्रेड यूनियन हो सकती है और भी सरकार के बिजली घर वगैरा हैं या कारखाने हैं या दूसरे लोग हैं जो व्यापार की तरह काम करते हैं और पैसा कमाने का काम करते हैं वहां ट्रेड यूनियन को जगह मिलनी चाहिये। लेकिन यदि ट्रेड यूनियन के नाम पर हमारे पुलिस के सिपाहियों को गुमराह करने की कोशिश करें या उनको भड़काने की कोशि करें और कहें कि फलां जगह यूनियन बने हैं जुलूस निकले हैं इसलिये तुम भी यूनियन बनावो, तुमको नौकरी अच्छी मिलेगी या तुमको सुविधा तो मिलेगी। अगर उनको ऐसा करने दिया जाय जो डिसिप्लिन होना चाहिये, उसको खत्म कर देंगे। ऐसे ट्रेड यूनियन्स पैदा हो जायँ, उनको बर्दाश्त नहीं करना चाहिये। हमारी पुलिस हमारे लिये स्तम्भ है। हमारी कांग्रेस सरकार की जिस तरह से आर्थिक स्थिति बढ़ती जायगी, उसी तरह से हम कटिबद्ध हैं उनके दुखदर्द को दूर करने के लिये। उनके दुखदर्द को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि सदन के सदस्य इस बात को सरकार पर छोड़ दें तो मैं मान सकता हूँ, कि उनके दुखदर्द दूर हो सकते हैं। लेकिन मैं उनकी बात नहीं मान सकता जो यह कहते हैं कि पुलिस यूनियन बनावें। पुलिस सेवा का कार्य करती है, कमाई का कार्य नहीं करती। वह कपड़े और जूते नहीं बनाती। जिससे वह कुछ प्राप्त करती है वह खर्च का डिपार्टमेन्ट है। आपसे जो रेवेन्यू के रूप में आता है, उसमें से खर्चा उस डिपार्टमेन्ट पर भी होता है, इसलिये उसके लिये ट्रेड यूनियन में जगह नहीं है।

आगे चल कर कहा गया कि आई. ए. एस. और आई पी.एस. लोगों का भी यूनियन बना हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उन्हें भी यूनियन नहीं बनाने दें। यदि उन्होंने यूनियन बना ली है तो वह तोड़ दी जायेगी, यह सरकार देखेगी। यदि इस तरह की बात सरकार के नोटिस में हो तो उसका नोटिस लेना चाहिये। किसी ट्रेड यूनियन को यहां पर जगह नहीं है, सरकार के अन्दर किसी भी ट्रेड यूनियन के लिये जगह नहीं है। दुनियां के किसी परदे पर यह बात नहीं है। यहां पर यदि यह बात उठती है तो मुझे शक होता है कि डिसिप्लिन मेनटेन करने की बात नहीं है।

मैंने आपका काफी समय लिया है, लेकिन मैं कुछ लफ्ज कहना चाहता हूं। इस सदन को जज मान लिया जाय तो पहले गवाहों के कटघरे में खड़े होकर गवाही देने वाले कौन हैं, यह देखा जाय।

ऐसा कहा गया है कि सत्य कहने के लिए अगर नरम कहा जाय तो उसका असर पड़ेगा लेकिन अगर सत्य कहने के लिए असत्य को सत्य मान लिया जाय, तो वे कहते हैं कि उसका कोई असर नहीं हो सकता है। इसलिऐ मैं कहना चाहता हूँ जिनकी गवाही से यह अविश्वास प्रस्ताव आया है, उनकी जिन्दगी को लेकर देखना चाहें, उनकी पिछली जिन्दगी को देखने का प्रयत्न करें, उनके कार्यों

(श्री ज्वालाप्रसाद)

को देखने का प्रयत्न करें तो इसमें कोई सन्देह नहीं रहेगा कि जो आज करप्शन की बात करते हैं, वे पहले करप्शन के प्रतीक थे। जिनके मुंह से पहले ये लफ्ज़ नहीं आते थे, आज अनायास ही ये लफ्ज निकलने लगते हैं और वातावरण को खराब करने की बात करने लगते हैं। मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, परन्तु वे पहले सब इन्स्पेक्टर थे और सब इन्स्पेक्टर के पद पर काम करते थे, सीकर के अन्दर उस वक्त उनका राज्य था, उनके भाई बच्चों की रियासत थी। उन्होंने उस समय जो काम किये हैं, उनकी फहरिश्त हमारे पास मौजूद है, लेकिन उस फहरिश्त को मैं यहां नहीं कहना चाहता हूं। इन सब बातों को सदन के सामने रख कर मैं निवेदन करूंगा कि उनको देख कर, उनकी बातों पर विचार करना पड़ेगा। (करतल, ध्वनि) इस अविश्वास प्रस्ताव का जो असर पड़ना चाहिये वह, जिनकी गवाहियों से यह प्रस्ताव आया है, उसे टेस्ट मान लेने के बाद, वह असर नहीं पड़ेगा। हमें इस सरकार पर पूर्ण विश्वास है और इस तरह का जो प्रस्ताव आयेगा, वह गिर जायगा। इस अविश्वास प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय ने, दोनों प्रस्तावक महोदयों, ने अपनी हार मान ली है। हमको आज संयम से काम लेना चाहिए। इस प्रस्ताव को हमें सीधे सादे ढंग से धक्का देना है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है।

(करतल-ध्वनि)

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अविश्वास का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह साबित करूंगा कि आज की जो मौजूदा सरकार है उसने, जिस तरह से काम को चलाया है, उसके कारण वाकई इस अविश्वास के प्रस्ताव को रखने की जरूरत है। हमने सरकार के कार्यों की तरफ कई दफा इशारा किया है, कई दफा हम बहस करते हैं। अविश्वास के प्रस्ताव को रखने के दो कारण होते हैं, एक कारण तो यह है कि गवर्नमेंट ने जो वायदे किये हैं जनता के सामने उनकी पूर्ति न करे या दूसरी यह कि उन वायदों की पूर्ति करके भी कोई ऐसी मोटी खामी सरकार की तरफ से हो जाय, जिसके लिए सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आये। मौजूदा स्थिति में जो शासन चल रहा है उस पर अविश्वास करने के दोनों कारण हैं। इस गवर्नमेंट ने जो जनता को विश्वास दिलाये थे कि जनता की उन्नति करेंगे, देश की भलाई के लिए, उन्नति के लिए ये ये कार्यवाही करेंगे, उसको पूर्ण नहीं कर सकी। १० साल से यह सरकार चल रही है, इस दौरान में एक मोटी खामी इसमें करप्शन की आ गई है। जिसके बारे में कई मर्तबा प्रमाण देकर यह खामी सदन के सामने रख दी गई है। इन प्रमाणों के बावजूद भी अगर सरकार नहीं माने तो उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को पलटने के तीन तरीके होते हैं, एक तो यह कि ईमानदारी से खुद पलट जाय। पहला तरीका तो यह है, जो कि इस युग में नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आदर्शवाद आज चल रहा है, जिसके अनुसार चीफ मिनिस्टर का कहना है कि मुझे कोई शंका की दृष्टि से देख ले तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। ऐसी बात चीफ मिनिस्टर साहब को कहने की जरूरत क्या है? उनको कहना था कि आज से वे गद्दी छोड़ते हैं और जिनको शंका है, वे बोर्ड बना कर, मैंने जो काम किये हैं, उनकी इन्क्वायरी करालें, तो मैं उनको मानता।

(श्री मदनसिंह)

इससे ज्यादा क्या शंका हो सकती है कि खुद सदस्य यह कह दें कि जो कागज हैं, वे शंका से खाली नहीं है। आप इस असेम्बली की प्रोसिडिंग्स में देखें, उनमें लिखा है, आपकी पार्टी के जो सदस्य हैं, उन्होंने शंकायें की हैं कि यह जो पत्र लिखा गया है, बाबूजी को, यह शंका से खाली नहीं है। इसलिये शंका तो साफ हो चुकी है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट में बुरी तरह भ्रष्टाचार होता है, उसका यह नमूना भी बताया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा चीज क्या हो सकती है ? इससे ज्यादा वही चीज होती है, जैसा मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बातचीत करते समय कहा था कि "थानेदार का कान पकड़ कर रुपये मेज पर रखवा लिये।" उसी तरह कान पकड़ कर बता दिया जा सकता है कि तुमने यह किया है। (करतल-ध्वनि) उस शर्त में वे यह न कहें कि वे इस्तीफा देकर अलग हो जायेंगे। अगर उन्हें इतना विश्वास है, अपनी मेजोरिटी में इतना विश्वास है तो यह तो वे निश्चित रूप से मान सकते हैं कि ३०-३५ सदस्यों से गवर्नमेंट नहीं पलट सकती। पर हम यह नहीं मान सकते कि ११६ सदस्यों में से, सिवाय इन नव रत्नों के और कोई नहीं है। अगर ११६ हैं तो इसलिए है कि चारणों और भाटों की तरह बातें करें, यह बात दूसरी है। इसलिए ईमानदारी से हर डिपार्टमेंट की जांच की जाय कि काम ठीक ढंग से हो रहा है या या नहीं ?

श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि "जिम्मेदारी के साथ हर डिपार्टमेंट को देखें कि किस तरह काम हो रहा है।" उन्होंने यह पूरी ईमानदारी के साथ कहा था, यह चीज सिद्ध हो जाय तो ठीक मानेंगे। उसके लिए मान लिया गया कि हममें आत्म शक्ति नहीं है। सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि एक एक में आत्म शक्ति तो इतनी है कि गवर्नमेंट पलटी जा सकती है। लेकिन आज प्रजातन्त्र का युग है इस युग में हम वे तरीके नहीं अपना सकते हैं। वैसे आत्म शक्ति से राजस्थान आज भी सूना नही। जरूरत होने पर इस बात का भी प्रमाण दिया जायगा कि गवर्नमेंट किस तरह से पलट सकती है। जिनको आत्म-ज्ञान नहीं, जो ईश्वरवाद को मानते नहीं, धर्म की शक्ति का ज्ञान नहीं है, वे आत्म शक्ति की बात करते हैं। अपना काम चलाओ और जिस ढंग से खाते पीते हो, उसी तरह खाते पीते रहो।

(हंसी)

आज यह समझना गलत है कि इधर ३०-३५ हैं और उधर ११६ खड़े हुए हैं। यह सोचना बड़ी भारी भूल है। यदि आपको वोट गिनाऊं तो ऑपोज़िशन को वोट ज्यादा मिले हैं। कांग्रेस वालों को तो ३ वोट, ५ वोट ज्यादा मिले हैं लेकिन ऑपोजिशन वालों को तीन हजार, पांच हजार, १० हजार और १६ हजार वोट ज्यादा मिले हैं। इसलिए जन-संख्या की बात छोड़िये। इसको तो आप अगले इलेक्शन में देख सकते हैं। अब आपको कैसे मनाया जायगा कि आप इस्तीफा दे सकते हैं, आपको सन्देह से देखते हैं। सन्देह से देखना और क्या होता है, कोई आखों की चोट तो लगती नही। मैं कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, अगर असेम्बली में यह इजाजत होती कि सारी जनता यहां आ सकती है तो जनता यहां उमड़ पड़ती और कहती कि तुम इस्तीफा दो और छोड़ो। इसलिए या तो आज पब्लिक के सामने चैलेंज करके कुर्सी

Page No.90

(श्री मदनसिंह)

छोड़ देते हैं तो हम राम का आदर्श मानते, अन्यथा यह केवल वाक्-युद्ध है और हम जानते हैं कि इससे कुछ लेना-देना नहीं होता है। फिर भी यह जरूर है कि आॅपोज़िशन के होते हुए भी आपकी तरफ के सदस्यों के मन के जो विचार हैं वे निकल पड़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इनकी तरफ से जो स्पीचेज़ हुईं, उनको असेम्बली की प्रोसीडिंग्स में देख लीजिये, उनमें यह ज्यादा माना है कि घोटाला हुआ है, करप्शन बढ़ा है, पक्षपात होता है। यह तो असेम्बली की प्रोसीडिंग्ज़ कहती हैं। अब बात रही है कि यह जो प्रस्ताव आया तो ह्विप होता है और रात को पार्टियां होती हैं और यह निश्चय किया जाता है कि आॅपोज़िशन में नहीं बोलेंगे। मैं जानता हूं कि प्रजातन्त्र की सब से बड़ी कमी जो है वह यह कि खुल कर बात नहीं कहते हैं, सोच भर लिया जाता है, पर वैसा करते नहीं। लेकिन अगर शंकाओं के अन्दर जांच हो, सबसे बड़ी चीज़ यह है। हमें खुशी है कि आपके पास मेजोरिटी है लेकिन आप तीन रोज के लिए चीफ मिनिस्टर की गद्दी से अलग हो जायं और जांच का काम मुझे दे दिया जाय, फ्रीली (Freely),

(हंसी)

मैं ईमानदारी से कहता हूं, क्योंकि मैं भारतीय संस्कृति का मानने वाला हूं और इस राष्ट्रीय ध्वजा की तरफ हाथ करके कहता हूं कि मैं निष्पक्षता से जांच करूंगा,

(हंसी)

अगर ऐसी चीज़ न हो तो दूसरी बात है। हम चाहते थे, कि आज जो प्रस्ताव रखा गया है उसका जवाब चीफ मिनिस्टर साहब देते लेकिन जो सदस्य ब्यावर से पधारे हुए हैं, उन्होंने जवाब दिया। क्या मालूम वे क्या बोल रहे थे, कहां बोल रहे थे, किसके लिए बोल रहे थे, उनको मौका दे दिया तो वे बोल लिये। नहीं तो ११६ में बोलने का मौका नहीं मिलता। न भैरोंसिंह जी होते, और न उनको बोलने का मौका मिलता। आज भैरोंसिंह जी की वजह से वे उछले, कूदे और नाचे, कि यह चीज़ हो गई, वह चीज हो गई, बात कहां की कहां चली गई, राजाओं की बात करने लगे, जागीरदारों की बात करने लगे। उन्हें पता नहीं, आज बहुत परिवर्तन आ गया है। आप लोग नये जागीरदार पैदा हो गये हो। हमें मालूम है, क्या करना है। राज्य में क्या करना है, यह तो आपको जोधपुर ने बता दिया है। जनता उन्हें कितना चाहती है, यह आप जोधपुर में देखते कि जिस समय जोधपुर के राजा साहब ने चुनाव लड़ा तो उस समय क्या हालत थी? जो ईमानदार हैं वे जो क्रिटिसिज़्म करते है, उसे असेम्बली की प्रोसीडिंग्स में देखा जाय, आपका पक्ष ही ज्यादा कह रहा है कि यहां करप्शन हो रहा है, एक मोटा, सुबूत हम देखते हैं कि अगर राजस्थान के अन्दर अन्याय और जुल्म नहीं होता तो लोगों को चार दफा गवर्नमेंट को पलटने की क्या जरूरत थी? आज मौजूदा मिनिस्टरी है, उसके आने की क्या जरूरत थी जब कि व्यासजी, पालीवालजी मौजूद थे; कोई न कोई मोटा कारण था, वरना वैसी ही सफेद टोपी, सफेद कपड़े वे पहनते थे, बल्कि इनसे ज्यादा चिपक महादेव वे थे।

(हंसी)

४— म० प०

यदि ऐसे ऐसे चिपक महादेव भी हट सकते हैं तो यह नव रत्नों की कुर्सी बनी है वह भी हट सकती है। हम चाहते हैं चीफ

(श्री मदनसिंह दांता)

मिनिस्टर साहब भी बोलें, मैं तो यह चाहता था कि वे इस्तीफा देकर बोलें तो बड़ा आनन्द आता, जनता का संदेह तभी जा सकता है...

(हंसी)

कुर्सी छोड़ कर ठीक तौर से बात-चीत करें तभी वाकई में राम जैसे मानें, पर ऐसी हिम्मत कहां ? ऐसा आत्म विश्वास कहां ? वे देखते हैं कि आज गये तो कल कहीं पालीवालजी न आ जायें। सत्य तो यह है, पर बातें करते हैं आदर्श की। कल आदर्श का नमूना यहां देखा गया। वित्त मन्त्रीजी, जिनको मैं तो श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूं, गांधीजी को तो राजस्थान में सबने देखा नहीं इन्हीं को देखा है, गांधी जी का थोड़ा बहुत नमूना बचा हुआ है, तो वित्त मंत्रीजी में, पर वह भी अब खत्म हुआ, अब तो शराब के ठेकों पर वित्त मंत्री जी भी देखने के लिये जावेंगे कि शराब अच्छी है या बुरी। बस खत्म है, कांग्रेस रही ही नहीं, जिनके मुंह से निकल गया कि कांग्रेस अब शराब के ठेकों पर जाकर देखेगी, आप पर कैसे विश्वास किया जाय, महात्मा गांधी के भक्त हैं, दारू के ठेकों पर देखने जायंगे कि दारू अच्छी है या नहीं। दारू को सूंघने के लिये तैयार हो रहे हैं कि कैसी शराब है ? आपको कल रिज़ाइन भी करना पड़ता तो रिज़ाइन कर देते, पर आपको यह नही करना चाहिये था कि शराब सूंघने जायेंगे। सूंघने में और पीने में कोई फरक नहीं पड़ता, आप जैसे बड़े आदमी होकर ऐसी बात कहें, इससे मुझे बड़ा दुःख हुआ।

वित्त मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : मैंने यह कहा था कि जो वहां चोरी होती है, उस चोरी को पकड़ने के लिये जाऊंगा।

श्री अर्जुनदास : जरा जोर से, दांता साहब !

श्री मदनसिंह दांता : माननीय उपाध्यक्ष, बात पढ़ाई की चली। नसीराबाद से आनेवाले माननीय सदस्य ने एजूकेशन की बातें कीं, उनसे पूछिये कि यह पार्टी किसके हाथों में है, राजस्थान के सब से बड़े पढ़े लिखे आदमी के हाथों में यह पार्टी है, इतने बड़े आदमी के नीचे यह पार्टी हो सकती है तो उस पार्टी के सदस्य ऐसा ही बोल सकते हैं जैसा वे बोले हैं, उनसे हम इससे ज्यादा आशा नहीं कर सकते थे। बड़ी गम्भीरता से, सीरियसली भैरोंसिंहजी ने अपनी चीजें रखी थीं, उन चीजों के ऊपर इस तरह से नाचने, कूदने और एक्टिंग करने से पानी नहीं फिर सकता। इन चीजों का ठोस जगह पर आधार है, ठोस जगह से जनता के हृदयों से निकली हुई है, ऐसी जगह से आई हैं जहां से उन्हें मना नहीं कर सकते।

कहते हैं हमारे साथ मेजोरिटी है, आपको पता नहीं, यह महात्मा गांधी की कृपा है, पर जब मेजोरिटी के दिमाग सूज जाते हैं तो उस मेजोरिटी के दिमाग ठीक करने का तरीका दुनिया ने बताया है।

श्री हरिदेव जोशी : आप इसके सपने देखते रहिये।

श्री मदनसिंह दांता : क्या फरमाया, सुना नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : आप इसके सपने देखते रहिये।

श्री मदनसिंह दांता : मैं सपने काहे के देखूं, मुझे करना नहीं। जिसको करना ही नहीं वह सपने काहे के देखेगा ? मैं जो करना चाहता हूं कर देता हूं, सपने नहीं देखा

(श्री मदनसिंह दाता)

करता। यहां आप लोग क्या करते हैं, वह देखने आया हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह सपने का दोष तो आपको ही होगा।

(हंसी)

श्री मदनसिंह : डिपार्टमेंट्स की बातें चलतीं हैं। मैं एक डिपार्टमेंट की बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जालावास चूरू डिस्ट्रिक्ट में, बीकानेर ज़िले में जागीर है जिसके लिये महीनों से पूछ रहा हूं, सवाल सदन में आ गया, वहां जागीरदार नहीं होते हुए भी कलेक्टर के जरिये जबरदस्ती जागीरदार बना दिया, १७००० का मुआवज़ा देकर, कानूनी ढंग से बना कर हड़प गये, कलेक्टर ने हड़प किया, या मिनिस्टर ने हड़प किया, किसने किया यह पता नहीं। जागीरदार नहीं हैं, उनको जागीरदार बनाया और १७,००० खा गये, कलेक्टर को हक नहीं था, मिनिस्टर को उसे जागीरदार बनाने का हक नहीं था। रेवेन्यु बोर्ड से फैसला होता है, सही रूप से, कोई मालिक था नहीं, वे १७,००० कहां गये, दो वर्ष से पूछ रहा हूं, इससे ज्यादा क्या सुबूत हो सकता है। कलेक्टर या मिनिस्टर ने नहीं किया तो जो कभी जागीरदार नहीं हो सकता था, वह जागीरदार कैसे हुआ? जबरदस्ती जागीरदार बना कर उसके नाम से मुआवजा उठाया गया, रेवेन्यु बोर्ड में इसके खिलाफ फैसला होता है, न कलेक्टर को न मिनिस्टर को अधिकार था कि किसी को जबरदस्ती जागीरदार बनाये। जबाब में कह देंगे कि इसका फोटो कहां है, फोटो लायेंगे तो ब्यावर, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य कहेंगे कि फोटो खींच भी सकते हैं, अब आपका फोटो दुनियां के सामने खिंच चुका है और उससे बाहर आप निकल नहीं सकते।

इसी तरह सर्विसेज़ के बारे में आते हैं तो यह लिस्ट जो है वह आपके सामने पेश की जायगी। तो सारी मिनिस्टरी का कलेजा धड़केगा। पुलिसमें सीनियोरिटी लिस्ट है, उसके मातहित लोगों को तरक्की मिलनी चाहिये, १५-२० लोगों के हक मार कर जूनियर लोगों को प्रोमोशन दिये गये हैं, बजरंगलाल और श्री गुप्ता हैं उनको, लोगों के हक मार कर, आगे बढ़ा दिया...

श्री ज्वालाप्रसाद : He should place this paper before the House.

श्री मदनसिंह (दांता) : Sit down.

श्री उपाध्यक्ष : The Chair is on its legs. Both the Hon. members will resume their seats.

श्री ज्वालाप्रसाद: मैं यह रेज़ करना चाहता हूं कि...this he cannot refer to a piece of paper. How can he refer it unless and until he gives the source of that paper; how he got that information, I challenge the authenticity...

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

(श्री अर्जुनदास के भी खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please!!

श्री ज्वालाप्रसाद : I refer to Rule 236 wherein it has been provided that a paper or document laid on the Table of the House shall be duly authenticated by the member presenting it. Does he present it

(श्री ज्वालाप्रसाद)

on the table of the House? He may authenticate the letter if he is going to refer.

श्री अर्जुनदास : The letter is an authenticated one.

श्री उपाध्यक्ष : The Hon. member will please place this paper duly signed before the house?

श्री मदनसिंह (दांता) : I will have no objection to it.

श्री अर्जुनदास : I think this is a petty subject which many of us know but unfortunately some gentlemen are nottrying to understand.

श्री बृजमोहनलाल . The position is so clear that we should not refer to anything until and unless we place it before the House.

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री जनार्दनराय नागर : There is one circular issued by the Speaker to the Hon. members of this House. साथ ही यह भी निवेदन करने का आदेश प्राप्त हुआ है कि इस प्रकार के पत्र या प्रलेख सदन में प्रस्तुत करने के पूर्व अध्यक्ष महोदय को दिखला कर, उनकी पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर लेने की कृपा करें, ताकि सदन के सम्मुख ऐसी चीजें न आवें जो गौरव व प्रतिष्ठा को कम करने वाली सिद्ध हों या जो सभा के कार्य से सम्बन्धित न हों।

श्री अर्जुनदास : The letter is an extract...

श्री बृजमोहनलाल : If it is an authentic letter the Hon. member should place it before the House.

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! माननीय सदस्य बतावें कि कौनसा पत्र था जिसके बारे में वे बता रहे हैं ?

श्री मदनसिंह (दांता) : यह पत्र इंग्लिश में है। यह वह पत्र है ....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि आपके पास जो पत्र है वह कोई प्रतिलिपि है या आपका बनाया हुआ है और अगर आपका बनाया हुआ है तो क्या आप उस पत्र पर हस्ताक्षर करके सदन की मेज पर रख सकते हैं ?

श्री जनार्दनराय नागर : I submit, Sir, the Hon. Speaker has issued instructions to us that no such paper will be brought to the notice until and unless the Speaker's permission has been sought before. May I ask you, Sir, that whether the Hon. member has sought such approval of the Speaker about that particnlar piece of paper? That is the problem to our mind, Sir.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस पत्र का प्रश्न है, माननीय सदस्य इसका केवल रेफरेन्स ही दे रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि रेफरेन्स देने में इस बात की कोई आवश्यकता नहीं होती कि वह लेटर कोई ओरीजिनल डॉक्युमेंट ही हो या सर्टिफाइड कॉपी हो। हम विरोधी दल के सदस्य हैं, यदि कहीं से इस प्रकार का कोई डॉक्युमेंट उनको मिलता है तो उसके बारे में सन्देह करने की आवश्यकता नहीं।

(श्री भैरोंसिंह)

अगर संदेह हो तो हम आपसे विश्वास-पूर्वक कह सकते हैं कि वह सर्टिफाइड कॉपी तो नहीं है, मगर जिस ऑर्डर की वह कॉपी है वह ऑर्डर सही है। उसकी सत्यता के बारे में हम आपको विश्वास दिलाते हैं, माननीय उपाध्यक्ष को विश्वास दिलाते हैं। ऐसी सूरत में इसकी इन्टीग्रिटी में विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष यदि चाहें कि जो माननीय सदस्य इस पत्र को प्रस्तुत कर रहे हैं सर्टिफाइड ही हो तो जिस समय पत्र को प्रस्तुत करने की बात आवेगी तो उस लेटर पर ऑथेन्टिकली सर्टिफाइड कॉपी ले लेंगे। मगर यह गवर्नमेंट का ऑर्डर है और हम उसका रेफरेन्स दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपका मतलब समझ गया। आपके कहने का यह मतलब है कि पत्र का रेफरेन्स माननीय सदस्य ने दिया है, अतः साधारण सिद्धान्तों पर उस पत्र को सदन की मेज पर प्रस्तुत किया जावे।

श्री अर्जनदास : We know that until and unless it is an authentic...

श्री बृजमोहनलाल : He may be asked to produce it ...

श्री उपाध्यक्ष : No convassing in the rules please.

श्री अर्जनदास : If he does not understand ...

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री मदनसिंह (दांता) : माननीय उपाध्यक्ष आपने जैसा फरमाया, मैं इस पत्र पर दस्तखत करके दे दूंगा। यह तो वह एक कॉपी है जिसके अन्दर सीनियोरिटी लिस्ट है और उसका रेफरेन्स देकर मैं बताना चाहता हूँ कि १०-१२ आदमियों को टाल कर दूसरे व्यक्ति को रेंक दिया जाता है, इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह पक्षपात है। मैंने केवल यह एक ही पत्र अभी बताया है। दूसरा एक और नमूना देखता हूँ हमारे यहां ऐसा नियम है कि हमारे यहां जो ऑफिसर या राज्य कर्मचारी होता है जिसकी तनख्वाह १००) या उससे ऊपर हो, कोई भी बी० डी० ओ० हायर पोस्ट पर नियुक्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं एक ऐसे आदमी का नाम लेता हूं जिसका एपॉइन्टमेंट सवाई माधोपुर में अभी हुआ है और उसका नाम है 'बुद्धिप्रकाश'। उनको १०१) मिलते थे और अब उनकी २५०) तनख्वाह हो गई। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिससे हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पक्षपात हो रहा है और यह अविश्वास का प्रस्ताव लाने के दो ही मोटे कारण हैं; 'पक्षपात और भ्रष्टाचार'।

भ्रष्टाचार की तरफ, मैं फिर निवेदन करूंगा कि वाकई में भ्रष्टाचार हो रहा है और इसके लिए यह नई स्पेशल पोस्ट कायम की गई और आई. जी. पी. को बुलाने की जरूरत पड़ी। यदि भ्रष्टाचार नहीं होता तो उनको बुलाने की क्या जरूरत थी? इस विभाग को बन्द कर देते। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार है और अभी तक यह इतने प्रयत्नों के फलस्वरूप भी नहीं मिट रहा है, इसका क्या कारण है? मैं निवेदन करूंगा कि इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए इस कार्य को विरोधी दल को सौंपा जाए। विरोधी दल यह विश्वास दिलाता है कि यदि यह कार्य ६ महीनों के लिए विरोधी दल को दिया जावे, उसको

Page No.95

(श्री मदनसिंह)

पजौकड़ी मात्र ही दिया जावे और ६ महीनों में विश्वास करा दिया जावे कि उसमें, भ्रष्टाचार में कमी है तो मैं समझता हूं कि इसमें हमारे मुख्य मन्त्रीजी को दुःख क्या है? दूसरों को बुलाते हैं, क्यों नहीं यह कार्य विरोधी दल को देते? क्यों नहीं विरोधी दल की मदद लेते? आप यह कह कर विरोधी दल की मदद नहीं लेते कि आप तो पुराने पापी हैं, पुराने भ्रष्टाचारी हैं और उसी में जन्मे हैं तो उसका जवाब यह है कि जिनके पास लाखों रुपया और सोना और जेवरात थे उनको भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं थी, उनको अजमेर की गलियों में भीख मांगने की जरूरत नहीं थी। जो लोग ऐसा कहते हैं उसका यह जवाब है। हमें भ्रष्टाचार करने और पैसे की जरूरत नहीं थी केवल यह जवाब देकर कि राजस्थान से भ्रष्टाचार आज चला गया है यह हम नहीं मानते और जब यह भ्रष्टाचार बन्द नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से इस्तीफा दे देना चाहिये। यह विरोधी दल का सुझाव है और विरोधी दल राजस्थान के नुमायन्दों का है। वोट भी काफी हैं। जिस समय हम यहां आये थे, जनता से यह कह कर आये थे कि 'जो आप हमें कहेंगे वही बात हम सदन में जाकर कहेंगे'। मगर आज यह कहा जाता है कि ये जनसंघ वाले हैं। जनसंघ अब कुछ आंखों में खटकने लगा है। पहले नाम नहीं था। आप यह कहते हैं कि ये जनसंघ वाले हैं जो बात चौपड़ में कहते है वही असेम्बली में कहते हैं। हम वही कहते हैं जो चौपड़ पर कहते हैं, यही वे बातें हैं, जो जनता को गली गली में कही जावें, जो जनता को गांवों में कही जावें, जो जनता और किसानों को उनके झोंपड़ों में कही जावें; वही सदन में बात करें तो हम मानते कि वाकई में कोई बात थी। आप लाख मेजोरिटी में हैं और आपको भी यही बातें कहनी चाहिये और जनता की जो आज्ञा होगी वही होगा। दूसरी बात इससे यह मालूम होती है कि पब्लिक में जो बात हम कहते हैं वही असेम्बली में कहते हैं, तो क्या असेम्बली हॉल की रेस्पेक्ट ज्यादा है और चौपड़ में जो जनता आती है उसकी कदर कम है? अगर ऐसी चीज है तो वे इस बात को खुद सोच सकते हैं। लेकिन कम से कम मैं तो जनता की कदर असेम्बली हाल में और चौपड़ पर बराबर समझता हूं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनसंघ की मांग है, जो जनता में कहेंगे वही यहां कहेंगे और जब चीफ मिनिस्टर जो सदन के नेता हैं उन्होंने यह कहा कि कोई भी व्यक्ति उनके प्रति सन्देह करें तो वे इस्तीफा देने को तैयार हैं, इसलिए दूसरे डिपार्टमेंट पर बोलना पड़ा। अन्यथा मैं यह कहूंगा कि ऐसे ऐसे मिनिस्टर हमारे यहां हैं जो दया के पात्र हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के; उसको क्या कहना चाहिये गौशाला या कौनसी पोल, पिंजरा पोल से ऐसे व्यक्तियों की तनख्वाह हो जाए तो अच्छा हो, बजाय उस डिपार्टमेंट को खराब किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल के भाषण में कहा था कि वनस्थली के बजाय दूसरे स्थान को तोड़ दिया। जिसको तौड़ना था वह अभी तक नहीं टूटा है और जो बेचारा टूट गया वह जुड़ा नहीं।

दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कही गई कि जो बातें माननीय भैरोसिंहजी ने बतलाई उसके लिए यह कहा गया कि वे क्या जानें, वे अनपढ़ हैं ... ...

श्री ज्वालाप्रसाद : I protest I did not speak like that.

Page No.96

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य उन्हीं शब्दों को यहां रखें जो वास्तव में कहे गये हों।

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, वे ही शब्द तो मुझे याद नहीं हैं, मगर यह कहा गया था कि सवाई माधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने डिपार्टमेंट हेड्स को क्रिटिसाइज़ किया और उसके खिलाफ कई माननीय सदस्य ऐसे बोले जिनको उस डिपार्टमेंट का कुछ अनुभव नहीं था, इसलिए गलत तरीके से बोले। मैं यह निवेदन करूंगा कि एक मोटी चीज जो हमको देखने में आती है वह यह कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो सब से ज्यादा हृष्ट पुष्ट और मोटे ताजे होने चाहियें व चार महीनों से बराबर बीमार रहते हैं। इससे बड़ी मिसाल क्या चाहते हैं आप ?

(हर्ष-ध्वनि)

राजस्थान के होम मिनिस्टर हैं उनका रींगण वायु का दर्द जाता ही नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको क्या मालूम कि राजस्थान में कितने रींगण वायु से लोग मर रहे हैं, गांव गांव में रींगण वायु से लोग मर रहे हैं, राम भरोसे हैं, जैसा कहा जाता है। यातायात मंत्री फरमाते हैं, सड़कों के बारे में, कोआॅपरेटिव के बारे में; मुझे दुख है, कहा नहीं। आज तो मुझे कहना तो नहीं चाहिए था लेकिन आपको कह ही देता हूं। लज्जा आती है आपके डिपार्टमेंट को जाकर देखने से। कोआॅपरेटिव का डिपार्टमेंट है, मोलसर हाउस में स्टेशन रोड पर आपका डिपार्टमेंट है। हरिजनों की रकम बकाया है वह दी जाने के लिए रोज लोग आते-जाते हैं और वहां जाने पर लोगों को कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट का है, रकम नहीं निकाल सकते जब तक कि आधा बंटवारा न करो। हमने कहा कि हम एक भी पैसा नहीं देंगे और रकम निकलवायेंगे मैंने भी इसके लिए काफी जूतियां तोड़ीं (हंसी) लेकिन पार नहीं पड़ा। मैंने वहां क्या देखा उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वहां, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ कुलबुलाहट देखी, आगे जाकर देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कोई यह भी डिपार्टमेंट है! वहां जाकर देखा कि जैसे मुसलमानों की बरात हो, पान की पान, बीड़ियां की बीड़ियां और उस डिपार्टमेंट के पीछे दस जनेऊ वाले बैठे थे कि जैसे उसकी नींव को ही उड़ाये जा रहे हों।

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : निगाह बहुत तेज है।

श्री मदनसिंह : इसका कारण यह है कि कभी मिनिस्टर महोदय ने अपनी उम्र में यह जाकर नहीं देखा होगा कि डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है? मुझे यह नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मुझे कहना ही पड़ेगा कि उस डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है, क्या मुद्दे हैं। तो आगे जाकर देखा कि वहां चपरासी की धोती की लांग खुली हुई थी।

(हंसी)

आंखों से मक्खियां भी नहीं उड़ रही थीं, सो रहा था? मैंने कहा कि मुझे मिलना है, तो कहा कि हुक्म नहीं। "सोते रहो, हुक्म नहीं है तो मिलता तो है"........

(हंसी एवं कोलाहल)

जब मैं अफसर से मिलता हूं तो मैंने उनको कहा कि हरिजनों का रुपया बाकी है, वह आज तक दिया नहीं गया है, कई दरख्वास्तें कीं। मिले भी! कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन पूछा कि आप कौन हैं? मैंने फिर भी कहा कि ऐसा हुआ है कि हरिजनों की सुनवाई नहीं हो रही है। फिर पूछा कि आप कौन हैं, आखिर

(श्री मदनसिंह दांता)

मुझे कहना ही पड़ा कि मैं एम. एल. ए. हूं। बस एम. एल. ए. कहने की ही देर थी. कि कहा कि कुर्सी लीजिये। एम. एल. ए. के नाम से कुर्सी मिल जाती है, वैसे नहीं कहा जाता, तो गरीबों की कोई सुनाई करे? मैंने कहा कि इस प्रकार चिट्ठी दी है, कई लोग आकर मिले हैं। तो कहने लगे कि मेरे पास कोई चिट्ठी नही है। ८ महीने हो गये लेकिन अभी तक कोई रकम नहीं चुकाई गई। कहने लगे कि मेरे पास चिट्ठी नहीं। इधर-उधर से मंगाई लेकिन आखिर कुछ हुआ नहीं और कुछ नतीजा नहीं निकला।

सड़कों के बारे में कहा जाता है कि इतनी सड़कें बनाईं, लेकिन मैं कहता हूं कि सड़कों के नाम की कोई चीज़ नहीं छोड़ी है आपने। आपके डिपार्टमेन्ट करते हैं सो देख लीजिये, सड़क नाम की चीज़ नहीं। सड़कें बनाईं, नीचे तो रेत बिछा दी और ऊपर कॉन्क्रीट कर दी और कहते हैं कि ७०० मील की सड़कें बनाने जा रहे हैं। सड़कों को जाने दीजिये। गांव वालों को कहा जाता है कि सड़कें बनावेंगे। आज एक गांव वाले को इस वक्त सड़क की जरूरत नहीं, ऐसी सड़कों की जरूरत नहीं है, सड़कों का प्रबन्ध करना ही जैसे कांग्रेस का लक्ष्य हो और गरीबों की गरीबी की कोई परवाह नहीं। कूए बावड़ी खुदवाना तो दूर रहा, यह बातें तो विदेशी लोग ही कह सकते थे कि अच्छी अच्छी सड़कें बनवायेंगे, अच्छी अच्छी रेलगाड़ियां चलायेंगे। वे चला भी सकते थे, उनके पास साधन भी थे, लेकिन भारत को आजादी इसीलिए हुई थी कि राजस्थान के मिनिस्टर नीचे रेत और ऊपर कंकर टेक देंगे। कहते हैं कि भारत में आनन्द कर देंगे। लेकिन आनन्द तो तब होता उपाध्यक्ष महोदय, जब कि आज गांधीजी विराजमान होते यहाँ और नसीराबाद से आने वाले सदस्य महोदय का भाषण सुनते; तो गांधीजी को मालूम होता कि आज क्या हालत हो रही हैं और क्या काम हो रहे है...

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : गांधीजी होते तो आप भी लंगोटी लगा कर चलते।

(हंसी)

श्री मदनसिंह : गांधीजी होते तो मैं निश्चित रूप से लंगोटी तो क्या उनकी चप्पल लेकर उनके हाथ हो जाता, लेकिन आप कभी नहीं होते। कहने वाले उनके साथ कभी नहीं होते, हम जरूर होते। जिनके आदर्शों की घोषणा की उनके आदर्शों का आज तक कोई पता नहीं पड़ा। कभी तो उपाध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि सोशलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी की गवर्नमेन्ट है। He was fast ahead. There is no such thing as a pattern. There can be Socialist-can be Communist and there can be no pattern.
ये पेटर्न तो जूतियों और कपड़ों के होते हैं, गवर्नमेन्ट पेटर्न नहीं.......

(हंसी)

होती है। इसीलिए उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रसंग को मैं लम्बा चौड़ा नहीं ले जाना चाहता केवल राजस्थान गवर्नमेन्ट के विषय में ही कहना चाहता हूं। यह ही नहीं, गली गली में और स्टेशन पर देख लीजिये, तांगे और रिक्शे वालों से ही सुन लीजिये कि वे क्या कहते हैं कि इस गवर्नमेन्ट में भ्रष्टाचार बना हुआ है, काफी बढ़ गया है। नये नये एन्टीकरप्शन बोर्ड बना कर आप लोग अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि नया आई. जी. पी. नियुक्त कर दिया

(श्री मदनसिंह)

जाय इसलिए उसी पर भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी पड़ जाय। आज क्या हो रहा है, नये आई. जी. पी. के आ जाने के पश्चात् भी? मैं पुलिस के बारे में कहना चाहता हूं। होम मिनिस्टर साहब ने बड़ी संजीदगी और अच्छे मन से फरमाया कि सुरक्षा का काम ठीक कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि वह इसीलिए ठीक नहीं हो रहा है कि सही जानकारी नहीं देते। कहा गया कि पहले १०० चोरियां हुईं, ५० हुईं, ३० हुईं और २० हुईं। लेकिन यह नहीं बताया कि पहले १०० ५०, ३० और २० हुईं तो अब उनमें से कितनी कम हुईं? यदि अब ५० हुईं और ३० हुईं तो बढ़ी ही हैं, कम कहां हुईं?

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : यह एरिथमेटिक कहां से पढ़ी?

श्री मदनसिंह : यह तो बड़ी जरूर है, लेकिन घटी नहीं। देखिये इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, ये जनता को भरमाते हैं। चोरियां १०० जगह हुईं, अब ३० जगह हुईं तो घटी कहां है? यह बताते हैं कि १०० में से ६७ रह गई हैं, या ३० में से २० ही रह गई हैं तो कोई बात होती। इतनी पकड़ ली हैं, यह बताते। इसलिए इस तरह से चोरियां बढ़ी ही हैं, घटी नहीं हैं। यदि एक चोर ने २० हजार की एक जगह चोरी कर ली तो वह साल भर चोरी नहीं करेगा।

(हंसी)

आप हंसते हैं लेकिन मैं आपसे सही कहता हूं कि मेरी कॉन्स्टिटुएन्सी में ही दो बड़ी चोरियां हुईं, बीस-बीस हजार की चोरियां हुईं। एक तो लोसल में और दूसरी रोणोली में। ये बड़ी बड़ी चोरियां हुईं। होम मिनिस्टर साहब कह देते कि मेरी जीप ले जाओ और चोरियां पकड़वाओ तो मैं फौरन चोरी को पकड़ा देता। २०-२० हजार की चोरियां करने वाले बार-बार चोरियां नहीं करते। (हंसी) २० हजार की अगर एक बावरी और मीणा ने चोरी कर ली तो साल भर चोरी नहीं करेगा। इस तरह से आप आंकड़े देते हैं जनता को भुलावा देने के लिए। इसलिए मैं आशा करता हूं कि वे (होम मिनिस्टर) अपनी सीट छोड़ दें। (विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि) और विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि मुख्य मंत्री राम और कृष्ण को साथ लेकर चलना चाहते हैं तो इस कुर्सी से इस्तीफा दे दें। (विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)। × × × ×

(हंसी एवं कोलाहल)

तो आपका जल्दी खात्मा होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मैं सदन की प्रतिष्ठा के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य बोले हैं, जैसी उनकी जबान है वैसा ही उन्होने कहा है, लेकिन रेकॉर्ड के अन्दर इस प्रकार की चीजें न आयें कि चोर और डाकू जो बनना चाहें बनें, यह भाषा अच्छी नहीं है। अगर इसी प्रकार की भाषा पर उतर आये तो फिर आपस में कैसा होगा, यह मैं नहीं कह सकता। इसलिये ये सब लफ्ज़ प्रोसीडिंग्ज़ में से निकाल दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष (श्री मदनसिंह दांता से) : माननीय सदस्य आपने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसे जरा बतला दीजिये।

× × × × उक्त वाक्य श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कार्य विवरण में से हटाए गये।

श्री मदनसिंह : (जारी रखते हुए) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि सब तो इस करप्शन को साफ कर नहीं पाये और आप ऐसे कारनामों को निकालना चाहते नहीं, तो कृष्ण के समय में जैसे कंस के लिये हुआ था कि खूब उसने पाप किये और आखिर उसका पतन हुआ उसी प्रकार आपका भी पतन होगा, इसमें मैंने क्या अन्याय कर दिया ?

श्री ज्वालाप्रसाद : He is changing the words.

श्री उपाध्यक्ष : रेकर्ड को देखकर इस बारे में निर्णय लिया जायगा । I am looking to the proceedings on the record. What are the expressions (To the reporter)

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक प्रोसीडिंग आप देख न लें तब तक भाषण तो जारी रहने दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : Please Continue.

श्री मदनसिंह दांता : (जारी रखते हुए) उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी बातें हमें सदन के सामने रखनी थीं उनको रखा, अगर वे उन बातों को नहीं मानेंगे तो यह उन्हीं के लिये खराबी होगी, हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं । आप यह सोचते हैं कि जनसंघ वाले इस कुरसी पर बैठना चाहते हैं । मैं आपको विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि आप यदि सोने की सड़कें भी बना लें तो भी हम आपके पास बैठने वाले नहीं हैं, अभी तो आप पत्थर की ही सड़कें बना रहे हैं क्यों कि आपका और हमारा सैद्धान्तिक मतभेद है । जहां आप भारतीय संस्कृति से दूर चले जा रहे हैं वहां आप सोने की सड़कें भी बना देते हैं तो हम आपके पास बैठने वाले नहीं । आपने ही वादे किये थे काश्तकारों से, आपने जंगलों में रहने वालों के सामने वादे किये थे कि हम आपको पक्के मकान बनाकर देंगे, भीलों से आपने वादे किये थे कि हम आपके यहां रेडियो लगवा देंगे, उनके तो यहां लगे नहीं आपके घरों में जरूर लग गये । जिस गवर्नमेन्ट ने जनता को ऐसे ऐसे आश्वासन दिये थे उनके विश्वास के माफिक राज्य आपने किया नहीं । इसी कारण किसान सभा नाम की नयी संस्था पैदा हुई । जब कांग्रेस अपने को किसानों का हितचिन्तक मानती है तो यह किसान सभा क्यों बनी ? यह साफ बताता है कि किसान आप से रुष्ट हैं, हरिजन सब आप से अलग हो रहे हैं ।

श्री रामचन्द्र : हरिजन तो कांग्रेस के साथ हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कुछ इधर भी बैठे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : (जारी रखते हुए) यह तो स्पष्ट है और सारी जनता समझ गई है कि जो वादे कांग्रेस ने किये थे यह सरकार उन वादों को पूरा नहीं कर पायी है । सारी जनता की तरफ से यह प्रस्ताव आया है कि आप जगह जगह फिर कर देख सकते हैं कि जनता में आज की सरकार के प्रति कितना अविश्वास है ? इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से भाटों की ढाल पहनकर वे जीना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है । हमने देखा, पुराने जमाने में भाट हुआ करते थे जैसा कि भैरोंसिंहजी ने कहा, गुणगान करने का काम भाटों का हुआ करता था । मैं सोच रहा था कि जो भी भाषण होंगे उनका जवाब मुख्य मंत्री महोदय देंगे लेकिन जबरदस्ती सारा भार एक महाशय ने ले

Page No.100

(श्री मदनसिंह)

लिया, जिन्होंने कहीं की टांग अर कहीं का रोड़ा, कहीं बिटा दिया। क्या बात चल रही थी, किस बात का जवाब दे रहे थे यह उनको खुद को भी पता नहीं था। कुछ सदस्यों ने यह भी फरमाया था कि ये लोग इसलिए चिल्ला रहे हैं कि इनके पास बची-खुची जो भी जमीन है उसको भी गवर्नमेन्ट लेना चाहती है, इसलिये सरकार का विरोध करते हैं। मैं उन माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि यहां जमीन है किसके पास, अगर आप लोग इधर बैठने वाले लोगों से जमीन का एक्सचेन्ज करना चाहो तो हम खुशी से करने के लिए तैयार हैं। जितनी भी जमीन आपके दल के नेताओं के पास है वह तो हमें दे दें और हमारे पास जो जमीन है वह आप ले लें, कम से कम इस चेलेन्ज को मान लीजिये। चेलेन्ज पर चेलेन्ज दिये जाते हैं, करप्शन के लिये हम चेलेन्ज देते हैं आप उसको मानते नहीं, कम से कम यह तो मान लीजिये कि हमारे पास जो जमीन है वह आप ले लीजिये और आपके पास जो जमीन हो वह हमें दे दीजिये। यह तो एक निश्चित सौदा है। अगर आपकी जिद ही हो कि हमारे पास तो ११६ वोट है, हम तो मस्त रहेंगे, हमारी मस्ती को तोड़ने वाला कोई नहीं लेकिन यह भी मान कर चलिये कि किसी की शुरुआत हुई है तो उसका अन्त होकर भी रहेगा। आपने अभी सुना होगा जब हमारे उधर बैठने वाले सदस्य का भाषण हो रहा था तो जनता में से एक आदमी को क्या कहना पड़ा, उसको क्या क्या कहने की नौबत आ गयी उसको सदन में हल्ला करना पड़ा...

श्री उपाध्यक्ष : आप इस गैलरी के प्रश्न को मत रखिये, यह मामला अभी सब-जुडिस है।

श्री ज्वालाप्रसाद : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि सदन के बाहर गेलरी में किसी भी व्यक्ति ने चाहे कुछ भी कहा हो उस आदमी का यहां रेफेरेन्स नहीं दिया जा सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, ...

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order please !! The chair is not its legs. Hon. Members, I have already given my decision and the Hon. Member has accepted it.

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दीख रहा है कि जो जो भी मैं ऐसी बातें कह रहा हूं, ज्यों ज्यों उनकी कली खोलता जा रहा हूँ हमारे उधर बैठने वाले सदस्यों को नाराजगी हो रही है, लेकिन बातें ही ऐसी हैं। हमने जो कुछ भी बातें कहीं ईमानदारी से कहीं और मुख्य मंत्री महोदय ने भी बड़ी ईमानदारी से उन्हें सुना, ईमानदारी तो सब से बड़ी उस समय होगी जब आप इस्तीफा देकर इस कुर्सी से अलग हो जायेंगे और मुझे तीन रोज के लिए आपका चार्ज संभलवा दिया जाय, मैं आपको वे चीजें करके दिखा सकता हूं जो आप अभी तक भी नहीं कर पाये।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member on my left side; Shri Parasram.

४. ३० म. प.

श्री परसराम (ओसिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अविश्वास का प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है उस पर करीबन बारह बजे से लगातार चर्चा हो रही है। यह अविश्वास का प्रस्ताव वर्तमान सरकार के खिलाफ है। अविश्वास के प्रस्ताव का यह

(श्री परसराम)

मतलब होता है कि सदन के अधिकांश सदस्यों का विश्वास जब किसी सरकार में नहीं रहता है तो उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है लेकिन श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रकार का प्रस्ताव रखते समय जो वक्तव्य दिया उन्होंने इस बात को माना है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि सदन का बहुमत आपके साथ है वैसी हालत में यह प्रस्ताव अवश्य गिरेगा। उन्होंने यह भी माना कि वर्तमान सरकार को उलटा नहीं जा सकता और न उलटेगी। उपाध्यक्ष महोदय जब माननीय प्रस्तावक महोदय को यह विश्वास है कि इस सदन का बहुमत उनके साथ नहीं तो इस प्रकार के प्रस्ताव को रखना कि सदन के अधिकांश सदस्यों का वर्तमान सरकार के प्रति विश्वास नहीं है, मैं समझता हूं यह एक ऐसी बात है जो समझ में नहीं आती। यह चीज सही है और उसका पहले पता भी था कि अधिकांश सदस्यों का विश्वास इस सरकार को है तो फिर उनको यह प्रस्ताव रखने की क्या आवश्यकता ....

श्री अर्जुनदास : साहब ये कितने घंटे बोलेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order please !! you will not disturb the debate.

श्री अर्जुनदास : Sir, we also want to speak; otherwise we won't get the time.

श्री उपाध्यक्ष : You will get the time. He has just commenced.

श्री परसराम : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के रखने का मतलब एक हो सकता है और वह यह कि जो चर्चायें पहले की गई उन्हीं चर्चाओं को फिर से दोहराया जाय और उन्हीं बातों को तोड़-मरोड़ कर रखा जाय। इसके अलावा इधर-उधर की बातें कह कर सदन को आगे चलाया जाय। वास्तव में जो मौलिक बात होनी चाहिये थी सरकार के खिलाफ, उसकी मूलभूत नीति के खिलाफ जो भी मतभेद हो तो उनको रखना चाहिये था।

आज हम जब यहां पर जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से सदन में बैठते हैं तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। वह जिम्मेदारी यह है कि हम ऐसा कोई कार्य सदन में न करें जो उसकी प्रतिष्ठा को घटाता है। तो यह जो प्रस्ताव है यह राजस्थान की जनता के हित में नहीं है। प्रस्ताव में कहा गया कि सरकार पक्षपात करती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। मैं पक्षपात के बारे में कहता हूं। मैंने श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य का भाषण बड़े ध्यानपूर्वक सुना, पर मैं यह नहीं समझ पाया कि वह फेवरेटिज़्म कौन कर रहा है, किस तरह का है, किसके साथ किया जा रहा है ! पक्षपात दो तरह के होते हैं; एक अपने खुद के रिश्तेदार और दूसरे कांग्रेस के साथी के साथ पक्षपात किया गया हो। पर इनका ऐसा कोई जिक्र भाषण में नहीं था। जब उधर बैठने वाले आत्मविश्वास और विश्वास की बात करते हैं तो मैं भी वही बात कहता हूं तो ईमानदारी से और सच्चाई से कहता हूं। आप किसी मौलिक नीति में विश्वास नहीं रखते तो एक हिन्दू संस्कृति में विश्वास रखते हैं और हम समाजवाद के लक्ष्य में विश्वास रखते हैं। अपने अपने अलग लक्ष्य हो सकते हैं, पर यह कह देना कि आप में यह खामी है या ऐसे दो-चार शब्द यूज़ कर देना कि आप कंस की तरह पाप बढ़ाये जा रहे हैं, आपका खात्मा होने वाला है और

(श्री परसराम)

यह भी कहें कि आप जो हैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, इस तरह की बहुत सी बातें कह देना कोई संस्कृति का परिचायक नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो नीति हमारी सरकार की है वह यही नहीं है, सारे देश में कांग्रेस की एक पॉलिसी है, एक नीति है। हमारी एक योजना है, उसी योजना के अनुसार हम चल रहे हैं। हमारी पंचवर्षीय योजना है उसकी विधियों को प्रबल से प्रबलतर करने की ओर हमारा लक्ष्य है और उसी के अनुसार हम काम कर रहे हैं । यह जनता के हित में है ।

एक बात और कही गई, वे समझते हैं और कह भी रहे हैं कि सदन का बहुमत उनके साथ नहीं है। ऐसी सूरत में वह कौन सा बैरोमीटर है जिसके सहारे वे इस प्रस्ताव को सदन में लाये हैं।

वैर से आने वाले माननीय सदस्य ने एम्बेजलमेन्ट के केसों का जिक्र किया। इस बारे में मुझ से पहले बोलने वालों ने उत्तर दे दिया है। उससे अगर वे सन्तुष्ट न हों तो मैं निवेदन कर दूं कि ऐसे केसेज़ पी. ए. सी. मीटिंग में भी आते हैं और जो उधर से बोलने वाले मेम्बर हैं वे और मैं भी वहां बैठते हैं और वहां सभी मिल कर यह कोशिश करते हैं कि ये मामले पैदा न हों, जनता का पैसा खराब न हो। अब यह कह देना कि उन मामलों को छिपाया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। वैसे उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान बहुत विस्तृत प्रदेश है और इतने बड़े प्रदेश को जब हम एक इकाई में लाये हैं तो कुछ पुराने स्टेटों के सर्वेन्ट्स भी हमें मिले हैं। उनमें कुछ आदमी अवान्छनीय काम करने वाले हो सकते हैं। उनके साथ हम सख्ती कर रहे हैं। यह वे भी जानते हैं और फिर अब तो इन केसों की गिनती बहुत कम हो गई है। सरकार की नीति यह नहीं कि उनको छिपावे या बढ़ावा दे। जो ऐसा केस सरकार के ध्यान में आया है उसके खिलाफ कार्यवाही की गई है और जो कार्यवाही सरकार करती है उसकी रिपोर्ट पी. ए. सी. को दी जाती है। पी. ए. सी. और एस्टीमेट कमेटियां प्रजातान्त्रिक प्रणाली के एक हिस्से हैं, वे जनता के पैसे का दुरुपयोग न होने देने के लिये पूरी सतर्क हैं।

इसके बाद वैर से आने वाले माननीय सदस्य ने पुलिस अधिकारियों के ट्रान्सफर और प्रमोशन के बारे में कहा। मुझे मालूम नहीं कि एक्चुअल केस क्या है, पर अगर यही कोई कारण अविश्वास का प्रस्ताव लाने का हो सकता है तो मैं समझता हूं कि यह केवल सदन का समय नष्ट करने की बात की जा रही है और इसका हमें दुख है। वे यह भी मानते हैं कि सदन का बहुमत उनके साथ नहीं और यह प्रस्ताव पास होने का नहीं, फिर जनरल बहस करना और उन्ही बातों को बार बार दोहराना जो वे राज्यपाल के भाषण के अवसर पर कह चुके हैं, इसका मतलब यह है कि एक तरह से यह पार्लियामेन्टरी एब्सर्डिटी है, सदन का दो दिन का कीमती समय यों ही लिया जा रहा है। इन दो दिनों की बहस में कितना खर्चा सरकार का हुआ, क्या यह उन टैक्स पेयर्स पर बोझा नहीं, फिर वे टैक्स पेयर्स के हिमायती बनते हैं। इसके अलावा हाउस का जो बिज़नैस था उसको आगे पोस्टपोन करना पड़ा ।

तो अपने को सदन की प्रतिष्ठा रखते हुए जो जिम्मेदारी अपनी आती है सदन के

(श्री परसराम)

सेवक की हैसियत से उसे निभाने की कोशिश करनी चाहिये। ऐसे प्रश्नों पर तो कट मोशन के मार्फत या टू अवर्स डिस्कशन के तौर पर यहां रक्खा जा सकता था। ये कोई वजनी वजुहात नहीं कि जिनकी बेसिस पर कहा जा सके कि इस सरकार पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

इसके बाद में पचायतों की चर्चा की गई कि इसमें पार्टी के आदमियों ने भाषण दिये। जहां तक मैंने फैक्ट्स मालूम किये हैं वहां तक कह सकता हूं कि यह हो सकता है कि किसी के बंगले पर पार्टी के ५० आदमी मेहमान के तौर पर चले गये हों या मिलने के लिये चले गये हों या देखने के लिए चले गये हों, पर किसी भी राजनैतिक नेता ने पंचायत सम्मेलन में भाषण दिया हो, ऐसी बात नहीं है। यह सत्यता से दूर है।

इसके बाद में एक छोटी सी बात कही गई कि भरतपुर में या कहां, याद नहीं, किसी व्यक्ति के यहां इलेक्ट्रिक कनेक्शन इल्लीगल चालू है। हो सकता है, एक मकान पास में आया हो और उससे कनेक्शन ले लिया हो। यह भी हो सकता है कि कोई अपने मकान में रेडियो रखता है पर लाइसेन्स न लिया हो, पर इसके बेसिस पर या इसको एक तथ्य मान कर नो कान्फीडेन्स का जैसा मोशन लना, मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है।

उसके बाद में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने खास तौर से तीन-चार बातें रखीं। एक उन्होंने हैड आॅफ दी डिपाटमेन्ट्स के ऊपर चर्चा की और कुछ टीका-टिप्पणी की और कुछ बढ़ाकर उस मामले को सदन के सामने प्रस्तुत किया। वैसे मैं जानता हूं कि उनका कोई इरादा ये बातें सदन के सामने खड़े होकर कहने का नहीं था लेकिन शायद वह सोचते होंगे कि अखबार में आयेगा और वातावरण बढ़ेगा और जो उनके मन में यह रहा है, मैं सोचता हूं वह कामयाब हुए या नहीं, यह तो वह खुद ही जान सकते हैं लेकिन जहां तक मैं समझता हूं उन्होंने दस बारह डिपार्टमेंट्स के नाम लिए और सब के ऊपर इस बात का आरोप लगाया गया था कि यह जो हैड आॅफ दी डिपार्टमेंट्स हैं वे टैक्नीकल हैड्स नहीं हैं और उनके टेक्नीकल हैड्स नहीं होने की वजह से उनको उस महकमें की पूरी जानकारी नहीं होती है।...

४.५१ म० प०

दर्शक-दीर्घा से श्री कल्याणसहाय द्वारा उपस्थित की गई बाधा संबंधी कार्यवाही

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल): आॅन ए पोइन्ट आॅफ इन्फॉर्मेशन, सर, अभी क्योंकि समय हो रहा है और अभी थोड़ी देर पहले इस सदन में एक घटना घटी है कि बाहर के व्यक्ति ने सदन में कुछ हल्ला–गुल्ला किया था, उस सिलसिले में कार्यवाही भी इस सदन के माननीय सदस्यों को करनी है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार भी इस सदन में एक ऐसी ही घटना घटी थी और इस सिल–सिले में इसी. हाउस ने उसको कॉग्नीजेन्स में लिया था और मैं आपसे यह जानकारी लेना चाहता था कि आप इसे किस रूप में लेना चाहते हैं और इस सिलसिले में निर्णय क्या होगा या नहीं, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं यह निवेदन करता हूं कि यह तथ्य है कि कल्याण सहाय नाम का व्यक्ति दर्शक गैलेरी में था, यह बताया जाता

(श्री उपाध्यक्ष)

है और यकायक जब श्री ज्वालाप्रसाद जी का भाषण हो रहा था उस समय वह खड़ा हुआ और कुछ कहा और इस तरह का व्यवहार किया जिससे सदन की कार्यवाही में बाधा भी पहुंची और उसके सम्मान में भी क्षति हुई। अब सदन की जैसी राय हो वैसा किया जाय। पहले भी इसी तरह का एक प्रश्न सदन के सामने उपस्थित हुआ था और हमारी परम्पराओं और उसके आधार पर जो प्रोसीजर उस समय एडॉप्ट किया गया था उसके ऊपर तो उस स्थिति में उसी दिन निर्णय दे दिया था और सदन की यह आज्ञा है कि उस व्यक्ति को यहां उपस्थित किया जाय तो उनको आज्ञा दी जाये और उसके सम्बन्ध में जो कुछ कार्यवाही और निर्णय हो वह आज ही लिया जाना अनिवार्य होगा।

श्री भैरोंसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, उसको समन (Summon) करने से पहले मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन मैं सदन की अनुमति लेना चाहूंगा कि पांच बजने में कुछ ही मिनट बाकी हैं और सदन जब तक इस पर निर्णय नहीं ले लेगा तब तक हम यहां बैठेंगे।

अनेक माननीय सदस्य: हां, हां।

श्री भैरोंसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, इस बात में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती कि कोई दर्शक गैलेरी में से बैठकर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने की चेष्टा करे और उसको सदन कोई सजा न दे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रश्न एक उपस्थित होता है और उस प्रश्न को हमें राजनैतिक ढंग से या एक पार्लियामेंटरी ढंग से देखना अवश्य है, लेकिन साथ साथ हमें मानवता का दृष्टिकोण भी अपनाना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले का निर्णय लेने से पूर्व, मैं समझता हूं कि मैं सदन से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस व्यक्ति को जो दंड दिया जाय उसको इस सदन में प्रस्तुत करके अपना डिफेन्स प्रस्तुत करने का मौका दिया जाय, उसके पहले हाउस की प्रासीडिंग्स को देखा जाय कि जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उनके बोलने में कितनी सत्यता थी, उस सत्यता के कारण जो एक मानव समाज के ऊपर मानसिक प्रभाव पड़ सकता है, एक उत्तेजना जाग्रत हो सकती है वह हो सकती है या नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताऊंगा कि कानून में इस बात की भी छूट है और इस प्रकार की छूट है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रोवोक करता है, उसके री-एक्शन में कोई चीज पैदा होती है तो उसको एक कानूनी ढंग से देखना पड़ेगा...

श्री उपाध्यक्ष : उस व्यक्ति के सम्बन्ध में क्या आप मुकदमा प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

• **श्री भैरोंसिंह:** उस व्यक्ति को प्रस्तुत करने से पहले क्या प्रोसीजर होगा, यह हमें तय कर लेना चाहिए। वह प्रोसीजर तो यहां धारा सभा द्वारा पहले ही दिनांक १० अप्रेल, १६५६ को तय हो चुका था जिसमें कुछ व्यक्ति दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे और उन्होंने हल्ला गुल्ला किया और इस सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ी। उस प्रोसीजर के अनुसार वे व्यक्ति सदन के सम्मुख प्रस्तुत किये गये। उसके बाद में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार चार्जशीट सुनाई जाती है, जो उनको सुनाई गई। उसके बाद में उन्होंने कुबूल किया उनको पूछा गया, उनके बयान लिए गए। इसी

(श्री भैरोसिंह)

तरह से मैं चाहता हूं कि हाउस के सम्मुख प्रश्न बनाकर रख दिया जाय और यही प्रोसीजर फोलो किया गया था और उसी को अब भी फोलो किया जायगा, ऐसी मुझे उम्मीद है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाये।

राजा श्री मानसिंह (वैर : On a point of information, Sir, while we are waiting for the House to proced with the trial I shall like to make one point that tomorrow we should be given about one and a half hour to take part in the debate before the Government gives its reply. My request is, Sir, that Members of opposition should be given a chance.

श्री उपाध्यक्ष : I think some reflection has been given on it by Hon. the Speaker at tho very outset of the proceedings. Better it may be decided by the Speaker as well as Members of the opposition.

(श्री कल्याणसहाय को सदन में प्रस्तुत करने)
के पश्चात्)

व्यक्ति प्रस्तुत है। जैसा मैंने निवेदन किया कि इनका नाम कल्याणसहायजी है और यह दर्शक दीर्घा में श्री पी० के० चौधरी के रिकमन्डेशन से यहां बैठे हुए थे और उनके प्रवेश–पत्र पर उन्हीं के दस्तखत थे और इनकी दरख्वास्त पर भी श्री पी० के० चौधरी, डिविजन संख्या २२१, के दस्तखत है। मैं आपकी आज्ञा से इनको सवाल पूछ लेता हूं। इस ...

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, इस व्यक्ति को, जो प्रस्तुत किया गया है, क्या वह व्यक्ति अपने आपको एक कौंसिल के जरिये रिप्रेज़ेन्ट कर सकता है?

श्री उपाध्यक्ष : यह रूलिंग पहले ले ली गई है। यह अपनी रूलिंग के आधार पर है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष, मुझे एक आपत्ति है क्योंकि पिछली दफा जब कि ऐसा वाकया सदन में हुआ था उस वक्त मैं भी सदस्य था और उस समय के केस में और इस समय के केस में मुझे डिफरेन्स मालूम पड़ता है क्योंकि उस समय वे लोग एक्चुएली सदन के अन्दर आ गये थे और उन्होंने हाउस की प्रोसीडिंग्स को ओब्स्ट्रक्ट किया था। उस समय तो यहां तक था कि उन्होंने हमारे माननीय मंत्री महोदय की तरफ एडवान्स करने की कोशिश की थी। तो इस केस में और उस केस में कुछ डिफरेन्स है। एक आदमी साइकोलोजीकली एक गैलेरी के अन्दर ...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि ....

श्री श्रीभानसिंह : If the Hou'ble Leader listens to we, please, Sir, I will just clarify the matter.

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : मैं जो बात कह रहा हूं वह बात पहले सुननी है। मैं समझता हूं कि जिस व्यक्ति को अभी लाये हैं उसको सुनने के बाद ही हम कुछ डिसीज़न ले सकते हैं और ऐसा ही हमने पिछले बार भी किया था और उपयुक्त तरीका भी यही होगा क्योंकि यहां किसी भी व्यक्ति का प्रश्न नहीं हैं। हमें जो कुछ इस मामले में राय जाहिर करनी है वह उपयुक्त अवसर तभी होगा जब कि हम पहले उसको सुन लें। इस वक्त तो उनसे पूछिये उसके बाद में माननीय सदस्य अपनी राय जाहिर करें।

श्री श्रीभानसिंह : The Hon. Leader has mis-understood me absolutely. I am not supporting the man, Sir, I will just clarify...

श्री उपाध्यक्ष : What I hope is that you will not say something about the case on this or that side.

श्री श्रीभानसिंह : Nothing about the merits of the case, Sir. What I am going to suggest is that instead of hearing the man here we should submit him to Privilege Committee because a privilege of the House has been violated in the gallery and not inside the House. There is a subtle difference between the two. The Privilege Committee will examine him and submit its report to the House. This is my submission. If it was within the House, we would have adjudicated and punished him, but since he has committed a fault in the gallery, so instead of a trial here, submit him to the Privilege Committee and let it submit a report, then the House can decide. That is my submission.

श्री उपाध्यक्ष :So far as the trialis concerned we have already decided that he be tried here. So there is no question of referring to the Privilege Committee and then it is a question of contempt of the House. There is a difference, a delicate difference between breach of privilege and contempt. So we may try him. The trial may commence. I may, with the permission of the House put a question to him.

(श्री कल्याणसहाय से)

तुमने आज तारीख १६ । २ । ५८ को, समय ३.२५ बजे, जब कि सदन की कार्यवाही आरम्भ थी, ऐसा शोरगुल किया और इस ढंग से शोर मचाया कि जिससे सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंची तथा सदन की प्रतिष्ठा की क्षति हुई, जिसके तुम दोषी हो। तुमको क्या कहना है ?

(श्री कल्याणसहाय के न समझने पर पुन:)

ऐसी बात है कि आपने यहां इस दर्शक दीर्घा में इस तरह का व्यवहार किया जिससे कि यहां की कार्यवाही में बाधा पहुंची है; यह बात ठीक है न ? इसके संबंध में तुम कुछ कहना चाहते हो ?

श्री श्रीभानसिंह : Sir, he may be provided with a mike to be audible.

श्री कल्याणसहाय (अभियुक्त):— अगर एक बच्चा भूखा है, उसकी जान का खतरा हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसको कोई नहीं सुनता है तो क्या मैं यहां पर निवेदन भी नहीं कर सकता हूं ?

(सर्व श्री टीकाराम पालीवाल एवं जनार्दनराय नागर के परस्पर वार्तालाप करने से बाधा)

श्री कल्याणसहाय : अगर एक बच्चा भूखा है तो वह मां से कहेगा कि दूध पिलाओ और हर तरह की कोशिश करता है, फिर भी अगर वह नहीं सुनती है तो क्या वह बाप से निवेदन नही कर सकता है ?

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : उस दृष्टि से किया, लेकिन किया जरूर।

श्री कल्याणसहाय : मैं निवेदन करूंगा कि यहां पर सदस्य इस तरह से बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि क्या सदस्यों का अधिकार है कि इस तरह से बोलें ? आप इसके लिए मुझे बोलते हैं......

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि तुमने किया तो है न शोरगुल ?

श्री कल्याणसहाय : मैंने शोरगुल नहीं किया है। मेरी सुनता नहीं है कोई दुनियाँ में....

श्री उपाध्यक्ष : That is all right. It may be treated as pleading guilty, subject to certain conditions, I mean some defence contained in the statement; That all.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : Sir, this cannot be treated as admittnig guilty.

एक माननीय सदस्य : His statement should be recorded.

श्री उपाध्यक्ष : It should be recorded.

श्री कल्याणसहाय (अपराधी) : मैं निवेदन यह करूंगा कि मैं अपने क्षेत्र के एम. एल. ए. से मिला, अपने जिले के एम. एल. ए. से मिला और विरोधी दल के एम. एल. एज़. से मिला, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया तो मैंने देखा कि राजस्थान के अन्दर किसी ने उसका मुंह बन्द कर रखा है तो मजबूर होकर आज सदन के सामने अपना दुःख अर्ज करने का मुझे अधिकार है, भारतीय संविधान के अनुसार अधिकार है। जनता बोल सकती है। उसके बोलने की स्वतन्त्रता है, और उसी नाते मैंने निवेदन किया है। कोई कसूर नहीं किया है, इसीलिए किसी प्रकार की क्षमा याचना करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस पर भी आप यदि कोई दण्ड देने के लिए तैयार हों तो मैं उसके लिए तैयार हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : तो सदस्यों को सुनाने के लिए आप बोलें हैं ?

श्री कल्याणसहाय : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : और तो कुछ नहीं कहना है आपको ?

श्री कल्याणसहाय : बस मेरा यही कहना है कि जो मुझ पर अत्याचार हो रहा है उसकी जांच की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आपको और कोई सफाई तो नहीं पेश करनी है ?

श्री कल्याणसहाय : मैं और क्या सफाई पेश करूंगा ? जो कुछ आप पूछेंगे उसका जवाब दूंगा। उसके ऊपर कोई डिसीजन होगा तो हर प्रकार दंड लेने को तैयार हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या उम्र है आपकी ?

श्री कल्याणसहाय : २५ साल की।

श्री उपाध्यक्ष : किनके लड़के हैं आप ?

श्री कल्याणसहाय : मैं हरिदत्तजी शर्मा का लड़का हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : कहां रहते हैं ?

श्री कल्याणसहाय : बौरगांव खेरली, तहसील महुआ का निवासी हूँ। श्री पालीवालजी मेरे क्षेत्र के एम. एल. ए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी कहीं आप नौकरी पर हैं क्या ?

श्री कल्याणसहाय (अपराधी) : मास बी. सी. जी. कम्पेन, अजमेर, में फील्ड सुपरवाइज़र के पद पर कार्य कर रहा हूँ, साढ़े चार साल की सर्विस है ।

श्री उपाध्यक्ष : That is all right. You may ask him to withdraw then.

श्री टीकाराम पालीवाल : If the sentence is passed, if he is to be tried, it should be in his presence.

श्री उपाध्यक्ष : The question at present is whether he has pleaded guilty or not.

श्री श्रीभानसिंह : Before your Honour proceeds to put questions, Sir, I may submit that he may be mentally deformed. Have you got anything from the doctor saying that he is mentally balanced or not. That is I want to bring to your notice to get him examined.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अभी जो उन्होंने वक्तव्य दिया है उससे क्या ख्याल बनता है ?

श्री श्रीभानसिंह : It appears that he is mentally unbalanced. To give force to our judgement, our verdict, we must complete the procedure.

श्री टीकाराम पालीवाल : मैं थोड़ा सा इस विषय में बतला दूं कि यह मेन्टली साउन्ड होने का क्वेश्चन क्यों उठाया है....

श्री उपाध्यक्ष : नाम तो कन्फर्म कर लें, आपका नाम कल्याण सहाय है न ?

श्री कल्याणसहाय : जी हां ।

श्री तनसिंह : ये मुझसे भी मिले थे और कहा था कि कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि बहुमत का जमाना है, हम क्या कर सकते हैं ? अगर बहुमत का जमाना है तो बहुमत के अन्याय को खत्म करेगी जनता ।

श्री टीकाराम पालीवाल : There may be degrees of unsoundness.

अब चूंकि सदन के सामने ट्रायल शुरू हो गई है और जो कुछ भी मुझे इनके बारे में मालूम है वह बताना चाहता हूं; बहुत पहले कई दिन हुए....

श्री अर्जुनदास : Is it as a defence witness or as counsel.

श्री टीकाराम पालीवाल : No question of defence witness or counsel. We are all judges here.

श्री नाथूराम मिर्धा : इनके बारे में जानकारी देने वाली बात तो खत्म हो गई।

श्री टीकाराम पालीवाल : मैं चाहता हूं कि हाउस कोई भी जजमेंट देने से पहले उसकी पूरी जानकारी करे ।

श्री जनार्दनराय नागर : Sir, when the trial has already commenced, I don't think there should be any such statement.

We are all judges and I don't think it is necessary for him to give some introduction. Let him give his judgement. That is all.

श्री टीकाराम पालीवाल : I want to take my brother Judges into conidence of what I know.

श्री उपाध्यक्ष : This is a question of considering the issue whether any offence is made or not, the judges can differ and disagree, But as a judge one has a right to express his opinion.

श्री टीकाराम पालीवाल : मैं बतलाना चाहता हूं कि मैं उन्हें जानता हूं, मैं उनके क्षेत्र का एम. एल. ए. हूँ। मेरी बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि जो सजा उसको दी जाय वह कितनी माकूल हो। लेकिन दूसरा जो प्रश्न उठाया था उसकी मेन्टल साउन्डनेस का, उसके बारे में बता देना चाहता हूं जो कि मेरे नोटिस में आया है; अभी कुछ दिन पहले, ५-७ दिन पहले मैं घर पहुंचा तो घर पर बताया गया कि एक नौजवान मुझसे मिलने के लिए इन्तजार कर रहा है, और मुझे यह कहा गया कि कुछ विक्षिप्त से दिमाग का नौजवान आपसे मिलने के लिए बैठा हुआ है। मैं जाकर बैठा और बातचीत करने लगा इन्हीं सज्जन से। इन्होंने राजस्थान में फैले हुए भ्रष्टाचार के बारे में नाराजगी बताई और मुझसे कहा कि कुछ करना चाहिए।

मैंने सरसरी तौर पर यही कहा कि मैं क्या करूं, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, जैसा बहुमत है वैसा करते हैं, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में बहुमत से सारे काम होते हैं; इस तरह की बातें हुई। इसके बाद ये दो-तीन दफा मुझसे मिले, ये वही कहते रहे। मुझे यह लगा कि बहुत ज्यादा सेंटिमेन्टल थे, ओवरस्ट्रेन का फीलिंग रहा। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम इन झगड़ों में मत पड़ो, तुम सरकारी नौकर हो इसलिये यह तुम्हारे लिये उचित नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि जहां अन्याय होता है वहां नौकरी क्या चीज है? He was having overwhelming feelings. मैं यह नहीं कहता कि साउन्ड माइन्ड है, he was overwhelmed with feeling. He not in his was normal senses. साधारण आदमी की नॉर्मल हालत में बुद्धि होती है वैसा नहीं लगा।

श्री अर्जुनदास : We had just an opportunity of hearing the Hon. member Shri Paliwal. May I make one more suggestion, Sir. We should hear the Hon. member on whose recommendation he has secured the pass.

श्री उपाध्यक्ष : The pass has been issued on the recommendation of Shri P.K. Chaudhuri, it is under the signatures of Shri P.K. Chawdhuri.

श्री अर्जुनदास : Would it not be ossible to hear him. After all he might be knowing the man. He has recommended him.

श्री उपाध्यक्ष : A man of Shri P. K. Chaudhuri's calibre could not have given a recommend a tion for pass to such a lunatic.

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्षजी....

(कुछ सदस्यों द्वारा परस्पर वार्तालाप के कारण)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज़!!

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्षजी, जो अभियुक्त अभी हाउस के सामने प्रस्तुत है उसके संबंध में मुझे भी निवेदन करना है। ये मेरे कमरे में भी आये थे। उस समय मेरे साथ और भी दो-तीन सदस्य बैठे थे। उसने आकर मुझसे कहा, "आप इस प्रकार चुपचाप बैठे हैं, यह जमाना चुपचाप बैठने का नहीं है।" मैंने कहा मुझे नींद आरही है, मुझे इस समय मत छेड़ो।" उसने कहा, "आपको आराम कौन करने देगा?" उसके बाद गवर्नमेन्ट को उलटने की और इसी तरह की और भी कई बातें करता रहा। मैं उसको पागल तो नहीं समझ सका लेकिन सी. आई. डी. का आदमी समझा

(श्री तनसिंह)

और समझा कि मेरी जान को आफत आई है। मैंने और कई सदस्यों के नाम लिये और कहा कि उनके पास जाओ। मैंने श्रीमानसिंहजी का नाम भी लिया था और कहा कि आप उनसे जाकर मिलिये क्योंकि मैंने देखा कि वे ही सब से अच्छे ढंग से मिल सकते हैं और उनको समझा सकते हैं; इसलिये उनके पास भेज दिया जाय। मेरा यह निवेदन है कि उन्हें पागल तो न कहें, मुझे लगा कि पागल नहीं है; लेकिन गवर्नमेन्ट की सी. आई. डी. के आदमी हो सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि जब हम निर्णय करने जाते हैं तो इस संबंध में आर्टिकल २२ कांस्टिट्यूशन का है उसे पढ़ कर सुना दूं:

"No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by, a legal practioner of his choice."

मेरा यह निवेदन है कि यह चाहे हाउस पर लागू होता है या नहीं, लेकिन यह फंडामेन्टल राइट है जो विधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिया गया है और इस संविधान के द्वारा बनाई गई विधान सभा है और जब हम स्वयं चाहे किसी भी कारण से क्यों न हो, उसके इस राइट को स्वीकार करें तो अनुचित नहीं होगा। यदि हम इस मामले को हशअप करना चाहें सख्ती के द्वारा तो बात दूसरी है, वरना कोई व्यक्ति जिसको सजा दी जा रही है उसको मौका दिया जाना चाहिये लीगल सम्मति लेने का। संभव है इससे इसके दिमाग में शान्ति आवे कि मैंने किया क्या है, उससे वास्तविक कोई चीज होती है या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न कॉन्टेम्प्ट ऑफ दि हाउस का है, यह अलग बात है कि कॉन्टेम्प्ट बनता है या नहीं ? जैसा क्रिमिनल प्रोसीजर में दिया है, there is a provision in the criminal procedure to punish the offender.

इस सिद्धान्त से दंड देना चाहिये और कौंसिल की बात, it will be decided with the unanimous view of the House; But he has disturbed the house; it is the question of the contempt of the House. May be, treated leniently but it may be taken up earlier.

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय को एक विवादास्पद विषय नहीं मानता इस सदन के लिए, क्योंकि यह घटना हुई है। इसके पहले भी, साल-डेढ़ साल पहले भी इस तरह की घटना हुई थी। उस मौके पर भी सदन विवाद में नहीं पड़ा था, बल्कि क्या किया जाय और क्या न किया जाय, इस सम्बन्ध में बातचीत करके फैसला किया था। लेकिन किसी सदस्य ने जो कुछ किया उसको डिफेन्ड करने का प्रयत्न नहीं हुआ था और आज भी जो कुछ हुआ वह स्पष्ट है, सभी जानते हैं और यह सदन के सम्मान के लिये सोचने का प्रश्न है। हम इस मामले में यह सोचें कि बहुत सख्ती से कार्यवाही करनी है, इसका (कौंसिल का) प्रश्न नहीं आता। लेकिन साथ ही देखने की बात है जिसमें हर एक सदस्य को दिलचस्पी होगी कि इस प्रकार की घटना न हो, क्योंकि इस प्रकार की घटना होती है तो एक पार्टी का प्रश्न नहीं है, गवर्नमेन्ट का प्रश्न नहीं है, यह सारे सदन का प्रश्न है। इस पर सोच-समझ कर निर्णय पर पहुंचना चाहिये। बाद-

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

विवाद में पड़ने जैसा प्रश्न लगता नहीं है। जितनी सहूलियत से कर सकें उतना ही उचित है। वाद-विवाद क्या किया जाय? इसलिये मैं समझता हूँ कि जो निर्णय करना है वह कर दिया जाय। ज्यादा वक्त तक रहना पड़े, यह उचित नहीं। अपन यहाँ से उठें इससे पहले ही निर्णय कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : Should I put the questions, then? It is the quantum of the sentence. It is the question of the contempt of the House.

सेन्टेन्स के मामले में यह मानना चाहिए कि it is a Contempt of the House. सजा के बारे में बता दीजिये। There should be unanimity in the decision.

श्री श्रीभानसिंह : In view of the general apology extennded before the House, I think a lenient view be taken.

(बाधा के पश्चात् पुनः)

I am making a suggestion. I am not supporting him. I am saying it is contempt of the House. I have only made a suggestion to the House. In view of the fact that he has apologised, let us take a linient view. If you don't like; you may not like. This is my suggestion. I would like to place it and that is the last alternative.

श्री उपाध्यक्ष : If he apologises then we will decide to take a lenient view of it.

कल्याणसहायजी, आप क्षमा याचना करने को तैयार हैं? जो कुछ यहां किया उसके लिये यदि क्षमा-याचना करते हैं तो सदन उस पर विचार कर सकता है।

श्री कल्याणसहाय (अभियुक्त) : मैं निवेदन करता हूं कि मेरा गला न घुटे और गर्दन को बचाने का प्रयास करेंगे और रहम करेंगे तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। मैं बच्चा हूं, आप बुजुर्ग हैं मेरे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न सीधा सा है। आपने दर्शक दीर्घा में बैठ कर हल्ला-गुल्ला किया और सदन की बैठक में बाधा पहुंचाई, उसके लिए आप दोषी ठहराये गये हैं। आप क्षमा याचना करते हैं तो सदन आपको छोड़ने में सहूलियत प्रदान कर सकता है और क्षमा–याचना करते हैं तो यह आपको लिख कर देना होगा।

श्री कल्याणसहाय शर्मा (अपराधी) : क्षमा याचना करने के लिए तो तैयार हूं, पर मुझ पर जो अन्याय हो रहा है उसके लिए जांच की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : उसके लिए बाद में देख लेंगे। अभी आप क्षमा याचना करते हैं?

श्री कल्याणसहाय शर्मा : क्षमा–याचना करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Sergeant-at-Arms, please secure an application from him. (to the House) or his oral statement will do?

श्री चन्दनमल : That is sufficient. It is the spirit that matters.

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर

Page No.112

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कोई मुलजिम किये हुए काम के लिए रिपेन्ट करता हो और जो जुर्म उसने किया उसके लिए क्षमा मांगे तो उस पर विचार किया जा सकता है। पर वे कह रहे हैं कि वे क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं, मगर जो उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है; With 'ifs' and 'buts' there can be no apologies.

श्री टीकाराम पालीवाल : अध्यक्ष महोदय............

राजा श्री मानसिंह : Sir, the young man is hopelessly misguided. He does not understand what the House requires of him. In view of the apology that he wishes to tender to this House, I feel, we should be lenient with him.

श्री टीकाराम पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा खुद का विचार है कि दो चीजें ध्यान देने की हैं। पहली तो जो इनकी दिमाग की स्थिति है, मैं नहीं कह सकता कि ये बिलकुल साउन्ड माइन्डेड हैं। जैसा मैंने कहा स्थिति नोर्मल नहीं है या कुछ चीज ऐसी हुई है, चाहे दुःख हो या और कोई कारण हो

(हंसी)

जिसके कारण इनके दिमाग की यह स्थिति हो गई हो। दूसरे वे क्षमा मांग चुके हैं और मैं यह समझता हूं कि हमारा इतना बड़ा हाउस कोई छोटे मुलजिम को बहुत बड़ी सजा देने लगे तो वह ठीक नहीं रहेगा। यह बहुत काफी है कि इन्हें वार्निंग दे दी जाय और छोड़ दिया जाय।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मुझे भी कुछ निवेदन करना है। केवल किसी के दिमाग में खराबी हो जाय, इसका इलाज क्षमा नहीं है। He must be punished, नहीं तो ऐसा दुबारा होगा, हर रोज पागल बनेगा, यह कोई तमाशा नहीं है। इस तरह विचार किया

(करतल–ध्वनि)

गया तो कोई बच्चा बनेगा, कोई पिता बनेगा। इस पर कोई भी निश्चय लेने की सदन को पूरी स्वतन्त्रता है। इस तरह सदन के बीच कार्यवाही हुई और वह भी परमात्मा ने अच्छा किया कि हमारे कुछ महारथी लोग आये, वे लेट आये, नहीं तो यहां एक नमूना होता। इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय मैं देता हूँ कि कम से कम ऐसा पनिशमेंट हो कि आयन्दा इनका दिमाग ठीक रहे, अन्यथा ऐसे दो–चार और हैं जिनका दिमाग खराब है। मैं परसों कहने वाला था एक जनाब लकड़ी की पिश्तोल लगाये हुये आये और सीधे आकर मेरे मुंह पर चलाई, उससे मुझे सारी रात नींद नहीं आई, न जाने उसमें क्या था? मैंने नीचे जाकर पुलिस के जो इन्चार्ज थे, उनसे कहा कि यह हरकत हो गई है, दूसरी दफा होगई है, अगर इनका दिमाग ठीक करने का इलाज आपके पास नहीं तो मेरे पास में इनका इलाज है, इलाज कर दूं। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह की चीज इस सदन के बीच हो, जो सबसे बड़ी चीज मानी जाती है। ये श्रीमान मेरे पास आये थे १०–१५ दिन पहले और ऊट–पटांग बात कहने लगे। मैंने कहा आप गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि इनके दिमाग में खराबी होती तो ऐसा नहीं हो सकता था। इन्होंने कहा गवर्नमेन्ट को उलटना चाहिए। यदि वोट से

(श्री मदनसिंह दांता)

गवर्नमेन्ट नहीं पलटती तो सोटों से पलटनी चाहिए

(हंसी)

यदि इनके दिमाग में खराबी होती तो कोई तकलीफ होती, तो सिर में पत्थर लगाते। इस तरह तो सबका दिमाग खराब हो जायगा। इसलिए सख्त कदम नहीं उठायेंगे और इस तरह बक्स देंगे (क्षमा कर देंगे) तो आयन्दा इस सदन की मर्यादा खत्म होगी और उसको एक दिन पागलपन हो सकता है। स्पष्ट कह रहे हैं कि वे इस शर्त पर माफी चाहते हैं। इसके लिए इन्हें दंड होना चाहिए, यह मेरा मत है।

श्री अर्जुनदास : Sir, I am also of the opinion that there should be some tangible punishment so that there should be no repetition of things like this. We cannot possibly leave him only with a warning; वरना क्या होता है, एक को माफी देंगे तो दस और आ जायेंगे। The leader of the House should also get up and tell us what is his view about it.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : Mr. Dy. Speaker, Sir......

(कुछ रुकने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Continue please.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : I wanted to say something over this incident. This House according to the Constitution is the House, the contempt of which, this House is powerful to punish; and if any member of the public who is not a member of this House wants to obstruct the proceedings of this House by shouting or crossing the floor of the House, he commits an offence of the contempt of this House. Then what is the procedure for awarding punishment to that accused? The ordinary course of law is that he should be produced before a law court. The Sergant-at-Arms, who is said to be a representative of the Speaker, will lodge a report before the police and the police will challan him and he the (accused) will receive his trial just as an ordinary accused; the other course, of course, if the Members of the House do not want to give him an opportunity to be represented by a pleader or counsel, then this House is all powerful to punish him here and now. If he is being detained for a period of more than 24 hours, then of course the House trespasses its limitations, because under the constitution no man shall be kept in custody for more than 24 hours without being produced before a Magistrate. So this House has to decide whether all the Members of this House, they are unanimous in awarding him punishment for the contempt that he has committed here, my humble opinion is, if the House is divided, if the Members of this House do not want to function as the members as Magistrates, we do not want to function as the members of the judiciary, then a complaint can go against the man and he can be tried as an ordinary accused. But if the whole House is unanimous over this that he should be punished, of course, that

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

will add to the grace of the House and he can be dealt with; but ordinarily in the history of parliamentary life there have been no instances of punishing a trespasser in the House of Parliament. It was only in the Australian Parliament three years ago and one incident took place here in our Legislature one and a half years ago. These are the only two instances which are available, and this House being All-powerful body raraly exercises its discretion in punishing the accused in such a case. So my humble opinion is, if all the Members of the House are united and they pass a unanimous verdict over this man, then the accused should be dealt with; otherwise the accused should be sent to the Magistrate and he should be tried and dealt with according to law in order that there may not be any controversy. When the House is very jealous to guard its rights, there should be a unanimous decision, but if there is a single dissentious voice and the Members feel a pinch in their conscience in working as Magistrates and awarding any punishment, then the matter should go to a Magistrate and ordinarly this is the practice Even if the man does not apologise he is made to realise that he can be sent to jail, he can be given any amount of rigorous imprisonment or simple imprisonment and for which there can be no question in the court of law. If he realises all these things, then the House can pardon him irrespective of the fact whether he apologises or not. This adds to the grace of the House. Even if he does not apologise, the House can issue a warning through the Speaker that this can punish him, but this House let you off because we ignore your offence.

श्री मनोहर कोठारी : माननीय उपाध्यक्ष, जब कि यह ट्रायल शुरू हो चुकी है मेरा खयाल है कि इसका एक हिस्सा पूरा हो चुका है, स्टेटमेंट हो चुके हैं, एक ऐसी स्थिति में क्या यह हमारे लिये उचित होगा कि इस केस को किसी ऑडिनरी लॉ कोर्ट के सामने पेश करें। मैं समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में पनिशमेंट देना है या क्या करना है, इसी हाउस में तय करना है।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon. member suggested an alternative remedy, nothing more than that.

मेरा यह निवेदन है कि दो प्रश्न हैं कि या तो माफ किया जाय या सजा दी जाय।....

If the House comes to a unanimous decision................

श्री भैरोंसिंह: माननीय उपाध्यक्ष, इसमें राय न ली जाकर सदन के नेता सारे सदस्यों से मिलकर निर्णय लें और उसे फिर सदन में प्रस्तुत किया जाय। इसके लिये यही हो सकता है कि सदन को ५ मिनट के लिये स्थगित कर दिया जाय या सदन के नेता पांच-सात सदस्यों से बाहर मिल कर तय कर लें।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : एडजर्न हो उससे पहले एक बात तो स्पष्ट हो जाय कि यह क्षमा याचना करने को, बिना किसी शर्त के, आप तैयार हैं कि नहीं। इतना

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मालूम होने के बाद एडजर्न हो तो ज्यादा ठीक होगा ।

श्री भैरोंसिंह : दूसरी रेमिडी भी तो है ....

श्री उपाध्यक्ष : This is revealed from his statement.

यह तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उससे निर्णय निकलता है ।

श्री टीकाराम पालीवाल : यह तो इसको एक्सप्लेन कर देना चाहिये कि नेचर ऑफ ऑफेन्स यह है, शायद वह समझ नहीं पाया हो ।

श्री उपाध्यक्ष : सारा भाषण हो गया है ।

श्री टीकाराम पालीवाल : सारा भाषण हो जाने के बाद भी he should be made known of his offence.

श्री उपाध्यक्ष : He has explicitly given.........

श्री टीकाराम पालीवाल : He should be made to realise the gravity of his office so that he may make an unconditional apology.

श्री उपाध्यक्ष : श्री कल्याणसहाय (विराम

I may put another question to make him understand.

श्री कल्याणसहाय : मेरा निवेदन करना है...

श्री उपाध्यक्ष : निवेदन तो फिर करना, मेरी सुनो ।

आपने यहां दर्शक दीर्घा में बैठ कर जो हल्ला–गुल्ला किया, शोर किया और कुछ कहना चाहा सदस्यों को यहां, इससे यहां की कार्यवाही में आपने देखा कि बाधा पहुंची, सब आपकी तरफ देखने लग गये । यह अपराध समझा जाता है । सदन की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा है । सदन चाहे तो आपको सख्त से सख्त सजा दे सकता है, जेल भेज सकता है, कई दिन तक जेल में रह सकते हो, यहां आज अगर सदन सजा दे दे तो जेल भी जा सकते हो । यह सब सामने रखते हुए आप अपने सारे हालात को समझ लें । सदन सजा देने को उतारू हो तो १०, १५, ८ दिन की सजा मिल सकती है । इस वक्त मौका है, अगर तुम क्षमा याचना कर सकते हो, जिसमें कन्डीशन नहीं हो, दरअसल महसूस करते हुए कि काम अच्छा नहीं किया, क्षमा याचना कर लेते हो तो मुमकिन है मुक्त हो सकते हो । अब क्या चाहते हो ?

श्री कल्याणसहाय (अपराधी) **:** मेरे गांव में पटेल और गांव वाले मुझे मारने को तैयार हैं, मेरे घर वालों को निकाल दिया है, जिसके लिए श्री नेहरू तक रिपोर्ट कर दी है, सुनने वाला नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : That is not clear. Order ! Order please !!

श्री कल्याणसहाय (अपराधी) **:** सुन लीजिए, पहले मेरे खिलाफ यह कार्यवाही हो रही है उसकी जांच कर दें, जो मैंने किया है उसके लिए क्षमा चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : अगर जांच नहीं करायेंगे तो ?

(सदस्यों की बातें होने के कारण)

ऑर्डर प्लीज !

श्री जनार्दनराय नागर : Hon. Dy. Speaker, Sir, after hearing the reply of the gentleman, I am firmly of the opinion that this

Page No.116

(श्री जनार्दनराय नागर)

not mad, he has deliberately disturbed the House. It is the question of the contempt of the House and I would submit, Sir, that there can be nothing else since it is objectively clear that he came with a deliberate...

श्री उपाध्यक्ष : We are not going to discuss...

श्री जनार्दनराय नागर : It is a contempt of the House.

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीमानसिंह।

श्री श्रीमानसिंह : To smoothen the matter, we should come to a unanimous decision. The Leader of the House may bring a motion after consultation with the speaker

श्री अर्जुनदास : But the Motion must come through the Leader of the House.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री) : We may adjourn.

श्री उपाध्यक्ष ; We adjourn for five Minutes only.

(तदनान्तर सदन की कार्यवाही ५-३७ सायं पर ५ मिनट के लिए स्थगित हुई)

५. ४०. म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पुनः पदासीन)

श्री बी. एन. जोशी : On a point of information, Sir, has the House resumed its sitting ?

श्री उपाध्यक्ष : It has resumed its sitting no doubt, but because the Members have demanded from me a minute or two more, the Members are at liberty to relax.

श्री उपाध्यक्ष : श्री कल्याणसहाय ने क्षमा याचना के लिये लिखा है। कल्याणसहाय लिखते हैं कि सदन के सामने आज दि० १६-२-५८ को बोलने के लिए क्षमा याचना करता हूं।

एक माननीय सदस्य : १६-२-५८ है या २६-२-५८ है।

श्री उपाध्यक्ष : १६.२.५८.

श्री बी. एन. जोशी : I believe, Sir, it is sufficiently a clear and unconditional apology and it should be treated as sufficient.

श्री जनार्दनराय नागर : What has the Leader of the House to say ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष, जो घटना आज सदन में हुई है, मैं समझता हूं कि इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती कि वह एक दुःखद घटना थी और सदन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली घटना थी। क्योंकि उन्होंने लिख कर क्षमा याचना की है, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उनको वार्निंग देकर छोड़ दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : तो मैं यह प्रश्न सदन समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि श्री कल्याणसहाय शर्मा को वार्निंग देकर छोड़ दिया जाए ?

श्री अर्जुनदास : Shall we use the word 'admonition' or only 'warning'. I think 'admonition' would be the proper word, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Who is to administer this ?

श्री अर्जुनदास : Dy. Speaker, Sir, what should be the language of the admonition ?

श्री उपाध्यक्ष : पुनरावृत्ति न करें ?

श्री टीकाराम : "Your conduct was undesirable and should not be repeated".

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री कल्याणसहाय शर्मा जिन्होंने सदन के सामने बोल कर सदन की कार्यवाही में क्षति पहुंचाई और उसके लिये वे दोषी ठहराये गये, उन्हें उनकी क्षमा याचना के पक्ष में दण्डी (admonition) देकर छोड़ दिया जाय ?

कुछ माननीय सदस्य: Is this unanimous ?

श्री उपाध्यक्ष : This is unanimous.

(सर्व सम्मति से स्वीकृत)

क्षमा याचना के पक्ष में, छोड़े जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री कल्याणसहाय शर्मा, तुम पर यह आरोप है कि दर्शक दीर्घा में आकर तुमने सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई और उसके लिये दोषी ठहराये गये, किन्तु तुमने सदन के सामने क्षमा याचना प्रस्तुत की है इसलिए तुम्हें यह चेतावनी दी जाती है कि तुम इस तरह की हरकत दुबारा न करो, इसलिए इस क्षमा-याचना के प्रकाश में तुम्हें मुक्त किया जाता है।

(विराम)

The Hon. member who was debating will resume his debate tomorrow.

So we adjourn to-day to meet tomorrow at 11·00 A. M.

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही ५ बज कर ५१ मिनिट पर दिनांक २० फरवरी, १६५८ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

संक्षिप्त विवरण

(बुधवार, १६ फरवरी, १६५८)

	स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	१४३२

समाचारपत्रों को दिये जाने वाले विज्ञापन।
औद्योगिक शिक्षण केन्द्र।
अशोकपुरा (जयपुर) में शिशुगृह।
निवाई की पहाड़ी का रिजर्व जंगल में लिया जाना।
राजस्थान प्रदर्शनी।
पंचायत क्षेत्र।
सहकारी समितियां।
जल बोर्ड।
उपज के आंकड़े।
जिला बोर्ड, जयपुर।
सार्वजनिक स्थानों के संकेत पट।
सरकारी अस्पताल, बालोतरा।
वाटिका से डाबिच (त० चाकसू) तक सड़क निर्माण।
जयपुर के डॉक्टरों एवं उनकी पत्नियों की नियुक्ति।
पार्वती बांध, धौलपुर।
बीकानेर से लूणकरणसर तक सड़क निर्माण की प्रगति।
सदर हास्पिटल, धौलपुर
बंधों का जीर्णोद्धार।
मंगरोल में नगरपालिका की स्थापना।
कृषि योग्य भूमि।
चिकित्सालयों की स्थापना
जिला बोर्ड, जयपुर।
पॉवर हाउस, केकड़ी।
लोहा, सीमेन्ट व टीन का वितरण।
पुलिस चौकियों की स्थापना।
गंगानगर जिले में वन विस्तार योजना।
लूनी नदी के किनारे (Embankments) बांधने की योजना।
नसीराबाद-केकड़ी-देवली सड़क का निर्माण।
अफीम की बरामदगी।
गुढ़ावा से चाला (त. नीम का थाना) तक सड़क निर्माण।

	स्कम्भ
अनुपस्थिति के लिये अनुमति	१४८३

निम्नांकित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई :—

श्री श्रीराम बासोतिया
दिनांक १७-२-५८ से २५-२-५८।
श्री राजाराम
दिनांक १७-२-५८ से २४-२-५८।
श्री लालसिंह शक्तावत
दिनांक १८ व १६ फरवरी, ५८।

राजस्थान फोरेस्ट (संशोधन) विधेयक १६५८ का पुरःस्थापन १४८३

श्री नाथूराम मिर्धा, मंत्री, वन विभाग, ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान फोरेस्ट (संशोधन) विधेयक, १६५८, पुरःस्थापित किया।

मंत्री मंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की प्रस्तुति एवं वाद विवाद १४८४

राजा श्री मानसिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :

"Looking to the general inefficiency, prevalence of corruption and favouritism, this House resolves that it no longer has confidence in the present Council of Ministers."

तत्पश्चात श्री भैरोसिंह (१४) ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है :—

"इस सदन की सम्मति है कि इस सरकार (वर्तमान मंत्रीमंडल) के प्रति सदन का अविश्वास हो चुका है।"

इन प्रस्तावों पर किये गये वाद-विवाद में श्री ज्वालाप्रसाद, श्री मदनसिंह दांता एवं श्री परसराम ने भाग लिया।

सदन की कार्यवाही में बाधा

लगभग ३॥ बजे जब कि उपरोक्त प्रस्तावों के विरोध में श्री ज्वालाप्रसाद बोल रहे थे एक अपरिचित व्यक्ति, कल्याणसहाय शर्मा ने दर्शक-दीर्घा में खड़े होकर प्रशासन के विरुद्ध अपनी निजी शिकायतों को जोर-जोर से हल्ला गुल्ला कर के कहना शुरू कर दिया जिसके फलःस्वरूप सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंची। इस पर उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञानुसार उन्हें सशस्त्र परिचायक (Sergent-at-arms) की अभिरक्षा में लिया गया।

इसके पश्चात् लगभग ५ बजे सायं श्री कल्याणसहाय शर्मा को

स्कम्भ

सदन के समक्ष पेश किया जाकर उन्हें अपने आचरण का स्पष्टीकरण करने एवं सफाई देने अथवा क्षमा याचना करने का अवसर दिया गया। उनके बयान के बाद सदन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्री कल्याणसहाय ने अपने व्यवहार द्वारा सदन का अपमान (Contempt of the House) किया है किन्तु इसके लिये उन्हें क्या दंड दिया जाना चाहिये इस पर सदस्यों द्वारा आपसी विचार विमर्श किये जाने हेतु सदन की कार्यवाही ५ मिनट के लिये स्थगित कर दी गई।

सदन की कार्यवाही ५ बजकर ४० मिनिट पर पुनः प्रारम्भ हुई।

१६३७ सदन के नेता ने यह प्रस्ताव किया कि चूंकि श्री कल्याणसहाय शर्मा ने लिखित में क्षमा याचना प्रस्तुत की है अतएव उन्हें चेतावनी दी जाकर छोड़ दिया जाय। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से सदन द्वारा स्वीकार किया गया और तदनुसार उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री कल्याणसहायशर्मा को उपर्युक्त चेतावनी दी जाकर छोड़ दिया गया।

बृहस्पतिवार, दिनांक २० फरवरी, १६५८ की कार्य-सूची

मंत्रि मंडल के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या २३२ का उत्तर देखिये)

सन् १९५३-५४

१.	डीडवाना स्कूल में कमरे के निर्माणार्थ	२५० रुपये	पूरी खर्च हो गई।
		२५० रुपये	
२.	डीडवाना स्कूल के कमरे के निर्माणार्थ	७५० रुपये	पूरी खर्च हो गई।
		७५० रुपये	

१९५५-५६

३.	मंडावर स्कूल भवन के निर्माणार्थ	१५०० रुपये	पूरा खर्च हो गया है।
४.	मंडावरी में तालाब खुदाई के वास्ते	५०० ,,	पूरा खर्च हो गया है।
५.	मिर्जीपुर में कुए की मरम्मत हेतु	७०० ,,	हिसाब आगया है।
६.	रानोला में तालाब की मरम्मत	१५० ,,	खर्च हो गया है।
		२८५०	

१९५६-५७

७	तालाब गांव में संस्कृत स्कूल भवन हेतु।	१५०० रुपये	खर्च हो गया है।
८.	बड़खेड़ा में कुए की मरम्मत हेतु	४०० ,,	खर्च हो गया है।
९.	डिमोनियाडेरा में तालाब खुदाने हेतु	२०० ,,	खर्च हो गया है।
१०.	चांवड़ावास में स्कूल भवन बनाने हेतु	५०० ,,	खर्च हो गया है।
११.	ग्राम समवासा में कुआ के निर्माणार्थ	४०० ,,	खर्च हो गया है।
		३०००	

		५५-५६	५६-५७	कुल	
१.	निर्माण सड़क एवं खुर्रा लालसोटा			२५०० रुपये	हिसाब नहीं आया पत्र संख्या १४८६ दि० २४. १२. ५७ द्वारा हिसाव भेजने के लिये लिखा गया
२.	खुर्रा ग्राम राहवास	५००	५००	१०००	१०२७॥ का हिसाब आगया।
३.	खुर्रा ग्राम डीडवाना	५०००			५०६ का हिसाब आगया।
४.	निर्माण स्कूल भवन खटवा			२०००	हिसाब भेजने के लिये पत्र संख्या ७६६२ दि० २६. ९. ५७ के द्वारा लिखा गया।
५.	निर्माण औषधालय दौलतपुरा	१०००		१०००	२०१८-१३-६ का हिसाब आया।
६.	पंचायत भवन सवांसा	१०००			१०४२-१५-६ का हिसाब हुआ था।
७.	पंचायत भवन राहूवास	५००			१५२ का हिसाब प्राप्त हुआ। ३४७ सरपंच जी ने वापस जमा कर दिये दि० ११. ३. ५७.।
८.	पंचायत भवन विलोना				१००० की स्वीकृति हुई किन्तु रकम नहीं दी गई व चैक कैन्सिल कर दिये।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या २४६ का उत्तर देखिये)

डि० बो० जयपुर द्वारा तहसील चाकसू को सन ५५–५५, ५६–५७, ५७–५८, में दी गई सहायता का विवरण

क्रम संख्या	ग्राम	कार्य	सहायता की रकम १९५५–५६	५६–५७	५७–५८	कार्य समाप्त हुआ या नहीं	यदि नहीं तो समाप्ति की अवधि
१.	ताजखा का वास	सार्वजनिक कुआं निर्माण	१०० रुपये			नहीं	शीघ्र पूरा कराये जाने की कार्यवाही कराई जा रही है।
२.	कोठखावदा	गर्ल्स स्कूल का निर्माण	८०० रुपये			नहीं	कार्य आरम्भ नहीं हुआ।
३.	महादेवपुरा	कुआं निर्माण	१२५ रुपये			नहीं	कार्य आरम्भ नहीं हुआ।
४.	चेनपुरा	तालाब व खुदाई	२५० रुपये			नही.	"
५.	कोदेरा	खेल कोठा	१५० रुपये			नहीं	"
६.	कोटा बासकोट	कुआ निर्माण	२०० रुपये			नहीं	"
७.	रामनगर	स्कूल भवन	१००० रुपये			नही	"
८.	गढ़ का वास	तालाब व खुदाई	४०० रुपये			नहीं	"
९.	नरोतमपुरा	नयाकुआं		२५० रुपये		नहीं	"
१०.	इन्द्रपुरी	नया कुआं		२५० रुपये		नहीं	कार्य की प्रगति के बारे में पत्र लिखा गया है।
११.	मवाड़ा	स्कूल भवन		२५० रुपये			आरम्भ नहीं हुआ।
१२.	कूपावास	स्कूल भवन		२५० रुपये		नहीं	शीघ्र पूरा कराये जाने की कार्यवाही कराई जा रही है।
१३.	गरुड़वासी	हरिजन कुआ		२५० रुपये		नहीं	कार्यवाही की प्रगति मांगी है।
१४.	टटोली	स्कूल भवन		१०० रुपये		हां	
१५.	बलवन्तपुरा	खुदाई तालाब		५० रुपये		नहीं	शीघ्र पूरा कराये जाने की कार्यवाही कराई जा रही है।

१	२	३	४		५	६	७
			५५–५६	५६–५७	५७–५८		
१६.	माधोसिंहपुरा	कुआ मरम्मत	१५० रुपये			नहीं	शीघ्र पूरा कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
१७.	चन्दलाई	मरम्मत पुल	५०० रुपये			हां	,,
१८.	ताजखां का वास	कुआ निर्माण	५०० रुपये			नहीं	,,
१९.	नेनपुरा	तालाब की खुदाई	१०० रुपये			नहीं	,,
२०.	कोटखावदो	तलाई	१०० रुपये			नहीं	,,
२१.	कूपावास	बांध निर्माण	१०० रुपये			नहीं	कार्य आरम्भ नहीं हुआ।
२२.	कोलिया	तालाब खुदाई	३०० रुपये			नहीं	रकम वापिस आ गई।
२३.	कोटखावदा बड़ावास	तलाई मरम्मत	७५ रुपये				
२४.	हरिनारायणपुरा	मरम्मत काठी	२०० रुपये		२०० रुपये	नहीं	शीघ्र पूरा कराये जाने की कार्यवाही कराई जा रही है।
२५.	हरिनारायणपुरा	तालाब खुदवाई	१०० रुपये		१०० रुपये	नहीं	कार्य शीघ्र पूरा कराये जाने की कार्यवाही कराई जा रही है।
२६.	दोबला	बांध निर्माण		२५० रुपये	२५० रुपये	हां.	
२७.	महाराजा पुरा	मरम्मत कुआ		२५० रुपये	२५० रुपये	नहीं	,,
२८.	डीवला	मरम्मत कुआ		२५० रुपये			कार्य आरम्भ की रिपोर्ट नहीं आई।
२९.	महाचन्द पुरा	मरम्मत तलाई		१२५ रुपये		नहीं	,,
३०.	गरुण वासी	स्कूल भवन		२५० रुपये	२५० रुपये	नहीं	कार्य शीघ्र पूरा कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
३१.	माधोपुर	कुआ मरम्मत	१२५ रुपये		१२५ रुपये		
३२.	नयनवास	मरम्मत खुदाई		१२५ रुपये		,,	रिपोर्ट नहीं आई।
३३.	माधोपुरा		१०० रुपये		१०० रुपये	नहीं	शीघ्र कार्य पूरा कराने की कार्यवाही कराई जा रही है।
३४	नगरपालिकाएँ	बाढ़ निर्माण बड़ा हुआ कुआ	११०० रुपये	११०० रुपये		नहीं	

क्रम संख्या	ग्राम	कार्य	सहायता की रकम १९५५ ५६	५६ ५७	५७ ५८	कार्य समाप्त हुआ या नही	यदि नहीं तो समाप्ति की अवधि
१	२	३	४			५	६
१.	आ. सड़कें एवं खुर्रे						
१.	कोथून	निर्माण खुर्रा	५०० रुपये			समाप्त हो गया है।	
२.	कोटखावदा	निर्माण दो डागर	३६० रुपये			समाप्त हो गया है।	
३.	बडा झ-पदा	खुर्रा निर्माण	१८० रुपये				
४.	कादरा	निर्माण नला	३०० रुपये				
५.	हरिनारायण पुरा	डागर निर्माण	१८० रुपये			कार्य हो गया है।	
६.	इन्द्रपुरी	डागर निर्माण	१८० रुपये			कार्य नहीं हुआ है।	
७.	रमजानीपुरा	खुर्रा निर्माण	२०० रुपये	२०० रुपये		कार्य नहीं हुआ है।	
८.	ब्रजराजपुरा	डागर निर्माण	१८० रुपये				
९.	नागलोटा रास्ता	डागर निर्माण	१८० रुपये				
१०.	कोटखावदा	खुर्रा निर्माण	.७४० रुपये			कार्य हो गया है।	
११.	वाटिका	सड़क निर्माण	४०० रुपये			कार्य नहीं हुआ है।	
१२.	नला कोटखावदा	खुर्रा निर्माण	३०० रुपये				
	इ. कुवे व तालाब						
१.	नरोत्तमपुरा	कुआ पूरा कराने		२५० रुपये		समाप्त नहीं हुआ है।	शीघ्र ही पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है।
२.	ताजखों का वास	नया कुआ		२५० रुपये	२५०	,,	,,
	ई. स्कूल व औषधालय						
१.	रूपाहेड़ी	टीन शॉट्स की सप्लाई एवं फिटिंग औषधालय		३०० रुपये	२७९	,,	,,
	उ. पंचायतें						
१.	कोथून	पंचायत भवन		१८०० रुपये		कार्य पूर्ण है।	

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या २२६ का उत्तर देखिये)

क्रम सं.	नाम समिति	गमन धन राशि	कबसे विचाराधीन है	क्या कार्यवाही की जा रही है	कौन २ राज्य कर्मचारी शामिल हैं
१	२	३	४	५	६
१.	दी रेल्वे वर्कस कॉंआपरेटिव सोसायटी लि० बीकानेर	४,३३१.२०	१६५२	मामला पुलिस के विचाराधीन है और दोषी फरार है ।	
२.	दी कॉमर्शियल कॉआपरेटिव बैंक लि. अजमेर	६३३६६२.७५	१६५३	चार्टेड अकाउन्टेन्ट से बैंक का अंक परीक्षण करवाने के बमामला पुलिस को देदिया गया है । इस केस की सुनवाई के लिये सरकार द्वारा एक स्पेशल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है. । बैंक की मेनेजिंग बोडी भंग की जाकर एक शासक की नियुक्ति की गई । नादेहन्दाओं से वसूली की कार्यवाही की जा रही है । मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों के खिलाफ पंच फैसला के अनुसार कार्यवाही जारी है । हाईकोर्ट द्वारा दिये गये फैसले की रिट सुप्रिम कोर्ट में सरकार द्वारा की जा चुकी है ।	

१	२	३	४	५	६
२२.	अलवर सैंट्रल कॉआपरेटिव इन्डस्ट्रीज़ एन्ड मार्केटिंग फेडरेशन अलवर	१०६,८.५६	१९५५	सहकारी अधिनियम १९५३ की धारा ४६ के तहत इन्क्वायरी करवाई जा चुकी है और कर्मचारी गणों पर जिम्मेदारी डालने के लिये सहायक पंजीयक अलवर द्वारा कार्यवाही जारी है।	श्री सुशील कुमार गुप्ता निरीक्षक सहकारी समिति
२३.	राजगढ़ वीवर्स कॉआपरेटिव सोसायटी	४००	१९५३	सम्बन्धित कर्मचारियों को चार्जशीट दी जा चुकी है और उनके उत्तर भी प्राप्त हो चुके हैं। आगे कार्यवाही जारी है।	श्री रामगोपाल बसन्त निरीक्षक सहकारी समिति श्रीरामकिशन, सहायक निरीक्षक
२४.	आंटूका कॉआपरेटिव थ्रफ्ट एन्ड क्रेडिट सोसायटी किशनगढ़ वास	७००	१९५४	संबंधित कर्मचारी को चार्जशीट दी जाचुकी है और उत्तर प्राप्त होने पर सहायक पंजियक द्वारा जांच पड़ताल जारी है।	श्री रामगोपाल निरीक्षक सहकारी समिति
२५.	राजगढ़ स्पीयर्स कॉआपरेटिव थ्रफ्ट एन्ड क्रेडिट सोसायटी	३ (अ) ४०० (ब)	१९५५- १९५७	(अ) सहायक निरीक्षक को चार्जशीट दे दी गई है और उसका उत्तर प्राप्त होने पर सहायक पंजीयक सहकारी समितियां अलवर के अन्तिम विचार चाहे गये हैं। (ब) सहायक पंजीयक अलवर द्वारा जांच जारी है।	श्री रामकिशन सहायक निरीक्षक
२६.	साहोडी बहुधन्धी सहकारी समिति (अलवर)	१०८	१९५६	इसकी जांच सहायक पंजीयक अलवर द्वारा जारी है।	
२७.	शेरपुर कॉपरेटिव थ्रिफटएनड क्रेडिट सोसायटी (बहरोड़)	५०)	१९५४	सहायक पंजीयक द्वारा कर्मचारी गण से पूछताछ करके जांच जारी है	श्री श्यामसुन्दर भार्गव निरीक्षक सहकारी समिति

१	२	३	४	५	६
८.	मात्रीजाटन कॉआपरेटिव सोसायटी त्रिलाड़ा	३०.००	१६५१	श्री रामचन्द्र भूतपूर्व सहायक निरीक्षक द्वारा यह गमन करना पाया गया है उनका कहना है कि इसकी तफतीश उनकी मौजूदगी में की जानी चाहिए। अतः सरपंच सहकारी समिति जोधपुर द्वारा उन्हें साक्षात्कार उपस्थित होने के लिये लिखा जा चुका।	श्री रामचन्द्र भूतपूर्व सहायक निरीक्षक सहकारी समितियां हाल निरीक्षक पंचायत।
६	त्रिलाड़ा थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी, त्रिलाड़ा	४०.००	१६५१	,,	,,
१०.	थोक शिव कॉआपरेटिव सोसायटी त्रिलाड़ा	८.५६	१६५१	,,	,,
११.	काला ऊन कॉआपरेटिव सोसायटी, त्रिलाड़ा	३४६.५०	,,	,,	,,
१२.	माल कोसणी थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी, त्रिलाड़ा	४०.००	,,	,,	,,
१३.	नागौर सहकारी केन्द्रीय क्रय विक्रय संघ (फैडरेशन)	८३४३.००	१६५१	इस केस की जांच सहकारी विभाग द्वारा की जाकर केस सरकार को पठाया जा चुका है और दोषियों को मोतिल किया हुआ है।	श्री पी० एन० भार्गव निरीक्षक श्री विरेन्द्रकुमार, स० निरीक्षक
१४.	कोलिया कॉआपरेटिव सोसायटी डीडवाना	८८५०.००	१६५५	केस पुलिस के वेर तजवीज़ है।	–

१	२	३	४	५	६
१५.	बोंचीना कॉआपरेटिव सोसायटी नागौर	६९५३४.५५	१९५३	,,	—
१६.	रेगर बहुधन्धी सहकारी समिति लि० बेंगू	११४०.००	१९५६	दोषी को बाद तहकीकात सहकारी समिति अधिनियम की धारा ५७ के अन्तर्गत गमन की हुए रकम मय १० प्रतिशत ब्याज के १५ रोज में जमा करवाने के लिए नोटिस दिया गया है। इस असें में रकम प्राप्त नहीं हुई तो केस पुलिस को दे दिया जावेगा।	
१७.	बहुधन्धी सहकारी समिति लि० नगौर	२१००.००	१९५७	केस पुलिस के जेर तजवीज़ है।	
१८.	रेगर बहुधन्धी सहकारी समिति बेंगू	५३.६२	१९५८	निरीक्षक द्वारा जांच प्रारम्भ करदी गई है।	जब तक जांच रिपोर्ट न आजावे दोषी कौन हैं नहीं कहा जा सकता।
१९.	बहुधन्धी सहकारी समिति गोलुन्डा	२००.००	१९५७	इस समिति का रेकार्ड पुलिस के पास है इस कारण निरीक्षक द्वारा जांच नहीं की जा सकती है।	,,
२०.	विजय कॉआपरेटिव स्टोर लि० रामगढ़	१६००.००	१९५५	सम्बन्धित निरीक्षक को चार्जशीट दी जा चुकी है और उसका उत्तर भी हो चुका है, निरीक्षक द्वारा दिये गये उत्तर पर सहायक पंजीयक के विचार चाहे गये हैं।	श्री सुशीलकुमार निरीक्षक सहकारी समिति।
२१.	बहुधन्धी सहकारी समिति बडलियास	१५०	१९५८	निरीक्षक द्वारा जांच प्रारम्भ करदी गई।	जब तक जांच रिपोर्ट न आजावे दोषी कौन है नहीं कहा जा सकता।

१	२	३	४	५	६
३.	दी अजमेर मेरवाड़ा कॉआपरेटिव परचेज एण्ड सैल्स सोसायटीज़ फैडरेशन लि० अजमेर	२०२६६१.४५	१६५३	केस जांच के लिए पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया तथा धारा नं० ५७ राजस्थान सहकारी अधिनियम सन् १६५२ के मातहत एक नोटिस ता० ४-२-५८ को १ माह का पंजीयक सहकारी समिति द्वारा देदियागया है।	
४.	दी जैठाना जमीदारान कॉआपरेटिव स्टोर लि० जेठाना	८०३१.२७	१६५६	राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम १६५३ की धारा ५७ के अनुसार नोटिस दिया जारहा है और विविध जांच पड़ताल पूर्णतया करली गई है।	
५.	डोरी निवार कॉआपरेटिव सोसायटी, जोधपुर	५१००.००	१६५५	केस पुलिस को दिया गया था, अदम सबूत में फाइनल कर दिया गया, अब रकम वसूली की कार्यवाही जा रही है।	
६	जसवन्त कॉलेज कॉआपरेटिव, सोसायटी, जोधपुर	१७६४.००	१६४८	दोषी लापता है वसूली का सर्टिफ़िकिट तहसील में भेजा हुआ है जहां उसकी जायदाद का पता लगाया जारहा है।	श्री रामकिशोर पालीवाल, क्लर्क जसवन्त कालेज जोधपुर,
७.	फलोदी मल्टी पर्पज कॉआपरेटिव सोसायटी फलोदी	२०००.००	१६५४	केस पुलिस में दिया जा चुका है और खजान्ची लापता है।	

Page No.129

१	२	३	४	५	६
२८. दहमी कॉपरेटिव थ्रिफ्ट एन्ड क्रेडिट सोसायटी		२८)	१६५०	यह मुकदमा पुलिस में दर्ज है जो फैसले के लिए एकस्ट्रा मजिस्टेट बहरोड़ की अदालत में चल रहा है	श्री दामोदरलाल सहायक निरीक्षक सहकारी समिति
२६. विजय कॉपरेटिव थ्रि० क्रेडिट सोसायटी अलवर		५३२६)	१६५३	यह मामला समिति के अवैतनिक सेक्रेट्री तथा कोषाध्यक्ष के बीच है जिसकी सहकारी अधिनियम की धारा ६१के तहत पंच फैसले की कार्य वाही की जाकर ५०००रु० की वसूली कोषाध्यक्ष से की जा चुकी है परन्तु इस फैसले के खिलाफ कोषाध्यक्ष ने अपील की है जो जेर फैसला है ।	श्री सुशीलकुमार गुप्ता निरीक्षक सहकारी समिति
३०. बांगेहरी लेबर-कन्ट्रेक कॉपरेटिव सोसायटी		(अ) २०००)	१६५६	यह गवन गत प्रबन्धक कारिणी समिति द्वारा किया गया था जिसकी वसूली के लिए प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किये जा चुके हैं तथा सहकारी पंजीयक द्वारा वसूली की कार्य वाही जारी है	
		(ब) १६४० ७१ नये पैसे	१६५६	भूतपूर्व अध्यक्ष श्री शिवनारायण के खिलाफ वसूली के प्रमाण पत्र प्राप्त किये जा चुके हैं और वसूली की कार्यवाही भी जारी है	
३१. भोजपुर कॉपरेटिव थ्रि० एन्ड क्रेडिट सोसायटी		३५०)	१६५६	क्योंकि इस राशि का गवन अलवर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक अलवर में हुआ है इस	

१	२	३	४	५	६
				कारण पंच नियुक्ति इस विभाग द्वारा की जाकर सहकारी अधिनियम की धारा ६१के अन्तर्गत कार्यवाही करने की आज्ञा प्रदान की जा चुकी है	
३२.	शाह जगन्नाथ कॉपरेटिव स्टोर	११६१) ६२नयेपैसे	१६५५	यह राशि स्टोर के सदस्यों द्वारा रोकी गई है जिसके लिये अधिनियमों के तहत सहायक पंजीयक द्वारा कार्यवाही जारी है।	
३३.	महलकपुर बहुधन्धी सहकारी समिति	६) ६२नयेपैसे	१६५७	सहायक पंजीयक द्वारा इसकी जांच जारी है	
३४.	ललाड़डीकला कॉपरेटिव थ्रि०. ए० क्रे सोसायटी	२७) ५३नयेपैसे	१६५७	सहायक पंजीयक द्वारा इसकी जांच जारी है।	
३५.	कॉपरेटिव क्रेडिट सोसायटी गुरुसर	१६००)	१६५७	श्री जेतासिंह जो समिति का कोषाध्यक्ष था और जिसने गबन किया था उस पर जुडिशियल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है ।	
३६.	कॉपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लीला वाली	८००)	१६५१	श्री छोगाराम भूतपूर्व कोषाध्यक्ष लीलावाली समिति पर धारा ४०८ आई. पी. सी. के अन्तर्गत सब डिविजनल मजिस्टेट कोर्ट हनुमान गढ़ में मुकदमा चला था परन्तु वह बरी होगया। अब उन पर राजस्थान सहकारी अधिनियम धारा ५७ के अन्तर्गत रुपयों की वसूली करने के लिए कार्यवाही जारी करदी गई है ।	

१	२	३	३	५	६
३७.	कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बोला वाली	६०६)	१९५२	श्री खेमचन्द भूतपूर्व कोषाध्यक्ष पर वही कार्य वाही की गई व जारी है जैसा की नं० ३६ के लिए	
३८.	हेदार बहुधन्धी सहकारी समिति	२०५४)	१९५७	इस मामले की जांच पुलिस अधिकारी कर रहे हैं रिपोर्ट अभी तक नहीं प्राप्त हुई है।	श्री रामेश्वरलाल सहायक निरीक्षक सहकारी समिति
३९.	बड़गांव टांटोली सहकारी बचत व साख सहकारी समिति	५४३)	१९५६ से	इस मामले की जांच प्रारंभ की जा चुकी है।	
४०.	सोभ्यां बहुधन्धी सहकारी समिति		१९५७ से	इस मामले की जांच प्रारंभ की जा चुकी है	
४१.	बसन्त गढ़ सहकारी बचत व साख समिति	८६) २५ नये पैसे	१९५७. से	वसूली की कार्यवाही सहायक पंजीयक सहकारी समितिद्वारा जारी है	श्री गोपाल लाल सहायक निरीक्षक सहकारी समिति मैनेजिंग वाडी के सदस्य
४२.	हरजी बहुधन्धी सहकारी समिति	६०)	१९५७. से	वसूली की कार्यवाही पंजीयक सहकारी समितिद्वारा जारी है।	
४३.	दांता रामगढ़ सहकारी भन्डार लि० सीकर	८४८४) ५६ नये पैसे	१९५२. से	पंच फैसला सक्रेट्री के खिलाफ जो इस मामले में था हो चुका है मगर और १४४३१)३९ नये पैसे की डिग्री दे दी गई है परन्तु हाई कोर्ट में सैक्रेट्री ने अपील की है इस कारण वसूली रुकी हुई है।	
४४.	पंचार रेगरान सहकारी समिति लि०	१५५०)	१९५१. से	मामला पुलिस को दे दिया गया था व मुलजिम को तारीख ८-११-५६ को दो साल की सजा तथा १०००) जुर्माना हो गया है।	

१	२	३	४	५	६
४५.	पलसाना सहकारी समिति लि०	पूर्व विवरण प्राप्त नहीं हो सका ।	१६५२. से	कागजात न मिलने के कारण कार्यवाही नहीं की जासकी न मालुम ही हो सका कि कितना गबन है।	
४६	हर्ष सहकारी भन्डार लि०	पूर्व विवरण प्राप्त नहीं हो सका ।	१६५३. से	कागजात न मिलने के कारण कार्यवाही नहीं की जासकी न मालुम ही हो सका कि कितना गबन है।	
४७.	रींगस केलिको प्रिन्टर्स सहकारी भन्डार	पूर्व विवरण प्राप्त नहीं हो सका		१६५२. से कार्य वाही नहीं की जा सकी न मालुम ही हो सका कि कितना गबन है	
४८.	लछमण गढ़ सहकारी भन्डार लि० सीकर	११९८३)	१६५२. से	मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है और अभी मुकदमें में फैसला हुआ है।	
४९.	स्वदेशी गृह उद्योग लि० सीकर	५०००)	१६५२. से	मामला पुलिस के सुपुर्द करने पर मजिस्ट्रेट सीकर द्वारा मुलजिम बरी कर दिया गया जिसकी अपील हाई कोर्ट ने भी ता० १०-६-५६ को खारिज करदी।	
५०.	सीकर सहकारी भन्डार लि० सीकर	पूर्व विवरण प्राप्त नहीं है	१६५२. से	मामला पुलिस के सुपुर्द है इसका पूर्व विवरण प्राप्त नहीं हो सका व इस में चालान भी नहीं हुआ है ।	
५१.	श्री माधोपुर सहकारी भन्डार लि० सीकर	४०००)	१६५२. से	पूर्व कागजात न मिलने से आगे कार्य वाही नहीं की जा सकी है ।	
५२.	मोहन पुरा सहकारी भन्डार लि० चिड़ावा	पूर्व विवरण प्राप्त नहीं हो सका	१६५२. से	कागजात न मिलने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।	
५३	पिलानी सहकारी भन्डार लि० पिलानी	पूर्व विवरण प्राप्त नहीं हो सका	१६५२. से	कागजात न मिलने के कारण कोई कार्य वाही नहीं की जा सकी ।	

१	२	३	४	५	६
५४.	गाडा खेड़ा सहकारी भन्डार लि० चिडावा	,,	१६५२. से	कागजात न मिलने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।	
५५.	खानपुर सहकारी भन्डार लि० खेतड़ी	,,	,,	,,	
५६.	हनुमानपुरा सहकारी भण्डार लि० झुंझनू	५७८२)	१६५२ से	मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है इस समय हाईकोर्ट में अपील चल रही है।	
५७.	शेखावाटी सहकारी भण्डार लि० झुंझनू	पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं है।	१६५२ से	कागजात प्राप्त न होने से कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है।	
५८.	वगड़ सहकारी भण्डार लि० तहसील झुन्झनू	,,	,,	,,	
५६.	झुन्झनू केन्द्रीय क्रय-विक्रय संघ लि० झुन्झनू	,,	,,	,,	
६०.	झुन्झनू बुनकर सहकारी समिति लि० झुन्झनू	१२००)	१६५२ से	कागजात अप्राप्त होने से कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी अब मामला पुलिस के सुपुर्द किया जा चुका है।	
६१.	मादड़ी बहु-धन्धी सहकारी समिति लि० मादड़ी	८१५०)	१६५५ से	पुलिस विभाग द्वारा जाँच पड़ताल कर अदालत डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट में मुकदमा दफा ४०६, ४२० व ४८८ के अन्तर्गत चल रहा है।	
६२.	खरताना बहु-उद्देश्यीय सहकारी समिति लि०	१२५०)	१६५७ से	यह गामला एन्टी करप्शन विभाग को नं० ६२ व ६३ में एक आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है। विभागीय सह० निरीक्षक इन-	

Page No.134

१	२	३	४	५	६
					वाल्वड मालूम पड़ते थे मगर विभागीय जांच करने पर आरोप सही नहीं मालूम पड़ते फिर भी सफाई के लिए एन्टी करप्शन विभाग को लिख दिया गया है।
६३.	वासनी बहु-उद्देश्यीय सहकारी समिति लि० सनवाड़	८००)	,,	इस मामले को भी एन्टी करप्शन विभाग को देने के विचाराधीन है।	—
६४.	सनवाड़ बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति लि० सनवाड़	५५७.४१	१९५४ से	इस मामले को पंच निर्णय के लिए अधिनियम धारा ६१ के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु समिति को लिखा जा चुका है क्योंकि पुलिस विभाग ने इस गबन को दीवानी न्यायालय के हस्तक्षेप का बताया है।	—
६५.	विधीया मल्टीपर्पज़ सोसाइटी	१६२.२२		मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।	श्री के० एल० गुप्ता भूतपूर्व लेक्चरार को० सेन्टर शिवगंज इस समय फरार हैं।
६६.	बकरहा थ्रिफ्ट एन्ड क्रेडिट सोसाइटी	१२)	,,	,, ,,	,,
६७.	बालूपुरा थ्रिफ्ट एन्ड क्रेडिट सोसाइटी	१०।	,,	,, ,,	,,
६८.	नैटरा थ्रिफ्ट एन्ड क्रेडिट सोसाइटी	१४)	,,	,, ,,	,,

१	२	३	४	५		६
६९.	सान्डोराव थ्रिफ्ट एन्ड क्रेडिट सोसाइटी	१३.५०	,,	,,	,,	,,
७०.	शिवगंज एक्सटेन्शन ट्रेनिंग सेन्टर सोसाइटी	२३७२.५२)	,,	,,	,,	,,
७१.	नवी थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी	३)	,,	,,	,,	,,
७२.	नवी मल्टीपर्पज़ सोसाइटी	५००)	,,	,,	,,	,,
७३.	बलाना मल्टीपर्पज़ सोसाइटी	२०)	,,	,,	,,	,,
७४.	राजपुरा बहुद्देशीय सोसाइटी	१५)	,,	,,	,,	,,
७५.	चाणोद बहुद्देशीय सोसाइटी	५८. ३ न. पै.	,,	,,	,,	,,
७६.	पादा बहुद्देशीय सोसाइटी	४०.३१	,,	,,	,,	,,
७७.	तखतगढ़ बहुद्देशीय सहकारी समिति		इसमें ८) के खर्चे का बाउचर नहीं है।		,,	,,
७८.	तखतगढ़ मेघवालान शिफ्ट एन्ड क्रेडिट सोसाइटी		इसमें १०।) के खर्चे का बाउचर नहीं है।			
७९.	बसन्त मल्टीपर्पज़ सोसाइटी	२४)	मामला पुलिस को दे दिया गया है।			
८०.	खेबन्दी बहुद्देशीय सहकारी समिति	६१)	,,	,,	,,	,,
८१.	धोलाबहुउद्देशीय सोसाइटी	२२६)	,,	,,	,,	,,

१	२	३	४	५	६
८२.	त्रिरानी बहुउद्देशीय सोसाइटी	२६)	,,	,, ,,	,,
८३.	बड़ागाँव बहुउद्देशीय सोसाइटी	१४)	,,	,, ,,	,,
८४.	पाजड़ी बहुउद्देशीय सोसाइटी	१६६)	,,	,, ,,	,,
८५.	लोटेटी बहुउद्देशीय सोसाइटी	३७:४)		यह रुपया श्री हीरालाल कोषाध्यक्ष द्वारा गबन किया गया। जिसमें से १५००) वसूल हो चुके हैं और बाकी की वसूली की कार्यवाही राजस्थान कॉम्रापरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट की धारा ५७ की तहत की जा रही है।	
८६.	अगेवा बहुउद्देशीय सहकारी समिति	१८०२.३०		इस मामले में सरपंच श्री भीकाराम का हाथ था जो मामला पुलिस विभाग को दे दिया गया है और राजस्थान एक्ट की धारा के अनुसार वसूली की कार्यवाही जारी है।	
८७.	बहु कार्यकारिणी सहकारी समिति बाबड़ीखेड़ा	३५८.७३	१६५७ से	इन मामलों में श्री देवीशंकर ग्रुप सेक्रीटरी इनवाल्वर्ड थे जिनको मोअत्तिल किया जाकर चार्ज शीट दी गई और जांच करने पर मामला निष्कर्श निकला कि श्री देवी शंकर ने उपरोक्त रकमों का गबन नहीं किया बल्कि ५–६ महीने तक अपने पास रोककर बाद में समितियों के हिसाबों में कॉम्रापरेटिव बैंक में जमा करवाई। क्योंकि उपरोक्त राशियां जमा हो चुकी थी इस कारण श्री देवीशंकर को माफ किया गया और रुपये इतने दिनों तक अपने पास रखने पर उसको मोत्तिल के समय आधी तनखा दिये जाने की आज्ञा दी गई और इस अपराध में एक वर्ष के लिए वार्षिक तरक्की रोकी गई और उसका तबादला भी झालरा पाटन की बजाय खामपुर सर्किल में कर दिया।	
८८.	सहकारी समिति बिश्याखेड़ी	५.१६	,,		
८९.	सहकारी समिति कोरदा	१७४.६२	,,		
९०.	सहकारी सभा ग्राम कादर	५११)	,,		
९१.	सहकारी सभा चिंदलोई	११४)	,,		

१	२	३	४	५	६
९२.	पार पन्द्रकवघर कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी	६०. ५०	१६४५	इन तीनों समितियों में वसूलि के प्रमाणपत्र श्री दीवान साहब भरतपुर स्टेट द्वारा जारी किये जा चुके हैं। कलक्टरी में कार्यवाही की जा रही है। एक ग्रुप सेकेट्री बर्खास्त किया जाचुका है।	
९३.	हबीबपुर कोआपरेटिव क्रेडिट सहकारी समिति	१३. ५०	,,		
९४.	महुवा कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी	४५०. ८२			
९५.	चकवाचटोकरी कॉआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी	११००)	१६४७	इस समिति का केस श्री पंजीयक महोदय ने अपने पत् क्रमांक ११६१४। सी० डी० आर एम (१०) ५६ दिनांक २४. ५. ५७ द्वारा तय किया जा चुका है जिसके परिणामसरूप सहायक निरीधक श्री उम्मेदसिंह जो कि समिति के मैनेजर में एक सालाना तरक्की रोकी गई और समिति को कानूनी कार्यवाही करने की सलाह दी गई है।	
९६.	कशीकल सहकारी समिति	३३०. ६	१६४४	यह रकम श्री मधुसूदन ग्रुप सेकेट्री द्वारा गवन की गई। यह केस दीवान साहब भरतपुर राज्य द्वारा सान्चा क्रमांक १०८५–५० दिनांक ८–४–१६४६ द्वारा इसकी प्रोपटी से वसूली करने का आदेश दिया। इस रकम की वसुलि १७१४. ७५ हो चुकी है और समितियों के हिसाब में एडस्ट कर ली गई है। बाकी वसूली के सर्टिफिकेट की कार्यवाही श्रीमान कलक्टर साहब भरतपुर के कार्यालय में हो रही है।	
९७.	बसुवा सहकारी समिति	१६६. ५०	१६४३		
९८.	शेरकी सहकारी समिति	६२. ५०	१६४४		
९९.	सिपानी सहकारी समिति	६१)	१६४४		
१००.	घर सहकारी समिति	२०२. ५०	१६४३		
१०१.	महुवा सहकारी समिति	७८६. १४	१६४३		
१०२.	पार सहकारी समिति	१००.५०	१६४३		

१	२	३	४	५	६
१०३.	बीजपुर सहकारी समिति	१३.५०	१९४३	,, ,,	,,
१०४.	लुधावही सहकारी समिति	४१८.८७	,,	,, ,,	,,
१०५.	बामनपुरा सहकारी समिति	६५)	,,	,, ,,	,,
१०६.	कॉआपरेटिव सोसाइटी बस्सी	४४.५०)	,,	दोषी को चार्ज शीट दी जा रही है।	श्री लक्ष्मण स्वरूप सहायक निरीक्षक
१०७.	कॉआपरेटिव सोसाइटी महुआ	५६४)	,,	,, ,,	श्री गोरधनलाल सहायक निरीक्षक
१०८.	कॉआपरेटिव सोसाइटी कुशलगढ़	३५.१)	,,	,, ,,	श्री राम स्वरूप सहायक निरीक्षक

१	२	३	४	५	६
९२.	पार पन्द्रकवंधर कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी	९०. ५०	१९४५	इन तीनों समितियों में वसूलि के प्रमाणपत्र श्री दीवान साहब भरतपुर स्टेट द्वारा जारी किये जा चुके हैं। कलक्टरी में कार्यवाही की जा रही है। एक ग्रुप सेकेट्री अर्खास्त किया जाचुका है।	
९३.	हबीवपुर कोआपरेटिव क्रेडिट सहकारी समिति	१३. ५०	,,		
९४.	महुवा कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी	४५०. ८२			
९५.	चकवाचटोकरी कॉआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी	११००)	१९४७	इस समिति का केस श्री रंजीयक महोदय ने अपने पत् क्रमांक ११६१४। सी० डी० आर एम (१०) ५६ दिनांक २४. ५. ५७ द्वारा तय किया जा चुका है जिसके परिणामसरूप सहायक निरीधक श्री उम्मेदसिंह जो कि समिति के मैनेजर में एक सालाना तरक्की रोकी गई और समिति को कानूनी कार्यवाही करने की सलाह दी गई है।	
९६.	कशीकल सहकारी समिति	३३०. ६	१९४४	यह रकम श्री मधुसूदन ग्रुप सैकेट्री द्वारा गवन की गई। यह केस दीवान साहब भरतपुर राज्य द्वारा साच्चा क्रमांक १०८५-५० दिनांक ८-४-१९४६ द्वारा इसकी प्रोपटी से वसूली करने का आदेश दिया। इस रकम की वसुलि १७१४. ७५ हो चुकी है और समितियों के हिसाब में एडस्ट कर ली गई है। बाकी वसूली के सर्टिफिकेट की कार्यवाही श्रीमान कलक्टर साहब भरतपुर के कार्यालय में हो रही है।	
९७.	बसुवा सहकारी समिति	१९६. ५०	१९४३		
९८.	शेरकी सहकारी समिति	६२. ५०	१९४४		
९९.	सिपानी सहकारी समिति	६१)	१९४४		
१००.	घर सहकारी समिति	२०२. ५०	१९४३		
१०१.	महुवा सहकारी समिति	७८९. १४	१९४३		
१०२.	पार सहकारी समिति	१००.५०	१९४३		

१	२	३	४	५	६
१०३.	ब्रीजपुर सहकारी समिति	१३.५०	१६४३	,, ,,	,,
१०४.	लुधावही सहकारी समिति	४१८.८७	,,	,, ,,	,,
१०५.	बामनपुरा सहकारी समिति	६५)	,,	,, ,,	,,
१०६.	कॉआपरेटिव सोसाइटी ब्रस्सी	४४.५०)	,,	दोषी को चार्ज शीट दी जा रही है।	श्री लक्ष्मण स्वरूप सहायक निरीक्षक
१०७.	कॉआपरेटिव सोसाइटी महुआ	५६४)	,,	,, ,,	श्री गोरधनलाल सहायक निरीक्षक
१०८.	कॉआपरेटिव सोसाइटी कुशलगढ़	३५.१)	,,	,, ,,	श्री राम स्वरूप सहायक निरीक्षक

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या २३७ का उत्तर देखिये)

INFORMATION OF Q. NO. 57/LLM.

Tho following Doctors couples are at present posted at Jaipur.

Name.	Designation.	Posting.
1. Dr. B. N. sharma	Director of Medical & Health Services, Jaipur	Jaipur.
Dr. (Mrs) Sheela Sharma.	Civil Asstt. Surgeon Class I.	S. M. S. Hospital, Jaipur.
2. Dr. R. S. Bhatnagar	Asstt. Director of Health Services.	Jaipur.
Dr. (Mrs) P. Bhatnagar.	Civil Asstt. Surgeon Class II.	Maternity & Child welfare centre, Ramganj, Jaipur.
3. Dr. K. N. Sharma	Junior Specialist.	S. M. S. Hospital, Jaipur.
Dr. (Mrs) Tara Bhardwaj.	Civil Asstt. Surgeon Class I	Zanana Hospital, Jaipur
4. Dr. S. P. Mongia	Demonstrator.	S. M. S. Medical College Jaipur.
Dr. (Mrs) P. Mongia	Civil Asstt. Surgeon Class I	S. M. S. Hospital, Jaipur.
5. Dr. B. P. Bhatnagar	Civil Asstt. Surgeon, Class I	S. M. S. Hospital, Jaipur.
Dr. (Mrs) Laxmi Bhatnagar.	Civil Asstt. Surgeon Class I	S. M. S. Hospital, Jaipur.
6. Dr. J. P. Sethi	Civil Asstt. Surgeon Class I	S. M. S. Hospital, Jaipur.
Dr. (Mrs) Rameshwari Sethi.	Civil Asstt. Surgeon, Class II	Maternity & Child Welfare Centre Chaura Rasta, Jaipur.
7. Dr. B. R. Anand.	Demonstrator.	S. M. S. Medical College, Jaipur.
(Dr. Mrs) Chandrakanta.	Dietition.	S. M. S. Hospital, Jaipur
8. Dr. S. N. Gupta.	Lecturer.	S. M. S. Medical College, Jaipur.
Dr. (Mrs) Pushpa Gupta.	Civil Asstt. Surgeon Class II.	Zanana Hospital, Jaipur.

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण, बुधवार, १९ फरवरी, १९५८)

स्कंम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१४३४	२	प्रशिक्षणार्थीयों के प्रशिक्षण	प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण
१४३९	१०	श्री पी० के० चौधरी	२२७. श्री पी० के० चौधरी
१४४३	१०	श्री तनसिंह	२२८. श्री तनसिंह
१४४४	१७-१८	श्री मोहरसिंहः (अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)	श्री मोहरसिंह। (अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)
१४५८-५९	शीर्ष	–१९ फरवरी, ५८–	–१९ फरवरी, १९५८–
१४७९	२०	बांधने कि योजना	बांधने की योजना
१४८०	१६	क्रियान्वित किया जायगा।	कियान्वित किया जायगा।
१४८३	अन्तिम से ५	मैं राजस्थान (फौरेस्ट संशोधन)	मैं राजस्थान फौरेस्ट (संशोधन)
१४९४	३	Supplied eleetric	supplied electric
१४९७	अन्तिम से १०	ssovld go back	should go back
१५०१	अन्तिम से १८	श्री गिरधारीलाल भार्गव	श्री गिरधारी लाल
१५०३	,, ,, ४	Oo representations	on representations
१५३५	३	बिजीनेस है	बिज़नेस है
१५४३	२	श्री उपाध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
१५५८-१५९०	शीर्ष	मन्त्रिमण्डल के प्रति	मन्त्री मण्डल के प्रति
१६०८-१६२५	,,	,,	,,
१६२८-१६३०	,,	,,	,,
१५९६	अन्तिम	को अधिकार है	को जो अधिकार है
१५७४	अन्तिम से १२	बलाई या भाभी को	बलाई या भांभी को
१५८१	१०	इसके लिए एक्पर्ट हैं	इसके लिये एक्सपर्ट हैं
१५८३	अन्तिम से ६	Will the Hon. Spekaer help	Will the Hont. Speaker help
१५८७	१	The chair connot Continue the dedbate	The Chair cannot Continue the debate
१५८९	२३	श्री अजनदास	श्री अर्जनदास
१५९१	१	सभी ओर जगह	सभी और जगह
१५९२	१७	Sargent-at-arms...	Sergeant-at-Arms...I
१५९९	६ व ७	I direct the sargent -at-arms	direct the Sergeant-at -Arms
१६०४	१९	भड़काने की कोशि करें	भड़काने की कोशिश करें
१६०५	अन्तिम से ४	इसलिऐ मैं कहना	इसलिए मैं कहना

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१६१०	१५	हिप होता है	व्हिप होता है
१६१६	१४	are nottrying	are not trying
१६३१	६	chair is not its legs.	Chair is on its legs.
,,	अन्तिम से ६	(श्रोसिया)	(श्रोसियां)
१६३६	शीर्ष	उपस्थित की गई बाधा	उपस्थित कीगई बाधा की कार्यवाही
१६४०	२१	Speaker at tho	Speaker at the
१६४१	अन्तिम से १५	If the Hou'ble	If the Hon'ble
१६४१	अन्तिम से ११	में जो बात कह	मैं जो बात कह
१६४२	अन्तिम से ६	as the trialis	as the trial is
१६४४	१८	That all	That is all.
१६४६	१६	given a recommend a-	given a recommeda-
		disturbed the house	disturbed the House
१६५१	१०-११	let you off because	let him off because
१६५६	६-१०	we ignore your offence.	we ignore his offence
१६६२	अन्तिम से ११	Miniutes	Minutes
१६६५	८	यह चेतावनी यी	यह चेतावनी दी
१६७१	३	को सन ५५-५५,	को सन् ५५-५६,
१६७२ १६७३	३-५	(कॉल्म ४ में लिखित धन राशि	को कॉलम ५ पर पढ़े)
१६८३	शीर्ष	रिशिष्ट	परिशिष्ट
१६८६	शीर्ष	१६८८	१६८६